4.5.

सप्तम माला, 26 मार्च, 1981/ 2 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पांचवां सत्र)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : आठ रुपए

विषय सूची

अंक 29, गुरुवार, 26 मार्च, 1981/5 चैत्र, 1903 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	...	—1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 536,538 से 540 और 542 से 544	...	1—26
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या : 537, 541, 545 से 547 और 549 से 555	...	27—34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5116 से 5270	...	35—164
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	165—166
राज्य सभा से सन्देश	...	—167
लोक लेखा समिति		
14वां और 17वां प्रतिवेदन	...	168—169
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
जनसंख्या में वृद्धि		
श्री एच० के० एल० भगत	...	170—174
श्री बी० शंकरानन्द	...	171—180
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	175—176
श्री राम सिंह यादव	...	177—178
कृषि उपज के लिए लाभप्रद मुल्य, कृषि आदानों के मूल्यों में कमी आदि के बारे में याचिका	...	—180
नियम 377 के अधीन मामले	...	—181
(एक) केक-कोल का आबंटन रद्द किये जाने के कारण उद्योगों के बन्द होने का समाचार		
श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर	...	—181

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन श्री राम सिंह यादव	...	181—182
(तीन) दिल्ली के जूनियर डाक्टरों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में हुए समझौते को लागू न किए जाने के विरोध में विरोध सप्ताह श्री रशीद मसूद	...	—182
(चार) किसानों और कृषि मजदूरों द्वारा अपनी शिकायतों को दूर किये जाने के समर्थन में लाल किले से बोट क्लब तक निकाला गया कथित जलूस श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	—182
(पांच) एन्नौर ताप बिजलीघर, मद्रास को कोयले की सप्लाई की आवश्यकता डा० ए० कलानिधि	...	183—184
(छः) पश्चिमी बंगाल में कृषि विज्ञान केन्द्र, काकद्वीप का निर्माण श्री मुकन्द मण्डल	...	—184
(सात) देश के वैज्ञानिकों को यथासंभव अधिकतम सुविधाएं दिये जाने की आवश्यकता । श्री हरिकेश बहादुर	...	—185
अनुदानों की मांगें, 1981-82—जारी		
सूचना और प्रसारण मंत्रालय—जारी		
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	185—186
श्री आर० पी० यादव	...	187—191
श्री पी० नामग्याल	...	191—195
श्रीमती किशोरी सिन्हा	...	195—198
प्री० नारायण चन्द पराशर	...	198—203
श्री अशफाक हुसैन	...	203—205
श्रीमती विद्याचेन्नुपत्ति	...	205—206
श्री मधुसूदन वैराले	...	207—210

विषय		पृष्ठ
श्री ए० के० राय	...	210—213
श्री एन० ए० गोजागिन	...	213—215
श्रीमती कृष्णा साही	...	215—218
श्री एन० के० शेजवलकर	...	218—219
श्री मूलचन्द डागा	...	219—221
श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय	...	221—223
श्री हरिकेश बहादुर	...	223—224
श्री जमिलुर्रहमान	...	225—227
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	...	227—228
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	...	—228
श्री बनवारी लाल बैरवा	...	228—230
श्री शान्ता राम पोटदुखे	...	230—231
श्री बसन्त साठे	...	231—250
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	—251

लोक सभा

गुरुवार, 26 मार्च, 1981/5 चैत्र, 1903 (शक)

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचना देते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि आज प्रातः सागर में इस सभा की वर्तमान सदस्या श्रीमती सहोदराबाई राय का निधन हो गया है । वह 62 वर्ष की थीं ।

श्रीमती राय 1957-67 और 1971-77 के दौरान द्वितीय, तृतीय और पंचम लोकसभा की भी सदस्या थीं ।

वह एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थीं, उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया और जेल गईं । उन्होंने अगस्त, 1955 में गोआ स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी भाग लिया और घायल हुईं ।

वह एक सुविख्यात सामाजिक कार्यकर्त्री थीं तथा हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच एकता की भावना उत्पन्न करने और हरिजनों के कल्याण के लिए पूरा प्रयत्न करती रहीं । वयस्क शिक्षा और खादी के संवर्धन में वह अत्यधिक रुचि लिया करती थीं ।

वह इस सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सदस्या थीं ।

हम इस मित्र के निधन पर अत्यधिक शोक व्यक्त करते हैं और मुझे आशा है कि यह सभा शोकसन्तप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरा साथ देगी ।

शोक व्यक्त करने के लिए सभा थोड़े समय के लिए मौन खड़ी हो ।

(तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ क्षण के लिए मौन खड़े रहे)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कलकत्ता में मैट्रो रेलगाड़ियां

*536. **श्री मुकुंद मंडल :**

श्री चित्त गहाटा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष प्रयोग के आधार पर मैट्रो रेलगाड़ियां चलाने का है ;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या मैट्रो रेल्स के लिए डिब्बे तैयार हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ङ) मैट्रो रेल्स का निर्माण पूरा करने की संभावित तिथि क्या है, इनके पूरा होने तक अनुमानत: कुल कितना व्यय होगा और इस से कितने लोगों को लाभ मिलेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाकर सरीफ) : (क) और (ख) जी नहीं। प्रस्ताव यह है कि केवल प्रयोग के तौर पर दमदम-बेलगछिया खंड पर प्रोटो-टाइप सवारी डिब्बों को चलाकर उनका परीक्षण किया जाए।

(ग) और (घ) ऐसी सम्भावना है कि परीक्षण के लिए सवारी डिब्बा कारखाने द्वारा निर्माण किए जा रहे केवल 8 प्रोटो-टाइप सवारी डिब्बे इस वर्ष के मध्य तक बनकर तैयार हो जाएंगे ।

(ङ) कलकत्ता में भूगत रेलवे से सम्बन्धित निर्माण-कार्य दो चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में दमदम से श्याम बाजार और एसप्लेनेड से टालीगंज तक और दूसरे चरण में श्याम बाजार से एसप्लेनेड तक का निर्माण-कार्य शामिल है। यदि धन उपलब्ध हुआ तो कुल 11.53 कि०मी० में परियोजना का पहला चरण 1984-85 में और समूची परियोजना को 1986-87 तक पूरा करना है।

अनुमान है कि वर्तमान मूल्य स्तर पर परियोजना को पूरा करने के लिए कुल खर्च लगभग 425 करोड़ रुपये होगा।

ऐसी सम्भावना है कि जब पहला चरण पूरा हो जाएगा तो उससे 13.2 लाख दैनिक यात्री लाभान्वित होंगे। अन्तिम चरण पर यह संख्या बढ़कर 17·3 लाख हो जाएगी।

श्री मुकुंद मंडल : मैंने माननीय मन्त्री का विवरण पढ़ा है। प्रश्न यह है, जैसा कि आप जानते हैं कलकत्ता नगर की आबादी सबसे अधिक है।

एक माननीय सदस्य : वह लोकप्रिय नगर है।

श्री मुकुंद मंडल : ···और इसके साथ-साथ वह लोकप्रिय भी है क्योंकि देश के भिन्न-भिन्न भागों से लोग वहां जाते हैं और ठहरते भी हैं। अन्य समस्याओं के साथ-साथ सबसे भयंकर समस्या कलकत्ता में परिवहन व्यवस्था की है। कलकत्ता मैट्रो रेल का प्रयोजन यातायात अवरोध को कम करना है और आसपास की बस्तियों से नगर के मध्य में आने वाली भीड़ को रोकना है। कार्य के पूरा होने में विलम्ब से समस्या और जटिल हो जाएगी ; समस्यायें परियोजना के पूरा होने तक रुकी थोड़ा रहेंगी। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं :—

(क) मैट्रो रेल को चालू करने के लिए आरम्भ में चरण-वार कितना समय निश्चित किया गया था और (ख) उसके निर्माण पर आरम्भ में कुल कितना खर्च आने का अनुमान था ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि परियोजना की लागत में कितनी बार वृद्धि की गई। जैसा कि विवरण में कहा गया है, अब इस पर 425 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुद्रास्फीति के फलस्वरूप वर्तमान अनुमानित लागत में और बढ़ोत्तरी होने की सम्भावना है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

अन्त में, ट्यूब रेल के लिए कुछ विदेशी विशेषज्ञों के कतिपय प्रस्तावों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ? जब उन्होंने कहा कि मैट्रो रेल की तुलना में ट्यूब रेल पर कुछ कम समय लगेगा ? सरकार की क्या राय है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने तो सारा ही समय ले लिया।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को अच्छी तरह से समझता हूं.....।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु क्या आप सदस्य की भी सराहना करते हैं या नहीं ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं उनको तथा सभा को विश्वास दिलाता हूं कि इस कार्य को पूरा करने में पर्याप्त प्रगति हो रही है।

इस परियोजना की मन्जूरी पहले 1972 में दी गई थी और वास्तव में कार्य 1973 में आरम्भ किया गया था। 1973-74 की लागत के आधार पर इस परियोजना की पुनरीक्षित लागत 250 करोड़ रुपये थी। अब लागत के वर्तमान स्तर पर यह 425 करोड़ रुपए होगी।

जैसा कि मैंने पहले बताया इस कार्य को वरणवार पूरा किया जाएगा। दमदम से शाम बाजार तक, जिनके बीच की दूरी लगभग 3.69 कि० मी० है, और एसप्लेनेड से टालीगंज तक, जिनके बीच की दूरी 7·85 कि०मी० है, के पहले चरण पर 184 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह चितरंजन एवेन्यू के साथ-साथ शाम बाजार से एसप्लेनेड तक, जिनकी दूरी 4.92 कि० मी० है, दूसरे चरण पर 66 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रगति की इसी गति को हमने बनाए रखा है और इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

हम लोगों की समस्याओं से अच्छी तरह अवगत हैं। मैंने स्वयं वहां जाकर ये सब चीजें देखी हैं। स्थानीय समस्याओं को मैं जानता हूं। फिर भी, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस कार्य को यथासम्भव शीघ्र पूरा करना चाहते हैं।

श्री मुकुन्द मंडल : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न। महोदय, केवल एक मिनट।

कुछ दिन पूर्व हमारे नगर-विकास मंत्री, श्री प्रशान्त सूर मद्रास गए और उन्होंने पाया कि मेट्रो रेल के लिए डिब्बों में खड़े होने की व्यवस्था नहीं है उनमें संचालन व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, नगर-विकास मंत्री की इन सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि योजना आयोग द्वारा उठाई गई आपत्ति के कारण दूसरे चरण की पूर्ति के लिए लक्ष्य की तारीख भी अनिश्चित है और यदि हां, तो इसके बारे में तथ्य क्या है ? क्योंकि दूसरे चरण में 5 कि० मी० का निर्माण कार्य अन्तर्ग्रस्त है·· जी नहीं, मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आपने तो इस प्रश्न पर पहले ही आठ मिनट ले लिए हैं।

श्री सी० एफ० जाफर शरीफ : मैंने पहले ही बता दिया है कि संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए पहला चरण 1984-85 में और यदि साधन उपलब्ध हुए तो पूरी परियोजना 1986-87 में पूरी हो जाएगी। बिलम्ब होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

उन्होंने नगर-विकास मंत्री का उल्लेख किया। मैं माननीय सदस्य और सभा को बता देना चाहता हूं कि राज्य के मुख्य मंत्री इस परियोजना में हो रही प्रगति से बिल्कुल संतुष्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री निहालसिंह···।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में इतनी अधिक कोई चीज नहीं है।···आपने पहले ही आठ मिनट ले लिए हैं।···जी, नहीं। श्री निहाल सिंह।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : आप कलकत्ता के प्रति बहुत निर्दयी हैं।···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां।

"ए क्यूरेबल डिजीज मेड इनक्यूरेबल बाई पावर टी" शीर्षक समाचार

*538. **श्री आरिफ मोहम्मद खां** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 फरवरी, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ए क्यूरेबल डिजीज मेड इनक्यूरेबल बाई पावरटी" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है जो राजेन बाबू टी० बी० अस्पताल में निर्धन रोगियों के प्रवेश में कठिनाइयों को उजागर करता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) राजेन बाबू टी० बी० अस्पताल दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में टी० बी० नियन्त्रण कार्यक्रम का भाग है। इस कार्यक्रम में कुल 10 टी० बी० क्लीनिक/टी० बी० केन्द्र हैं जिनके पलंगों को कुल संख्या 1539 है। टी० बी० की गुणकारी दवाइयों का इस्तेमाल करवाकर टी० बी० रोगियों के घरों पर उनके इलाज की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। कुल मिलाकर अस्पताल में भर्ती किए गए रोगियों तथा घरों में जुटाई गई इलाज की सुविधाओं का टी० बी० के अनेक गरीब रोगियों को लाभ मिलेगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार का ध्यान क्षय रोगियों को राजेन बाबू हस्पताल में प्रवेश पाने में होने वाली कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है ? इस टी० बी० हस्पताल के अतिरिक्त किंग्जवे कैंप में भी एक टी० बी० हस्पताल है।

श्री रामावतार शास्त्री : नाम तो ठीक होना चाहिए। सरकार भी वही करती है। राजेन्द्र बाबू होना चाहिए। राजन बाबू कहां से आ गया ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अगर माननीय रामावतार शास्त्री जी ने प्रश्न को पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। किसी समाचार में यह नाम छपा था और उसका शीर्षक यह था। उस समाचार में राजन बाबू लिखा था। अगर रामावतार शास्त्री जी समाचारपत्र के सम्पादक होते तो वहां वह ठीक करा लिए होते तो दूसरी बात थी। लेकिन बुनियादी बात यह है कि क्षय रोग से जो लोग ग्रस्त हैं—(इन्टरप्शंज) नाम का झगड़ा तय कर लें तो मैं सवाल करूंगा। मेरी दिलचस्पी तो टी० बी० पेशेंट्स में है नाम में नहीं। रामावतार शास्त्री जी की दिलचस्पी किस में है मुझे मालूम नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : आपके नाम को वारिफ कर दें आरिफ की जगह तो क्या ठीक होगा ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप इसको छोड़ें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इस अस्पताल में या दूसरे टी० बी० अस्पतालों में जो रोगी जाते हैं और उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जिसकी तरफ इस समाचार में ध्यान दिलाया गया है, क्या सरकार ने उनकी इन समस्याओं पर विचार किया है ? इसके अतिरिक्त ऐसे शहरों में जहां टी० बी० पेशेंट्स ज्यादा है और वहां इस रोग के इलाज की कोई सुविधायें नहीं है, वहां ऐसी सुविधायें प्रदान करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री बी० शंकरानंद : महोदय, मैं दिल्ली में क्षय रोगियों के लिए विभिन्न हस्पतालों में उपलब्ध पलंगों की संख्या बताना चाहूंगा। राजेन बाबू टी० बी० हस्पताल में 1130 चेस्ट क्लिनिक, किलोकड़ी में 55, चेस्ट क्लिनिक, नरेला में 22 पलंग हैं। इनके अतिरिक्त दिल्ली में स्वैच्छिक संगठन है जिनमें से लाला राम स्वरूप हस्पताल में 306, नई दिल्ली टी० बी० सेंटर में 15 और रामकृष्ण मिशन हस्पताल में 55 पलंग हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,539 पलंग हैं।

प्रत्येक क्षय रोगी के लिए हस्पताल में ही उपचार कराना आवश्यक नहीं है। लगभग 92 से 95 प्रतिशत रोगियों का उपचार उनके निवास स्थान पर किया जा सकता है। इसे घर पर उपचार कहा जाता है। केवल गम्भीर मामलों अर्थात लगभग 5 प्रतिशत या इससे थोड़ा अधिक प्रतिशत मामलों में ही अन्तरंग रोगियों के रूप में उपचार किया जाता है। अत. श्रीमन्, पलंगों की संख्या अब संतोषजनक है। और ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत केवल गम्भीर रोगियों को दाखिल किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : इसकी कसौटी क्या है ? इसकी कसौटी रोग की गम्भीरता है। पत्र में राजेन बाबू हस्पताल का हवाला था जो दिल्ली में है और मैंने दिल्ली के बारे में जानकारी दी है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह तो एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। मंत्री महोदय को इसके बारे में व्यापक उत्तर देना चाहिए और उन्हें अपने उत्तर को केवल दिल्ली तक ही सीमित नही रखना चाहिए। मैं अभी दो बार इसको उठा चुका हूं पिछले दो हफ्ते में। यह बीमारी मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, मेरे क्षेत्र कानपुर में सबसे ज्यादा टी० बी० पेशेंट्स हैं और कुछ मौहल्ले तो ऐसे हैं जहां एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके अन्दर टी० बी० पेसेंट न हो। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे पूरी तरह मुतमइन होते हुए भी यह कहूंगा कृपया इस समाचार के साथ जो फोटो छपा है जिसमें अस्पताल के बाहर यह मरीज जगह न मिलने के कारण जमीन पर लेटा हुआ था कई दिन से इस ओर कृपया ध्यान करें।'''(व्यवधान)। मेरी नीयत टी०बी० पेशेंट्स की मदद करने की है, आपकी नीयत है मिनिस्टर के जुमले को पकड़ने की। मेरा कहना यह है कि क्या आप इस बात पर विचार करेंगे, कि अपने साधनों का क्षय ग्रस्त रोगियों के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाय। पिछले सालों का सर्वे कराया जाय कि कितने मरीज इस लायक थे। जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए था, लेकिन जगह की कमी होने के कारण उन्हें भर्ती नहीं किया जा सका, क्या आप इसका सर्वे करायेंगे। यही बुनियादी प्रश्न है क्योंकि जगह नहीं मिलती है टी० बी० के मरीजों को।

दूसरे यह कि ऐसे शहरों में जहां पर इस मर्ज की शिकायत ज्यादा है और वहां पर सुविधायें नहीं हैं, क्या उन शहरों का सर्वे करायेंगे कि उनमें कुल कितने टी० बी० पेशेंट्स हैं और वहां पर क्या सुविधायें हैं ? और उसके बाद पिछले 4, 5, साल से जो इस रोग से ग्रस्त रोगी हैं उनका कुल नम्बर निकाल कर उसके अनुसार आने वाले सालों में ऐसे अस्पतालों की सुविधा करायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो माननीय जाफर शरीफ काली डबल हैडेड ट्रेन हो गई।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, सवाल अच्छा है, इसका जवाब देना चाहिए मंत्री महोदय को।

अध्यक्ष महोदय : दे रहे हैं जवाब।

श्री बी० शंकरानन्द : उनका प्रश्न दिल्ली में हस्पताल के बारे में था और मैंने सोचा कि जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, उसी के बारे में ही जानकारी दी जानी चाहिए। अब वह अन्य स्थानों के बारे में पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक सुझाव ही है। उन्हें आश्वस्त कर दीजिए।

श्री बी० शंकरानन्द : वह कानपुर के बारे में चिंतित है। वहाँ पर पहले ही एक सुसज्जित जिला टी० बी० सेंटर है।

श्री बापू साहिब पारुलेकर : अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने बताया कि हस्पतालों में जिन गम्भीर रोगियों को दाखिल किया जाता है उनकी संख्या पांच प्रतिशत या इससे कुछ अधिक होती हैं। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या यह सच है या नहीं कि 19 मार्च, 1981 से पहले के पखवाड़े में हस्पताल में स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि उपलब्ध नहीं थी और रोगियों को बताया गया था कि वे स्वयं बाहर से खरीद लें ? वे बाहर से खरीदने की स्थिति में नहीं थे। उपचार की पूर्णतया उपेक्षा की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : एक अगर कर दें तो भी काफी हैं।

श्री बापू साहिब पारुलेकर : उन्हें विशेष भोजन देना पडता है, एक सप्ताह में दो बार मांस देना पड़ता है। भोजन के लिए रकम रजिस्टर में तो दिखा दी जाती है परन्तु दिया कुछ नहीं जाता है। राजेश बाबू हस्पताल में रकम तो लेखा रजिस्टरों में लिख दी जाती है परन्तु रोगियों को कुछ नहीं दिया जाता है। यही स्थिति फलों के बारे में है।

श्री बी० शंकरानन्द : जहां तक इंजेक्शन के लिए स्ट्रप्टोमाइसीन औषधि का सम्बन्ध है, मैं यह बता दूं कि इसकी कोई कमी नहीं है।

बापू साहिब पारुलेकर : मैंने 19 मार्च, 1981 से पूर्व की अवधि की बात कही है।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं आपको आज की स्थिति बता रहा हूं। अब इस औषधि की कोई कमी नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह एक विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान औषधि विशेष की कमी के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मेरे पास वह जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य के भोजन के बारे में पूछा है उसके बारे में मैं बता दूं कि इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है।

डा० ए० कलानिधि : माननीय मन्त्री ने अभी बताया कि टी० बी० हस्पतालों में केवल उन रोगियों को दाखिला मिलता है जिनकी हालत गम्भीर होती है। परन्तु मैं सरकार का ध्यान

इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि तमिलनाडु में क्षय से पीड़ित उन रोगियों को, जिनकी हालत अधिक गम्भीर होती है, टी० बी० सेनेटोरियम, ताम्बरम में दाखिल नहीं किया जाता है। उस हस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने विधायकों और सांसदों द्वारा क्षय रोगियों को दिये गए सिफारशी पत्र फाड़ कर फेंक दिए। क्या माननीय मन्त्री इस मामले की जाच करेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य एक ऐसी बात पूछ रहे हैं जो इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती है। यदि किसी प्रश्न विशेष का उत्तर चाहते हैं, तो मैं उत्तर नहीं दे सकूंगा।

पाकिस्तान को अमरीकी हथियार और आर्थिक सहायता

*539. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 3 मार्च, 1981 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'पिन्डी-सीक्स टू बिलियन यू० एस० मिलिटरी, इकोनोमिक एड' (पिन्डी द्वारा अमरीका से दो बिलियन डालर की सैनिक तथा आर्थिक सहायता की मांग) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को कठोरतम शब्दों में बार-बार यह कहा है कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सुरक्षा सेनाएं काफी मजबूत बना ली है तथा उसे बड़े पैमाने पर और अधिक हथियारों की सप्लाई से हमारे क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होगी।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर कल पूरी तरह से चर्चा हो चुकी है। मेरे विचार में इस बिषय पर कोई और प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : महोदय, पाकिस्तान को, जो अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण करना चाहता है, एफ 16-79 युद्ध-विमान, टैंक, तोपें और विमान-प्रक्षेपणास्त्र प्राप्त होने की सम्भावना है। अब सहायता का रूप मटर के दाने से बढ़ कर केले के आकार का हो गया है इन हथियारों को प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान ने तीन तर्क दिए है। पहला यह कि वह अफगानिस्तान की सीमा की ओर से खतरे का मुकाबला करना चाहता है, दूसरा वह भारत द्वारा प्राप्त किए गए हथियारों के प्रभाव को समाप्त करना चाहता है और तीसरा यह कि वह आपातकाल में सऊदी अरब की रक्षा करना चाहता है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान द्वारा इतने अधिक हथियारों के ग्रहण किये जाने की दशा में क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके फलस्वरूप सम्बन्धों को सामान्य बनाने की क्रिया पर गम्भीर रूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह एक व्यापक बात है जिसमें माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित सभी पहलू आ गये हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : निर्गुट देशों के सम्मेलन में शामिल होने से पूर्व पाकिस्तान ने सैनिक सन्धियों, विश्व शक्तियों द्वारा सैनिक निर्माण तथा बड़ी बड़ी शक्तियों की सामरिक चालों के प्रति एक स्वतन्त्र देश के रूप में अपने योगदान के बारे में कुछ आश्वासन दिए थे। यदि हां, तो क्या पाकिस्तान श्री हेग द्वारा वर्णित यह भूमिका निभाने जा रहा है कि वे पाकिस्तान से मिस्र तक के देशों को हथियारों से लैस करना चाहते हैं ? मैं जानता हूं कि क्या पाकिस्तान, जिसने निर्गुट देशों को आश्वासन दिया था, अपने आश्वासनों से पीछे हट रहा है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह सच है कि जनरल हेग के वक्तव्य में पाकिस्तान को अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया है, परन्तु पाकिस्तान ने इस बात का खण्डन किया है कि उसे विद्रोहियों को हथियार सप्लाई करने का माध्यम बनाया जाएगा। कल ही मैंने आशा व्यक्त की थी कि पाकिस्तान इस वचन का पालन करेगा।

श्री एस एम. कृष्ण : संयुक्त राज्य अमरीका में जब से नई सरकार ने बागडोर सम्भाली है, यह जानने के लिए कि अमरीका पाकिस्तान को हथियार देने के लिए इतना आतुर क्यों है, मन्त्रियों के स्तर पर अभी तक कोई विचार-विमर्श नहीं हुआ है, यदि यह ठीक है, तो क्या माननीय मंत्री जी कोई पहल करेंगे जिससे निकट भविष्य में मंत्रियों के स्तर पर बैठक हो सके ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह तो ऐसी क्रिया है, जिस पर समय लगेगा। इसमें जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। फिर भी मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका को अपनी चिन्ता व्यक्त करने के लिए हर सम्भव कार्यवाही की जा रही है। जहां तक बैठकों का सम्बन्ध है, वे उचित समय पर होंगी।

श्री नीरेन घोष : ऐसी रिपोर्टें मिली हैं जिनमें गैर-सरकारी तौर पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा खरीदे गए हथियारों का प्रचार किया जाए जब कि भारत द्वारा हथियारों के ग्रहण किए जाने की चर्चा न की जाए। महत्व इसका नहीं है कि हथियारों का ग्रहण भारत करता है या पाकिस्तान। दोनो ही देशों द्वारा हथियार खरीदने से अस्थिरता उत्पन्न होगी। क्या दोनों देशों को हथियारों में कमी करने का यत्न नहीं करना चाहिए जिससे इस दक्षिण-पूर्व एशियाई उप महाद्वीप में अस्थिरता न रहे ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने कल एक विस्तृत उत्तर दिया था। मेरे विचार में उन हथियारों से, जो हमने लिए हैं अस्थिरता उत्पन्न नहीं होगी। वे तो वास्तव में हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं करते।

भारत-इटली वार्ता

* 540. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

श्री बी० वी० देसाई : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1981 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में भारत-इटली वार्ता हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) इटली के विदेश मन्त्री श्री एमीलियो कोलम्बो ने 25 फरवरी, 1981 से 1 मार्च, 1981 तक भारत की यात्रा की। उनकी इस यात्रा के दौरान हमने विभिन्न नवीन अन्तर्राष्ट्रीय मसलों तथा द्विपक्षिय मामलों पर विचार-विनिमय किया। इस यात्रा से विभिन्न क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षिय सहयोग को प्रोत्साहन मिला है। आर्थिक सहयोग से सम्बद्ध भारत-इटली संयुक्त आयोग की बैठक अप्रैल के शुरू में दिल्ली में होगी जिससे भारत-इटली के बीच सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया जा सके। इटली के विदेश मन्त्री ने तकनीकी सहयोग के एक सामान्य करार पर हमारे वित्त मन्त्री के साथ हस्ताक्षर किये।

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : माननीय मन्त्री जी द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार, आर्थिक सहयोग से सम्बद्ध भारत-इटली संयुक्त आयोग की बैठक अप्रैल के शुरू में दिल्ली में होगी। इस बात को दृष्टि में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं सरकार का विचार इस बैठक में किन-किन मुख्य बातों को लेने का है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जैसा मैंने बताया, इस बैठक का प्रयोजन सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाना है। हमारे बीच पहले ही सहयोग है और हम अपना व्यापार और सहयोग धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं किन्तु ऐसा महसूस किया गया है कि इसमें काफी तेजी से और प्रगति हो सकती है और इसीलिए इस बैठक का उद्देश्य है सहयोग के विशेषत: उन नए क्षेत्रों का पता लगाना जिन पर ध्यान केन्द्रित किया जाये।

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या इटली के साथ किए गए तकनीकी सहयोग सम्बन्धी सामान्य करार में ऊर्जा क्षेत्र भी सम्मिलित है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पारस्परिक लाभ के लिए उसे इसमें शामिल करेगी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मेरे पास करार की प्रति नहीं है, मैं माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखूंगा और देखूंगा कि वह करार में सम्मिलित है अथवा नहीं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि इटली के विदेश मन्त्री ने जर्मनी के विदेश मंत्री की तरह जो बाद में भारत आए थे, यूरोपीय सरकारों की ओर से भारत सरकार से भारत और चीन के बीच बेहतर सम्बन्ध कायम करने की इच्छा व्यक्त की थी और क्या यह मामला विचार-विमर्श के लिए आया था ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर सामान्य चर्चा हुई थी। भारत और चीन के बीच सम्बन्धों पर विशिष्ट रूप से कोई वार्ता नहीं हुई। इस मामले में वे इतने आकुल नहीं हैं जितना डा० स्वामी हैं। तथापि, वे यह जरूर चाहते थे कि उनके देश और भारत के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध तथा सहयोग स्थापित हो और इस बात का ही महत्व भी है।

"रेजीडेंसी सेवा" के लिए अधिकार भार (वेटेज) के रूप में अग्रिम वेतन वृद्धि

* 542. श्री मूलचन्द डागा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली के जूनियर डाक्टरों के साथ हुए करार के अनुसार 'रेजीडेंसी सेवा' के लिए अधिकार भार (वेटेज) के रूप में अग्रिम वेतन वृद्धि देने के लिए सहमत हो गई है ;

(ख) क्या 1974 में भी सरकार द्वारा ऐसी सिफारिशें की गई थीं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा 1974 में क्या सिफारिशें की गई थी ; और

(घ) क्या सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को यह वेटेज देने का अनुदेश दिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं। समझौते में यह हुआ है कि सरकार ने जूनियर रेजीडेन्सी ठीक से पूरी करने पर दो वेतन वृद्धियां मंजूर करने की जिस पहले वाली मांग की संघ लोक सेवा आयोग से सिफारिश की थी, उस पर अनुवर्ती कार्यवाही और सरकारी सेवा में भर्ती हुए रेजीडेण्टो के मामले में सीनियर रेजीडेन्सी पूरी करने पर ऐसी ही सुविधा देने की तत्काल पुनरीक्षा की जाय और यदि आवश्यक हो तो संघ लोक सेवा आयोग से इसके बारे में परामर्श कर लिया जाय।

(ख) और (ग) 1974 में यह बतलाया गया था कि ऐसी सेवा तथा अनुभव का यथोचित लाभ देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से यह अनुरोध किया जाएगा।

(घ) पहली सितम्बर, 1980 के समझौते की शर्तों के अनुसार इस मामले की जांच कर ली गई है और यह बतलाया गया है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधीन जनरल ड्यूटी अफसर के पद पर नियुक्त हो जाने पर स्नातकोत्तर डिप्लोमा डिग्री वाले, जैसा भी मामला हो, सभी

रेजीडेंटों को क्रमश: 50 रुपए प्रति मास तथा 100 रुपए प्रतिमास का स्नातकोत्तर भत्ता देय होगा।

श्री मूल चन्द डागा : माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जानते हैं कि सारे अखबारों में खबर है कि आज से ही जूनियर डाक्टर्स आपके द्वारा उनकी डिमांड्स पूरी न किए जाने के कारण प्रोटेस्ट वीक मना रहे हैं। फिर हमारे बीमार लोग दुखी होंगे। आप ने उत्तर क्या दिया है? मैं आप से स्पेसिफिक यह पूछना चाहता हूं कि रेजीडेंसी स्कीम कब लागू हुई? यह लागू हुई 1974 में और जो यह आप कह रहे हैं पोस्ट ग्रेज्युएट एलावेंस की बात, तो भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री डा० कर्ण सिंह बैठे हुए हैं, वह बताएंगे कि रेजीडेंसी स्कीम 1974 में लागू हुई है और आप जो एलावेंस देना चाहते हैं वह 1963 से ही दिया जा रहा है। यह 1963 से जो कुछ दिया जा रहा है वह तो फंडामेंटल रूल का रूल 9 के अन्तर्गत है लेकिन यह स्कीम कवर होती है रूल 27 से। तो उसके अन्तर्गत दिया जाए। बार-बार ये जूनियर डाक्टर्स जा रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के पास तो वह कहते हैं कि गवर्नमेंट अगर इजाजत दे दे, हम को कह दे तो हम लागू कर देंगे और गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि हमने यू. पी. एस. सी. को लिख दिया है, तो आप यह देखिए कि रेजीडेंसी स्कीम तो लागू हुई है 1974 में और आप जो कहते हैं कि पोस्ट ग्रेज्युएट एलावेंस दे दिया गया वह 1963 की बात है, वह उस के रूल 9 में कवर होता है, तो आप मेहरवानी करके बताइए कौन सी बात सही है? अधिकारियों ने आप को गलत राय दे दी है, वह आप पढ़ रहे हैं या फंडामेंटल रूल के ऊपर आप ने अपना दिमाग लगाकर उत्तर दिया है?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं सभा को बताना चाहता हूं कि प्रश्न रेजीडेंट डाक्टरों द्वारा हड़ताल शुरू की जाने के समय उनके मांग पत्र की मांग 2 (ग) से सम्बन्धित है। एक समझौता हुआ था और उस समझौते के अनुसार रेजीडेंट डाक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी और पुन: अपने काम पर चले गए और उनकी अधिकांश मांगें पूरी कर दी गईं थीं। जहां तक इस विशिष्ट मांग का सम्बन्ध है, जिसके बारे में यह प्रश्न है, इसका सम्बन्ध उनकी वेतन वृद्धि (इन्क्रीमेन्ट्स) से है। क्या मैं सभा की जानकारी के लिए पढ़कर सुना सकता हूं कि समझौता क्या हुआ था और मांग क्या थी—विशेषकर इस मांग के सम्बन्ध में?

"2 (ग) रेजीडेंट डाक्टर को छ: वर्ष की रेजीडेंसी पूरा करने के बाद छ: अग्रिम वेतन वृद्धियां मिलेंगी और जूनियर रेजीडेंसी पूरा करने के बाद तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां, यदि भावी नियोजन में उसे जनरल ड्यूटी आफिसर का काम मिले।"

यह थी मांग और यह समझौता हुआ था। मैं समूची मांग संख्या 2 के बारे में समझौता पढ़कर सुना देता हूं :

(i) पेंशन तथा सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी लाभ के लिए अर्हता-सेवा की गणना जूनियर और सीनियर रेजीडेंसी के बीच और रेजीडेंट सर्विस तथा नियमित सरकारी सेवा

में पश्चात्वर्ती भर्ती के बीच सामान्य तथा परिहार्य व्यवधानों की कुल एक वर्ष तक की अवधि माफ की जाएगी ।

(ii) कठिनाईयों को दृष्टि में रखते हुए ऐसे सीनियर रेजीडेन्ट्स के विषय में जो बाद में सरकारी सेवा में लिए जाते हैं सीनियर रेजीडेन्सी की अवधि को, उन्हें स्थायी किये जाने पर, समुचित प्राधिकारी द्वारा सीनियर रेजीडेन्सी और पश्चात्वर्ती नियमित सरकारी भर्ती के बीच सेवा में सामान्य तथा अपरिहार्य/व्यवधान/ क्रमभंग को यदि कोई हो, माफ करके गिना जा सकेगा । तथापि, प्रत्येक ऐसे मामले पर गुण-दोष के आधार अलग-अलग रूप से विचार किया जायेगा । तथापि, यह उन पर लागू नहीं होगा जो स्वायत्त निकायों आदि में नौकरी ढूढ़ते हैं तथा प्राप्त करते हैं । जूनियर रेजीडेन्सी के सन्तोषजनक रूप से पूरा होने पर दो वेतन-वृद्धियों दिए जाने के लिए सरकार संघ लोक सेवा आयोग को सिफारिश करे और इसी प्रकार की सिफारिश सरकारी सेवा में भर्ती किए गए रेजीडेन्ट्स के विषय में सीनियर रेजीडेन्सी के पूरा होने पर की जाए, इस मांग का अविलम्ब पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श किया जाए ।"

यह था समझौता, और हड़ताल समाप्त हो गई । हमने संघ लोक सेवा आयोग को लिखा और संघ लोक सेवा आयोग ने निर्देश भेजा है और सरकार इस पर विचार कर रही है ।

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैं यह कह रहा हूं कि रेजीडेन्सी स्कीम 1974 में लागू की गई है और आपका सेटिलमेंट पहले हो चुका था । उसको आप पढ़ें । आप रूल (9) में इम्पलीमेंट कर रहे हैं । जो सेटिलमेंट हुआ है, मैं उसे पढ़ूंगा :

"यदि सन्तोषजनक रूप से पूरी की गई रेजीडेन्सी सेवा के बाद व्यवधान के बिना सरकारी सेवा आरम्भ की जाती है, तो ऐसी सेवा पेंशन के लिए अर्हता-सेवा के लिए गिनी जायेगी । जहाँ तक पश्चात्वर्ती सरकारी सेवा में इस अवधि के लाभ का सम्बन्ध है इस मामले पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके विचार किया जायेगा ।"

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स है जो आप 1963 से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं लेकिन रेजीडेन्सी स्कीम तो 1974 में लागू हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अब क्यों दुहरा रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, उन्होंने क्या उत्तर दिया है ? उन्होंने सही उत्तर नहीं दिया है ।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य को इस बारे में भ्रान्ति में हैं कि रेजीडेन्सी स्कीम 1974 में लागू हुई थी जिसे क्रियान्वित न किए जाने पर इन डाक्टरों ने हड़ताल की; और यह हड़ताल समझौते के बाद समाप्त हुई। यह समझौता किया गया। मैं नहीं जानता माननीय सदस्य क्या चाहते हैं।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, आप मन्त्री महोदय के जवाब को देखें। उन्होंने प्रश्न के भाग (बी) का जवाब नहीं दिया है। इसमें साफ पूछा गया है।

"क्या 1974 में भी सरकार द्वारा ऐसी सिफारिशें की गई थी ?

यदि हां, तो सरकार द्वारा 1974 में क्या सिफारिश की गई थी" ? इसका जवाब इन्होंने दिया है।

1974 में यह बतलाया गया था कि ऐसी सेवा तथा अनुभव का यथोचित लाभ देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : समाचारपत्र पढ़ा जा रहा है।

श्री रामविलास पासवान : कहां है समाचारपत्र ?

अध्यक्ष जी, भाग (डी) में जो प्रश्न पूछा गया है वह इंक्रीमेंट के सिलसिले में है लेकिन मन्त्री जी ने जवाब पोस्ट-ग्रेजुएट एलाउन्स के सम्बन्ध में दिया है। आप प्रश्न को देख लीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा अभी डागा जी ने पूछा कि यू. पी. एस. सी. और हेल्थ डिपार्टमेंट के चक्कर में रोगी मरे जा रहे हैं, 1974 में भी सौ दिन से ज्यादा हड़ताल रही थी, 1980 में भी चली और अब फिर होने जा रही है। क्या सरकार को फण्डामेंटल रूल के तहत पावर है या नहीं ? यदि पावर है तो क्या आप उनको इन्क्रीमेंट देने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री बी० शंकरानन्द : वेतन वृद्धि देने का प्रश्न उस समय उठता है जब किसी विशेष डाक्टर को सरकारी सेवा में भर्त्ती किया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि इन रेजीडेंट डाक्टरों को ही सरकारी सेवा में भर्त्ती किया जाता है। देश में स्नातकोत्तर व्यक्ति, स्नातकोत्तर डिग्री धारी विशेषज्ञ, डिप्लोमाधारी हैं। यह एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता है। केवल रेजीडेंट डाक्टरों को ही अग्रिम वेतन वृद्धि देने का प्रश्न कहां उठता है। मैं तीसरे वेतन आयोग की टिप्पणियों को पढ़ कर सुना सकता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। इस सम्बन्ध में मैं सभा को वेतन आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में बताना चाहता हूं। यह बहुत संगत हैं। इनमें निम्नलिखित बात कही गई है :

"इस समय केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा से प्रवेश करने से पहले स्नातकोत्तर डिग्री धारियों को ग्रेड दो और एक में चार अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाती हैं और स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारियों को केवल दो अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाती हैं। रेलवे में ए० एम० ओ० को इस

बात का ध्यान किए बिना कि क्या उन्होंने अर्हताएं रेल सेवा में प्रवेश करने से पहले प्राप्त की थी अथवा बाद में, अग्रिम वेतन-वृद्धि दी जाती है। हमसे यह कहा गया है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में प्रवेश करने के बाद स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त करने वाले लोगों को यह वेतन वृद्धि न देने में कोई औचित्य नहीं है। हम महसूस करते हैं कि इन अर्हताओं को प्राप्त करना सरकार के हित में भी है क्योंकि इनसे एक अधिकारी की उपयोगिता में वृद्धि होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम नहीं समझते कि ऐसा कोई भेद-भाव किया जाए कि यह अर्हताएं सेवा में प्रवेश करने से पहले प्राप्त की गई थी अथवा बाद में।"

मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यह इस पर निर्भर करता है कि कोई स्नातकोत्तर व्यक्ति रेजीडेंसी स्कीम के माध्यम से आता है अथवा देश में विद्यमान किसी अन्य पद्धति से। इसलिए वेतन आयोग स्नातकोत्तर व्यक्तियों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। इसमें आगे कहा है :

"जहां तक स्नातकोत्तर अर्हता की राशि का सम्बन्ध है हमें ऐसा लगता है कि इस समय जो अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाती हैं उनमें काफी उदारता बरती जाती है। हमारा विचार है कि अग्रिम वेतन वृद्धि देने के बजाय जो अर्हता प्राप्त करने के समय किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ली जाने वाली वेतन वृद्धि की दर के आधार पर भिन्न हो सकती है, अर्हता वेतन के रूप में एक निश्चित राशि देना अधिक उपयुक्त होगा।" (व्यवधान)।

मैंने अपने उत्तर में बताया था कि एक डिप्लोमा धारी को 50 रुपये अधिक मिलेंगे और एक स्नातकोत्तर व्यक्ति को 100 रुपये अधिक मिलेंगे चाहे वे रेजीडेन्सी स्कीम के माध्यम से आया हो अथवा किसी अन्य योजना के माध्यम से। इस बात की वेतन आयोग की टिप्पणियों में पुष्टि की गई है।

श्री रामविलास पासवान : आप बतलाइए, क्या मेरे प्रश्न का जवाब आ गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप यह पूछना चाहते हैं कि यह आपके अधिकार में है या नहीं ?

श्री रामविलास पासवान : मेरा सवाल यह है कि क्या आप उनको एडवांस इन्क्रीमेंट देने जा रहे हैं या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जितना देना था, बता दिया।

श्री बी० शंकरानन्द : हमें समझौते की भावनाओं का पालन करना होगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैं माननीय मन्त्री से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उन्हें एक स्पष्ट उत्तर देना चाहिए। क्या आपको मालूम है कि अग्रिम वेतन वृद्धि न देने के कारण एक असामानता पैदा हो गई है। वे डाक्टर, जो रेजीडेन्सी स्कीम से बाहर जाने वाले डाक्टरों से पांच-छः वर्ष जूनियर हैं अब वे वरिष्ठ हो गए हैं और जो लोग इस प्रकार वरिष्ठ हो

गए हैं उन्हें उन डाक्टरों ने प्रशिक्षण दिया है जो वास्तव में रेजीडेन्सी स्कीम के अन्तर्गत काम कर रहे हैं। क्या यह सत्य है ? क्या इस असमानता को अग्रिम वेतन वृद्धि देकर दूर किया जाएगा।

श्री बी० शंकरानन्द : अग्रिम वेतन वृद्धि देने का प्रश्न किसी एक विशेष मामले पर निर्भर नहीं करता।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या असमानता है और क्या वे उसे दूर करेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : यदि कथित असमानता किसी निश्चित समय में हुई है और भर्ती किया गया व्यक्ति.....।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप उनके उत्तर से संतुष्ट हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप उनके उत्तर से संतुष्ट हैं ?

डा० कृपासिंधु भोई : माननीय मन्त्री ने बताया कि देश भर में कार्यरत रेजीडेंट सर्जन अथवा अन्य सर्जन योग्यता के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किए जायेंगे और साथ ही रेजीडेंटशियल सर्जन (सीनियर) अथवा (जूनियर) को विशेष रियायत दी जाएगी।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हू कि इस विशेष रियायत का क्या अर्थ है और क्या केन्द्रीय सेवा के अन्तर्गत देश भर में रात और दिन काम करने वाले इन रेजीडेंट सर्जनों को अधिक अंक दिए जाते हैं अथवा इस विशेष रियायत की बजाय कुछ अंक दिये गये हैं अथवा उन्हें कुछ विशेष रियायत दी जाएगी।

श्री बी० शंकरानन्द : प्रश्न का सम्बन्ध वेतन और भत्ते से है। यह विशेष रियायत डिपलोमाधारियों को 50 रुपए और स्नातकोत्तर व्यक्तियों को 100 रुपये के रूप में दी जाती है।

डा० कृपासिंधु भोई : मेरा प्रश्न भिन्न था।

भारतीय डाक्टरों का अन्तर्राष्ट्रीय निकायों में प्रतिनिधित्व

*543. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य निकायों में भारतीय डाक्टरों का क्या प्रतिनिधित्व है ;

(ख) यदि प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है तो प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) क्या इन निकायों में चयन के लिए डाक्टरों का कोई पैनल है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन में विभिन्न देशों के नागरिकों की भर्ती उन देशों द्वारा इस संगठन के बजट में दिए गए अंशदान, भौगोलिक वितरण और जनसंख्या के अनुसार होती है। इन माप-दण्डों के आधार पर, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत होते हैं, देशों के लिए भर्ती का वांछनीय रेंज तय किया जाता है। इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नियुक्त किए गए भारतीय नागरिकों की संख्या उससे अधिक है जितने के लिए भारत "वांछनीय रेंज" के सिद्धांत के अनुसार हकदार है।

(ग) जी नहीं।

श्री वृद्धि चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, भारत के जिन डाक्टरों को वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनिजेशन में केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा एम्पलाय करने के लिए भेजा जाता है उनके सिलेक्शन का आधार क्या है ? क्या कोई गाइडलाइन्ज हैं या कोई फार्मूला या कोई रूल्ज बने हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : श्रीमन्, ये भर्तियां संयुक्त राष्ट्र महा सभा द्वारा पारित संकल्पों के अनुसार होती है। ये संकल्प विश्व स्वास्थ्य संगठन की भर्ती पर भी लागू होते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सिविल सेवा नामक एक सेवा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र अपने मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती करते हैं।

श्री वृद्धि चन्द जैन : डिजायरेबिल-रेंज-आफ-रेक्रूटमेंट की संख्या इस समय भारत के लिए कितनी होनी चाहिए तथा डब्लू एच. ओ. द्वारा अभी तक कितने डाक्टरों को एम्पलाय किया गया है ?

श्री बी० शंकरानंद : इस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन के डाक्टरों की कुल संख्या 1,423 है और भारतीयों की संख्या 61 है। अपेक्षित रेंज और कोटे के अनुसार हमारी संख्या थोड़ी अधिक है।

रेल परामर्शदात्री समिति का गठन

*544. श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 में उत्तर रेलवे और अन्य रेलवे-जोनों के लिए किसी अनौपचारिक रेल परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था जिसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की कोई बैठक हुई है, यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ;

(ग) भारतीय रेलवे में (रेल-वार, जोन-वार और डिवीजन-वार) ऐसे कितने-कितने बोर्ड, समितियां और परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही है जिनमें संसद-सदस्यों, राज्य विधान मंडलों के सदस्यों और अन्य गैर सरकारी व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है और इन समितियों की कार्य अवधि क्या.क्या है ; और

(घ) क्या उपरोक्त बोर्डों तथा समितियों में से किसी का पुनर्गठन किया है और यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ : (क) जी हां ।

(ख) अप्रैल, 1981 के तीसरे सप्ताह से बैठकें शुरू करने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

क्र० सं०	परिषद/समिति का नाम	समितियों की सं०	कार्यकाल की अवधि	पुनर्गठन की तारीख
1.	राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार परिषद्	केन्द्र में एक	जुलाई से 2 वर्ष के लिए	शीघ्र ही गठित की जायेगी ।
2.	क्षेत्रीय रेल, उपयोगकर्ता परामर्श समितियां (क्षेत्रीय रेलों पर)	प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में एक जोड़=9, जो इस प्रकार है :— 1. मध्य रेलवे 2. पूर्व रेलवे 3. उत्तर रेलवे 4. पूर्वोत्तर रेलवे 5. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे 6. दक्षिण रेलवे 7. दक्षिण मध्य रेलवे 8. दक्षिण पूर्व रेलवे 9. पश्चिम रेलवे	1 अप्रैल से 2 वर्ष के लिए ।	28-1-81 से 31-3-83 तक
3.	मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियां (क्षेत्रीय रेलों के सभी मंडलों में)	जोड़—54, जो इस प्रकार हैं :— मध्य रेलवे 1. बम्बई 2. भुसावल		

1	2	3		4	5
	(...जारी)	3. नागपुर	6	जनवरी से	1-1-81 से
		4. जबलपुर		2 वर्ष के लिए	31-12-82 तक
		5. झांसी			
		6. शोलापुर			
		पूर्व रेलवे			
		1. सियालदह			
		2. हावड़ा			
		3. आसनसोल	6		
		4. धनवाद			
		5. दानापुर			
		6. मुगलसराय			
		उत्तर रेलवे			
		1. इलाहाबाद			
		2. बीकानेर			
		3. दिल्ली			
		4. फिरोजपुर	7		
		5. जोधपुर			
		6. लखनऊ			
		7. मुरादाबाद			

1	2	3	4	5
	(***जारी)	पूर्वोत्तर रेलवे		
		1. इज्जतनगर		
		2. लखनऊ जंकशन	5	
		3. वाराणसी		
		4. समस्तीपुर		
		5. सोनपुर		
		पूर्वोत्तर सीमा रेलवे		
		1. कटिहार		
		2. अलीपुरद्वार	4	
		3. लमडिंग		
		4. तिनसुकिया		
		दक्षिण रेलवे		
		1. मद्रास		
		2. पालघाट		
		3. मैसूर	6	
		4. तिरुचिरापल्ली		
		5. मदुरै		
		6. तिरूवनन्तपुरम		

1	2	3	4	5
	(...जारी)	**दक्षिण मध्य रेलवे**		
		1. सिकन्दराबाद		
		2. हैदराबाद		
		3. गुन्तकल्लु	5	
		4. हुबली		
		5. विजयवाड़ा		
		दक्षिण पूर्व रेलवे		
		1. खड़गपुर		
		2. चक्रधरपुर		
		3. बिलासपुर	7	
		4. नागपुर		
		5. आद्रा		
		6. खोरधा रोड़		
		7. वाल्तेरू		
		पश्चिम रेलवे		
		1. बम्बई		
		2. वडोदरा		

1	2	3	4	5
		3. रतलाम		
		4. कोटा 8		
		5. जयपुर		
		6. अजमेर		
		7. राजकोट		
		8, भावनगर		
4.	स्वैच्छिक सहायता समिति	रेलवे बोर्ड में एक	3 वर्ष के लिए	5-2-81 से
5.	यात्री सुविधा समिति	यथोक्त	3 वर्ष के लिए	5-2-81 से
6.	कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति	यथोक्त	3 वर्ष के लिए	10-2-81 से

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मैंने अपने प्रश्न के (बी) भाग में यह पूछा था कि इस कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं हुई ? इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है ?

दूसरा प्रश्न-जितनी कमेटियां बनती हैं वे समय पर बननी चाहिए। लेकिन इस समय जो कमेटियां बनी है वे पार्लियामेंट के चुनाव के एक साल बाद बनी हैं—इसका क्या कारण है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : प्रश्न के भाग (ख) जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, संसदीय कार्य बिभाग से सम्बन्ध रखता है क्योंकि समिति का गठन वही विभाग करता है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि जो कमेटियां बनी हैं उनकी आज तक कोई मीटिंग्ज नहीं हुई हैं—इसका क्या कारण है ? दूसरी बात मैंने यह पूछी थी कि जो भी कमेटियां बनी हैं, वे जनवरी में बनी हैं साल भर तक क्यों नहीं बनीं ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। संसद सदस्यों की क्षेत्रीय परामर्श समितियों का गठन संसदीय विभाग करता है जबकि परामर्श समितियों का जैसे उपयोगकर्ता समितियों तथा ... (व्यवधान) मुझे समझाने दीजिए। यदि मेरे द्वारा स्पष्टीकरण किए जाने से पहले आप उठ जाते हैं ... (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। (व्यवधान)।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आप मेरी बात सुनिए। रेल मंत्रालय में कई प्रकार की समितियां हैं। एक समिति केवल संसद सदस्यों से मिल कर बनती है। इसके अलावा प्रयोक्ता परामर्श समितियां होती हैं जिनमें संसद सदस्य, विधान मंडलों के सदस्य, विभिन्न संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल किए जाते हैं। ये दो भिन्न प्रकार की समितियां होती हैं। माननीय सदस्य ने प्रश्न के भाग (ख) में उन समितियों का उल्लेख किया है जो संसद सदस्यों के लिए गठित की जाती हैं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि समितियां गठित करने में कुछ बिलम्ब हुआ है। परन्तु उनका गठन भी हम नहीं करते हैं, संसदीय कार्य विभाग करता है। बहरहाल इन समितियों का गठन हो चुका है और हम 27-4-81 से आरम्भ होने वाले आगामी मास के प्रथम सप्ताह में बैठकें करने जा रहे हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने यह पूछा था कि क्या कारण है, पिछले सवा बरस से इस कमेटी की मिटिंग नहीं हुई ? मेरे इस सवाल का जवाब नहीं आया ...(व्यवधान)।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : इस प्रश्न का उत्तर संसदीय कार्य विभाग को देना होगा (अन्तर्वाधा)।

रेल मन्त्री (श्री केदार पांडे) : रेलवे में बहुत सी कमेटियां बनती हैं। जैसे नेशनल-यूजर्स कमेटी है जिसमें 10 सदस्य लोक सभा के होते हैं और 5 सदस्य राज्य सभा के होते हैं, वह लिस्ट अभी नहीं मिली है, बाकी सब तैयार हैं, उसके बारे में हम कर रहे हैं ''।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कारण बतलाइये ··· (व्यवधान) ···।

श्री केदार पांडे : मैं कारण भी बतलाता हूं — मुझे प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। आपने पूछा है कि क्या कारण है — आज तक कमेटी नहीं बनी ···(व्यवधान) ···।

श्री आर० पी० यादव : नहीं, श्रीमान्, ((अन्तर्बाधा)।

श्री हरिकेश बहादुर : रेल मंत्रालय की एक परामर्श समिति है। किन्तु क्षेत्रीय रेलों की एक और अनौपचारिक परामर्श समिति है। मैं 'क्षेत्रीय रेल' कह रहा हूं जैसे उत्तर रेलवे आदि। (अन्तर्बाधायें)।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मेरा है, पहले मुझे तो पूछने दीजिए ··· (व्यवधान) ···।

श्री केदार पांडे : 1 कमेटी नेशनल लेवल पर है, 9 जोनल-कमेटीज है, 54 डिवीजनल कमेटीज है — इस तरह तीन तरह की कमेटियां हैं। एक नेशनल यूजर्स कमेटी ···।

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई कमेटी बनी है, तो उस की मीटिंग में देर क्यों हुई, इसके बारे में बतला दीजिए।

श्री केदार पांडे : अप्रैल में होने वाली है। इसके बनाने में देर हुई है यह बात ठीक है लेकिन अप्रैल में सब की मीटिंग्ज शुरू हो जायेंगी—जैसा मैंने शुरू में कहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री के० सी० हाल्दर।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : अभी मुझे एक सवाल और पूछना है, मैंने अभी एक ही सवाल किया है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आपका जवाब आ गया है, और कितने सवाल आप करेंगे ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मैं एक और सवाल करूंगा।

मैं यह जानना चाहूंगा कि यह जो कमेटी बनायी है, वह किस आधार पर बनायी है ? क्या उसमें बेकवर्ड क्लास, ** माइनोरिटी वगैरह के लोग भी लिये गए हैं या नहीं ?

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : माननीय मन्त्री ने विभिन्न समितियों के बारे में पहले ही सारी बात स्पष्ट कर दी है, उन्होंने यह भी बता दिया है कि हितबद्ध व्यक्तियों को कैसे नामजद किया जाता है ।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा प्रयोग किए गए शब्द * का लोप किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी ऐसा नहीं है ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जहां तक विशेष हितों का सम्बन्ध है सदस्यों की नामजदगी से ये हित पूरे हो चुके हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि राष्ट्रीय प्रयोक्ता सलाहकार समिति तथा 9 क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्श समितियां बन चुकी हैं किन्तु मंडल रेल प्रयोक्ता परामर्श समितियां अभी नहीं बनी है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि मंडल रेल प्रयोक्ता परामर्श समिति कब बनायी जाएगी तथा औपचारिक परामर्श समिति, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, कब बनेगी । यह समिति रेल मंत्रालय द्वारा बनायी जाती हैं, न कि संसदीय कार्य विभाग द्वारा । मैं देख रहा हूं कि दोनों मन्त्री यहां उपस्थित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप जल्दी पूछिए, नहीं तो टाइम हो जाएगा और आपका जवाब नहीं आ पायेगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय की क्षेत्रीय अनौपचारिक परामर्श समितियां कब बनायी जाएगी तथा कब मंडल रेल प्रयोक्ता परामर्श समिति बनायी जाएगी और राष्ट्रीय रेल प्रयोक्ता परामर्श समिति में सदस्यों की नामजदगी कैसे की जाती है । विभिन्न क्षेत्रीय समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को नामजद करने की क्या कसौटी होगी ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यह प्रश्न बहुत लम्बा है । फिर भी मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा । परामर्श समितियां दो प्रकार की हैं । एक अनौपचारिक परामर्श समिति होती हैं । यह भारत सरकार के किसी अन्य मन्त्रालय की समिति की तरह होती है । इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य प्रतिनिधि होते हैं । इसके अलावा क्षेत्रीय परामर्श समिति होती है इसमें भी संसद सदस्य होते हैं, इसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है । इनका गठन किया जा रहा है तथा इनकी बैठक आगामी मास के प्रथम सप्ताह में होगी ।

जहां तक राष्ट्रीय प्रयोक्ता परामर्श समिति का सम्बन्ध है, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे थे, उनके नामों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं जो संसदीय कार्य विभाग द्वारा भेजे जाने हैं ।

* अध्यक्षपीठ के आदेशनुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

डा० वसंत कुमार पंडित : क्या यह बात सच है कि ये समिति पहले ही भूतपूर्व रेलमंत्री श्री त्रिपाठी द्वारा बनायी गयी थी और विलम्ब इस लिए हो रहा है कि इनको खत्म कर दिया गया है तथा नयी समितियां नए मन्त्री द्वारा बनाई जा रही हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : कोई परामर्श समिति न तो खत्म की गई है और न ही किसी का गठन किया जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

*537. श्री निहाल सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्ष के दौरान दिल्ली परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों को कितने प्रतिशत बोनस का भुगतान किया ; और

(ख) उन्हें, वर्षवार कुल कितनी कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) हर साल 8.33 प्रतिशत।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को वर्ष 1978-79 और 1979-80 के लिए वर्ष 1979-80 और 1980-81 में जो बोनस दिया गया, वह क्रमशः 83.40 लाख रुपये और 95.82 लाख रुपये था।

न्यूक्लीयर मामलों पर भारत-पाक वार्ता

*541. श्री के० मालन्ना :

श्री पी० के० कोडियन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के विदेश मन्त्री ने कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर कार्यक्रमों के प्रश्न पर दोनों देशों में पुनः आश्वासन के परस्पर आदान-प्रदान का इच्छुक है ;

(ख) क्या उन्होंने यह भी कहा है कि वे न्यूक्लियर मामलों में सिद्धांत रूप से भारत के साथ वार्ता के लिए तैयार हैं, और उन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि उनका देश परमाणु बम के बिस्फोट की तैयारी कर रहा है ; और

(ग) क्या उनसे पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान कराची और चस्मा स्थित अपने न्यूक्लियर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भारत से भारी पानी प्राप्त करेगा और भारत को संवर्धित यूरेनियम देगा क्योंकि पाकिस्तान के पास यूरेनियम का उपयोग करने के लिए कोई रिएक्टर नहीं है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) सरकार ने "न्यू देलही" नामक पत्रिका के साथ पाकिस्तान के विदेश मन्त्री श्री आगाशाही के साक्षात्कार के बारे में रिपोर्ट देखी हैं, जो इस पत्रिका के मार्च 2-15 के अंक में प्रकाशित हुई है। बताया जाता है कि साक्षात्कार में उन्होंने यह कहा कि "पाकिस्तान भारत के साथ बैठकर दोनों दोनों देशों के नाभिकीय कार्यक्रमों के प्रश्न पर परस्पर एक दूसरे को आश्वस्त करने को तैयार है" और "पाकिस्तान सिद्धांत रूप में यह कह चुका है कि वह नाभिकीय मामलों में भारत से विचार-विमर्श करने के लिए भी तत्पर है। परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि नाभिकीय मामलों में सहयोग एक ऐसा विषय है जिसके बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बताया जाता है कि श्री आगाशाही ने इस बात का खंडन किया कि उनका देश नाभिकीय हथियारों के निर्माण की तैयारी कर रहा है। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या पाकिस्तान कराची और चस्मा स्थित अपनी नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भारत से भारी पानी स्वीकार करेगा और भारत को संवर्द्धित यूरेनियम देगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास यूरेनियम का उपयोग करने के लिए कोई रिएक्टर नहीं है। बताया जाता है कि इसके उत्तर में श्री शाही ने कहा कि "मेरे ख्याल में आपकी बात बहुत दिलचस्प है, यह एक विचारणीय सवाल है और इस पर गौर करने की जरूरत है।"

"नेक्स्ट बिलो रूल" प्रमाण पत्र

*545. **श्री जैनुल बशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा अपने सीनियर अधिकारियों और जूनियर अधिकारियों की, जो अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, "नेक्स्ट बिलो रूल" प्रमाण-पत्र जारी करने के मामले में दोहरी नीति अपनाई जा रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो गत दो वर्षों से जूनियर अधिकारियों को "नेक्स्ट बिलो रूल" प्रमाण पत्र जारी न किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विषमता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं। एन० बी० आर० के प्रमाण-पत्र वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ कनिष्ठ अधिकारियों को भी उस समय जारी किए जाते हैं, जब वे इसके लिए पात्र हो जाते हैं।

(ख) और (ग) यह कहना सही नहीं है कि पिछले दो वर्षों से कनिष्ठ अधिकारियों को एन० बी० आर० के प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए गए हैं। भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी, सिगनल इन्जीनियरी और यांत्रिक इन्जीनियरी सेवाओं के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों को प्रमाण-पत्र जारी करने में कुछ देरी हो गई थी क्योंकि ऐसे अधिकारियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी जो यह लाभ पाने के पात्र हो गये थे। इस बढ़ोतरी का कारण यह था कि संवर्ग की पुनः संरचना करनी पड़ी जिसके लिए क्षेत्रीय रेलों और सम्बन्ध कार्यालयों से अनेक ब्यौरे इकट्ठे करने आवश्यक हो गये थे। इस प्रक्रिया में कुछ समय लग गया। बहरहाल, संबंधित अधिकारियों को प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए उड़ीसा सरकार का नारा

*546. **श्री के० प्रधानी :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने अपने परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए "नोट बीफोर 20 एण्ड नोट आफ्टर 30" नारा अपनाया है तथा प्रत्येक परिवार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के महत्व को महसूस किया है तथा इसे अपनाया है ;

(ख) यदि हां, तो 1980-81 के दौरान राज्य ने क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने धनराशि के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की सहायता मांगी है ;

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) क्या कुछ धर्म प्रचारक, विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि वे परिवार नियोजन कार्यक्रम के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) यह नारा कि "20 से पहले नहीं और 30 के बाद नहीं" केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने सभी राज्य सरकारों को दिया था। इस बात की पुष्टि करना सम्भव नहीं है कि क्या प्रत्येक परिवार ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के महत्व को समझकर इसे अपना लिया है। लेकिन केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा चलाए गए प्रेरणा अभियानों का ठीक यही लक्ष्य है।

(ख) 1980-81 में उड़ीसा राज्य के लिए तय किए गए लक्ष्यों का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए सारा धन केन्द्रीय सरकार देती है और इस कार्यक्रम को चलाने के लिए राज्य सरकारों को धन अलाट करती है। 1980-81 में उड़ीसा सरकार के कार्यक्रम के लिए 532.21 लाख रुपये की राशि नियत की गई है।

(ङ) केन्द्रीय सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

विवरण

1980-81 में उड़ीसा राज्य के लिए निर्धारित किए गए परिवार कल्याण तरीकों/मातृ तथा शिशु सेवा के लक्ष्यों का विवरण

परिवार कल्याण तरीके	लक्ष्य
नसबंदी आपरेशन	115,000
लूप निवेशन	23,100
समीकृत प्रचलित गर्भनिरोधक उपयोगकर्ता	75,500
समीकृत मुख्य सेव्य गोलियों के उपयोगकर्ता	15,300
क) मातृ तथा शिशु सेवायें (आंकड़े 000 में)	
रोग प्रतिरक्षण	
i) गर्भवती महिलाओं के लिए टेटनस का टीका	300
ii) बच्चों के लिए डी० पी० टी० का टीका	400
iii) बच्चों के लिए डी० डी०टी० का टीका	500
ख) निम्नलिखित का अपोषणज अरक्तता से बचाव	
i) महिलाओं की संख्या	400
ii) बच्चों की संख्या	400
ग) विटामिन ए की कमी से होने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम के उपाय	
पहली खुराक दूसरी खुराक	1,460

एक्यूपंक्चर को प्रयोग में लाना

*547. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार एक्यूपंक्चर को प्रयोग में लाने के लिए एक केन्द्रीय

निकाय स्थापित करने का है क्योंकि औषधि विशेषज्ञता के इस क्षेत्र में कई नीम हकीम आ रहे है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : जी, नहीं ।

विद्युत चालित गाड़ियां

*549. **श्री चिन्ता मणि जेना** : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली के इंजनों से अधिक गाड़ियां चलाने की योजना बनाई है,

(ख) यदि हां, तो 1980-81 के अंत तक कितने मील रेल विद्युतीकरण किया जाएगा ;

(ग) छठी योजना अवधि के अन्त तक कितने मील का विद्युतीकरण किया जाएगा ;

(घ) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे पर खड़गपुर-पुरी रेल लाइन का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा इस लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य किस वर्ष तक आरम्भ किया जाएगा तथा किस वर्ष में पूरा होगा ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 5350 मार्ग किलोमीटर ।

(ग) छठी योजना (1981-85) की शेष अवधि के दौरान लगभग 2350 मार्ग कि० मी० को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है, जिसमें छठी योजना के अन्त तक कुल विद्युतीकृत मार्ग 7700 मार्ग कि० मी० हो जाएगा ।

(घ) जी हां ।

(ङ) 1980-81 और 1989-90 के बीच रेल विद्युतीकरण के 10 वर्षीय कार्यक्रम में खड़गपुर-खोरदा रोड खंड को शामिल किया गया है । चूंकि इस खण्ड में यातायात का घनत्व अपेक्षाकृत कम है, इसलिए इस खण्ड में विद्युतीकरण का काम सातवीं योजना में किसी समय प्रारम्भ किया जा सकता है । इस समय खोरदा रोड—पुरी खण्ड में विद्युतीकरण का काम आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस खण्ड में यातायात का घनत्व कम है ।

उड़ीसा से प्राप्त ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

*550. **श्री रासबिहारी बहेरा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार की ओर से राज्य में कार्यान्वित के लिए कोई ग्रामीण स्वास्थ्य योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उसे स्वीकृति प्रदान दी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) योजना की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ङ) इनमें भारत सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

भाप इंजनों का प्रयोग समाप्त करना

*551. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या पूर्व रेलवे, दक्षिण रेलवे तथा अन्य रेलों में डीजल इंजन चलाकर भाप इंजनों का प्रचलन समाप्त कर देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) डीजल के ऊंचे मूल्यों और पूर्व रेलवे तथा दक्षिण पूर्व रेलवे में कम खर्च पर आसानी से कोयला उपलब्ध होने की स्थिति को देखते हुए डीजल इंजन चलाने के कारण और आधार क्या है ; और

(ग) विद्युतीकरण और डीजलीकरण के परिणामस्वरूप फालतू हो जाने वाले लोको कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजनाएं तथा कार्यक्रम हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) भारतीय रेलों कि यह योजना है कि कर्षण के साधनों को उत्तरोत्तर युक्तिसंगत बनाया जाए और भाप रेल इंजनों के बदले धीरे-धीरे डीजल/बिजली रेल इंजनों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि भाप रेल इंजन अपेक्षाकृत किफायती नहीं होते हैं । इस प्राक्रिया में जब कभी धीमी चलने वाली गाड़ियों और शंटिंग सेवाओं सहित सभी गाड़ियों में डीजल/बिजली रेल इंजनों का इस्तेमाल होने लगेगा तो भाप रेल इंजनों के शेड बन्द करने पड़ेंगे ।

(ख) पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों सहित भारतीय रेलों पर डीजलीकरण तब तक जाता है जब भाप कर्षण की तुलना में डीजलीकरण अधिक कुशल और किफायती पाया जाता है ।

(ग) विद्युतीकरण और डीजलीकरण के कारण फालतू होने वाले कर्मचारियों की उनकी उपयुक्तता और कुशलता के अनुसार डीजल और बिजली कर्षणों, सवारी तथा माल डिब्बा अनुरक्षण कारखानों आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैनात किया जाएगा ।

नाविकों के लिए मद्रास बंदरगाह पर क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

*552. श्री के० ए० : राजन क्या नौवन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण राज्यों के नाविकों की सुविधा हेतु मद्रास में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है क्योंकि उनको बम्बई अथवा कलकत्ता जाने में असुविधा और कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक नाविक रोजगार कार्यालय के मद्रास में खोले जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

कुष्ठ रोग के उपचार के लिए अर्हता प्राप्त डाक्टर

*553. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० बी० बी० एस० के पूरे पाठ्यक्रम में कुष्ठ रोग के निदान, रोक एवं उपचार सम्बन्धी पाठ्यचर्या में चर्म रोगों के बारे में केवल 5 लेक्चर हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) यदि नहीं, तो वास्तविक स्थिति क्या है ; और

(घ) कुष्ठ रोग के निदान, रोक एवं उपचार के लिए पूरी तरह से अर्हता प्राप्त डाक्टरी के प्रशिक्षण के लिए देश में क्या प्रबंध विद्यमान हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) स्नातक पूर्व चिकित्सा शिक्षा के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों के अनुसार त्वचा विज्ञान, रतिरोग विज्ञान और कुष्ठ यूनिटों में एक एक महीने की अवधि के लिए तैनाती की जाती है । कार्य चिकित्सा और सामाजिक आयुर्विज्ञान विभाग में भी कुष्ठ रोग के बारे में पढ़ाया जाता है । एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के आरम्भ से ही सामाजिक आयुर्विज्ञान में प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाता है और यह प्रशिक्षण इंटर्नशिप प्रशिक्षण तक चलता

रहता है । इस प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को कुष्ठ रोगियों के निदान, रोग निवारण तथा उपचार के बारे में भी जानकारी देने की हर कोशिश की जाती है ।

(घ) देश के छह कुष्ठ रोग केन्द्रों में डाक्टरों को कुष्ठ रोग में छह सप्ताह के गहन पाठ्यक्रम के द्वारा इस रोग के निवारण, निदान, उपचार विकृति विज्ञान, शल्य विज्ञान आदि में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है । इसके अलावा, पांच केन्द्रों में विशेष पुनारचनाकारी शल्य विज्ञान में व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

मन्दकुर्द तथा नई बम्बई के बीच स्टेशन

*554. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य रेलवे उपनगरीय रेल सेवा को मन्दकुर्द से नई बम्बई (वाशी) तक बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चीता कैम्प, ट्राम्बे तथा उसके चारों ओर के क्षेत्रों के निवासियों के लाभ के लिए मन्दकुर्द और नई बम्बई के बीच एक नया स्टेशन बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) चीता कैम्प, ट्राम्बे तथा आस पास के क्षेत्रों के निवासियों की सुविधा के लिए मानखुर्द—वाशी के बीच भविष्य में एक स्टेशन की व्यवस्था व्यावहारिकता सर्वेक्षण रिपोर्ट में की गई है । केवल आस-पास के क्षेत्रों में यातायात की सम्भावना बढ़ने पर ही स्टेशन की व्यवस्था की जाएगी ।

(ग) प्रस्तावित स्टेशन मानखुर्द से न्यू बाम्बे तक बनायी प्रस्तावित रेलवे लाइन से 2.3 कि. मी. की दूरी पर है ।

बच्चों में बात हृदय रोग

*555. श्री जनार्दन पुजारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच से पन्द्रह वर्ष की आयु के प्रत्येक 1000 भारतीय बच्चों में से छह बच्चे बात हृदय रोग से पीड़ित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस रोग पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने छह केन्द्रों में वात-ज्वर और वात-हृदय रोग के बारे में जो वैज्ञानिक अध्ययन किया है उससे पता चलता है कि इस रोग की राष्ट्रीय औसत दर लगभग छह प्रति हजार है। 5 से 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों के बारे में विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) रोकथाम की समुचित कार्रवाई राज्य सरकारों को करनी है।

परादीप बंदरगाह में नैमित्तिक श्रमिकों की हड़ताल

5116. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परादीप बंदरगाह में काम करने वाले नियमित एवं नैमित्तक श्रमिकों की अलग अलग संख्या कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि नैमित्तिक कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन के पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं,

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्योरा क्या हैं; और

(घ) सरकार ने इन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नियमित कर्मचारियों की संख्या 2912 है। दिहाड़ी पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है और यह संख्या काम की मात्रा पर निर्भर करती है। 1-2-1981 को ऐसे कर्मचारियों की संख्या 553 थी।

(ख) से (घ) 31-10-1980 तक पत्तन प्रशासन आकस्मिक प्रकार के कार्यों के लिए नियमित कर्मचारियों के अलावा ठेकेदारों के मजदूरों को दैनिक मजदूरी पर रखा करता था। ऐसे कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग होती थी जो काम की मात्रा पर निर्भर करती थी। ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों को समय पर और नियमित रूप से वेतन न देने की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पत्तन प्रशासन 1-11-1980 से दिहाड़ी के कर्मचारियों को सीधे ही काम पर रख रहा है। काम की मात्रा की समीक्षा करने के बाद 1-1-81 में कुल 614 दिहाड़ी कर्मचारियों में से 467 को रखा गया परन्तु ये दिहाड़ी कर्मचारी बाकी 147 कर्मचारियों के न रखे जाने के कारण विरोध स्वरूप काम पर नहीं आए। यह मामला पत्तन अधिकारियों और दिहाड़ी कर्मचारियों के बीच आपसी बातचीत के बाद मेत्रीपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया। पत्तन अधिकारियों ने लौह अयस्क हैंडलिंग प्लाट पर जरूरी काम करने के लिए एक महीने के लिए 86 और

कर्मचारियों को रख लेने का निर्णय किया। दिहाड़ी के 86 अतिरिक्त कर्मचारियों के साथ दिहाड़ी के ही 467 और कर्मचारी 1-2-81 से ड्यूटी पर आ गए।

रेलवे स्टेशनों पर वस्तुएं बेचने के ठेकों का आवंटन

5117. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर वस्तुएं बेचने के ठेकों के आवंटन के लिए मानदण्ड क्या हैं,

(ख) उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन द्वारा दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन पर वैस्टर्न हाल का वस्तुएं बेचने का वर्तमान ठेका किसे दिया गया है और क्या यह ठेका मानदण्ड के अनुसार दिया गया है ;

(ग) क्या वर्ष 1980 में दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन के ईस्टर्न हाल की तरफ के वस्तुएं बेचने के ठेके आवंटन करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन पत्र दिया गया है,

(घ) यदि हां, तो इसके लिए आवेदन देने वाली पार्टियों का ब्यौरा क्या है, और यह ठेका किसे दिया गया है, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) रेलवे स्टेशनों पर खानपान/बेडिंग ठेकों के आवटन अनुभव, सेवा उपलब्ध करा सकने की क्षमता और उम्मीदवारों की वित्तीय हैसियत को ध्यान में रख कर किया जाता है परन्तु ऐसा करते समय अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/सहकारी समितियों/महिला समितियों आदि के लिए कतिपय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाता है।

दिल्ली स्टेशन के पश्चिमी हाल या पूर्वी हाल में कोई ठेका किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं दिया गया है।

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवाओं हेतु अमरीकी सहायता का उपयोग किया जाना

5118. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार पांच राज्यों के कुछ चुनीदा जिलों में स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी सेवाओं की क्रियान्विति हेतु अमरीका द्वारा दी गई 37.33 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या उपरोक्त सूची में उड़ीसा भी शामिल है ; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा के उन चुनींदा जिलों के नाम क्या हैं जहां स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम आरम्भ किया जायेगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) पांच राज्यों के कुछ चुनिन्दा जिलों में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की सेवाओं को मजबूत बनाने पर लगभग 42 करोड़ रुपये खर्च करने का सरकार का विचार है। इसमें से संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से अगले पांच वर्षों में लगभग 32 करोड़ रुपये की सहायता मिलने की आशा है। ये पांच राज्य हैं—महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी रेलवे के धनबाद डिवीजन में ठेकेदारों की संख्या

5119. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन में काम करने वाले ठेकेदारों के नाम क्या हैं और प्रत्येक के अधीन कितने मजदूर काम कर रहे है ;

(ख) क्या इन ठेकेदारों ने श्रम लाइसेंस ले रखे हैं ;

(ग) क्या इन ठेकेदारों द्वारा पुरुष तथा महिला मजदूरों को श्रम कानूनों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए हेलमेट का उपयोग

5120. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटरों की पिछली सीटों पर बैठने वालों के लिए भी हैलमेट के उपयोग के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) क्या इस बारे में सभी राज्य सरकारों से परामर्श करके सारे देश में एक समान नीति लागू करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं ?

सीवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् एक नई धारा अर्थात् 85 (क) मोटर गाड़ी अधिनियम में जोड़ दी गई है जिससे मोटर साइकिल के किसी भी वर्ग के चालक तथा पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए क्रेश हैलमेट का पहनना अनिवार्य कर दिया जाय। इस धारा की व्यवस्थाओं को अभी लागू किया जाना बाकी है।

खोई हुई सम्पत्ति के लिए मुआवजा

5121. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खोई हुई सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो दावे 1 अप्रैल, 1980 से 28 फरवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान उत्तरी रेल विभाग के पास विचाराधीन थे उनके मुआवजे की राशि कितनी है।

(ख) पहले चार वर्षों अर्थात् पहले के वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80 के वर्षों में अदा किए गए मुआवजे की तुलना में यह राशि कितनी है ;

(ग) क्या इस स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं अथवा किए जाएंगे ताकि रेल विभाग को इस तरह होने वाला घाटा कम से कम हो ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस तरह के उपाय किए गए है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते। फिर भी 1977-78 से 1979-80 तक की अवधि में उत्तर रेलवे द्वारा खोये तथा क्षतिग्रस्त माल के दावों के संबंध में भुगतान किए गए मुआवजे की राशि नीचे दी गयी है :—

वर्ष	भुगतान की गयी राशि
	(लाख रुपयों में)
1977-78	195.11
1978-79	147.21
1979-80	143.33

(ग) और (घ) रेलें स्थिति में सुधार लाने के लिए सतत् प्रयत्नशील हैं। इस सम्बन्ध में लिए गये विभिन्न उपाय संलग्न विवरण में बताये गये हैं।

विवरण

परेषणों की हानि, चोरी और उठाईगीरी आदि को रोकने के लिए किए गए विभिन्न उपाय नीचे दिए गये हैं :—

1. परेषणों को खोये जाने से रोकने के लिए उन पर भली प्रकार निशान लगाना, पता लिखना और लेवल लगाना ।

2. सामग्रियों के लदान के लिए वाणिज्यिक रूप से उपयुक्त माल डिब्बों का चुनाव करना ।

3. भीगने से खराब होने वाले सामानों की ढुलाई के लिए जल-रोधी माल डिब्बों का उपयोग करना ।

4. माल डिब्बों का भली-भांति अनुरक्षण करना ताकि माल डिब्बों के खराब होने की घटनाओं, जिनके परिणामस्वरूप उन्हें रुके रहना पड़ता है और माल का यानान्तरण करना पड़ता है, में कमी हो तथा दरवाजों और सुराखों से भीगने तथा उठाईगीरी से होने वाली क्षति को कम किया जा सके ।

5. कटे हुए मालडिब्बों का इस्तेमाल रोकने के लिए मरम्मत लाइनों यार्डों और माल शेडों में मालडिब्बों के पैनल कटाओं में पैबन्द लगाना ।

6. बरसात के मौसम में सामान गीला होकर क्षतिग्रस्त न हो जाए, इससे बचाव के लिए विशेष एहतियात बरतना । बरसात में रिसने वाले माल डिब्बों की छतों और साइड पैनलों की मरम्मत करने के लिए सामान्य संगठन के अलावा रेलें विशेष संगठन स्थापित करती हैं ।

7. बरसात के पानी को माल डिब्बों में घुसने से रोकने के लिए बन्द माल डिब्बों के फ्लैपों वाले दरवाजों की दरारों में तारकोल वाले टाट या सीमेंट का घोल और ग्रीस का उपयोग करना ।

8. चीनी, अनाज, दालें, तिलहन आदि के परेषणों से लदे हुए माल-डिब्बों के दरवाजों पर सुरक्षा की दृष्टि से निभार की व्यवस्था पर जोर देना ।

9. जिन माल डिब्बों में मूल्यवान सामान लदा हो उनमें रिवट लगाने के लिए ढिबरी और काबले का उपयोग करना ।

10. भेद्य खंडों में लोहा और इस्पात, खाद्यान्न, चीनी तिलहन आदि ले जाने वाली माल गाड़ियों का रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कार्मिकों द्वारा मार्ग रक्षण करना ।

11. भेद्य यार्डों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कार्मिकों द्वारा गश्त लगाना ।

12. अपराध आसूचना एकत्रित करना और रेलों को अपराध आसूचना के कर्मचारियों के साथ-साथ रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा अपराधियों तथा चोरी का सामान लेने वालों का पता लगाने के उद्देश्य से अचानक छापे मारना ।

13. राजकीय रेलवे पुलिस, रेल सुरक्षा बल और रेल कर्मचारियों के बीच निकट समन्वय बनाए रखा जाता है ।

14. लदान और उतराई के दौरान पैकेजों का भली-भांति पर्यवेक्षण और सावधानी-पूर्वक मिलान करना ।

15. आमान परिवर्तन यानान्तरण स्थलों और पुनर्पैकिंग स्थलों पर पर्यवेक्षण के काम को गहन करना, आदि ।

16. कर्मचारियों का उत्तरदायित्व शीघ्र नियत करना ।

17. गन्तव्य स्टेशनों द्वारा जारी किए गए क्षति और माल में कमी से संबंधित संदेशों की जांच करना और बनावटी क्षति तथा माल में कमी के संदेशों का पता लगाना, और

18. स्टेशनों पर पड़े असम्बद्ध परेषणों की मानिटरिंग ।

उल्लहास नगर में सिटी बुकिंग कार्यालय

5122. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उल्लहास नगर (जिला थाना) के विस्तृत क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, वहां के लोग एक सिटी बुकिंग कार्यालय खोलने की मांग करते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो रेल प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) रेल प्रशासन ने इस कठिनाई को हल करने के लिए क्या कदम उठाए ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) यह टाउनशिप तीन उपनगरीय स्टेशनों द्वारा भली-भांति सेवित हैं, जिनमें से दो स्टेशनों से अन्य गंतव्य स्थानों के लिए टिकट भी जारी किये जाते हैं । उल्लहासनगर में सिटी बुकिंग आफिस खोलने के प्रस्ताव का यातायात और वित्तीय, दोनों दृष्टियों से औचित्य नहीं है ।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के नौवहन (मेरीन) विभाग के लिए टिंडल और लसकरों के पद बनाया जाना

5123. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार प्रशासन से वहां के नौवहन (मेरीन) विभाग के लिए टिंडल के दो पद और लसकरों के आठ पद बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो यह मामला कब से मंत्रालय में विचाराधीन है ; और

(ग) स्वीकृति आदेश शीघ्र जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह प्रस्ताव अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से नम्बर, 1979 में प्राप्त हुआ था। इसकी जांच करने के बाद कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना मांगी गई है। इनका उत्तर प्राप्त होने पर प्रस्ताव पर आगे विचार करना सम्भव हो सकेगा।

नीलाचंल एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना

5124. **श्री हरिहर सोरन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली आने वाली 175 अप नीलाचंल एक्सप्रैस 16 फरवरी, 1981 को भदोई रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उत्तर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) गाड़ियों को पटरी से उतरने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी।

(ग) गाड़ियों की जांच तथा सवारी और माल डिब्बा डिपुओं में मौके पर जाकर जांच को कड़ा कर दिया गया है तथा रेल पथ के उपयुक्त अनुरक्षण की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। मानवीय तत्व पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से पहियों, धूरों और पटरियों, घुरा काउंटरों तथा रेल पथ परिपथन आदि के लिए पराश्रव्य दोष संसूचकों जैसे परिष्कृत उपाय उत्तरोत्तर अपनाये जा रहे हैं।

कर्मचारियों का स्थानान्तरण

5125. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्रशासन को किसी कर्मचारी को प्रशासकीय आधार पर उसके "रैंक" के साथ एक डिवीजन से उसकी सहमति के बिना दूसरी डिवीजन में स्थान्तरित करने की शक्ति प्राप्त है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में नियम अथवा आदेश क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) नियमों के अनुसार, सामान्यतः एक कर्मचारी को उसकी सम्पूर्ण सेवा-काल के दौरान उसी रेलवे या रेल स्थापना में लगाया जाएगा, जहां पर प्रथम नियुक्ति के समय उसकी तैनाती होती है और वह अधिकार के रूप में किसी अन्य रेलवे या रेल स्थापना में स्थानान्तरण के लिए दावा नहीं कर सकेगा। फिर भी, सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह रेल कर्मचारी को किसी अन्य विभाग या रेलवे या रेल स्थापना में स्थानान्तरित कर दे, जिसमें भारत स्थित या भारत के बाहर की परियोजनाएं भी शामिल है। जहां तक अराजपत्रित रेल कर्मचारियों का संबंध है, भारत में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के अधिकार का प्रयोग महाप्रन्धक या किसी ऐसे निम्नतर अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जिसे वह अपने अधिकार पुनः प्रत्यायुक्त करता है।

हरियाणा में नये राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण

5126. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा में राष्ट्रीय राजपथों की मरम्मत तथा नए राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण के लिए कुल कितनी राशि खर्च की जाएगी ; और

(ख) हरियाणा में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने लम्बे राष्ट्रीय राजपथ बनाए जायेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सम्भवत; माननीय सदस्य का आशय छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान हरियाणा राज्य में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास/सुधार तथा मरम्मत पर खर्च की जाने वाली राशि से है। छठी योजना (1980-85) के दौरान हरियाणा राज्य में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए इस पर व्यय की जाने वाली सम्भाव्य राशि का अनुमान देना अभी संभव नहीं है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का सम्बन्ध है,

इसका आवंटन आवश्यकताओं तथा उपलब्ध धन के आधार पर किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष (1980-81) के दौरान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण के लिए 97.13 लाख रुपये की राशि का आवंटन किया गया है।

(ख) फिलहाल यह सूचना देना सम्भव नहीं क्योंकि हरियाणा राज्य में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार/विकास कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कोकण तट पर सेवारत मुगल लाइन्स के जहाज जिन पत्तनों पर रुकते हैं उनकी संख्या

5127. **श्री बापू साहिब पारुलेकर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोकण तट पर बम्बई और पणजी (गोआ) के बीच सेवारत मुगल लाइन्स के जहाज कितने पत्तनों पर रुकते हैं ;

(ख) चौगले स्टीम शिप कम्पनी के राष्ट्रीयकरण और मुगल लाइन्स को सौंपे जाने से पूर्व इस कोंकण तटीय जहाजरानी के जहाज कितने पत्तनों पर रुकते थे ; और

(ग) कम पत्तनों से होकर जाने के क्या कारण हैं और सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कोकण तट पर चलने वाले मुगल लाइन के जहाज, बम्बई और पणजी के बीच चार पत्तनों पर रुकते हैं।

(ख) छह।

(ग) इस सेवा के अधीन दो जहाज चल रहे है जो अपनी स्पीड के कम होने और सेलिंग शेड्यूल तथा इसमें समय की पाबन्दी बनाये रखने की आवश्यकता के कारण चार से अधिक पत्तनों पर नहीं रुक सकते। चूंकि उक्त कारणों से जहाज अधिक पत्तनों पर नहीं जा सकते हैं, इसलिए सरकार का इस बारे में कुछ भी करने का इरादा नहीं है।

ब्रिटिश सरकार के सहयोग से उड़ीसा में योजनायें एवं परियोजनाएं

5128. **श्री अनादि चरण दास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश सहायता से उड़ीसा में कोन सी योजनायें एवं परियोजनायें आरम्भ की गई हैं ; और

(ख) परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में अन्तर्राष्ट्रीय/द्विपक्षी आर्थिक सहायता देने वाली एजेंसियों की आंशिक सहायता से देश के चुनिन्दा भागों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए एक योजना बनाई है। इस राज्यों में उड़ीसा राज्य भी आता है जहां ग्रेट ब्रिटेन की आंशिक सहायता से ऐसी एक योजना चलाई जा रही है।

(ख) यह योजना उड़ीसा के जिन पांच जिलों में चलाई जा रही है, उनके नाम हैं— कटक, गंजम, कालाहांडी, फूलबनी और पुरी।

इस परियोजना की कुल लागत लगभग 29.54 करोड़ रुपए है।

विदेशों में भारतीय श्रमिकों के हितों की संरक्षण

5129. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में, विशेष रूप से उन देशों में जिनमें भारतीय श्रमिक रोजगार के लिए भारी संख्या में गए हैं ; भारतीय श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए क्या विशेष प्रबन्ध किए गए हैं ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं। जिनमें सरकार ने भारतीय मिशनों के साथ लेबर अटेची भी नियुक्त किए हैं ; और

(ग) प्रत्येक देश में भारतीय श्रमिकों की संख्या कितनी है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. विदेश जाने वाले कामगारों की कार्य-संविदाओं को उत्प्रवासी संरक्षक के यहां पंजीकृत कराए जाने की व्यवस्था, जिनमें नियुक्ति की शर्तें की गई हों। यदि भारतीय कामगारों को यह लगे कि संविदा की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है तो वे अपने रोजगार के देश में उपलब्ध कानूनी और प्रशासनिक उपायों का सहारा ले सकते हैं। उन देशों में स्थिति हमारे मिशन इन मामलों में कामगारों को आवश्यक सहायता देते हैं।

2. ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत उत्प्रवासी संरक्षक नियोक्ताओं की वास्तविकता की जांच कर सकते हैं।

3. सरकार ने उत्प्रवासी संरक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे उन सभी व्यक्तियों को उचित परामर्श दें जो रोजगार के लिए विदेश जाना चाहते हैं।

4. नियोक्ता या उसके भर्ती एजेंट से, यह सुनिश्चित करने के लिए अमानत ली जाती है कि रोजगार की शर्तों का पालन किया जाएगा।

5. नौकरी की तलाश करने वालों को भारत में प्रचार माध्यमों द्वारा बेइमान व्यक्तियों से सावधान किया जाता है। जब भी भारत स्थित भर्ती एजेंसियों की साँठ-गांठ से विदेशों में भारतीय कामगारों के शोषण की कोई रिपोर्ट मिलती है तो उसे जांच पड़ताल और कार्रवाई के लिए उपयुक्त पुलिस प्राधिकारियों के पास भेजा जाता है।

6. विदेशों में स्थित हमारे मिशन और केन्द्र भारतीय कामगारों से निरन्तर संपर्क रखते हैं और कोई शिकायत मिलने पर बीच बचाव के लिए नियोक्ताओं से बात करते हैं। वे इन मामलों पर स्थानीय सरकारों से भी बातचीत करते रहते हैं।

(ख) विदेशों में स्थित हमारे मिशनों में ये काम कोंसली अनुभाग करते हैं। मूलतः स्थानीय कारणों से हम अपने मिशनों में कोंसली अधिकारियों को सामान्यः श्रम अताशे का नाम तो नहीं देते लेकिन हमारे कोंसली अधिकारी श्रम अताशे के सभी दायित्व निभाते हैं।

(ग) इनकी संख्या घटती-बढ़ती रहती है। पश्चिम एशिया के मुख्य देशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों की वर्तमान अनुमानित संख्या इस प्रकार है :

1.	बहरीन	25,000
2.	इराक	25,000
3.	जोर्डन	3,500
4.	कुवैत	80,000
5.	लीबिया	40,000
6.	ओमान	65,000
7.	कातार	25,000
8.	सउदी अरब	80,000
9.	संयुक्त अरब अमीरात	2,50,000
10.	यमन अरब गणराज्य	5,000
11.	यमन लोक गणराज्य	1,000

पटौदी (हरियाणा) के निकट यात्रियों को लूटा जाना

5130. श्री राजेश कुमार सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में पटौदी के निकट 2 मार्च, 1981 को एक चलती गाड़ी में यात्रियों को लूटा गया था ;

(ख) यदि हां, तो यात्रियों को हुई अनुमानित हानि क्या है ;

(ग) क्या अब तक कोई गिरफ्तारी की गई है ;

(घ) क्या रेल विभाग ने यात्रियों को प्रतिपूर्ति दे दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) भविष्य में सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां । पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और वह इसकी जांच-पड़ताल कर रही है ।

(ख) लगभग 59 हजार रुपए तथा 4 कलाई घड़ियां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) ऐसे मामलों में कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती ।

(ङ) चलती गाड़ियों में ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं । राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र गार्डों के पहरे में रात्रि की गाड़ियों को चलाना, स्टेशनों/प्लेटफार्मों/प्रतीक्षालयों में गश्त लगाना और पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा रात्रि गाड़ियों की जांच आदि जैसे निरोधक उपाय किए जा रहे हैं । गलियारेदार डिब्बों के दरवाजे 22.00 बजे और 06.00 बजे के बीच बंद रखे जाते हैं । चल टिकट परीक्षकों/परिचरों/कंडक्टरों को सतर्क रहने के लिए अनुदेश दिए गए हैं ताकि आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश न कर सकें ।

नए मैडिकल कालेज

5131. श्री एन० डेनिस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में मेडिकल कालेज खोलने के लिए कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में वर्तमान मेडिकल कालेजों को अपने हाथ में लेने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नहीं ।

(ख) नहीं ।

(ग) यह सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों का कार्य है कि वे अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखें और जैसा जरूरी हो वैसी कार्यवाही करें ।

भारत में खसरा रोग से होने वाली मौतें

5132. श्री के० लक्कप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान खसरा रोग से प्रति वर्ष राज्यवार अनुमानतः कितनी मौतें हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि लोग खसरा रोग से पीड़ित अपने बच्चों को इलाज के लिए डाक्टर के पास नहीं ले जाते तथा यह विश्वास करते हैं कि यह तो माता देवी के अभिशाप के कारण होता है;

(ग) क्या खसरा रोग से बचने के लिए खसरा नाशक टीके अब उपलब्ध हैं ;

(घ) यदि हां तो खसरा नाशक उक्त टीके के भारत आने के बाद से कितने बच्चों ने इसका उपयोग किया ;

(ङ) खसरा नाशक उक्त टीके को लोकप्रिय बनाने तथा अंध-विश्वासी लोगों को इसका उपयोग करने हेतु शिक्षित करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय के केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना कार्यालय को दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान खसरा से हुई मौतों की राज्यवार अनुमानित संख्या विवरण के रूप में दी गई है ।

(ख) खसरा का कोई विशिष्ट इलाज नहीं है । अधिकांश बच्चों में यह रोग आमतौर पर मामूली-सा होता है जिसके लिए इलाज की जरूरत नहीं होती । इस रोग के बारे में विशेषकर कुछेक ग्रामीण क्षेत्रों में यह विश्वास भी है कि यह रोग देवी के अभिशाप के कारण होता है ।

(ग) खसरा की रोकथाम के लिए खसरा रोधी टीका उपलब्ध है ।

(घ) चूंकि खसरारोधी टीका अभी तक देश में सामान्य टीका सेवाओं में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इसके सही-सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए खसरा पर एक पैम्पलेट तैयार कर लिया गया है। देश भर के तीस मेडिकल कालेजों में एक अध्ययन किया जा रहा है ताकि खसरा के टीके को राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम में शामिल करने की व्यवहारिकता का निश्चय किया जा सके।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना कार्यालय को दी गई सूचना के अनुसार खसरा के कारण हुई मौतों का राज्यवार विवरण :

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1978	1979	1980*
1.	आन्ध्र प्रदेश	111	43	54
2.	असम	1	—	—
3.	बिहार	+	+	+
4.	गुजरात	—	3	1
5.	हरियाणा	3	2	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	7	2
7.	जम्मू व कश्मीर	+	+	+
8.	कर्नाटक	59	39	22
9.	केरल	10	8	2
10.	मध्य प्रदेश	43	62	32
11.	महाराष्ट्र	62	39	50
12.	मणिपुर	—	+	+
13.	मेघालय	—	—	—
14.	नागालैण्ड	—	+	+
15.	उड़ीसा	—	11	+
16.	पंजाब	—	1	—

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1978	1979	1980
17.	राजस्थान	5	13	5
18.	सिक्किम	3	1	+
19.	तमिलनाडु	—	—	3
20.	त्रिपुरा	—	1	—
21.	उत्तर प्रदेश	11	25	+
22.	पश्चिम बंगाल	19	10	+
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	5	—
25.	चंडीगढ़	—	—	—
26.	दादर व नगर हवेली	—	—	—
27.	दिल्ली	86	66	77
28.	गोवा दमण व दीव	3	—	1
29.	लक्षद्वीप	—	—	4
30.	मिजोरम	1	1	4
31.	पांडिचेरी	—	—	—
32.	अन्य कोई	—	—	—
	भारत योग	417	337	257

टिप्पणी : *आंकडे अनन्तिम हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता है।
— शून्य, + अप्राप्त।

विद्युत् सिगनल प्रणाली

5133. श्री के. बी. एस. मनी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल विभाग विद्युत सिगनल प्रणाली शुरू करने की स्थिति में है ;

(ख) यदि हां, तो इसे अब तक लागू न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) यदि इसे लागू किया गया है तो किन स्थानों पर लागू किया गया है ; और

(घ) इसे अन्य स्थानों, जैसे तमिलनाडु में, जहां इसे अब तक शुरू नहीं किया गया है, कब तक शुरू किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास का बजट अनुमान

5134. श्री थाझाई एम. करूणानिधि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 से 1981-82 तक के दौरान गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास का बजट अनुमान क्या है ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान दवाओं तथा अन्य मेडिकल वस्तुओं की खरीद पर कितना व्यय किया गया है ;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान, मद्रास डिपो से सम्बद्ध फार्मेस्यूटिकल फैक्ट्री में दवाओं के निर्माण के लिए कच्चे माल की खरीद पर, वर्ष-वार कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) उपर्युक्त अवधि में डिपो ने वर्ष-वार कितनी बिक्री की और वर्ष-वार कितना लाभ अर्जित किया;

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान फार्मेस्यूटिकल फैक्ट्री में कितनी मात्रा में दवाओं आदि का उत्पादन किया गया और उनका मदवार मूल्य कितना है ;

(च) क्या उक्त अवधि में इसके उत्पादन/बिक्री में वर्ष-वार कोई कमी हुई है ; और

(छ) क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
			(रुपये लाखों में)	
(क) बजट अनुमान 1978-79 से 1981-82	450.00	400.00	410.00	350.00
(ख) दवाइयां और चिकित्सा सामग्री खरीदने पर खर्च की गई रकम	452.00	384.00	200 (अनन्तिम)	
(ग) फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में दवाइयां तैयार करने के लिए कच्चा माल खरीदने पर खर्च की गई रकम	9.63	11.37	14.64	
(घ) डिपो की बिक्री	487.00	413.00	250.00 (अनन्तिम)	

डिपो के लाभ के बारे में यह बताया जाता है कि डिपो के 1978-79 से लाभ और हानि सम्बन्धी लेखे अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

(ङ) (I) फैक्ट्री में जो सामान और दवाइयां तैयार की गई वे इस प्रकार हैं :—

मद	ए/यू	1978-79	1979-80	1980-81 (दिसम्बर 1980 तक)
गोलियां	संख्या	4,01,94,958	6,91,87,300	2,23,44,000
स्टीम	लिटर	36,407	39,087	24,287
टिंक्चर	तदैव	34,359	35,698	13,587
पाउडर	किलोग्राम	4,410	7,362	13,753
मरहम	तदैव	34.336	24,580	23,230
पट्टियां	संख्या	8,27,000	9,26,640	3,66,000
ओ आर.एस. पैकट		1,94,950	1,18,000	75,000

(II)	1978-79	1979-80	1980-81
			(रुपये लाखों में)
फैक्ट्री में तैयार किए गए माल का कुल मूल्य	31.79	34.45	25.37

(मदवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

(च) इस अवधि के दौरान डिपो में कतिपय मदों के निर्माण/बिक्री में कुछ कमी आई है और यह कमी अल्कोहल, टीन-पात्रों और स्टैंडर्ड विशिष्टता के अनुसार कपड़ा न मिलने के और तमिलनाडु सरकार द्वारा कम बिक्री किए जाने के कारण हुई है।

(छ) इस कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(क) निर्माण के लिए :

(1) डिपो के अनुरोध करने पर

(i) डिस्टिलरीस ने अल्कोहल की आवंटित मात्रा नियमित रूप से सप्लाई करने का आश्वासन दिया है ;

(ii) गोलियों के लिए टीन-पात्रों की सप्लाई भी आरम्भ हो गई है।

(2) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय से स्टैण्डर्ड विशिष्टता के अनुसार कपड़ा खरीदने का अनुरोध किया गया है।

फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ रहा है और इसके अधिकतम स्तर तक पहुंचने की आशा है।

(ख) बिक्री के लिए : डिपो के अनुरोध पर राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों ने सामग्री लेने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है।

वाणिज्यिक नौवहन

5135. **श्री गुफरान आजम** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे भारतीय सामान का वाणिज्यिक नौवहन अधिकतर गैर-सरकारी एवं विदेशी नौवहन पर निर्भर है ; और

(ख) यदि नहीं, तो आत्मनिर्भरता की दिशा में हमारी प्रगति की स्थिति क्या है और हमारे देश में गैर-सरकारी वाणिज्यिक नौवहन द्वारा माल लाने ले जाने के बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) 31-1-9981 के अनुसार भारत के पास 384 जहाज हैं जिनका कुल जी० आर० टी० 5.68 मिलियन है । यह जहाजी बेड़ा देश की आवश्यकताओं के लिए आमतौर से पर्याप्त है । फिर भी, जहाजों को देशी व्यापार के अलावा प्रायः क्रास-ट्रेड, टाईम-चार्टर आदि पर भी लगाया जाता है। इस तरह यह सम्भव नहीं है कि देशी जहाजों को केवल देशी व्यापार तक ही सीमित रखा जाए । 31-1-1981 के अनुसार, प्राइवेट सैक्टर शिपिंग कंपनियों के पास 2.5 मिलियन जी० आर० टी० के जहाज हैं । व्यापार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश के जहाजी बेड़े में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निवल 2.5 मिलियन जी० आर० टी० की वृद्धि करने का लक्ष्य किया है ।

गुनुपुर नगर में पुल का निर्माण

5136. श्री गिरधर गोमांगो : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को अंतर्राष्ट्रीय एवं आर्थिक महत्व की योजना के अधीन गुनुपुर नगर में एक पुल के निर्माण और हाल की बाढ़ के द्वारा वंसधारा नदी के मुख्य पुलों को हुई क्षति के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं तो उनके मन्त्रालय ने वंसधारा नदी, गुनुपुर कोरापुट को हुई क्षति के बारे में रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं ; और

(घ) राज्य एवं उनके मन्त्रालय ने पुलों के पुनः निर्माण हेतु अब तक कितनी धनराशियां दी हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) भारत सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए बने केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के अधीन गुनुपुर के नजदीक परलाखेमुंडी-गुनुपुर-बिस्सम-कटक मार्ग पर बंशधारा नदी के ऊपर एक हाई लैवल पुल बनाने के लिए 108.00 लाख रुपए की ऋण-सहायता देना मंजूर किया है । चूंकि, पुल के निर्माण पर 1 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने का अनुमान लगाया गया है, इसलिए इस पुल के लिए ब्यौरेवार अनुमान पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेना जरूरी है । परन्तु ब्यौरेवार अनुमान अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

2. उड़ीसा सरकार ने कुछ समय पहले बताया था कि सितम्बर 1980 में वंशधारा नदी में भयंकर और अप्रत्याशित बाढ़ आई थी जिसके परिणामस्वरूप गुनुपुर के निकट प्रस्तावित नए पुल के ऊपरी बहाव की ओर इस नदी पर बने दो पुलों का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा पानी में बह गया। क्षतिग्रस्त पुलों के बारे में ब्यौरेवार रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं मिली है क्योंकि ये दोनों पुल राज्य सड़कों पर स्थित थे और राज्य सरकार ही उन्हें दुबारा बनाने के लिए अन्य रूप से जिम्मेदार है। इसलिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके पुनर्निर्माण के लिए धन देने का प्रश्न ही नहीं होता।

भाप के इंजनों के स्थान पर डीजल इंजन लगाना

5137. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर तथा पश्चिमी रेलवे में मीटर गेज लाइनों पर चलने वाली सभी यात्री गाड़ियों में विशेष-रूप से एक्सप्रेस तथा मेल गाड़ियों में भाप के इंजनों के स्थान पर डीजल इंजन लगाने का है जिससे कि उनकी गति बढ़ सकें ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी गाड़ियों की संख्या कितनी है जिनको अभी भी भाप के इंजनों से चलाया जा रहा है और जिनके स्थान पर डीजल इंजन लगाये जाने होंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) भीड़-भाड़ वाली लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का योजनाबद्ध आधार पर डीजलीकरण किया जा रहा है जिसमें डीजल रेल इंजनों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है। मुख्यतः अनिवार्य माल यातायात की ढुलाई के लिए होती हैं।

हाफ यूनिट वेंडिंग कन्ट्रेक्ट

5138. **श्री नारायण चौबे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने निविदायें आमंत्रित किए बिना ही, अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को हाफ-यूनिट वेंडिंग कन्ट्रेक्ट देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) आधे यूनिट के बराबर के वेंडिंग-ठेके सामान्यतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे जाते हैं।

मेहसाना जिले के उद्योगों के लिए वैगन

5139. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के मेहसाना जिले में विभिन्न उद्योगों ने वर्ष 1980-81 में कोयले की ढुलाई के लिए कितने वैगन मांगे थे और उन्हें कितने वैगन दिए गए ;

(ख) आवश्यकता के कम वैगन आवंटित करने के क्या कारण हैं और उक्त मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये जायेंगे ; और

(ग) उक्त मांग कब तक पूरी कर दी जाएगी तथा क्या विशिष्टतः विर्जीनिया तम्बाकू के लिए वैगनों की सप्लाई की मांग को शीघ्र ही पूरा किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलें कोयले के लदान के आंकड़े जिला-वार नहीं रखती हैं ।।

(ख) और (ग) इस्पात संयंत्रों, बिजली घरों, सीमेंट संयंत्रों आदि जैसे प्राथमिकता वाले उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, कोयले की कुल उपलब्धता देश के सभी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः रेलें उपलब्ध कोयले को देश के सभी उपभोक्ताओं में वितरित करती हैं जिसमें मेहसाना जिला बर्जीनिया टोबैक क्यूरेर्स के उपभोक्ता भी शामिल हैं।

समस्तीपुर-दरभंगा लाइन का बदला जाना

5140. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व और वर्तमान रेल मंत्रियों द्वारा समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य के उद्घाटन सम्बन्धी समाचार बिहार के दैनिक समाचार-पत्रों में स्पष्ट रूप से प्रकाशित हुए थे ;

(ख) क्या सम्बन्धित मंत्रियों ने प्रकाशित तिथियों की औपचारिक स्वीकृति दी थी ;

(ग) यदि हां, तो उद्घाटन न होने के वास्तविक कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान बजट में व्यवस्था के अनुसार इस लाइन को बदलने का काम आरम्भ होगा और किस सीमा तक ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) समस्तीपुर-दरभंगा आमान परिवर्तन परियोजना का उद्घाटन समारोह वर्तमान रेल मंत्री द्वारा 12-2-81 को किया जाना निश्चित हुआ था।

(ख) जी हां ।

(ग) उद्घाटन की तारीख दरभंगा के आयुक्त की सलाह पर स्थगित की गयी थी ।

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस कार्य के लिए 60 लाख रुपए की राशि का एक तात्कालिकता प्रमाण-पत्र, हाल ही में स्वीकृति किया गया है।

रेल भाड़े के सम्बन्ध में हेर-फेर

5141. प्रो० के० के० तिवारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन और स्टील कम्पनी, लिमिटेड ने 1977-79 के दौरान जमशेदपुर में अपने कारखाने से जोदा में अपने फैरो-मैंगनीज संयंत्र के लिए बिना उचित बुकिंग के पीपली कोक तथा मट कोक भेजकर रेल भाड़े के मामले में हेर-फेर की है ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने पाया है कि क्रिमिनल अपील संख्या 300 और 301 में टाटा आयरन और स्टील कम्पनी लिमिटेड के निदेशकों तथा सर्वोच्च अधिकारियों के विरुद्ध प्रथमदृष्टया में मामला बनता है और बिहार सरकार को मामले की और आगे जांच करने तथा रेलवे राजस्व और प्रक्रिया में हेरफेर करने वाले टाटा आयरन और स्टील कम्पनी लिमिटेड के अधिकारियों के विरुद्ध आरोस-पत्र दाखिल करने के लिए कहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार सरकार के सतर्कता विभाग ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० ने 1977-79 के दौरान उपयुक्त बुकिंग के बिना जोडा में स्थित अपने फैरो मैंगनीज कारखाने के लिए जमशेदपुर से पर्ल कोक तथा नटकोक भेजकर रेल भाड़े में धोखाधड़ी की । लेकिन, अक्तूबर, 1974 में टाटानगर के माल पर्यवेक्षक ने टाटानगर क्षेत्र के अधीक्षक को बिना बुकिंग के पर्ल कोक से लदे 105 माल डिब्बों को आदित्यपुर से जोडा तक भेजे जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट की थी । दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय ने ऐसी सभी अनियमित बुकिंगों का विवरण प्राप्त करने के लिए एक कार्य-दल बनाया था । अगस्त, 1973 से मई, 1975 तक की अवधि में बिना बुक गए कराये बांसपानी को भेजे गए पर्ल कोक तथा नोआमुंडी को भेजे गए मट्टी तेल तथा कोक/कोयले के माल-डिब्बों से सम्बन्धित विवरण इकट्ठा किया गया। ऐसे 748 माल डिब्बों का पता लगाया गया और इन माल डिब्बों के लिए टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० से रेल भाड़े के रूप में 5.3 लाख रुपये बसूल किए गए ।

(ख) जी नहीं। 1979 की अपराध अपील सं० 300 और 301 में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के द्वारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा 24-2-1979 को दिए गए आदेश को मान्य घोषित किया जो इस प्रकार था :—

"दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैं यह उपयुक्त समझता हूं आगे की जांच-पड़ताल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। अतः आगे की जांच-पड़ताल रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते हुए इस मामले को आगे के आदेश के लिए 23-3-1979 को प्रस्तुत किया जाये।"

(ग) जी नहीं। जांच-पड़ताल अधिकारी ने अपनी अंतिम प्रगति रिपोर्ट दिसम्बर, 1980 में प्रस्तुत की थी। उसे कुछ मुद्दों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल पूरी करनी है और इस जांच-पड़ताल के पूरा हो जाने के बाद ही अन्तिम स्थिति के सम्बन्ध में आदेश दिए जायेंगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों का दिल्ली परिवहन निगम की बसों द्वारा निर्धारित स्थानों से लाया जाना

5142. **श्री भीखा भाई :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के पास कोई ऐसा प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों को, जो सहकारी कालोनियों में रहते हैं, निर्धारित स्थानों से बस में चढ़ाया जाए ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी योजना से दिल्ली परिवहन निगम की बसों में डीजल की तथा सरकारी कर्मचारियों के समय में बचत होगी ;

(ग) क्या रामकृष्ण पुरम, लोधी रोड़, सरोजनी नगर, श्री निवास पुरी, देवनगर, मोती-बाग, नानकपुरा जैसी सरकारी कर्मचारियों की कालोनियां इस योजना से लाभान्वित होंगी ;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना पर विस्तृत रूप से विचार कर लिया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस योजना पर विस्तृत रूप से विचार करेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(क) से (ङ) लगभग सभी सरकारी कालोनियों और केन्द्रीय सचिवालय के बीच बस सेवा उपलब्ध है, विशेषकर वे बसें उपलब्ध हैं जो केन्द्रीय सचिवालय के निकट केन्द्रीय टर्मीनल और नोडल/सब-नोडल टर्मीनल के बीच चलती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकारी

कर्मचारियों के लिए कोई केन्द्रीय स्थल बनाना, जहां पर वे बसों के लिए एकत्र हों आवश्यक नहीं समझा गया है ।

बाल आहार का दूषण

5143. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज एच० एस० एम० लिमिटेड ने हारलिक्स बोतलों को पैकिंग से पूर्व साफ करने और रोगाणु रहित करने की प्रक्रिया बन्द कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी अनुमति दी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस तथ्य पर विचार किया है कि बाल आहारों की व्यक्तियों द्वारा पैकिंग से दूषण का खतरा बना रहता है जिससे शिशुओं, रोगियों और स्वास्थ्य लाभ करने वाले की तन्दरुस्ती को खतरा बना रहता है ;

(घ) क्या सरकार को इस मामले में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटेल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय डाक्टर द्वारा की गई हत्या

5144. **श्री एन० ई० होरो** :

श्री चिन्तामणि जेना : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के एक भारतीय आर्थोपेडिक सरजन ने लन्दन में एक ब्रिटिश राष्ट्रियक से विवाह किया था तथा अगले ही दिन उसकी निर्ममता से हत्या कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को इस बारे में ब्रिटेन से कोई सूचना मिली है ; और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर भारतीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार को इस मामले में रिपोर्टें प्राप्त होती रही हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के प्राधिकारियों से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । कथित हत्या बेल्जियम में हुई थी ।

(ग) हमारे सम्बन्धित सुरक्षा प्राधिकारी इस सिलसिले में बेल्जियम के प्राधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज रेल लाइन

5145. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज तक बड़ी रेल लाइन (ब्राड-गेज लाइन) बिछाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रक्सौल-मुजफ्फरपुर आमान परिवर्तन के इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण के पुनर्मूल्यांकन और अद्यतन के लिए संशोधित सर्वेक्षण-अनुमान की स्वीकृति अगस्त, 1980 के दौरान दी गयी थी। अब यह विनिश्चित किया गया है कि बेतिया के रास्ते सगौली-नरकटियागंज-बाल्मीकि नगर-बगहा खंड के आमान परिवर्तन के कार्य को सम्मिलित करने के लिए सर्वेक्षण के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जाये। सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्राप्त होने पर इस बारे में आगे जांच की जाएगी और यदि इसे अर्थक्षम पाया गया तो इस परियोजना को शुरू किया जाएगा बशर्ते कि इसे योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कर लिया जाये और धन आबंटित कर दिया जाए।

सभी बड़े पत्तनों पर 'टास्क फोर्स' बनाने का प्रस्ताव

5146. **श्री आर० पी० भाडेगी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी बड़े पत्तनों पर 'टास्क फोर्स' बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या पत्तन और गोदी कर्मचारियों की सभी फेडरेशनों से उनके विचार/सुझाव आमन्त्रित किए गए हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि बी. एम. एस. फेडरेशन को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ;

(घ) बड़े पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों में न्यास-मंडल का चयन कैसे किया जाता है ; और

(ङ) पत्तन और गोदी श्रमिक बोर्ड में श्रमिक प्रतिनिधि किस प्रकार लिए जाते हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सरकार ने पत्तनों और गोदियों के लिए एक त्रिपक्षीय टास्क-फोर्स की स्थापना करने का निर्णय किया है ताकि अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके ।

(ख) पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने वाले पांच पत्तन तथा गोदी कर्मचारी महासंघों को टास्क-फोर्स में अपने मनोनीत व्यक्तियों को भेजने के लिए आमंत्रित किया गया है ।

(ग) भारतीय पत्तन और गोदी मजदूर संघ (बी. एम. एस.) को अपने मनोनीत व्यक्तियों के नाम भेजने के लिए नहीं कहा गया क्योंकि पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है ।

(घ) बड़े पत्तन न्यासों में न्यासियों के बोर्ड में न्यासी बड़े पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं और गोदी श्रम बोर्डों के सदस्य डाक वर्कर्ज (रैगुलेशन आफ एम्प्लायमेंट) नियम, 1962 के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किये जाते हैं ।

(ङ) पत्तन तथा गोदी श्रम बोर्डों में श्रम न्यासी, पत्तन तथा गोदियों में काम करने वाले श्रमिकों के संघों के प्रतिनिधित्व के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं । यह प्रतिनिधित्व संघों की सत्यापित सदस्यता के संदर्भ में निश्चित किया जाता है ।

आद्रा-खड़गपुर सैक्शन पर भाड़े से आय

5147. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा-खड़गपुर सैक्शन से गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे को किराये और भाड़े से कितनी आय हुई ; और

(ख) आसनसोल, बर्नपुर, आद्रा, बांकुरा, गारबेटा और खड़गपुर से स्टेशन-वार किराये और भाड़े से हुई आय का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा-खड़गपुर खंड से रेलवे ने किराया तथा भाड़ा के रूप में 1977-78 के दौरान 4.48 करोड़ रुपए, 1978-79 के दौरान 4.49 करोड़ रुपए तथा 1979-80 के दौरान 6.43 करोड़ रुपए अर्जित किया ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित किराये तथा भाड़े का स्टेशन-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

स्टेशन	1977-78	1978-79	1979-80
आसनसोल (द. पू. रेलवे का भाग)	0.29	0.40	0.46
(पूर्व रेलवे का भाग)	2.53	2.65	2.70
बर्नपुर	5.66	6.29	6.59
आद्रा	0.40	0.39	0.53
बांकुड़ा	0.87	0.90	1.69
गारबेटा	0.23	0.25	0.23
खड़गपुर	1·86	1.51	1.59

नागालैण्ड में सड़कों के लिए निर्धारित धनराशि

5148. **श्री चिंगवांग कोयनक** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में नागालेंड राज्य के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ख) कुल धनराशि में से सड़कों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) दूरस्थ स्थानों को जोड़ने हेतु सड़क संचार के तेजी से विकास के लिए क्या विशिष्ट उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) छठी योजना में नागालेंड के लिए राज्य क्षेत्र में कुल 210 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें सड़कों और पुलों के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त, नागालैण्ड सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की इन सड़क योजनाओं के लिए भी धनराशि प्राप्त करने की हकदार हैं, जैसे :—राष्ट्रीय राजमार्ग, केन्द्रीय सहायता-प्राप्त राज्य-सड़कें, अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कें तथा सामरिक महत्व की सीमा क्षेत्रों की सड़क योजनाएं इत्यादि। परन्तु, इन योजनाओं के लिए 1980-85 के योजना-कार्यक्रम को अभी रूप नहीं दिया गया है।

विशाखा पत्तनम पत्तन के जरिए आयात किया गया उर्वरक

5149. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री पी० रामगोपाल नायडू : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयातित उर्वरकों को लाने वाला एक भी पोत दिसम्बर, 1980 से विशाखापत्तनम पत्तन में नहीं आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पोतों को अन्य पत्तनों को भेजा जा रहा है;

(ग) क्या वर्ष 1979-80 और अप्रैल से दिसम्बर, 1980 के दौरान विशाखापत्तनम पत्तन के जरिए तीन लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक आयात किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो विशाखापत्तनम पत्तन पर आय और रोजगार की गंभीर स्थिति को देखते हुए अब इस व्यवस्था को बदलने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 24 दिसम्बर, 1980 तथा 22 फरवरी, 1981 के बीच विशाखापत्तनम पत्तन पर कोई भी ऐसा जहाज नहीं आया जिस पर आयात किया हुआ पोटाशयुक्त उर्वरक लदा था ।

(ख) चूंकि जहाजों के लिए बड़े पत्तनों का चुनाव आयातकर्ताओं (कृषि मंत्रालय) द्वारा किया जाता है इसलिए इस मंत्रालय को इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) चूंकि रेल प्रभाग को अपने वैगन स्टील प्लाटों के लिए कोकिंग कोयला ले जाने के लिए नियत करने पड़े इसलिए इस प्रभाग द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन से गैर पोटाशी उर्वरक कृषि मंत्रालय द्वारा उत्तरी राज्यों को भेजने के लिए वैगन नियत नहीं किए जा सके । यही कारण है कि इस अवधि में कृषि मंत्रालय गैर पोटाश उर्वरक आयात करने के लिए किसी भी जहाज को विशाखापत्तनम पत्तन के लिए नहीं नियत कर सका ।

इन्दौर-बिलासपुर एक्सप्रेस का रायपुर या कोरबा तक बढ़ाया जाना

5150. **श्री सुन्दर शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदौर-बिलासपुर एक्सप्रेस को रायपुर या कोरबा तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वैगनों की उपलब्धता

5151. श्री चिन्ता मणि पाणीग्रही : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1981 को रेल विभाग के पास कितने वैगन उपलब्ध थे ;

(ख) उन वैगनों की संख्या कितनी है जो खराब और पुराने हो गए हैं और उनमें से कितने वैगनों की मरम्मत की जा सकती है ; और

(ग) उनकी मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और सरकार का विचार खराब तथा मरम्मत न किए जाने योग्य वैगनों का निपटान किस तरह करने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) 28 फरवरी, 1981 को रेलवे की बड़ी लाइन और मीटर लाइन प्रणालियों पर चोपहियों के हिसाब से 5,43,598 माल डिब्बे उपलब्ध थे।

(ख) आवधिक और ब्रेक डाउन मरम्मतों के लिए (कारखानों में मरम्मताधीन अथवा जिनकी मरम्मत की जानी है, दोनों सहित) निष्क्रिय माल डिब्बों (सामान्यतया इन्हें खराब डिब्बे कहा जाता है) की संख्या 27,119 थी ये सभी खराब डिब्बे मरम्मत करने योग्य हैं।

28 फरवरी, 1981 को गतायु माल डिब्बों की संख्या 29677 थी। इन माल डिब्बों को तब तक सेवा में रखा जाता है जब तक इन्हें आयु-एवं-अवस्था के आधार पर बेकार घोषित नहीं कर दिया जाता।

(ग) माल डिब्बों को निर्धारित तथा गैर निर्धारित मरम्मतों के लिए समय-समय पर खराब माल डिब्बों के रूप में चिन्हित कर दिया जाता है और मरम्मत साइडिंगों और कारखानों में इन्हें ठीक करके मुक्त कर दिया जाता है। खराब माल डिब्बों की संख्या कम करने के लिए मरम्मत लाइनों में मरम्मत और आवधिक ओवरहाल तथा मरम्मत कारखानों में अन्य मरम्मतों की क्षमता बढ़ा दी गयी है। केवल उन्हीं खराब माल डिब्बों को, जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, नकारा घोषित किया जाता है तथा बेच दिया जाता है। सभी गतायु माल डिब्बों का भली भांति निरीक्षण किया जाता हैं और उन्हें आयु-एवं-अवस्था के आधार पर नकारा घोषित किया जाता है और अन्य माल डिब्बों में इस्तेमाल में आने वाले मरम्मत योग्य पुर्जों को हटा लेने के बाद नीलामी करके बेच दिया जाता है।

रेफ्रीजिरेटिड माल डिब्बा

5152. श्री शिव कुमार सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य की शीघ्र नष्ट होने वाली मदों की शीघ्र और सुरक्षित ढुलाई हेतु रेफ्रीजिरेटिड माल डिब्बों की व्यवस्था करने का सरकार का कोई कार्यक्रम है;

(ख) क्या सरकार ने आन्तरिक स्थानों को केलों की ढुलाई हेतु रेफ्रीजिरेटिड माल डिब्बों की संख्या में वृद्धि की है ; और

(ग) यदि हां, तो देश में इस समय रेफ्रीजिरेटिड माल डिब्बों में प्रति दिन कितने केलों की ढुलाई होती हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मांस और मछली यातायात को ढोने के लिए कुछ वातानुकूलित यान पहले से ही कुछ रेलों पर चल रहे हैं । फिलहाल इनकी वर्तमान संख्या में बढ़ोत्तरी करने का कोई कार्यक्रम नहीं है ।

(ख) जी नहीं, केलों के यातायात की वातानुकूलित स्थिति में ढोना उपयुक्त नहीं पाया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली से महिला कर्मचारियों का स्थानांतरण

5153. श्री डूमरलाल बैठा : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, नई दिल्ली ने अभी हाल ही में पुरुष कर्मचारियों का स्थानान्तरण न करके कुछ महिला कर्मचारियों का, जिसमें अविवाहित लड़कियां और विधवायें आदि शामिल हैं, दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण कर दिया है ;

(ख) क्या ये महिला कर्मचारी निम्न श्रेणी लिपिक जैसे कम वेतन पाने वाली कर्मचारी हैं ;

(ग) क्या सरकार को प्रभावित महिलाओं की ओर से उनका स्थानान्तरण रद्द करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ हैं, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार समाज के कमजोर वर्गों के ऐसे कर्मचारियों का स्थानांतरण रोकने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करेगी, और यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां । हाल ही में नई दिल्ली के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से चार महिला कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है । लेकिन इनके साथ ही ग्यारह पुरुष कर्मचारियों को भी स्थानांतरण के आदेश दिए गये थे । इस प्रकार इस मामले में स्टाफ के पुरुष अथवा महिला सदस्यों को कोई वरीयता नहीं दी गयी थी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां । इन अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप, वास्तविक कठिनाई के कई मामलों में स्थानांतरण रोके भी गये थे ।

(घ) सरकार वास्तविक कठिनाई के मामलों पर निश्चय ही विचार करती है । लेकिन स्टाफ की सभी महिला कर्मचारियों को सामान्य और पूर्ण छूट देना जनहित में नहीं होगा और ऐसा करना भेदभावपूर्ण होगा ।

छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सुविधायें

5154. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं जुटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन ग्रामों में इस प्रकार की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत लाये जाने के लिए गोआ के कितने ग्राम चुने गये हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद): (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । सम्भवतया आशय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से है ।

(ग) और (घ) इस समय गोआ, दमण और दीप संघ शासित क्षेत्र में 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 63 उप-केन्द्र हैं । प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य 80-100 गांव और हर एक उप-केन्द्र 8-10 गांव के लिए होता है । छठी योजना के दौरान 85 और उप-केन्द्र खोलने का विचार है । छठी योजना के दौरान इस संघ शासित क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के [illegible] जन स्वास्थ्य रक्षक और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजनाओं को कार्यरूप देने के लिए [illegible] की व्यवस्था की गई है ।

मध्यप्रदेश की कोयला/कोक भट्ठों के लिए मांग

5151. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश राज्य द्वारा मांग किए गए कोयला/कोक वैगनों का केवल 50 प्रतिशत आबंटित कर रही है;

(ख) उन वैगनों की संख्या कितनी है जिनके लिए 1980 में निदेशक ट्रैफिक (कोयला), कलकत्ता को 'इन्डेंट' भेजे गए थे और आबंटित किए गए वैगनों की संख्या कितनी है,

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वैगनों में कटौती करने से वास्तविक प्रयोक्ता उपभोक्ता इकाइयों में उत्पादन और रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) कोयला कम्पनियों द्वारा राज्यवार मांग-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं।

(ग) और (घ) रेलें सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार विभिन्न राज्यों को कोयले के संचलन के लिए माल डिब्बों की सप्लाई कर रही हैं। चूंकि कोयले की समग्र उपलब्धता उसकी मांग से कम है और इस्पात कारखानों तथा बिजलीघरों, सीमेंट उद्योगों आदि को कोयले की सप्लाई अधिमान्यता के आधार पर की जा रही है, अतः अन्य उद्योगों को, सामान्यतः मांग के अनुरूप कोयले की पूरी मात्रा नहीं मिल पाती।

लोगों को धूम्रपान के विरुद्ध शिक्षित करने हेतु उपाय

5156. **डा० कर्ण सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ;

(ख) क्या सिगरेट तथा बीड़ी निर्माता सभी पैकों पर स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतावनी प्रकाशित करने के लिए बाध्य है ; और

(ग) यदि नहीं, तो लोगों को शिक्षित करने तथा इस वैधानिक चेतावनी को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने एक कानून अर्थात "सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का नियमन) अधिनियम, 1975 बनाया है जो पहली अप्रैल, 1976 से लागू है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति सिगरेटों का उत्पादन, प्रदाय अथवा वितरण तब तक नहीं

करेगा जब तक उसके द्वारा तैयार की गई, प्रदाय की गई और वितरित की गई सिगरेटों के प्रत्येक पैकेज अथवा इसके लेबल पर यह चेतावनी न छपी हो कि "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" और कोई भी व्यक्ति सिगरेट का व्यवसाय अथवा व्यापार तब तक नहीं करेगा जब तक उसके द्वारा वितरित किए गए, बेचे गए अथवा सप्लाई किए गए प्रत्येक पैकेज अथवा इसके लेबल पर उक्त चेतावनी न छपी हो।

अब तक ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे बीड़ी निर्माता बीड़ी के पैकेटों पर स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतावनी छापने के लिए संविधिक रूप से बाध्य हों।

(ग) सरकार ने धूम्रपान को हतोत्साहित करने, लोगों को शिक्षित करने तथा सांविधिक चेतावनी को लागू करने के लिए जो कदम उठाए है वे इस प्रकार है :-

(1) भारत सरकार ने "सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का नियमन) अधिनियम, 1975" राज्य सरकारों को भेज दिया है ताकि इसके विभिन्न उपबन्धों को लागू किया जा सके।

(2) बहुत से राज्यों ने नव युवकों के धूम्रपान पर और सिनेमाघरों बसों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर रोक लगाने के लिए कानून बना दिए हैं।

(3) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने प्रकाशन तथा जन प्रचार के जरिए धूम्रपान के खतरों के बारे में जन प्रचार अभियान आरम्भ कर दिया है। इस विषय पर फिल्में तैयार की गई है और वे सिनेमा घरों में दिखलाई जा रही है। केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने धूम्रपान और इससे होने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों के बारे में चार स्क्रिप्ट आकाशवाणी के सभी स्टेशनों और दूरदर्शन के सभी केन्द्रों को भेज दी है।

(4) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन नौवीं और दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार किया है जिससे धूम्रपान से होने वाले खतरों और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों से संबंधी विषय शामिल किया गया है।

(5) धूम्रपान पर और अधिक रोक लगाने के लिए सिगरेटों का उत्पादन करने और उनका विक्रय करने पर कर में और अधिक वृद्धि कर दी गई है।

(6) आकाशवाणी और दूरदर्शन ने अपने वाणिज्यक सेवाओं में सिगरेटों और तम्बाकू के अन्य उत्पादों के बारे में विज्ञापन स्वीकार न करने का निर्णय लिया है।

(7) इंडियन एअर लाइन्स ने विभिन्न हवाई जहाजों में "यहां धुम्रपान न करें" लागू कर दिया है।

भारत-बंगलादेश थल सीमा निर्धारण

5157. **श्री चित्त बसु :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलादेश और भारत की थल सीमा के निर्धारण के प्रश्न पर बंगला देश के साथ एक करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या इस करार को क्रियान्वित करने के बारे में बातचीत चल रही है ; और

(घ) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार से परामर्श किया गया है और उन्हें इस बातचीत के ब्यौरे के बारे में सूचित किया जा रहा है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) भारत और बंगलादेश के बीच भू-सीमा के अंकन और संबद्ध विषयों के संबंध में एक करार पर 16 मई, 1974 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार का मूल पाठ 22 जुलाई, 1974 को लोक सभा की मेज पर रखा गया था। इस करार के शीघ्र कार्यान्वियन के उद्देश्य से कुछ विशिष्ट उपाय निश्चित करने के संबंध में भारत और बंगलादेश के बीच बातचीत हुई है जिसमें सीमांकन कार्यक्रम तय करना और इन कामों के लिए एक व्यापक समयावधि निर्धारित करना भी शामिल है। इस करार में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि भारत पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में 'तीन बीघा' के पास का एक क्षेत्र निरन्तर पट्टे के आधार पर बंगलादेश को देगा ताकि दाहाग्राम को बंगला देश के पानबाड़ी मौजा (थाना पातग्राम) से जोड़ा जा सके। पट्टे की शर्तों पर इस समय बातचीत चल रही है।

(घ) जी हां।

दिल्ली परिवहन निदेशालय द्वारा ट्रकों के लिए जारी किए गए राष्ट्रीय परमिट

5158. **श्री धर्म दास शास्त्री :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के परिवहन निर्देशालय द्वारा वर्ष 1979-80 में ट्रकों के लिए कितने राष्ट्रीय परमिट /नार्थ जोन परमिट तथा अन्य परमिट जारी किए गए है,

(ख) कितने लोगों को ऐसे परमिट जारी किए गए है ;

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान उपयुक्त एजेंसियों को कितने परमिट जारी करने का विचार है और ये परमिट कब तक जारी किए जाने की संभावना है ; और

(घ) इस तरह के परमिट जारी करने का मानदण्ड तथा इस संबध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन की सूचना के अनुसार अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :—

राष्ट्रीय परमिट	—	5
उत्तर जोन परमिट	—	कुछ नहीं ।
पश्चिम जोन परमिट	—	कुछ नहीं ।

(ख) पांच ।

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान कोई ऐसे परमिट जारी नहीं किए जा रहे हैं। परन्तु वर्ष 1980-81 के दौरान 160 राष्ट्रीय परमिट तथा 400 राष्ट्रीय परमिटों का अतिरिक्त कोटा जारी किए जाने की संभावना है। वर्ष 1980-81 के दौरान 275 उत्तर जोन परमिट तथा 269 पश्चिमी जोन परमिट जारी किए जाने की संभावना है ।

(घ) ऐसे परमिटों को मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 तथा उसके अंतगर्त बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया जाता है ।

गुजरात में चिकित्सा सुविधाओं के लिए विशेष निधि

5159. श्री डा० पी० जदेजा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु निधियों के लिए कोई विशेष प्रावधान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है ; और

(ग) इस योजना से कितने लोगों के लाभान्वित होने की आशा है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विकासार्थ धन इस दृष्टि से दिया गया है कि छठी योजना की नीति और उद्देश्यों के अनुसार चिकित्सा और स्वास्थ्य परिचर्या की सेवाओं के विकास का बल शहरी क्षेत्रों से हटा कर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर मोड़ा जा सके ।

(ख) और (ग) योजनाओं के लिए धन का नियतन संपूर्ण राज्य के लिए किया जाता है, न कि किन्हीं क्षेत्र विशेष के लिए ।

भारतीय दुतावासों में कर्मचारियों की संख्या

5160. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में हमारे दुतावासों तथा उच्चायोगों में देश-वार कर्मचारियों की संख्या क्या है, प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य क्या सुविधाएं दी गई हैं ;

(ख) विदेशों में भारतीय दुतावासों तथा उच्चायोगों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सार्वजनिक समारोहों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दूतावासों के प्रचार व्यय का जनवरी, 1979 से जनवरी, 1981 तक देश-वार ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) इस सम्बन्ध में सामान्य सूचना विदेश मंत्रालय के 1981-82 वर्ष की अनुदान-माँग में दी गई है, जिसकी प्रति संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है । प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के वेतन, भारत-आस्थानी और स्थानीय कर्मचारियों के वेतनमान तथा अन्य भत्ते आदि प्रत्येक देश में अलग-अलग होते हैं और इसी प्रकार विभिन्न देशों में दी जाने वाली अन्य सुविधाएं भी अलग-अलग होती हैं तथा समय-समय पर इसमें संशोधन किया जाता है । ये सुविधाएं स्थानीय निर्वाह खर्च, श्रमिक-अधिनियम पर आधारित होती है जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान में फर्क होता है ।

(ख) विशेष परिस्थितियों को छोड़कर विदेश स्थित राजनयिकमिशन चाहे वे हमारे देश के हों अथवा अन्य देशों के, सामान्यत: सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं करते हैं । उनके सभी स्वागत-समारोह प्रीति भोज और अन्य समारोह सामान्यत: निजी तौर पर आयोजित किए जाते हैं । लेकिन 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारे अधिकांश मिशन स्थानीय अपेक्षा और स्थितियों को ध्यान में रखकर स्वागत समारोह तथा अन्य समारोह आयोजित करते हैं ।

(ग) चूंकि वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के अनुसार हमारे लेखे रखे जाते हैं इसलिए 1979-80 और 1980-81 के वित्तीय वर्षों का प्रचार-व्यय विवरण के रूप में संलग्न है और कैलेन्डर वर्षों के अनुसार सही-सही आंकड़े देना संभव नहीं है ।

विवरण

देश	मिशन	(रुपये-हजारों में) व्यय 1979-80	व्यय 1980-81
1	2	3	4
1. अफगानिस्तान	भारत का राजदूतावास, काबुल	23.7	18.0
	भारत का प्रधान कोंसलावास, जलालाबाद	—	—
	भारत का प्रधान कोंसलावास कन्धार	—	—
2. अल्जीरिया	अल्जीयर्स (भारत का राजदूतावास)	9.5	15.0
3. अर्जेन्टीना	भारत का राजदूतावास, बुआनोस आयरेस	100.0	19.0
4. आस्ट्रेलिया	भारत का हाई कमीशन, कैनबरा	85.0	97.5
	भारत का प्रधान, कोंसलावास, सिडनी	—	—
5. आस्ट्रिया	भारत का राजदूतास, वियना	40.0	52.0
6. बहरीन	भारत का राजदूतावास बहरीन	5.5	19.0
7. बंगलादेश	भारत का हाई कमीशन, ढाका	300.0	353.0
	भारत का सहायक हाई कमीशन, चिटगांव	5.0	6 0
	भारत का सहायक हाई कमीशन, राजशाही	13.0	13.0
8. बेल्जियम	भारत का राजदूतावास ब्रसल्स	80.0	50.0
9. भूटान	भारत का राजदूतावास, थिम्पू	20.0	24.5
	भारतीय संपर्क कार्यालय, कुन्ट-शिलिंग	0.5	0.5

1	2	3	4
10. ब्राजील	भारत का राजदूतावास, ब्राजीलिया	84.0	126.0
11. बल्गारिया	भारत का राजदूतावास, सोफिया	15.0	13.0
12. बर्मा	भारत का राजदूतावास, रंगून	66.0	70.0
	भारत का प्रधान कौंसलावास, मांडले	3.0	—
13. कनाडा	भारत का हाई कमीशन, ओटावा	106.5	108.0
	भारत का प्रधान कौंसलावास, टोरन्टो	—	—
14. चिली	भारत का राजदूतावास, सान्तियागो	40.0	60.0
15. चीन	भारत का राजदूतावास, पीजिंग (पीकिंग)	5.5	50.0
16. कोलम्बिया	भारत का राजदूतावास, बोगोटा	10.0	10.0
17. क्यूबा	भारत का राजदूतावास, हवाना	5.0	11.5
18. चिकोस्लोवाकिया	भारत का राजदूतावास, प्राग	18.0	40.0
19. डेनमार्क	भारत का राजदूतावास कोपन हेगन	15.0	15.0
20. मिस्र अरब गणराज्य	भारत का राजदूतावास, काहिरा	215.9	244.2
	भारत का प्रधान कौंसलावास, पोर्ट सईद	—	—
21. इथियोपिया	भारत का राजदूतावास, अदीस अबाबा	56.0	52.0
22. फीजी	भारत का हाई कमीशन, सूवा	50.0	70.0
23. फिनलैंड	भारत का राजदूतावास, हेलिसकी	25.0	25.0
24. फ्रान्स	भारत का राजदूतावास, पेरिस	185.3	245.0

1	2	3	4
25. जर्मनी (जर्मन संघीय गणराज्य)	भारत का राजदूतावास, पान	150.0	190.0
	भारत का प्रधान कोंसलावास, वर्लिन	—	—
	भारत का प्रधान कोंसलावास, हेम्बर्ग	10.0	15.0
26. जर्मनी (जर्मन जनवादी गणराज्य)	भारत का राजदूतावास, वर्लिन (जी० डी० आर०)	18.0	14.0
27. घाना	भारत का हाई कमीशन, अकरा	70.0	70.0
28. यूनान	भारत का राजदूतावास, एथेन्स	35.4	27.5
29. गिनी	भारत का राजदूतावास, कोनाक्री	3.5	7.0
30. गुयाना	भारत का हाई कमीशन, जार्जटाऊन	20.0	20.0
31. हांगकांग	भारत का कमीशन, हांगकांग	21.5	34.0
32. हंगरी	भारत का राजदूतावास, बूडापेस्ट	15.0	12.2
33. इंडोनेशिया	भारत का राजदूतावास, जकार्ता	40.0	53.0
	भारत का प्रधान कोंसलावास, मेदान	6.0	6.0
34. ईरान	भारत का राजदूतावास, तेहरान	72.4	81.5
	भारत का प्रधान कोंसलावास, खुर्रमशहर	1.0	1.2
	भारत का प्रधान कोंसलावास, जाहीदान	4.0	3.0
35. इराक	भारत का राजदूतावास, बगदाद	53.7	72.0
	भारत का प्रधान कोंसलाबास, बसरा	—	—

1	2	3	4
36. आयरलैंड	भारत का राजदूतावास, बरलिन	—	9.0
37. इटली	भारत का राजदूतावास, रोम	50.0	50'0
38. आइवरी कोस्ट	भारत का राजदूतावास, आबिदजान	—	2 0
39. जमाइका	भारत का हाई कमीशन, किंग्स्टन	10.0	11.0
40. जापान	भारत का राजदूतावास, टोकियो	73.0	132.0
	भारत का प्रधान कौंसलावास, कोबे	0.5	0.4
41. जोर्डन	भारत का राजदूतावास अम्मान	16.0	28.0
42. कीनिया	भारत का हाई कमीशन, नैरोबी	136.0	225.0
	भारत का कमीशन, मोम्बासा	—	—
43. कोरिया (लोकतांत्रिक जन गणराज्य)	भारत का राजदूतावास, फांगयांग	—	7.0
44. कोरिया गणराज्य	भारत का राजदूतावास, सीओल	35.3	27.0
45. कुवैत	भारत का राजदूतावास, कुवैत	43.0	45.7
46. लाओस	भारत का राजदूतावास, वियन्त्यान	2.0	4.0
47. लेबनान	भारत का राजदूतावास, बेरूत	79.0	54.0
48. लीबिया	भारत का राजदूतावास, त्रिपोली	25.0	20.0
49. मानामासी	भारत का राजदूतावास, एनतनानरीवो	6.0	12.0
50. मलावी	भारत का हाई कमीशन, लिलांग्वे	16.0	23.0
51. मलेशिया	भारत का हाई कमीशन, कुआला लम्पुर	100.0	115.0
52. मालदीव	भारत का राजदूतावास, माले	4.5	10.0
53. मारीशस	भारत का हाई कमीशन, पोर्ट लुई	66.0	75.0

1	2	3	4
54. मैक्सिको	भारत का राजदूतावास, मेक्सिको सिटी	20.0	23.0
55. मंगोलिया	भारत का राजदूतावास, उलन बतौर	33 0	32.0
56. मोरक्को	भारत का राजदूतावास, रबात	34.1	44.9
57. मोजाम्बीक	भारत का राजदूतावास, मपूतो	5.0	9.7
58. नेपाल	भारत का राजदूतावास, काठमण्डू	160.0	236.0
	भारतीय सहयोग मिशन, काठमण्डू	—	—
59. नीदरलैंड	भारत का राजदूतावास, द हेग	55.0	40.0
60. न्यूजीलैंड	भारत का हाई कमीशन, वेलिंगटन	3.5	5.0
61. नाइजीरिया	भारत का हाई कमीशन, लागोस	50.0	60.0
62. नार्वे	भारत का राजदूतावास, ओस्लो	39.0	34.5
63. ओमान	भारत का राजदूतावास, मस्कत	10.0	18.0
64. पाकिस्तान	भारत का राजदूतावास, इस्लामाबाद	15.0	82.0
	भारत का प्रधान कौंसलावास, कराची	9.0	46.0
65. पनामा	भारत का राजदूतावास, पनामा	10.0	40.0
66. पेरू	भारत का राजदूतावास, लीव्या	20.0	34.0
67. फिलिपीन्स	भारत का राजदूतावास, मनीला	35.0	35.0
68. पोलैंड	भारत का राजदूतावास, वार्सा	—	2.0
69. पुर्तगाल	भारत का राजदूतावास, लिस्बन	10.0	15.0
70. कातार	भारत का राजदूतावास, दोहा	20.0	13.0
71. रोडेशिया (जिम्बाब्वे)	भारत का हाई कमीशन, सालसबरी	—	—

72. रोमानिया	भारत का राजदूतावास, बुखारेस्ट	34.0	36.0
73. सऊदी अरब	भारत का राजदूतावास, जेद्दाह	45.0	50.0
74. सेनेगल	भारत का राजदूतावास, डकार	5.0	5.0
75. सिंगापुर	भारत का हाई कमीशन, सिंगापुर	25.0	26 0
76. सोमालिया	भारत का राजदूतावास, मोगादिशू	12.0	10.0
77. स्पेन	भारत का राजदूतावास, मेड्रिड	12.0	12.0
78. श्रीलंका	भारत का हाई कमीशन, कोलम्बो	17.0	20.0
	भारत का सहायक हाई कमीशन, कैन्डी	3.3	5.2
79. सूडान	भारत का राजदूतावास, खार्तूम	15.0	20.0
80. सूरीनाम	भारत का राजदूतावास, पारामारीमो	1.6	5.0
81. स्वीडन	भारत का राजदूतावास, स्टाकहोम	30.0	30.0
82. स्विटजरलैंड	भारत का राजदूतावास, बर्न	44.0	49.0
	भारत का स्थायी मिशन, जेनेवा	200.0	180.0
83. सीरियाई अरब गणराज्य	भारत का राजदूतावास, दमिश्क	135.0	135.0
84. तन्जानिया	भारत का हाई कमीशन, दार-ए-सलाम	40.0	40.0
	भारत का प्रधान कोंसलावास, टन्जीबार	2.3	5.8
85. थाईलैंड	भारत का राजदूतावास, बैंगकाक	80.0	79.5
	भारत का प्रधान कोंसलावास, चियांगगाइ	2.0	2.0
86. त्रिनिदाद और तोबागो	भारत का हाई कमीशन, पोर्ट आफ स्पेन	60.0	50.0

1	2	3	4
87. तूनीशिया	भारत का राजदूतावास, तूनिस	17.2	11.0
88. तुर्की	भारत का राजदूतावास अंकारा	50.5	72.0
89. उगांडा	भारत का हाई कमीशन, कम्फाला	35.0	25.0
90. संयुक्त अरब अमीरात	भारत का राजदूतावास, आबूधाबी	12.0	35.0
	भारत का कोंसलावास, दुबई	10.0	46.0
91. यूनाइटेड किंगडम	भारत का हाई कमीशन, लन्दन	1847.2	2094.0
	भारत का सहायक हाई कमीशन, दुरमिघम	—	—
	आपूर्ति खंड, लन्दन	—	—
92. संयुक्त राज्य अमरीका			
	भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन.....	2222.5	2459.0
	भारत का प्रधान कोंसलावास, शिकागो.....	5.0	5.0
	भारत प्रधान कोंसलावास, न्यूयार्क.....	25.0	40.0
	भारत का प्रधान कोंसलावास, सान फ्रांसिस्को.....	49.0	55.0
	भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क	50.0	50.0
	आपूर्ति खंड, वाशिंगटन.....	—	—
	मुख्य लेखा अधिकारी, वाशिंगटन.....	—	—
93. सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ	भारत का राजदूतावास, मास्को	448.0	500.0
	भारत का प्रधान कोंसलावास, ओडेसा	—	—
94. वेनेजुएला	भारत का राजदूतावास, काराकस	5.0	2.0
95. वियतनाम समाजवादी गणराज्य	भारत का राजदूतावास, हनोई	10.2	16.0
96. यमन अरब गणराज्य	भारत का राजदूतावास, झाना	—	—

1	2	3	4
97. यमन-यमन लोक-तांत्रिक जन-गणराज्य	भारत का राजदूतावास, अदन	8.0	50.0
98. यूगोस्लाविया	भारत का राजदूतावास, बेल्ग्राद	80.0	60.0
99. बाईर	भारत का राजदूतावास, किन्शासा	15.0	43.0
100. जाम्बिया	भारत का हाई कमीशन, लुसाका	30.0	38.0

पश्चिम रेलवे पर लूटमार की घटनायें

5161. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से फरवरी 1981, तक पश्चिम रेलवे पर डकैती और लूटपाट की कितनी घटनायें हुई हैं और ये घटनायें कब तथा कहां-कहां पर हुई ;

(ख) प्रत्येक रेल डकैती में यात्रियों की जान व माल की कितनी क्षति हुई ;

(ग) क्या इनमें से किसी घटना का कोई सुराग मिला है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या रेलवे द्वारा पीड़ितों को सहायता दी गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या रेल यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कोई कारगर उपाय किए गए हैं?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जनवरी, 1980 से फरवरी 1981 की अवधि के दौरान पश्चिम रेलवे में डकैती के 10 मामलों और लूटमार के 25 मामलों की रिपोर्ट मिली थी । एक अनुबन्ध संलग्न है जिसमें विस्तृत ब्यौरा विवरण के रूप में दिया गया है ।

(घ) जी नहीं । ऐसे मामलों में कोई मुआवजा स्वीकार्य नहीं है ।

(ङ) चलती गाड़ियों में ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं । राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा रात्रि की गाड़ियों का मार्गरक्षण, स्टेशनों/प्लेटफार्मों/प्रतीक्षालयों में बीट गश्त, रात्रि की गाड़ियों की पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा जांच जैसे निवारक उपाय किए गए हैं । 22.00 बजे से 06.00 बजे के बीच सवारी डिब्बों के गलियारेदार दरवाजे बन्द रखे जाते हैं । चल टिकट परीक्षकों/परिचरों/कंडक्टरों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे सतर्क रहें और आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों को न घुसने दें ।

विवरण

जनवरी 1980 से फरवरी 1981 के बीच डकैतियों और लूटपाट की घटनाओं के घटने के समय और स्थान तथा उनके सूचित किए जाने, जन हानि, यात्रियों से लूटे गए सामान और गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में ब्यौरे का विवरण

डकैती के मामले

क्रम सं०	घटना की तारीख और समय	घटना का स्थान (स्टेशनों के बीच)	जन हानि		यात्रियों की सम्पत्ति (रु० में)	बरामद की गई सम्पत्ति	गिरफ्तारियों की संख्या	पुलिस जांच-पड़ताल का परिणाम
			मारे गए	घायल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	11-2-80 1.31 बजे	बांद्रा और सांताक्रुज	—	1	2550	1460	4	अभी भी जांच-पड़ताल जारी है।
2.	24-5-80 13.53 से 13.55	गुना होम और आउटर सिगनल	—	—	3050	—	—	आगे जांच-पड़ताल जारी है।
3.	29-6-80 4.40 बजे	बोरीवली और जोगेश्वरी	—	2	11134	—	5	अभी भी जाँच-पड़ताल जारी है।
4.	27-7-80 21.30 बजे	इन्दौर और मऊ	—	—	5000	—	—	आगे जांच-पड़ताल जारी है।
5.	14-9-80 1.45 बजे से 2.10 बजे तक	गौतमपुरा रोड से फतेहाबाद	—	2	29330	—	—	अभी भी जांच-पड़ताल जारी है।

1	2		4	4	5	6	7	8	9
6.	14-9-80	7.15 बजे	खरसालिया और मारिया रोड	—	—	8780	—	—	अन्तिम रिपोर्ट 30-12-80 को प्रस्तुत कर दी गई।
7.	18-11-80	22.50 बजे	सांताक्रूज और विले पार्ले	—	—	5430	3513	5	अभी जांच-पड़ताल जारी है।
8.	23-11-80	1.30 बजे	बोन्डी और अनास	—	—	1530	1200	4	आगे जांच-पड़ताल जारी है।
9.	24-1-81	20.00 बजे	नयगाव और भायंदर	—	—	5300	—	—	अभी भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।
10.	27-2-81	26.30 बजे	खाओरा और बरालिया चौरयासी	1	11	60,000	—	—	अभी भी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।
	जोड़			1	16	132154	6173	18	
						लूटपाट के मामले			
1.	4-1-80		नवलगढ़ दंडलोद मुकुंदगढ़	—	—	30000	—	—	जांच-पड़ताल जारी है।
2.	18-1-80	20.55 बजे	अंतोली सलाड	—	—	1615	—	—	अन्तिम रिपोर्ट 4-5-80 को प्रस्तुत की गई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	26-1-80 20.25 से 20.35 बजे के बीच	बम्बई सेण्ट्रल और महालक्ष्मी	—	—	1800	1200	2	मामला न्यायाधीन है।
4.	30-1-80 0.10 बजे	गोरेगांव और जोगेश्वरी	—	—	101	—	—	अन्तिम रिपोर्ट 20-7-80 को प्रस्तुत की गई।
5.	4-2-80 10.40 बजे	खंडवा और अजंडी	—	—	120	—	—	जांच-पड़ताल जारी है।
6.	11-2-80 21.45 बजे	शोभासन और मेहसाना	—	—	2941	—	2	आगे पुलिस की जांच-पड़ताल चल रही है।
7.	9-3-80 21.15 बजे	बलोदाताकुम एवं फ्लैग एवं अजोंद	—	—	3000	—	—	यथोक्त।
8.	31-3-80 19.40 बजे	अंधेरी स्टेशन से गुजरने के बाद	—	—	2010	—	—	अन्तिम रिपोर्ट 20-7-80 को प्रस्तुत की गई।
9.	9-4-80	बारेजड़ी स्टेशन	—	—	400	—	—	अन्तिम रिपोर्ट 30-4-80 को प्रस्तुत की गई।
10.	26-4-80 15.49 से 15.58 बजे	कांदीवली और बोरीवली	—	—	950	750	1	मामला न्यायाधीन है।

1	2		3	4	5	6	7	8	9
11.	28-4-80		बांद्रा स्टेशन पर	—	—	2700	—	—	अन्तिम रिपोर्ट 25-8-80 को प्रस्तुत की गई।
12.	8-5-80	17.45 से 17.50	कांदीवली और बोरीवली	—	—	6000	6000	1	मामला न्यायाधीन है।
13.	27-6-80	21.40 बजे	पालघर और बोरीवली	—	—	1700	—	2	जांच-पड़ताल चल रही है।
14.	15-7-80		सांताक्रूज में	—	1	4000	—	4	यथोक्त।
15.	27-7-80	22.05 से 22.10 बजे के बीच	लीलापुर रोड और एलीफिन्टिन रोड	—	—	760	500	3	न्यायाधीन।
16.	29-7-80	12.30 से 13.50 बजे	रेवाड़ी और पड़ीसल	—	—	5560	—	—	जांच-पड़ताल जारी है।
17.	24-8-80		बोरीवली और कांदीवली	—	—	3196	—	—	न्यायाधीन।
18.	18-10-80	22.30 बजे	द्रंडलोद मुकुंदगढ़ और नुआ	—	—	9025	9025	2	न्यायाधीन।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	23-10-80 4.45 बजे	बोरीवली और कांदीवली	—	—	1410	—	—	जांच-पड़ताल चल रही है।
20.	20-11-80 21.45 बजे	काली सिंध रेलवे स्टेशन	—	1	200	15	—	यथोक्त।
21.	24-12-80	संजाण और उमरगांव	—	—	600	—	2	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 169 के अंतर्गत निर्मुक्त और भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 114 के अन्तर्गत मामला समाप्त कर दिया गया।
22.	31-12-80 5.34 बजे	चर्चगेट और बोरीवली	—	—	1455	1455	3	न्यायाधीन।
23.	8-2-81 18.10 बजे	बांद्रा और सांताक्रुज	—	—	8000	—	—	जांच-पड़ताल चल रही है।
24.	8-2-81 8.10 बजे	मीरा रोड	—	—	150	—	1	यथोक्त।
25.	14-2-81 19.30 बजे	गोरेगांव और मलाड	—	—	—	—	—	यथोक्त।
		जोड़	—	2	102193	18945	23	

अस्थायी रेल कर्मचारीयों को बोनस

5162. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकता सम्बद्ध बोनस अस्थायी रेल कर्मचारियों को भी दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में उनको विशेष रूप से रेलवे के यातायात विभागों के अस्थायी कर्मचारियों को कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मलेरिया के प्रतिरक्षा विज्ञान तथा रसायनी चिकित्सा पर अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी

5163. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लखनऊ में मलेरिया, फाइलेरिया रोग और लोशमेनिया रोग के प्रतिरक्षा विज्ञान और रसायनी चिकित्सा पर एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से 18 से 21 फरवरी 1981 तक केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में मलेरिया, फाइलेरिया और लोशमेनिया रोग पर एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया था।

(ख) इस गोष्ठी में कोई औपचारिक सिफारिशें नहीं की गई हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

पकौड रेल क्रासिंग पर ओवरब्रिज

5164. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहिबगंज लूप लाइन पर पकौड रेलवे क्रासिंग गेट पर एक ओवरब्रिज के निर्माण की मांग 1971 से की जा रही है ;

(ख) क्या बिहार सरकार ने ओवरब्रिज के निर्माण के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है और वह इस सम्बन्ध में आवश्यक उत्तरदायित्व निभाने के लिए भी सहमत हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस ओवरब्रिज का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) पकौड़ रेलवे स्टेशन पर मौजूदा समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की मांग की जाती रही है । यद्यपि बिहार सरकार ने अपनी प्राथमिकता सूची में इस कार्य को शामिल किया है, लेकिन इस सम्बन्ध में राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा वर्तमान नियमों के अनुसार लागत का लगभग 50% खर्च वहन करने के वचन के साथ कोई ठोस प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है । इस सम्बन्ध में जैसे ही राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण से ठोस प्रस्ताव प्राप्त होगा, उस पर शीघ्रता से विचार किया जाएगा ।

वाहनों के सम्बन्ध में टोकन टैक्स की वसूली

5165. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली का राज्य परिवहन प्राधिकरण उसके पास पंजीकृत सभी वाहनों के टोकन टैक्स की वसूली करने में असमर्थ है और इससे लाखों रुपये की चोरी होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजीकृत प्रत्येक वाहन संबंधी फाइलें अधूरी हैं जिसके फलस्वरूप कर की चोरी करना आसान हो जाता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक सुधार विंग के विशेषज्ञों का एक दल ने दिल्ली प्रशासन के परिवहन निदेशालय के कार्यकरण का अध्ययन किया था और गत दो वर्ष पूर्व अपनी सिफारिश की थी किन्तु उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया गया ; और

(घ) यदि हाँ, तो कर के छिपाये जाने को रोकने तथा परिवहन निदेशालय के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार का अब क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन की सूचना के अनुसार गाड़ियों के टैक्स वसूल करने की कुछ फाइलों पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है जबकि बहुत से मामलों में रिकार्डों को अभी नियमित करना बाकि है ।

(ग) प्रशासनिक सुधार पक्ष की अध्ययन रिपोर्ट की कुछ एक सिफारिशों को दिल्ली प्रशासन द्वारा पहले ही लागू कर दिया गया है।

(घ) दिल्ली प्रशासन की सूचना के अनुसार निम्नलिखित :—

(1) दिल्ली प्रशासन द्वारा विशेष टैक्स टोकन योजना जारी की गयी है,

(2) टैक्स वसूली सैल को और मजबूत किया गया है तथा रिकार्डों को अद्यतन किया जा रहा है।

(3) निदेशालय के रिकार्ड को संगतीकृत करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

भारतीय जहाजरानी निगम के विभिन्न पोतों द्वारा कमाया गया और उठाया गया लाभ और हानि

5166. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि भारतीय जहाजरानी निगम के बल्क कैरियरों, टैंकर, सामान्य माल, कन्टेनर डिविजन और यात्री सेवा से कुल कितना लाभ और हानि हुई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : पिछले तीन वर्षों में भारतीय नौवहन निगम को अपने जहाजों से जो लाभ व हानि हुई उसकी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है :—

विवरण

(लाख रु० में)

ब्यौरा	1978-79		1979-80		1980-81	
	जहाजों की सं०	निवल लाभ	जहाजों की सं०	निवल लाभ	जहाजों की सं०	निवल लाभ
1	2		3		4	
लाईनर जहाज	76 (—)	1478.35	73 (+)	116.64	81 (+)	598.92
यात्री जहाज	1 (—)	61.85	1 (—)	45.73	1 (—)	27.98
पशु ले जाने वाला जहाज	1 (—)	87.55	1 (—)	64.88	1	—

1	2	3	4
तटीय और पड़ोसी देशों को जहाज सेवाएं	3 (—) 77.25	3 (—) 76.91	3 (—) 55.28
बी.एल.सी.सी. जहाज	2 (—) 905.45	2 (—) 1084.13	2 (—) 1177.40
टैंकर	21 (+) 862.16	21 (+) 592.75	21 (+) 1033.53
बल्क कैरियर्स	20 (—) 594.82	20 (+) 913.70	20 (+) 2025.36
कम्बीनेशन	12 (—) 1333.84	12 (—) 825.31	12 (—) 752.92
	(—) 3676.95	(—) 473.87	(+) 1644.23
सरकारी हिसाब में चलने वाले जहाजों पर घाटा जिनकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई	7 (—) 124.50	7 (—) 160.36	7 (—) 734.08
सकल योग	143 (—) 3801.45	140 (—) 634.23	148 (+) 910.15

(रुपये करोड़)

	1978-79	1979-80	1980-81
निवल परिणाम	(—) 38.01	(—) 6.34	(+) 9.10
पिछले वर्ष के आकस्मिक व्यय प्रावधानों, कर आदि का समायोजन	(+) 1.00	(+) 4.49	(+) 3.04
लाभ-हानि लेखे के अनुसार निवल परिणाम	(—) 37.01	(—) 1.85	(+) 12.14 (अनुमानित लाभ)

पुरानी चिकित्सा प्रणाली के स्थान पर बहुऔषधीय चिकित्सा प्रणाली

5167. डा० बसन्त कुमार पण्डित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टी० बी० अनुसंधान केन्द्र में यह सिद्ध हो चुका है कि पुरानी चिकित्सा निष्प्रभावी हो गई है और इसे मल्टी-ड्रग चिकित्सा में बदला जाना चाहिए; और

(ख) (एक) रोकथाम उपायों (दो) अल्पावधि उपचार, (तीन) दीर्घावधि चिकित्सा (चार) बी० सी० जी० टीकों के लिए लक्ष्य, और (पांच) किसी अन्य उपाय के बारे में सरकार की सामान्य नीति क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) नहीं। भारतीय आयुविज्ञान परिषद के क्षय रोग अनुसंधान केन्द्र, मद्रास में जो बहुऔषधि चिकित्सा पर अध्ययन किया जा रहा है, वह अभी भी जांच पड़ताल की अवस्था में है।

(ख) (1) शिशुओं को बी० सी० जी० टीका लगाना जारी रखा जाना है।

(2) और (3) वर्तमान नीति यह है कि 12 महीने की अवधि के मौजूदा मानक औषधि विधानों को जारी रखा जाए। क्षयरोग अनुसंधान केन्द्र, मद्रास तथा देश के अन्य केन्द्रों में किए जा रहे परीक्षणों के अन्तिम परिणाम ज्ञात हो जाने तथा क्षेत्रीय स्थितियों में तथा समान घटकों में उनकी अनुकूलता का भी अध्ययन कर लेने के बाद रसायनिक चिकित्सा विधानों के अल्पकालिक पाठ्यक्रम को आरम्भ करने के बारे में विचार किया जाएगा।

(4) यह निश्चित किया गया है कि रोग क्षयीकरण के विस्तारित कार्यक्रम के अंग के रूप में बी. सी. जी. का टीका एक वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को लगाया जाए।

(5) क्षय रोग की समस्या, इसके उत्पन्न होने और फैलने के कारणों, इस रोग की ठीक होने वाली किस्म तथा इस रोग के निदान, उपचार और रोकथाम करने में समाज की भूमिका के बारे में लोगों को जानकारी देने की दिशा में गहन स्वास्थ्य शिक्षा इस रोग की रोकथाम करने में काफी मदद करती है।

कुर्माडांगा हाल्ट

5168. श्री गदाधर साहा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उनके मन्त्रालय में 'कुर्माडांगा हाल्ट' का दर्जा बढ़ाकर इसे एक सम्पूर्ण रेलवे स्टेशन बना देने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और उसके बारे में आवश्यक जांच कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त हाल्ट का दर्जा बढ़ाकर उसे एक सम्पूर्ण स्टेशन बना देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) करमाडांगा हाल्ट को पूर्ण /फ्लैग स्टेशन में बदलने के प्रस्ताव की जांच की गई है लेकिन इसे औचित्य पूर्ण नहीं पाया गया ।

गुजरात में मलेरिया से हुई मौतें

5169. श्री छीतूभाई गामित : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 से 1980 तक की अवधि में गुजरात में मलेरिया के रोगियों की संख्या कितनी थी और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात में मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस रोग पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) वर्ष 1978 से 1980 तक की अवधि में गुजरात में मलेरिया के रोगियों और मलेरिया से मरे व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	जांची गई रक्त स्लाइडों की संख्या	मलेरिया के पाजीटिव रोगी	जो स्लाइडें पाजीटिव पाई गई उनकी दर	मृत्यु
1978	36,51,316	3,99,254	10 98	शून्य
1979	35,33,528	3,61,119	10.22	शून्य
1980 (अनन्तिम)	48,73,472	4,03,718	8.28	शून्य

(ख) 1980 के दौरान गुजरात में मलेरिया के पाजीटिव रोगियों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है । ऐसा मुख्यतः मलेरिया के रोगियों की अच्छी निगरानी के कारण हुआ है जिसके फल-स्वरूप जांची गई रक्त स्लाइडों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है । वस्तुतः पहले वर्षों की तुलना में 1980 में पाजीटिव पाई गई स्लाइडों की दर (अर्थात पाजीटिव पाए गए रोगियों के अनुपात) में कमी आई है ।

(ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की संशोधित योजना को गुजरात में कार्यान्वित किया जा रहा है । इसके अलावा, इस स्थिति का सामना करने के लिए गुजरात में निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं :—

(1) 1980 में इस राज्य में कीटनाशी दवाइयों के छिड़काव के लिए 2500 मीट्रिक टन मलेथियन 50 प्रतिशत डब्ल्यु. डी. पी. तथा 17.62 मीट्रिक टन डी. डी. टी. 75 प्रतिशत डब्ल्यु. डी. पी. के विशेष आयात की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को अपनी बाकी की आवश्यकता स्वदेशी बाजार से खरीद कर पूरा कर लेने का अधिकार दे दिया गया था। 1981 के लिए भी डी. डी. टी. 75 प्रतिशत डब्ल्यु. डी. पी. के आयात की व्यवस्था कर दी गई है और राज्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि मलेरियन/बी. एच. सी. की आवश्यक मात्रा स्वदेशी बाजार से खरीद ली जाए।

(2) 1980 के दौरान इस राज्य में किए गए छिड़काव कार्य का विशेषज्ञ भेजकर विशेष सर्वेक्षण कराया गया था ताकि इसके अधिक कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

(3) गुजरात के जिलों में पी. फाल्सीपेरम किस्म के मलेरिया को अधिक फैलने से रोकने के लिए गुजरात के चुनींदा जिलों में पी. फाल्सीपेरम रोकथाम कार्यक्रम को लागू करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को हाल में दिए गए निर्देश

5170. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकारों को हाल में कोई निर्देश जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बो० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) इस विषय पर प्रधान मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मन्त्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों को जो पत्र लिखे हैं, उनकी एक-एक प्रति संलग्न है। (ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी०—2219/81)।

रेल दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को दिया गया मुआवजा

5171. **श्री राम अवध :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 में रेल दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजे के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 और समय-समय पर संशोधित रेलवे दुर्घटना (क्षतिपूर्ति) नियम 1950 के प्रावधानों के अन्तर्गत रेल दुर्घटनाओं के शिकार यात्रियों को रेलें क्षतिपूर्ति का भुगतान करती हैं। मामूली रेल दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावों के निर्णय राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पदेन दावा आयुक्त द्वारा और गम्भीर रेल दुर्घटनाओं से उत्पन्न दावों का निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत तदर्थ दावा आयुक्त द्वारा पूरी अदालती प्रक्रिया के बाद किए जाते हैं। वर्ष 1980-81 (28 फरवरी 81 तक) में इन अदालतों द्वारा निर्णित मामलों में क्षतिपूर्ति के रूप में 5,00,000/- रु० की राशि का भुगतान किया गया है।

जोधपुर डिवीजन का पश्चिम रेलवे में विलय

5172. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के जोधपुर डिवीजन का पश्चिम रेलवे में विलय की मांग लेकर एक प्रस्ताव पेश किया है,

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) जोधपुर डिवीजन की स्थानीय जनता को इस विलय से क्या अतिरिक्त लाभ प्राप्त होंगे ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। प्रस्ताव की जांच की गयी थी और परिचालनिक तथा प्रशासनिक आधार पर इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विजयाजम स्थित केरल पोत-संचालन संबंधी अध्ययन संस्थान

5173. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने केन्द्र से विजयाजम स्थित केरल पोत-संचालन सम्बन्धी अध्ययन संस्थान (केरल इन्स्टीट्यूट आफ नाटीकल स्टडीज) को मान्यता प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विजियाजम स्थित केरल नौचालन अध्ययन संस्थान को मान्यता देने का प्रश्न विचाराधीन है।

सुन्दरवन क्षेत्र में रेल सम्पर्क

5174. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में केन्निंग तथा धामाखाली और केन्निंग तथा गोलाबाड़ी के बीच रेल सम्पर्क की व्यवस्था करके वहां के भीतरी प्रदेश के विकास के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) नई रेल लाइनों की योजना बनाते समय इस रेल सम्पर्क की क्यों उपेक्षा कर दी जाती है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) केन्निंग और धामखली के बीच रेल सम्पर्क की व्यवस्था करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। यद्यपि, केन्निंग और गोलाबाड़ी के बीच रेल सम्पर्क की व्यवस्था करने के लिए 1973-74 के दौरान एक सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) और (ग) केन्निंग और धामखली के बीच रेल सम्पर्क की व्यवस्था करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है, अतएव, इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है।

दिल्ली परिवहन निगम को बसों द्वारा रूट नं० 780 तथा 660 पर न लगाए गए चक्कर

5175. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली परिवहन निगम के रूट संख्या 780 (सुपर बाजार पालम हवाई अड्डा) और संख्या 660 (वसन्त विहार-रीगल) पर बस सेवा बहुत ही अनियमित है एवं उन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता ;

(च) क्या रूट संख्या 780 की अनियमित सेवा के कारण बहुत से व्यक्ति समय पर हवाई अड्डे पर नहीं पहुंच पाते ;

(ग) क्या ये दोनों बसें लगभग प्रतिदिन अनेक चक्कर नहीं लगा पातीं, यदि हां, तो इन रूटों पर पिछले तीन महीनों में न लगाये गये चक्करों की औसत संख्या कितनी है ; और

(घ) इन रूटों की सेवा को सुधारने तथा इन सेवाओं के रूटों पर लगातार 2 चक्कर न लगा पाने की स्थिति में, जो कि रूट संख्या 780 पर अनेक बार हो चुका है, दूसरी बस चलाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) : केवल दिसम्बर, 1980 में ही रूट न० 660 पर जो बस फेरे नहीं लगाए जा सके उनकी संख्या बहुत अधिक थी। परन्तु कुछ सुधारात्मक उपाय करने के फलस्वरूप 660 और 780 दोनों ही रूटों पर अब बस सेवाएं नियमित रूप से चलाई जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) रूट नं० 660 और 780 पर निर्धारित बस फेरों जितने फेरे लगाए गए और जितने नहीं लगाए जा सके, इन सबके बारे में सूचना नीचे दी गयी है :—

रूट नं०	महीना	फेरे		प्रतिशत		
		निर्धारित	जितने लगाए गए	जितने नहीं लगाए गए	लगाए गए फेरे	जितने नहीं लगाये जा सके
660	दिसम्बर, 1980	1982	1499	483	76%	24%
	जनवरी, 1981	1966	1861	105	95%	5%
	फरवरी, 1981	1768	1681	87	95%	5%
780	दिसम्बर, 1980	2170	2089	81	96%	4%
	जनवरी, 1981	2164	2090	74	97%	3%
	फरवरी, 1981	1961	1924	37	98%	2%

(घ) महत्वपूर्ण टर्मीनल स्थानों पर जो टाइम-कीपर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी रूट पर ट्रिप न लगाया गया हो तो वे वहां किसी वैकल्पिक बस की व्यवस्था करें। परन्तु यह, बस उपलब्ध होने पर ही निर्भर करता है।

सेवा करते हुए मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

5176. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे उन कर्मचारियों के कम से कम एक आश्रित को रोजगार देता है जो सेवा में रहते हुए मर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस तरह के कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ग) क्या इस मानवीयता के आधार पर उन सभी को रोजगार दे दिए गए हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो कितने लोगों के मामले अभी तक नियुक्तियों के लिए विचाराधीन पड़े हैं ; और

(ङ) उन्हें संभवत: किस तारीख तक रोजगार दे दिए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेल लाइनों के निर्माण कार्य का उद्घाटन

5177. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1971 के पश्चात किन-किन रेल लाइनों के निर्माण कार्य का उद्घाटन प्रधान मन्त्री द्वारा अथवा रेल मंत्री द्वारा किया जा चुका है ; और

(ख) इन लाइनों के निर्माण में प्रगति के बारे में अद्यतन स्थिति क्या है और उनकी लागत में सम्बद्ध राज्य सरकारों का योगदान कितना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । (ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०—2220/81) ।

परिवार नियोजन के लिए प्रचार

5178. **श्री आर० एन० राकेश** :

श्री अर्जन सेठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन के बारे में सरकार द्वारा किया जा रहा प्रचार केवल जनसंख्या वृद्धि को रोकने तक ही सीमित है ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि युवा लड़के तथा लड़कियों ने अब इसके महत्व को समझना शुरू कर दिया है और वे इसके लाभों के प्रति सजग हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उन प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को अथवा स्वयं सेवी संगठनों को कोई सहायता प्रदान कर रही है जो ग्रामीण लोगों को उनके लाभों के बारे में शिक्षित करने के कार्य में लगे हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किस रूप में ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) सरकार के प्रचार प्रयास केवल बढ़ती हुई आबादी को रोकने तक ही सीमित नहीं हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के सभी पहलुओं पर बल दिया जाता है जिनमें जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य, पोषण, महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकार, महिला शिक्षा और रोजगार, युवाओं और वयस्कों के लिए जन संख्या शिक्षा, आदि शामिल हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) स्वैच्छिक संगठनों को दिए जा रहे सहायता-अनुदान की योजना के अधीन सरकार ने अध्यापक संगठनों को सहायता देने की व्यवस्था की है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जन-संख्या शिक्षा का प्रसार करने के लिए किसी विशिष्ट प्रस्ताव का भी स्वागत करेगी जो इन संगठनों से मिलेगा।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण की समस्याओं के विरुद्ध जोरदार अभियान चलाना

5179. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का प्रस्ताव देश की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समस्याओं के विरुद्ध एक जोरदार अभियान शुरू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में योजना का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां, सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को मिले जुले रूप में बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाने का विचार रखती है।

(ख) मां और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार लाकर, महिला के उन अधिकारों को जिनके अन्तर्गत वह अपने बच्चों के जन्मों का नियोजन कर सकेगी, विधिवत मान्यता देकर, पात्र

दम्पत्तियों को अपना मन पसन्द तरीका अपनाने की स्वतन्त्रता देकर, बढ़िया सेवायें देने और अनुवर्ती कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत आधार भूत ढांचा खड़ा करके, जनसंख्या शिक्षा के प्रसार में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों एजेन्सियों को लगाकर तथा परिवार नियोजन के प्रति रजामंदी को बढावा देने के मार्ग में बाधक हर प्रकार की जोर जबरदस्ती को समाप्त करके जनसंख्या के दृढ़ीकरण का लक्ष्य पूरा किया जायेगा ।

स्वास्थ्य परिचर्या की नई नीति की मुख्य बात यह है कि गांव के गरीब और कमजोर वर्गों, हरिजनों और आदिवासियों तथा समाज के अन्य उपेक्षित लोगों को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी । स्वास्थ्य के निवारक और संवर्धक पहलुओं पर अधिक बल दिया जायेगा और साथ ही उपचार की सुविधाओं से उन्हें संतुष्ट किया जायेगा । गांवों को आधार मानकर एक ग्राम स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति शुरू की जायेगी और उसकी व्यवस्था स्वास्थ्य के निवारक संवर्धक उपचारात्मक पहलुओं और देखभाल की अन्य सेवाओं को मिला कर की जायेगी ।

ग्राम स्वास्थ्य परिचर्या के ढांचे के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 30,000 की आबादी अथवा पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों की 20,000 आबादी की देखभाल करेगा और पांच-पांच हजार की आबादी अथवा व पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाली तीन-तीन हजार की आबादी के लिए एक-एक उप केन्द्र होगा । एक गांव अथवा एक हजार की आबादी एक बुनियादी यूनिट बन जायेगी जिसके लिए लोगों द्वारा स्वयं चुना गया एक प्रशिक्षित जन-स्वास्थ्य रक्षक होगा । विशेषज्ञों से इलाज करवाने की सुविधायें एक-एक लाख की आबादी के लिए खण्ड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध कराई जायेंगी और इस केन्द्र से रोगियों को इलाज के लिये आगे जिला अस्पताल/मेडिकल कालेज अस्पताल में भेजने की एक अन्य पद्धति भी शुरू की जायेगी ।

जन स्वास्थ्य रक्षक योजना में संशोधन करके इसकी कमियों को दूर करने का विचार है । प्रत्येक जनस्वास्थ्य रक्षक एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका सम्पर्क निचले स्तर पर गरीब लोगों के साथ होगा और वह उनका स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन करेगा तथा उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन शिक्षक का काम देगा ।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में नौवहन विभाग के लिए पर्यवेक्षक तकनीकी पदों का सृजन

5180. श्री मनोरंजन भक्त : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन से नौवहन विभाग हेतु 22 पर्यवेक्षक तकनीकी पदों के सृजन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय विचार के किस वरण में है ; और

(ग) इस बारे में आदेश कब तक जारी हो जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। आशा है कि इस पर निकट भविष्य में निर्णय ले लिया जाएगा।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लाइट हाउस विभाग के लिए ड्राइवरों के पदों का निर्माण

5181. **श्री मनोरंजन भक्त** ; क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लाइट हाउस विभाग के लिए ड्राइवरों और क्लीनरों के पदों के निर्माण का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां तो इसे शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या अण्डमान में लाइट हाउस विभाग के कर्मचारियों के लिए आवासीय मकानों के निर्माण की मंजूरी का एक प्रस्ताव उनके मन्त्रालय में विचाराधीन पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके शीघ्र निपटान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के लाइट हाउस डिस्ट्रिक्ट के लिए ड्राइवरों और क्लीनरों के पदों का निर्माण करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। आशा है कि प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा।

(ग) सरकार अण्डमान और निकोबार लाइट हाउस डिस्ट्रिक्ट में औद्योगिक कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं होता।

नौवहन विभाग के वर्ग 1977 के पदों के लिए चयन ग्रेड के पदों का निर्माण

5182. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन विभाग के वर्ग 'घ' के पदों के लिए चयन ग्रेड के पदों के निर्माण हेतु अण्डमान और निकोबार प्रशासन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो मामले में शीघ्र कार्यवाही के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है । अण्डमान और निकोबार प्रशासन से कुछ और सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है । इनका उत्तर प्राप्त होने पर, इस प्रस्ताव पर आगे इसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा ।

11-सूत्री मांग पत्र

5183. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रेलवे अकौंउन्टस एम्पलाईज एसोसियेशन, पूर्व रेलवे की दानापुर शाखा ने उन्हें एक 11-सूत्री मांग पत्र भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सरकार को इस गैर-मान्यता प्राप्त संगठन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें विभिन्न समय में अनेक मांगें की गयी हैं । इन सभी अभ्यावेदनों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया गया है और प्रशासनिक और वित्तीय कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इन पर समुचित कार्रवाई की गयी है ।

रेलवे दुर्घटना जांच समिति का प्रतिवेदन

5184. **श्री बयाराम शाक्त** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे दुर्घटना जांच समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) रेल दुर्घटना जांच समिति, 78 की रिपोर्ट के भाग 1 की प्रतियां संसद के पुस्तकालय को पहले ही भेजी जा चुकी हैं । रिपोर्ट का दूसरा भाग छप रहा है और तैयार हो जाने पर इसे भी संसद के पुस्तकालय को भेज दिया जायेगा ।

रेल दुर्घटना जांच समिति, 78 की रिपोर्टों की रेल मंत्रालय में संवीक्षा की जा रही है और अन्तिम रूप दिये जाने के बाद समिति की मंजूरशुदा सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

देशान्तरण के लिए बन्दी बनाये गए 13 लंकावासी

5185. **श्री एस० एम० कृष्णा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 मार्च, 1981 के "दैनिक एक्सप्रेस" नई दिल्ली में "मिस्टरी आफ 13 लन्कन्स हेल्ड फार डिपोर्टेशल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो उक्त मामले संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ग) उक्त मामले को अन्ततः कैसे निपटाया गया ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 23 फरवरी, 1981 को अमृतसर पुलिस ने श्री लंका के 13 राष्ट्रिकों को आपस में झगड़ा करने के अपराध में गिरफ्तार किया था। उन्हें अमृतसर की एक अदालत में पेश किया गया था और प्रत्येक को 20-20 रुपये जुर्माना किया गया। बाद में एक पुलिस दल उन्हें दिल्ली लाया और उन्होंने श्रीलंका उच्चायोग से श्रीलंका के इन राष्ट्रिकों के देश-प्रत्यावर्तन के लिए अनुरोध किया। श्रीलंका उच्चायोग ने कहा कि इस विषय पर किया जाने वाला पत्र-व्यवहार विदेश मंत्रालय के माध्यम से किया जाना चाहिए। बाद में श्रीलंका के इन 13 राष्ट्रिकों को रिहा कर दिया गया था।

भली-भांति परखी गई दवाओं को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सूची से हटाना

5186. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में कुछ प्रभावशाली तथा भली भांति परखी गई दवाओं को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सूची से हटा दिया गया है और उनके स्थान पर सस्ती दवाएं शामिल कर ली गई हैं जो उपचार में न केवल विलंब करती हैं बल्कि कम प्रभावी तथा कम गुणकारक हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सस्ती दवायें तथा ऐसी छोटी-छोटी औषध कम्पनियों द्वारा तैयार फार्मूलेशनों को शामिल करने से, जिनके पास न तो प्रयोगशाला-सुविधायें हैं और फार्मास्युटिकल्स औषधें तैयार करने के विभिन्न क्षेत्रों में उनके पास कोई विशेषज्ञता भी नहीं हैं, कितनी राशि की बचत हुई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) नहीं। तथापि कुछ ब्राण्ड लाभों वाली ओषधियों के स्थान पर समान चिकित्सीय गुण वाली सामान्य ओषधियां रखी गई है। ऐसा करने पर कितनी वास्तविक बचत हुई है इस समय इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

रांची-चन्डीगढ़ गाड़ी को प्रतिदिन चलाया जाना

5187. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रांची-चन्डीगढ़ गाड़ी को प्रतिदिन चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सप्ताह में तीन बार चलने वाली 183/184 रांची-चंडीगढ़ एक्सप्रेस गाड़ी के फेरे बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

चन्डीगढ़ तथा हावड़ा के बीच अति तेज रेलगाड़ी

5188. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्डीगढ़ और हावड़ा के बीच बरास्ता मुरादाबाद और लखनऊ एक अति तेज रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संपदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) कुछ खंडों आदि में लाइन क्षमता के संतृप्त होने तथा हावड़ा में टर्मिनल सुविधाओं की अपर्याप्तता जैसी परिचालनिक तंगियों के कारण, मुरादाबाद और लखनऊ के रास्ते चन्डीगढ और हावड़ा के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाना फिलहाल परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

कालका-हावड़ा मेल में आरक्षण

5189. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में हावड़ा और बम्बई तक विशेषकर कालका-हावड़ा मेल और फ्रंटियर मेल में यात्रियों के लिए द्वितीय श्रेणी के स्लीपर सवारी डिब्बों में शायिकाओं के आरक्षण प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां तो यात्रियों को राहत देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) यदि स्थान पहले से ही आरक्षित करवा लिया जाय तो कोई कठिनाई नहीं होती है। गर्मियों की भीड़-भाड़ के दौरान अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए विशेष गाड़ियां भी चलाई जाती हैं।

डीलक्स एक्सप्रेस में आरक्षण

5190. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हावड़ा तथा बम्बई से दिल्ली तक विशेषत: डीलक्स एक्सप्रेस में दूसरी श्रेणी के स्लीपर कोचों में बर्थों के आरक्षण में बहुत कठिनाई होती हैं ; और

(ख) यात्रा करने वाली जनता को इसमें राहत देने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) यदि स्थान पहले से ही आरक्षित करवा लिया जाए तो कोई कठिनाई नहीं होती है। गर्मियों की भीड़-भाड़ के दौरान अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए विशेष गाड़ियां भी चलायी जाती हैं।

कोंकण लाइन पर यात्री सेवा के किराये में वृद्धि का प्रस्ताव

5191. श्री बापुसाहिब पारूलेकर : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव मुगल लाइन्स द्वारा कोंकण लाइन पर चलाई जा रही यात्री सेवा के किराये में वृद्धि करने का है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) मुगल लाइन्स को इसका संचालन सौंपे जाने के बाद इसके किराये में कितनी बार तथा किस दर से वृद्धि की गयी ; और

(ग) तटीय सेवा का राष्ट्रीयकरण करने से पूर्व किराया क्या था तथा क्या राष्ट्रीयकरण का निर्णय इस कारण से लिया गया था कि पिछली कम्पनी इन सेवाओं को चलाने की इच्छुक नहीं थी, क्योंकि सरकार द्वारा किराये में वृद्धि की अनुमति नहीं दी गयी थी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) बम्बई और गोवा के बीच कोंकण यात्रा सेवा के किरायों में वृद्धि करने से सम्बन्धित मुगल लाइन लिमिटेड का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जब से उक्त सेवा का संचालन मुगल लाइन लिमिटेड को सौंपा गया तब से जितनी बार किरायों में वृद्धि की गई और जिन दरों पर यह वृद्धि की गयी, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है : —

(1) किरायों में वृद्धि :	तीन बार । पहली बार 30%, दूसरी बार 10% (1969 के किरायों पर) और तीसरी बार 60%.
(2) किराया घटाना :	एक बार । 14.5% (औसतन) ।
(3) किरायों में थोडी बहुत फैर बदल	एक बार । प्रथम श्रेणी के किरायों में 4.88% की वृद्धि और डेक क्लास के किरायों में (केवल बम्बई और पणजी के बीच यात्रा के लिए) 5.71% की कमी की गयी :

(ग) इस तटीय सेवा को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने और इसका संचालन मुगल लाइन लिमिटेड को सौपने से पहले बम्बई और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच यात्रा के किराए इस प्रकार थे :—

बम्बई से	प्रथम श्रेणी	निचली डेक श्रेणी
	रु०	रु०
जैगद	26.35	8.80
देवगढ़	39.65	13.30
पणजी	62.40	20.80

इस सेवा का राष्ट्रीयकरण करने के निम्नलिखित कारण थे :—

(i) मैसर्स चौगुले स्टीमशिप लिमिटेड ने जो पहले से यह सेवा चला रही थी, यात्री किराये में भारी वृद्धि करने के लिए सरकार से कहा और जब सरकार इस मामले पर विचार कर ही रही थी तभी कम्पनी ने सितम्बर 1973 में मानसून के बाद उक्त सेवा चालू करना बन्द कर दिया जिससे यात्रा करने वाले लोगों को काफी कठिनाई हुई ।

(ii) केन्द्रीय सरकार को इस आशय की शिकायतें भी मिलीं की सेवा निर्धारित समय के अनुसार नहीं चलाई जा रही है और सेवा बड़ी ही अनियमित, देर से चलने वाली और अविश्वसनीय है ।

भारतीय शिपयार्डों में निर्मित जहाज

5192. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान भारत में जहाज बनाने वाले यार्डों में कितने मालवाहक जहाज, यात्री जहाज और अन्य जहाज बनाए गए है ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने मालवाहक जहाज, यात्री जहाज और अन्य जहाजों का आयात किया गया था ;

(ग) इनका मूल्य लगभग कितना है ; और

(घ) क्या हमारे जहाज बनाने के यार्ड मुनाफे में चल रहे हैं या घाटे में ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के तीन शिपयार्डों में 27 माल जहाजों, 1 यात्री जहाज तथा 62 अन्य जहाजों का निर्माण किया गया। चौथा शिपयार्ड अर्थात कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड जो एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है, और जो मंत्रालय के नियंत्रण में है, अपने पहले जहाज का निर्माण कर रहा है जो पूरा होने को है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड तथा मंझगांव डाक लिमिटेड लाभ पर काम कर रहे हैं लेकिन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स तथा कोचीन शिपयार्ड हानि पर काम कर रहे हैं।

जाखपुरा-सुकिन्द्रा लाईन

5193. **श्री अनादिचरण दास** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जाखपुरा-सुकिन्द्रा रेलवे लाइन किस तारीख को खोली जाएगी ;

(ख) क्या सरकार के पास इस वित्त वर्ष के दौरान सुकिन्द्रा दायतौरी रेलवे लाईन खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां तो उसके बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जखापुर से सुखिदा खंड 27-7-1980 को यातायात के लिए खोल दिया गया था।

(ख) और (ग) जी हां, सुखिदा से दैलारी बकाया खंड 22-3-1981 को औपचारिक रूप से यातायात के लिए खोला जा चुका है।

पारादीप बन्दरगाह से गुजरने वाली नौवहन सेवाएं

5194 **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा के पारादीप बन्दरगाह से गुजरने वाली नौवहन सेवाएं अपर्याप्त एवं अनियमित हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने पारादीप बन्दरगाह के लिए पर्याप्त एवं नियमित नौवहन सेवाओं की व्यवस्था करने हेतु क्या प्रयास किए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) प्रत्येक पत्तन से आने, जाने वाले नौवहन सेवाएं निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती हैं : —अर्थात् माल का बल्क या लाइनर होना, पत्तन पर आधारभूत सुविधाओं का उपलब्ध होना, निर्यात और आयात की मात्रा इत्यादि । पारादीप से जो माल बाहर भेजा जाता है वह प्रकसर कच्चा लोहा, कच्चा मैंगनीज होता है ? यह धातु को चार्टर पार्टी शर्तों पर चार्टर जहाजों द्वारा बल्क में ढोया जाता है । पारादीप पत्तन से शायद ही ऐसा माल निर्यात किया जाता है जिसके लिए पत्तन पर लाइनर जहाजों को आना पड़े ।

जिला गाजीपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

5195. **श्री जैनुल बशर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता के साथ किस किस स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं ;

(ख) किन-किन स्थानों पर वर्ष 1981-82 के दौरान स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हैं ;

(ग) अब तक कितनी राशि व्यय की गई हैं ; और

(घ) 1981-82 के दौरान कितनी राशि व्यय की जानी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता का उपयोग नहीं किया जाता है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का काम राज्य क्षेत्र, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक अंग है । उत्तर प्रदेश में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन 1981-82 के

लिए योजना आयोग ने 14.5 करोड़ रुपये के नियतन की स्वीकृति दी है। 1981-82 के दौरान देश में 122 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है, जिनमें 10 उत्तर प्रदेश में खोले जायेंगे। इन केन्द्रों के स्थान का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है।

खाद्यान्न की ढुलाई के लिए रेल लाइन

5196. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार के अभाव वाले राज्यों को खाद्यान्न की ढुलाई के लिए एक पृथक रेल लाइन की मांग की है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टिकटों की राशि लौटाना

5197. श्री निहाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 दिसम्बर, 1980 और फरवरी 1981 के बीच नई दिल्ली और दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर कितने यात्रियों ने अपनी टिकटें वापस की तथा उनमें से कितने यात्रियों को उनकी राशि लौटाई गई ;

(ख) क्या यह सच है कि नई दिल्ली से बम्बई, देहरादून एक्सप्रेस, में 8 दिसम्बर 1980 को उज्जैन, नागदा आदि के लिए कुछ सीटें बुक कराई गई थीं ; और जिन टिकटों को 9 दिसम्बर, 1980 को वापस कर दिया गया था किन्तु इसकी राशि अभी तक नहीं लौटाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस राशि के लौटाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जिन यात्रियों ने पहली दिसम्बर, 1980 और 28 फरवरी, 1981 के बीच नयी दिल्ली और दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर अपने टिकट वापस किये और किराये की रकम की वापसी प्राप्त की, उनकी संख्या नीचे दी गयी है :

	टिकट वापस करने वाले यात्रियों की संख्या	किराया वापस लेने वाले यात्रियों की संख्या
नयी दिल्ली	1,53,120	1,49,819
दिल्ली	39,253	37,730

(ख) और (ग) जी हां। किराया वापस करने की अनुमति दी गयी है।

1978-81 के दौरान रेलवे फाटकों पर हुई दुर्घटनाओं की संख्या

5198. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे जोन में 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में अब तक रेलवे फाटकों पर कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं ;

(ख) उनमें कितने व्यक्ति मारे गए तथा घायल हुए ; और

(ग) रेल फाटकों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1978-79, 1979-80 और 1980-81 (फरवरी 81 तक) के दौरान भारतीय सरकारी रेलों पर समपारों पर हुई दुर्घटनाओं की रेलवेवार संख्या इस प्रकार है :—

रेलवे	1978-79	1979-80	1980-81 (फरवरी 81 तक)
मध्य	9	7	5
पूर्व	1	1	3
उत्तर	13	37	15
पूर्वोत्तर	15	10	13
पूर्वोत्तर सीमा	6	8	4
दक्षिण	11	11	15
दक्षिण मध्य	4	7	7
दक्षिण पूर्व	9	12	14
पश्चिम	18	22	8
जोड़	86	115	84

(ख) इन दुर्घटनाओं में, 284 यात्री मारे गए और 703 घायल हुए ;

(ग) समपारों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) भिन्न भिन्न दृश्य श्रव्य के माध्यमों से सड़क उपयोगकर्त्ताओं में शैक्षिक अभियान चलाना ।

(2) समपारों के सड़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देने के लिए बिना चौकीदार वाले समपारों के कुछ पहले 'स्टाप बोर्ड' लगाने की व्यवस्था की गयी है । रेल उपयोगकर्ताओं को सावधान करने के लिए चौकीदार वाले समपारों के कुछ पहले "सावधान" वाले सड़क चिन्ह लगाने की व्यवस्था भी की गई है ।

(3) मोटर वाहन नियमों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्राधिकारियों के सहयोग से छापे मारे जाते हैं ।

(4) बिना चौकीदार वाले सभी समपारों और चौकीदारों वाले ऐसे समपारों के कुछ पहले "सीटी पट्ट" लगाने की व्यवस्था की गयी है वहां से दृश्यता में बाधा पड़ती हो जिससे कि इंजन ड्राइवर समपार फाटकों के नजदीक पहुंचते समय सीटी बजाते रहें ।

(5) भीड़ भाड़ वाले वर्तमान समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण करना ।

(6) अधिक खतरनाक समपारों पर रेलों की लागत से चौकीदार तैनात करना ।

25 फरवरी 1981 को कलकत्ता के निकट रेलवे फाटक पर दुर्घटना

5199 श्री माधवराव सिंधिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 फरवरी, 1981 को कलकत्ता के निकट एक रेलवे फाटक पर एक लोकल गाड़ी एवम् लारी की टक्कर में कम से कम आठ व्यक्ति मर गए और अनेक घायल हुए थे : और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारणों एवम् परिस्थितियों के बारे में की गई जांचों के क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 25-2-1981 को पूर्व रेलवे के पन्डुआ और सिमलगढ़ स्टेशनों के बीच एम० 205 अप ई० एम० यू० बर्दवान लोकल तथा भरी हुई लारी से हुई समपार दुर्घटना में 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी तथा 14 घायल हुए थे ।

(ख) रेल सुरक्षा आयुक्त, जो कि पर्यटन तथा नागरिक विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत एक स्वतन्त्र प्राधिकारी हैं, ने इस दुर्घटना की जांच की है। उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

भारत के सहायक औषध नियंत्रक (पटना) का पद

5200. **श्री के० बी० एस० मणि :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के सहायक औषत नियंत्रक, मद्रास का पद एक वर्ष से अधिक समय से खाली पड़ा है ;

(ख) क्या रिक्त पद को भरने के लिए कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सहायक औषध नियंत्रक (भारत) मद्रास के पदधारी को अमेरिका में अपनी बिमारी का इलाज कराने के आधार पर 25-8-1979 से तीन महीने की छुट्टी प्रदान की गई थी। इसके पश्चात् उन्होंने 24-11-1981 तक थोड़ी-थोड़ी अवधि के लिए छुट्टी बढ़ाई है। उन्होंने जिस ढंग से छुट्टी बढ़ाई है, उसे देखते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

इस पद को तदर्थ आधार पर भरने की कार्यवाही भी आरम्भ की जा चुकी है।

हानि के लिए क्षतिपूर्ति

5201. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल प्रशासन विभिन्न जोनों में कर्मचारियों की लापरवाही तथा विलम्ब करने की आदतों के कारण भारी हानि उठाता है जिसके फलस्वरूप भारी राशि के विलम्ब शुल्क तथा माल की ढुलाई के दौरान होने वाली हानि अथवा क्षति के लिए मुआवजा देना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978, 1979 तथा 1980 के दौरान जोन-वार कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। 'विलम्ब शुल्क' का प्रभार किसी माल डिब्बे की लदान या उतराई के लिए निःशुल्क अनुमान

समय के बीतने के बाद लिया जाता है। इसके प्रभार के उचित होने की जिम्मेवारी परेषक या परेषिती पर होती है और रेल कर्मचारी इसके लिए जिम्मेवार नहीं होते।

जहां तक क्षतिपूर्ति के दावों का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि रेलों पर बुक किए जाने वाले परेषणों में होने वाली हानि और क्षति इस प्रकार की होती है जिनका माल की ढुलाई के प्रसंग में होना प्रासंगिक है। क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली राशि माल तथा अन्य सवारी यातायात के भाड़े में होने वाली आय का आंशिक प्रतिशत होता है।

(ख) बुक किए गए परेषणों में सम्बन्धित क्षतिपूर्ति के दावों के आंकड़े वित्तीय वर्ष के अनुसार रखे जाते हैं। 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के वर्षों में क्षेत्रवार भुगतान किए गए क्षतिपूर्ति के दावों की राशि संलग्न तालिका विवरण के रूप में दी गयी है।

विवरण

रेलें	भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि		
	(लाख रुपयों में)		
	1977-78	1978-79	1979-80
मध्य	133.03	136.14	150.73
पूर्व	374.58	291.22	230.07
उत्तर	195.11	147.21	143.33
पूर्वोत्तर	39.96	39.12	44.12
पूर्वोत्तर सीमा	138.84	107.40	91.96
दक्षिण	76.65	124.83	153.64
दक्षिण मध्य	89.86	64.25	52.79
दक्षिण पूर्व	224.97	175.86	130.28
पश्चिम	150.84	138.87	152.98
जोड़	1423.83	1224.90	1149.90
माल और अन्य कोचिंग यातायात से होने वाली आय का प्रतिशत	0.93	0.88	0.75

अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ

5202. श्री ए० के० राय : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के निर्माण विभाग के परियोजना (नैमित्तिक) श्रमिकों की मांगों के बारे में अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष से दिनांक 23 जनवरी, 1981 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार किसी भी स्रोत से प्राप्त कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर समुचित रूप से विचार किया जाता है और उन पर समुचित कार्रवाई की जाती है । क्षेत्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ, पूर्व रेलवे, धनबाद से प्राप्त दिनांक 23-1-1981 के अभ्यावेदन पर भी इसी नीति के अनुसार कार्रवाई की गयी है ।

मैसर्स एच०एम०एम० लिमिटेड द्वारा जीवाणुनाशन प्रक्रिया का परित्याग

5203. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स एच० एम० एम० लिमिटेड, ।, जयसिंह रोड, नई दिल्ली के प्रबन्धकों द्वारा अपने (एक) गांव कोम्पाल्ली, प्रो० हाकिम पेट रागा रेड्डी जिला सिकन्दराबाद, मद्रास (दो) ।,आरकोट रोड, मद्रास और (तीन) पटयाला रोड, नाभा, पूर्वी पंजाब में स्थित पैकिंग केन्द्रों में हार्लिक्स और 'बूमेट' की पैकिंग के लिए खाली बोतलों की जीवाणुनाशक प्रक्रिया को छोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार उस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ;

(ग) क्या उपयुक्त प्रबन्धकों के इस कार्य से सरकार के किसी विनियमन अधिनियम का उल्लघन होता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह के उल्लंघन के लिए उपयुक्त फर्म के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हाजीपुर से शाखा लाइन

5204. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में हाजीपुर से एक शाखा लाइन के निर्माण के लिए कोई मांग की गई है जो लाल गंज, त्रैशाली, साहबगंज, केसरिया ओराब, पहाड़पुर, हरसिधी और नवतान के रास्ते से होकर नरकटिया गंज मुख्य लाइन को जोड़े : और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) संसाधनों की तंगी के कारण, फिलहाल प्रस्तावित लाइन पर विचार करना सम्भव नहीं है ।

मद्रास होटल और पश्चिमपुरी के बीच बस सेवा

5205. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री मद्रास होटल और पश्चिमपुरी, नई दिल्ली के बीच बस सेवा के बारे में 12 जून, 1980 के अतारांकित्त प्रश्न संख्या 509 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय की शिकायतें की गयी है कि रूट सं० 910 पर बस सेवा में कोई सुधार नहीं हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार इस रूट पर बसों की आवश्यकता का पता लगायेगी और बसों की बारम्बारता को कम करके 15 या 10 मिनट करेगी ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के यात्रियों की कठिनाइयों को देखते हुए रूट सख्या 900 पर बस की पंजाबी बाग एक्सटेंशन तक बढ़ाने का है और भीड़भाड़ कम करने का है और यदि हां तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : जी, हां ।

(ख) और (ख) रूट नं० 910 पर बसों की आवश्कयता का मूल्यांकन किया गया है और इस रूट पर 9.2.1981 से बसों की फ्रीक्वेंसी 26/52 मिनट से बढ़ाकर 22/44 मिनट कर दी गयी है ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र से केन्द्रीय सचिवालय तक जाने आने के लिए 910 नं० रूट की बसें पहले से चल रही हैं। इसके अलावा, दफ्तर जाने वालों को सुविधा के लिए पंजाबी बाग एक्सटेंशन से केन्द्रीय सचिवालय तक जाने के लिए रूट नं० 910 और 930 पर क्रमशः दो और चार विशेष ट्रिप चलाने की व्यवस्था नहीं की गयी है।

दिल्ली में रेजिडेन्ट डाक्टरों के लिए किराया-मुक्त आवास

5206. **श्री मूलचन्द डागा :**

श्री रामविलास पासवान :

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रेजिडेन्ट डाक्टर किराया मुक्त आवास के हकदार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे आवास की व्यवस्था न होने के मामले में वे सरकार के नियमों के अनुसार मूल वेतन के 25 प्रतिशत मकान किराया भत्ता के हकदार हैं ;

(ग) क्या दिल्ली के जूनियर डाक्टरों के मामले में इसकी क्रियान्विति में कोई उल्लंघन हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे ठीक करने के लिए क्या प्रयास करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) रेजीडेंट डाक्टरों की मांग यह थी कि सभी अविवाहित जूनियर रेजीडेंटों को अनिवार्यतः एक कमरे का मकान मिलना चाहिए। सभी वरिष्ठ रेजीडेंटों तथा विवाहित जूनियर रेजीडेंटों को अनिवार्यतः दो कमरों वाला मकान मिलना चाहिए। अन्तरिम उपाय के तौर पर सभी रेजीडेंटों को समुचित मकान मिल जाने तक अनिवार्यतः मकान किराया भत्ता मिलना चाहिए"। यह मांग मान ली गई थी।

(ख) नहीं। जिन रेजीडेंटों को सरकारी मकान नहीं दिया जा सकता उन्हें क और ख श्रेणी के शहरों में 15 प्रतिशत मकान किराया भत्ता तथा ग श्रेणी के शहरों में साढ़े सात प्रतिशत (अधिकतम 200 रुपये प्रतिमास) मकान किराया भत्ता लेने दिया जाएगा।

(ग) नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जूनियर डाक्टरों और निदेशक के बीच अवकाश लाभों के बारे में समझौता

5207. **श्री मूलचन्द डागा :**

श्री कमला मिश्र मधुकर :

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूनियर डाक्टरों को दिए जाने वाले अवकाश लाभों के संबंध में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जूनियर डाक्टरों और निदेशक के बीच क्या समझौता हुआ था ;

(ख) क्या दिल्ली के अन्य अस्पतालों के जूनियर डाक्टरों को भी इसी प्रकार के लाभ देने पर भी सहमति हुई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि इन शर्तों के कार्यान्वयन में इन शर्तों का उल्लंघन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसे सुधारने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) यह सिद्धान्त रूप में समझौता हुआ था कि छुट्टी के लाभों को उदार बना दिया जायेगा ।

(ख) जूनियर डाक्टरों की फैडरेशन के साथ हुये समझौते की शर्तों के अनुसार यह मान लिया गया था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जूनियर रेजीडेंटों को जितनी छुट्टियां देने का निर्णय लिया गया है, उतनी छुट्टियां दिल्ली के अन्य अस्पतालों के जूनियर डाक्टरों को भी दी जायेंगी ।

(ग) नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

रेजिडेंसी स्कीम का छः वर्षीय स्वरूप

5208. **श्री मूलचन्द डागा :**

श्री राम विलास पासवान :

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, दिल्ली के जूनियर डाक्टरों के साथ हुए समझौते के अनुसार, रेजीडेन्सी-स्कीम के वर्तमान छः वर्षीय स्वरूप के बारे में यथा-स्थिति को बनाए रखने के लिए सहमत है ;

(ख) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा 17 नवम्बर, 1980 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा इन शर्तों का उल्लंघन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक ठीक कर दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद): (क) नहीं । जूनियर डाक्टर्स फैडरेशन की संगत मांग यह थी कि सारी रेजीडेंसी अनिवार्यतः निरन्तर चलनी चाहिए और सभी रेजिडेंटों पर केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम लागू होने चाहिएं । समझौते की शर्तों के अनुसार यह माना गया था कि इस स्थिति को यथावत् बनाये रखा जाएगा ।

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने अपनी रिपोर्ट में रेजीडेंसी कार्यक्रम का मौलिक पुनर्निर्माण करने और संशोधन करने का सुझाव दिया है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई सहायता के वितरण की पद्धति

5209. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अथवा स्कैंडेनेविचाई देशों और अन्य देशों की ओर से अन्य स्वयं सेवी एजेन्सियों द्वारा दी गई सहायता अनुदानों का वितरण किस आधार और पद्धति से किया जाता है ;

(ख) राजस्थान और उत्तर प्रदेश को अब तक सहायता का कितना-कितना भाग दिया गया है; और

(ग) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे महानगरीय शहरों को सहायता का कितना-कितना भाग दिया गया ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) विदेशों से मिली सहायता राज्यो/संघ शासित क्षेत्रों को निर्धारित उनके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए तथा उनके किसी कार्यक्रम के खास पहलुओं की सहायता करने या उन्हें मजबूत बनाने के लिए दी जाती है । दूसरे शब्दों में किसी विदेशी एजेन्सी से मिली सहायता का उपयोग सारे देश के किसी कार्यक्रम को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से मदद देने के लिए अथवा किसी क्षेत्रीय परियोजना हेतु धन देने के लिए किया जा सकता है । अतएव यह स्पष्ट है कि यह सहायता "आनुपातिक" आधार पर नहीं दी जाती है ।

विकलांग व्यक्तियों के लिए कोटा

5210. **श्री के० प्रधानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकलांग व्यक्तियों के अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के दौरान प्रत्येक मन्त्रालय से विकलांग व्यक्तियों के लिए कुछ कोटा निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उनके मन्त्रालय में कितने विकलांग व्यक्तियों को खपाए जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) पूर्वोत्तर सीमा और दक्षिणपूर्व रेलवे तथा चितरंजन रेल इंजन कारखाने को छोड़कर 763 व्यक्ति समाहित किये गये । इन तीन रेलों की सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

रेलवे विद्युतीकरण के लिए विश्व बैंक से सहायता

5211. **श्री के० प्रधानी :**

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी० वी० देशाई :

श्री गदाधर साहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल लाइनों के विद्युतीकरण कार्य की क्रियान्विति के लिए रेलवे ने विश्व बैंक से सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) विश्व बैंक के साथ कुछ प्रारम्भिक विचार-विमर्श हुए हैं और इन्होंने इस मामले में दिलचस्पी ली है । विचार-विमर्श पूरा हो जाने के बाद ही ब्यौरे का पता चल सकेगा ।

डाक्टरों द्वारा गांवों में कार्य करने में संकोच

5212. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक डाक्टर गांवों में जाकर कार्य करना नहीं चाहते क्योंकि वहां काम करने की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस समस्या के हल के लिए कोई वैकल्पिक साधन ढूंढे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) जी नहीं। देश के 98.82 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 31-12-1980 को एक या दो या अधिक डाक्टर काम कर रहे थे। केवल 61 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (जो कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 1.11 प्रतिशत है) ऐसे थे जहां एक भी डाक्टर नहीं था।

डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने हेतु आकर्षित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कदम उठाये गए हैं जैसे उनके लिए ग्राम भत्ते, बिना किराए के मकान की व्यवस्था करना, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उन्हें तरजीह देना इत्यादि। जो डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी निजी प्रैक्टिस करना चाहते हों या अपना नर्सिंग होम खोलना चाहते हों उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंक आकर्षक शर्तों पर ऋण भी दे रहे हैं।

अप्रयुक्त रेल-पथ

5213. **श्री जो० वाई० कृष्णन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (जोनवार) ऐसे रेल पथों की लम्बाई का ब्यौरा क्या है जो इस समय अप्रयुक्त पड़े हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जब कभी देश में सेवाओं का परिचालन करने के लिए रेल लाइन को उपयुक्त घोषित किया जाता है, तब रेल या तो केवल माल गाड़ी सेवाएं या सवारी तथा माल-गाड़ी दोनों सेवाएं चलाती हैं जो यातायात के औचित्य, परिचालनिक व्यावहारिकता और अन्य संसाधनों पर आधारित होती है।

उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की कमी

5214. **श्री राम बिहारी बहेरा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के कालाहान्डी फूलबनी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की काफी कमी है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर होने वाले "गांज" नामक एक नए प्रकार के रोग की जानकारी है ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के रोग के उन्मूलन के लिए क्या कार्यवाही कर रही है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं। कालाहांडी जिले में 9 ग्रामीण सरकारी अस्पताल हैं और फूलबनी जिले में 6 सरकारी अस्पताल हैं। प्रत्येक अस्पताल औसतन क्रमशः 1.23 लाख और 1.00 लाख आबादी की जरूरतों को पूरा करता है। यह आबादी उड़ीसा राज्य के अन्य जिलों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं से खूब मेल खाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश में यह बात विदित थी कि "याज" उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के कुछ आदिवासी क्षेत्रों के बीच लम्बे अर्से से होता आया है।

(ङ) तीसरी पंचवर्षीय योजना में "याज" के उन्मूलन का काम हाथ में लिया गया था और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ जिलों में जहां इन रोगों का अधिक प्रकोप होता था, उपचार किया गया था और उसके पश्चात् "याज" की और घटनाओं की कोई सूचना नहीं मिली हैं।

देश में प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र तथा वहां आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था

5215. **श्री राम बिहारी बहेरा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रवार कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आपरेशन की सुविधा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार सूची विवरण के रूप से रख दी गई है। सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में छोटे-मोटे आपरेशन करने की सुविधायें दी गई हैं।

विवरण

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार संख्या का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	31-3-80 की स्थिति के अनुसार संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	420
2.	असम	150
3.	बिहार	575
4.	गुजरात	253

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	31-3-80 की स्थिति के अनुसार संख्या
5.	हरियाणा	89
6.	हिमाचल प्रदेश	77
7.	जम्मू व काश्मीर	84
8.	कर्नाटक	271
9.	केरल	167
10.	मध्य प्रदेश	465
11.	महाराष्ट्र	441
12.	मणिपुर	27
13.	मेघालय	22
14.	नागालैंड	15
15.	उड़ीसा	314
16.	पंजाब	129
17,	राजस्थान	232
18.	सिक्किम	12
19.	तमिल नाडु	383
20.	त्रिपुरा	28
21.	उत्तर प्रदेश	877
22.	पश्चिमी बंगाल	326
23,	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	2
24.	अरुणाचल प्रदेश	79
25.	चण्डीगढ़	1
26.	दादर तथा नगर हवेली	2
27.	दिल्ली	8
28.	गोआ, दमण व दीव	15
29.	लक्षद्वीप	7
30.	मिजोरम	16
31.	पांडिचेरी	12
	योग :	5499

विशाखापत्तनम के लिए वैगन

5216. श्री के० ए० राजन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 और 1980 में विशाखापत्तनम बन्दरगाह को कितने वैगन सप्लाई किए गए ;

(ख) यदि 1980 में सप्लाई कम रही हो तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि रेल विभाग ने विशाखापत्तनम बन्दरगाह से आयातित उर्वरक उठाने के लिए वैगन देने से मना कर दिया था ; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1979 और 1980 के वर्षों में लदान के लिए विशाखापत्तनम पत्तन को सप्लाई किए गए माल डिब्बों की कुल संख्या क्रमश: 104901 और 113754 थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी नहीं, पिछले 2 वर्षों के दौरान विभाग पत्तन से आयातित उर्वरकों का औसत लदान 45 से 50 माल डिब्बे प्रतिदिन के हिसाब से किया गया था। बहरहाल, रेलों द्वारा सुझाव दिया गया है कि आयातित उर्वरकों की ढुलाई को ठीक तरह युक्तिसंगत बनाया जाय ताकि विशाखापत्तनम के भीतरी भाग के लिए आवश्यक उर्वरकों को ही विशाखापत्तनम पत्तन पर लाया जा सके। उत्तर प्रदेश और पंजाब के दूरस्थ गन्तव्यों के लिए ढुलाई करने में कठिनाई होती है क्योंकि ग्रेंड कार्ड और कटनी लाइनों के रास्ते यातायात संतृप्त स्थिति तक पहुंच चुकी है और इन मार्गों पर उर्वरकों की ढुलाई कोयले और इस्पात के यातायात की कीमत पर होगा जो उचित नहीं है।

रेल—पटरियां

5217. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1950-51 में तथा वर्ष 1980-81 में देश के विभिन्न राज्यों में रेल पटरियों की लम्बाई क्रमश: कुल कितनी थी ;

(ख) वर्ष 1950-51 में तथा 1980-81 में देश के विभिन्न राज्यों में मूल कितने रेलवे स्टेशन रहे ;

(ग) वर्ष 1950-51 में तथा 1980-81 में देश के विभिन्न राज्यों में प्रतिव्यक्तियों तथा प्रति 1000 किलोमीटर क्षेत्र में कितनी लम्बी रेल पटरियां रही और कितने-कितने रेलवे स्टेशन रहे ;

(घ) क्या उपरोक्त आंकड़ों के हिसाब से रेलवे के विकास में कोई असमानता रही ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार देश के विभिन्न राज्यों में रेलवे के विकास में उक्त विषमताओं को कम करने अथवा दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ग) वर्ष 1950-51 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1979-80 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए अपेक्षित विस्तृत सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) राज्यवार सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) और (ङ) रेलों के विकास की कल्पना राज्य या क्षेत्रीय दृष्टि से नहीं की जा सकती। देश की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाता है और इसके बाद योजना आयोग इसके लिए जितना साधन उपलब्ध कराती है उन सीमाओं के भीतर ही समग्र रूप से रेलवे विकास के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाते हैं। नयी रेलवे लाइनों की योजना सम्बन्धित क्षेत्र की परिवहन आवश्यकताओं के साथ घनिष्ट रूप से सबन्द्ध होती है। नयी लाइन की परियोजनाओं के बारे में विनिश्चय करने में वर्तमान रेल किलोमीटर दूरी की अपेक्षा प्रत्याशित यातायात की पर्याप्तता मार्गदर्शक मान दण्ड होता है।

विवरण

31.3.1980 को रेल पथ की लम्बाई को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन	जोड़	क्षेत्र के प्रति हजार वर्ग किलोमीटर —मार्ग कि.मी.	प्रति लाख जनसंख्या —मार्ग कि.मी.
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	2,971	1,701	37	4,709	17.01	10.83
असम	106	2,088	—	2,194	27.94	15.03
बिहार	3,284	1,959	69	5,312	30.55	9.42

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	1,156	3,380	1,135	5.671	28.94	21.24
हरियाणा	834	613	3	1,450	32.79	14.50
हिमाचल प्रदेश	12	—	244	256	4.60	7.31
जम्मू तथा कश्मीर	77	—	—	77	0.35	1.67
कर्नाटक	569	2,296	148	3,013	15.71	10.28
केरल	803	113	—	916	23.57	4.30
मध्य प्रदेश	4,293	498	948	5,739	12.96	13.76
महाराष्ट्र	3,140	994	1,100	5,234	17.01	10.39
मणिपुर	—	—	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	—	9	—	9	0.54	1.80
उड़ीसा	1,805	—	143	1,948	12.50	8.90
पंजाब	1,969	158	12	21,39	42.47	15.73
राजस्थान	760	4,767	87	5,614	16.40	21.76
सिक्कम		—	—	—	—	—
तमिलनाडु	933	2,889	—	3,822	29.38	9.28
त्रिपुरा	—	12	—	12	1.15	0.75
उत्तर प्रदेश	5,520	3,289	2	8,811	29.93	9.98
पश्चिम बंगाल	2,844	525	353	3,722	42.37	8.40
अंडमान तथा निकोबार द्वीप	—	—	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
चण्डीगढ़	11	—	—	11	96.49	3.67
दादर और नागर हवेली	—	—	—	—	—	—

दिल्ली	141	27	—	168	113.13	4.10
गोआ दमन और दीव	—	79	—	79	20 72	8.78
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	—	—	—	—	—	—
पाण्डिचेरी	—	27	—	27	56.25	5.40
समस्त भारत	31,228	25,474	4,281	60,933	18.53	11.12

आफ शोर अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव

5218. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्र-पूर्व एवं समुद्रस्तर प्रशिक्षण देने हेतु 'आफ शोर' अकादमी की स्थापना करने का है ;

(ख) क्या इस बारे में किसी परियोजना प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया गया है यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विशेषतः संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, आई० एम० सी० ओ० से तकनीकी सहायता प्राप्त की जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नौ-चालन इंजीनियरी के छात्रों को समुद्र-पूर्व प्रशिक्षण देने के लिए समुद्र-तट पर एक अकादमी की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) तकनीकी अध्ययन पाठ्यक्रम तैयार करने और उपकरण मंगाने के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए 'इमको' से सहायता लेने की संभावना पर विचार किया जा रहा है ।

रोहा-मंगलौर लाइन

5219. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोहा और मंगलौर के बीच बचे हुए भाग में रेल लाइन बिछाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या आवश्यक सर्वेक्षण कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कितना रुपया खर्च होगा और कब तक कार्य शुरू होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस कार्य को प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस लाइन (लगभग 910 कि० मी०) के निर्माण की मौजूदा लागत लगभग 489 करोड़ रुपए होगी ।

यालाहंका व्हील एण्ड एक्सल संयंत्र

5220. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यालाहंका, बंगलौर में व्हील एण्ड एक्सल संयंत्र में समय-सूची के अनुसार वर्ष 1982-85 में उत्पादन शुरू हो जाएगा ;

(ख) संयंत्र में काम की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) संयंत्र में उत्पादन शुरू होने पर विदेशी मुद्रा व्यय में कितनी कमी होगी ; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने हेतु कि कार्य के पूरा होने में असाधारण विलम्ब न हो क्या उपाय किए गए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पहिया संयंत्र को जून, 1982 में तथा धुरा यूनिट को जून, 1983 में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है ।

(ख) यलहंका में पहिया एवं धुरा संयंत्र का काम प्रगति के विभिन्न चरणों में है ।

(ग) वर्तमान कीमत पर लगभग 37.5 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्रतिवर्ष बचने की संभावना है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

गाड़ियों की गति में वृद्धि करना

5221. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों की गति में वृद्धि करना रेल प्रशासन का स्वीकृत कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों में किन-किन गाड़ियों की गति में वृद्धि की गई है (उन स्टेशनों के नाम सहित जिनके बीच में वे चलती हैं) और प्रत्येक की गति में वृद्धि से कितने समय की बचत की गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जिनकी गति विशेषकर उत्तर रेलवे में कम की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उनकी गति में भी फिर वृद्धि की जाएगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्नाटक में कम दूरी वाली रेल लाइनें

5222. श्री बी० बी० देसाई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्नाटक में तीन कम दूरी की रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण की मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण होना है और उसमें कौन-कौन से क्षेत्र आयेंगे ;

(ग) उक्त तीनों रेल लाइनें कब पूरी हो जायेंगी ;

(घ) इस कार्य के लिए कितनी राशि मंजूरी की गई है या दी जानी है ;

(ङ) क्या नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए प्रावधानों को घटा कर केवल इन तीन रेल लाइनों के लिए ही रखा गया है ; और

(च) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सभी रेल लाइनों के निर्माण का कार्य आरम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता । बहरहाल, चित्रदुर्ग (कर्नाटक) और रायदुर्ग (आन्ध्र-प्रदेश) के बीच एक लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण की लागत 3·96 लाख रुपये होगी । इस लाइन के निर्माण का निर्णय सर्वेक्षण पूरा होने के बाद ही किया जाएगा ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) किसी भी नई रेलवे लाइन के निर्माण के प्रश्न पर विचार तभी किया जा सकता है जबकि उस लाइन का सर्वेक्षण कर लिया गया हो और परियोजना लाभप्रद पायी गई हो और शर्त यह है कि इसके लिए धन भी उपलब्ध हो ।

दक्षिण एशियाई देशों के विदेशी सचिवों की बैठक

5223. **श्री बी० पी० देसाई :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में दक्षिण एशियाई देशों के विदेश सचिवों का एक सम्मेलन होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन के लिए स्थान निर्धारित कर दिया गया है ;

(ग) सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा किए जाने की सम्भावना है ;

(घ) इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है ; और

(ङ) क्या भारत भी इस सम्मेलन में भाग ले रहा है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) से (ङ) बंगला देश की सरकार ने पिछले वर्ष एक प्रलेख प्रमाणित किया था जिसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कृषि, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति आदि जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग की सम्भावनाओं का सुझाव दिया गया था । यह भी सुझाव दिया गया है कि इस विषय पर और आगे विचार करने के लिए विदेश सचिव के स्तर पर एक प्रारम्भिक बैठक की जाए । यह बैठक कोलम्बो, श्रीलंका में होगी और भारत इसमें भाग लेगा ।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया जाना

5224. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 5 को राजामुंद्री और इच्चापुरम के बीच चौड़ा करने और राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 43 को राजापुल्वे और सेलौर के बीच चौड़ा और मजबूत बनाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) हाल के वर्षों में, राजामुन्दरी तथा इच्छापुरम के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के इस खण्ड को पहले ही दो लेनों में चौड़ा कर दिया गया है सिवाय कुछ इक्के-दुक्के क्षेत्रों के जहां पर या तो बाइपास बनाया जाना है या उनका सुधार किया जाना है। ऐसे क्षेत्रों में पलासा, अंकापल्ली तथा इच्छापुरम के निकट उड़ीसा एन्क्लेव शामिल हैं। शारदा पुल के साथ-साथ दोहरी लेन वाले अंकापल्ली बाईपास के निर्माण के लिए अनुमानों को पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के जंक्शन (राजपुल्वे के निकट) से लेकर सलूर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 का सम्बन्ध है, इसे चौड़ा करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। सलूर तक 82 किलोमीटर लम्बाई में से 33.00 किलोमीटर लम्बी सड़क को चौड़ा करने की स्वीकृति दे दी गई है। इस सड़क के पक्के किनारों पर तारकोल बिछाने की व्यवस्था है। इसके अलावा, अलग-अलग हिस्सों में 10 किलोमीटर लम्बी सडक को पहले ही चौड़ा कर दिया गया है। यह प्रस्ताव है कि देश में धन की उपलब्धि तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की आपस की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान सड़क के बाकी बचे हिस्से में तारकोल की पक्की पटरियां बिछाकर सड़क को चौड़ा किया जाए।

फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस के भोजनयान से बरामद की गई तस्करी की वस्तुएं

5225. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 6 महीनों से रेल कर्मचारियों के सहयोग से रेल गाड़ियों के माध्यम से बड़ी संख्या में तस्करी की वस्तुएं भेजी जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में इस सहयोग में रेल कर्मचारियों का हाथ पाया गया है ; और

(ग) भविष्य में रेल गाड़ियों के माध्यम से तस्करी की वस्तुओं की ढुलाई रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है, क्या करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से ब्यौरे इकट्ठे किए जा रहे है और सभा पटल रख दिए जाएंगे।

पश्चिम तटीय कोंकण रेलवे

5226. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम तटीय कोंकण रेलवे के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना के निर्माण कार्य की धीमी गति के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह कार्य कब पूरा होगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) आप्ता से रोहा तक 62 कि० मी० लम्बी नई लाइन के निर्माण का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है । आप्ता से पैन तक के खण्ड को 30-6-81 को खोलने का लक्ष्य है । पैन से रोहा तक के द्वितीय चरण को दिसम्बर, 1981 में खोलने का लक्ष्य है ।

वास्को-मिराज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना

5227. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वास्को मिराज रेल लाइन को मीटर गेज लाइन से ब्राड गेज लाइन में बदलने के लिए बारम्बार मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) वास्को डिगामा से मिरज तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण कार्य चल रहा है ।

बेरोजगार स्नातकों को रोजगार

5228. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे विभाग में 1980-81 के दौरान कितने बेरोजगार स्नातकों को रोजगार दिया गया ;

(ख) क्या रेलवे टी-स्टाल और बुक स्टालों के आवंटन में भी शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को कोई प्राथमिकता दी गई ; और

(ग) यदि हां, तो कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को ऐसे स्टाल आवंटित किये गए ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) खान-पान/वेंडिंग के ठेके देने में अलग-अलग बेरोजगार स्नातकों को अधिमान्यता दी जाती है । जहां तक बुक-स्टालों का सम्बन्ध है भविष्य में उनका आवंटन व्यक्तिगत रूप से

बेरोजगार स्नातकों, उनकी सहकारी समितियों /एशोसिएशनों/साझीदारियों तथा वास्तविक कार्यकर्ताओं/वेन्डरों को उन सहकारी समितियों के लिए जो पहले से रेलवे बुक स्टालों से सम्बधित हैं, आरक्षित रखा गया है।

मध्य रेलवे का डिवीजनल कार्यालय

5229. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के डिवीजनल कार्यालय के भोपाल में किस तारीख से कार्य शुरू कर देने की संभावना है ;

(ख) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस कार्यालय की परिधि के अन्तर्गत किन-किन रेलवे स्टेशनों को लाये जाने का विचार है ; और

(ग) इस कार्यालय के खुल जाने से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) भोपाल में नये मण्डल कार्यालय की स्थापना करने के संबंध में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मध्य रेल प्रशासन को कहा गया है। इस परियोजना रिपोर्ट के पूरा हो जाने पर मंडल के उद्घाटन की तारीख, नए मण्डल में अन्तिम रूप से शामिल किए जाने वाले वर्तमान मण्डलों के खण्डों/ स्टेशनों और तैनात किए जाने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या जैसे विषयों पर निर्णय किया जाएगा।

सियालदह-डम-डम रेल मार्ग को दोहरा करना

5230. श्री चित्त बसु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन के सियालदह-डमडम के बीच रेल मार्ग को दोहरा करने की परियोजना में कितना प्रगति कार्य हुआ है ;

(ख) क्या यह परियोजना 1982-83 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो जायेगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार बाद में बोंगांव तक रेल मार्ग को दोहरा करने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दम-दम जंक्सन और दम-दम छावनी के बीच दोहरी लाइन बिछाने का काम 31.1.1981 को ही पूरा हो चुका है।

(ख) दम-दम छावनी से बारासत तक दोहरी लाइन बिछाने का काम 31.12.1981 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ग) जी नहीं।

दिल्ली में छोटे अस्पतालों की स्थापना करना

5231. **श्री राम चन्द्र रथ :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1981-82 के दौरान दिल्ली में कुछ छोटे अस्पतालों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) ये अस्पताल किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) इस बारे में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : (क) नहीं।

(ख) : यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : यह प्रश्न नहीं उठता ।

बलूरघाट से रेल संपर्क न होना

5232. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में वैस्ट दिनाजपुर के जिला मुख्यालय बलूरघाट का शेष देश से रेल सम्पर्क नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उत्तर बंगाल के इस पिछड़े जिले की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) समूचे भारत में ऐसे कितने और कौन-कौन से जिला मुख्यालय है जिनका रेल-सपर्क नहीं है और उसके राज्यवार कारण क्या है ; और

(घ) सभी जिला मुख्यालयों से रेल सम्पर्क बनाने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) गजोत के रास्ते एकलाखी से बलूरघाट तक (90 कि० मी०) नयी बड़ी लाइन के निर्माण के लिए 1972-73 में किए गए सर्वेक्षण से यह पता चला था कि इस योजना से इतना यातायात होने की संभावना नहीं है कि इसके निर्माण का औचित्य बन सके (प्रतिफल ऋणात्मक होगा) सीमित वित्तीय संसाधनों और इस योजना के अलाभप्रद स्वरूप के कारण, इस योजना के निर्माण कार्य को अभी तक शुरू करना सम्भव नहीं हो पाया है।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) भारत के उन जिला मुख्यालयों के नाम जो रेल से नहीं जुड़े हैं :—

जिला मुख्यालय का नाम	जिला
आंध्र प्रदेश	
1. करीम नगर	करीमनगर
2. संगरेड्डी	मेडक
3. नालगोंडा	नालगोंडा
4. श्रीकाकुलम	श्रीकाकुलम
बिहार	
1. हजारी बाग	हजारी बाग
2. दुमका	संथाल परगना
गुजरात	
1. कैरा	कैरा
2. आहवा	दी डेंग्स
हिमाचल प्रदेश	
1. चम्बा	चम्बा
2. किलांग	बाहुल स्पीति
3. कुल्लू	कुल्लू
4. काल्पा	किनानौर
5. मण्डी	मण्डी
6. कासोमपती	महासू
7. बिलासपुर	बिलासपुर
8. नाहन	सिरमूर

9. ऊना	ऊना

जम्मू-कश्मीर

1. उद्धमपुर	उद्धमपुर
2. अनंतनाग	अनंतनाग
3. रियासी	रियासी
4. मीरपुर	मीरपुर
5. पुंछ	पुंछ
6. बारामुला	बारामुला
7. लेह	लद्दाख
8. गिलजीत वजारत	गिलजीत वजारत
9. गीलास	गीलास
10. ट्रिवल क्षेत्र	ट्रिवल क्षेत्र
11. गिलगिट	गिलगिट
12. श्रीनगर	श्रीनगर
13. राजौरी	राजौरी
14. दोदा	दोदा

कर्नाटक

1. करवार	नार्थ कानारा
2. चिकमंगलूर	चिकमंगलूर
3. मरकारा	कुर्ग

केरल

1. मालापुरम	मालापुरम
2. अलैपी	अलैपी
3. इड्डुकी (अस्थाई रूप से कोट्टायम में)	इड्डुकी

मध्य प्रदेश	
1. झाबुआ	झाबुआ
2. धार	धार
3. खारगांव	खारगांव
4. टीकमगढ़	टीकमगढ़
5. छत्तरपुर	छत्तरपुर
6. पन्ना	पन्ना
7. सिद्धी	सिद्धी
8. अम्बिकापुर	सरगुजा
महाराष्ट्र	
1. रत्नागिरि	रत्नागिरि
2. ओसमानाबा	ओसमानाबाद
3. मीर	मीर
मणिपुर	
1. करोंग	सदर हिल
2. इम्फाल	मणिपुर सट्रल
3. तामेंगलौंग	मणिपुर वेस्ट
4. उखरुल	मणिपुर ईस्ट
5. चूरचन्द्रपुर	मणिपुर साउथ
मेघालय	
1. तूरा	गारो हिल्ज
2. जोवाई	शिलांग जैतिया और खासी हिल्ज
नागालैंड	
1. कोहिमा	कोहिमा

2. मोकोकचुंग	मोकोकचुंग
3. तुएनजेंग	तुएनजेंग
उड़ीसा	
1. छत्तरपुर	गंजम
2. भवानी पटना	कालाहंडी
3. फुलबनी	बौद्ध खोंडमाल्ज
4. क्योंझार	क्योंझार
5. सुन्दरगढ़	सुन्दरगढ़
राजस्थान	
1. सिरोही	सिरोही
2. बांसवाड़ा	बांसवाड़ा
3. टोंक	टोंक
4. बूंदी	बूंदी
5. झालावाड़	झालावाड़
त्रिपुरा	
1. कैलाशहर	नार्थ त्रिपुरा
2. अगरतल्ला	वेस्ट त्रिपुरा
3. उदयपुर	साउथ त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश	
1. उत्तरकाशी	उत्तरकाशी
2. चमोली	चमोली
3. पिथौरागढ़	पिथौरागढ़
4. अल्मोड़ा	अल्मोड़ा,
5. नैनीताल	नैनीताल
6. पौड़ी	गढ़वाल

7. नरेन्द्रनगर	टिहरी गढ़वाल
8. हमीरपुर	हमीरपुर
पश्चिम बंगाल	
1. बलूरघाट	पश्चिमी डिनाजपुर
अरुणाचल प्रदेश	
1. बोमडिला	कोमोंग
2. जिरे	सुबनसिरी
3. अलेंग	सिएंग
4. टोजू	लोहित
मिजोरम	
1. लशाई पहांड़ियां	एजाल
पांडिचेरी	
1. योनाम	योनाम
सिक्किम	
1. गैंगटोक	ईस्ट सिक्किम
2. मंगन	नार्थ सिक्किम
3. नामची	दक्षिण सिक्किम
4. ग्यालशिंग	वेस्ट सिक्किम

(घ) रेलों के विकास की कल्पना राज्य/क्षेत्रिक या जिले की दृष्टि से नहीं की जा सकती । देश की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया जाता है । इसके बाद योजना आयोग इसके लिए जितना साधन उपलब्ध कराता है, उन सीमाओं के भीतर ही समग्र रूप से रेलवे विकास के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाते हैं । नई रेलवे लाइनों की योजना सम्बन्धित क्षेत्र की परिवहन आवश्यकताओं के साथ घनिष्ट रूप से सम्बद्ध होती है । नयी लाइन की परियोजनाओं के बारे में विनिश्चय करने में वर्तमान रेल किलोमीटर दूरी की अपेक्षा प्रत्याशित यातायात की पर्याप्तता मार्गदर्शक मानदण्ड होता है ।

भूटान को दी गई सहायता

5233. श्री पीयूष तिरकी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूटान के विकास के लिए भारत सरकार किन परियोजनाओं में कार्य कर रही है ;

(ख) भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित होने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विकास कार्यों में लगे भारतीयों की श्रेणी-वार संख्या क्या है और उनके वेतनमान तथा सेवा की शर्तें क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से भूटान में इस समय निम्नलिखित परियोजनाओं पर काम चल रहा है :-

(1) चुखा परियोजना :

क्षमता	: 336 मैगावाट
अनुमानित लागत	: 150 करोड़ रुपये
पूरी होने की संभावित तारीख	: 1984-85

(2) मेलेगफुग लिफ्ट सिंचाई परियोजना फेज I

क्षेत्र	: 2,000 एकड़
अनुमानित लागत	: 1.53 करोड़ रुपये
पूरी होने की संभावित तारीख	: लगभग पूरी हो गई है ।

(3) थिम्फु को भारतीय सूक्ष्म-तरंग व्यवस्था से जोड़ने वाला भारत-भूटान सूक्ष्म-तरंग सम्पर्क

अनुमानित लागत	: 3.04 करोड़ रुपये

इसके अलावा 14-20 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित प्रतिवर्ष 1 लाख टन की क्षमता वाले पेंडन सीमेंट संयंत्र ने नवम्बर, 1980 में उत्पादन शुरू कर दिया ।

पिछली चार पंच-वर्षीय योजनाओं (1961-81) के दौरान, कुल 146.80 करोड़ रुपये की भारतीय सहायता दी गई थी । इस में लगभग 2,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण, भूटान के वन संसाधनों के सर्वेक्षण, खनिज संसाधनों की खोज और मानचित्रण, जल और सिंचाई परियोजनाओं, दूर-संचारों, विद्युत उत्पादन और संप्रेषण, बाढ़-पूर्वानुमान प्रणाली सहित जल एवं मौसम केन्द्रों के लिए अन्वेषण के सम्बन्ध में दी गई सहायता शामिल नहीं हैं, बहुत से भूटानी

विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों और प्रशिक्षण की सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। भारतीय विशेषज्ञों ने विशेष नियत-कार्यों को पूरा करने के सिलसिले में भूटान का दौरा भी किया है।

(ख) भूटान की पांचवी योजना में शामिल किए जाने के लिए विचाराधीन कुछ परियोजनाएं इस तरह से हैं :-

(1) मेलेगंफुग लिफ्ट सिंचाई परियोजना फेज II

(2) 20 किलोवाट लघु-तरंग प्रसारण केन्द्र

(3) मध्य भूटान में पूर्व से पश्चिम तक डायरेक्ट हुक-अप की व्यवस्था करने वाली पार्श्व सूक्ष्मतरंग सम्पर्क और

(4) पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पर रोड़ी बिछाना।

भूटान की शाही सरकार के साथ पांचवीं योजना के बारे में बात-चीत की जा रही है। इस पर कुल 274.10-करोड़ रुपये के विकास परिव्यय का अनुमान है।

(ग) भारतीय राष्ट्रिक काफी बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति के आधार पर और प्रत्यक्ष नियुक्ति पर भूटान में कार्य कर रहे हैं। 1 जनवरी, 1980 को प्रतिनियुक्ति पर भूटान में काम कर रहे भारत सरकार के अधिकारियों की संख्या 112 थी। इनमें सलाहकार, इंजीनियर, डाक्टर, बैंकर, अध्यापक, लेखाकार, तकनीकी और वैज्ञानिक कार्मिक तथा सहायक प्रशासनिक कर्मचारी शामिल हैं। भारत सरकार के प्रतिनियुक्त अधिकारी, समय समय पर निर्धारित की गई प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों पर कार्य करते हैं (मोटे तौर पर प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों की एक प्रति संलग्न है) (ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल० टी० 2221/81)। सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति सम्बन्धी सही-सही शर्तें उपलब्ध नहीं है। भूटान की शाही सरकार ने काफी बड़ी संख्या में मजदूरों की भी सीधी भर्ती की है।

रेल कर्मचारियों की पदोन्नति न होना

5234. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी जो लम्बे समय से सेवा में हैं और जो श्रेणियों में भी वरिष्ठ हैं अपने संशोधित वेतनमानों में पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या अधिकांश वरिष्ठ कर्मचारी संशोधित वेतनमान लागू होने की तारीख 1 जनवरी, 1973 से अपने उन्हीं पदों पर हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार के अन्य विभागों की सेवाओं की तरह रेल सेवाओं में भी पदोन्नतियां, उच्च ग्रेडों में उपलब्ध पदों की संख्या जिन्हें सामान्यतः कार्य की अपेक्षाओं के आधार पर स्वीकृत किया जाता है तथा उच्च पदों के लिए कर्मचारियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है अतः यह सम्भव है कि कुछ कोटियों के रेल कर्मचारी अपने वेतनमान के अधिकतम पर रुके पड़े हों। बहरहाल, इस स्थिरता के कारण हुई कठिनाई को कम करने के लिए समय समय पर निम्नलिखित कार्रवाईयां की गई हैं :-

(1) जहां तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश पर निर्धारित मान दन्डों के अनुसार प्रवरण ग्रेड अनुभेय एवं सम्भव है, वहां प्रवरण ग्रेड शुरू करना।

(2) विभागीय परिषद (सं० प० सं०) की समिति, जिसमें पदोन्नति के लिए उपलब्ध उच्च ग्रेड पदों के प्रतिशत में सुधार के लिए श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि शामिल हैं, की सिफारिश पर ग्रुप "ग" तथा "घ" कोटियों में विभिन्न सवर्गों की पुर्नसंरचना।

लोह अयस्क के लिए रैक

5235. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पारादीप पतन के लिए उड़ीसा के बराजमांडा क्षत्रों से लौह अयस्क उठाने के लिए कितने रैकों की मांग की गई ;

(ख) रेलवे द्वारा इस मांग को पूरा करने के लिए उपरोक्त अवधि के दौरान वास्तविक में कितने रैक सप्लाई किए ; और

(ग) इस मांग को पुरा न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) प्रतिदिन सामान्य, दो रेकों की मांग है।

(ख) प्रतिदिन 1.3 रैक सप्लाई किए गए।

(ग) औद्योगिक विवाद के कारण बन्दरगाह में स्टाक के रुके रहने, बन्दरगाह, बिजलीघरों तथा इस्पात कारखानों में स्टाक की बढ़ती रुकोनी और निष्क्रय वी. भो. एक्स माल डिब्बों में वृद्धि के कारण उनकी कम उपलब्धता जैसे कारणों से मांगे पूरी न की जा सकीं। विशेष किस्म के स्टाक में, पारादीप बन्दरगाह के माध्यम से निर्यात के लोह अयस्क की ढुलाई करने का हमारा सुझाव खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

महालक्ष्मी एक्सप्रेस और हुबली-बंगलौर पैसेंजर ट्रेन का देर से चलना

5236. **श्री टी. आर शमन्ना** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महालक्ष्मी एक्सप्रेस और हुबली-बंगलौर पैसेंजर ट्रेन निरपवाद रूप से बंगलौर बहुत देर से पहुचती है ; और

(ख) क्या सरकार मामले की जांच करेगी और यात्रा करने वाली जनता विशेषतया सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों और विद्यार्थियों और फैक्ट्री मजदूरों, जो टुमकुर में काम करते हैं परन्तु बंगलौर और अन्य स्थानों पर रहते हैं, को होने वाली कठिनाई से राहत दिलाएगी।

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 203/204 मिरज बेंगलूरु महालक्ष्मी एक्सप्रेस तथा 2591/292 हुबली-बेंगलूरु सवारी गाड़ी का समय पालन संतोषजनक नहीं रहा है ।

बहरहाल, उनके संचलन पर कड़ी नजर रखकर उनके समय पालन में सुधार लाने के लिए सभी व्यावहारिक प्रयास किये जा रहे हैं ।

फिरोजपुर एक्सप्रेस के भोजन-यान से बरामद की गई वस्तुएं

5?37. **श्री सत्यनारायण जाटिया** :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 फरवरी, 1981 को दिल्ली जंकशन पर बम्बई फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस के भोजन-यान से कितने मूल्य की वस्तुएं बरामद की गईं थीं ; और

(ख) जनवरी, 1980 और जनवरी, 1981 के बीच पश्चिम रेलवे पर रेलगाड़ियों पर मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 24 फरवरी, 1981 को दिल्ली जंकशन पर बम्बई—फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस के भोजनयान से राजकीय रेलवे पुलिस, दिल्ली द्वारा लगभग 2,50,000 रुपए मूल्य की वस्तुएं बरामद की गयी थी ।

(ख) जनवरी,1980 तथा जनवरी, 1981 के बीच पश्चिम रेलवे पर रेलगाड़ियों में कोई छापा नहीं मारा गया था । इसलिए कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता ।

अनूसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जारी किए गए राष्ट्रीय परमिट

5238. **श्री भिखा भाई** ; क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जारी किए गए राष्ट्रीय परमिटों की प्रतिशतता क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : राष्ट्रीय परमिट मंजूर करने में आरक्षण की व्यवस्था मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम 1978 के द्वारा आरम्भ की गई थी । इसे 16-1-1979 से लागू किया गया है । उस समय से, केवल 5 सामान्य श्रेणी के राष्ट्रीय परमिटों को छोड़कर जिनके आवंटन का निर्णय काफी समय पूर्व लिया जा चुका था राज्य परिवहन प्राधिकरण दिल्ली द्वारा न्यायालय के केस के कारण कोई भी नए राष्ट्रीय परमिट जारी नहीं किए गए हैं ।

विदेश मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को सामान्य उम्मीदवारों से भरा जाना

5239. **श्री भीखा भाई :**

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश मंत्रालय के विभिन्न विभागों में विभिन्न सेवा श्रेणियों अर्थात् ख, ग और घ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बहुत से पद सामान्य उम्मीदवारों में से भरे गए थे ;

(ख) यदि हां, तो 1978, 1979 और 1980 के दौरान इन पदों का श्रेणीवार ब्योरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के हित में आरक्षित पदों को सामान्य पदों में बदले जाने पर रोक लगाने का है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसे पदों का ब्योरा इस प्रकार है :—

	1978	1979	1980
समूह "ख"	52	79	111
समूह "ग"	22	10	58
समूह "घ"	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

इन आरक्षित पदों का आरक्षण समाप्त किया गया, उन्हें अगले भर्ती वर्ष में ले जाया गया और तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पात्र उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने के कारण उन पर सामान्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करनी पड़ी ।

(ग) ऐसे सभी मामलों में विदेश मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय के कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का अनुसरण करता है। इस समय ऐसी रोक लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मैसर्स सिमको वैगन फैक्ट्री, भरतपुर में उत्पादन

5240. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ तत्व मैसर्स सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में उत्पादन में व्यवस्थित ढंग से गड़बड़ कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है अनिच्छुक श्रमिक उत्पादन में बाधा डालते हैं ;

(ग) यदि हां, तो श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच मतभेदों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि तालाबन्दी के कारण सरकार श्रमिकों और प्रबन्धकों को करोड़ों रुपए की हानि हुई थी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मैसर्स सिमको वैगन फैक्टरी भरतपुर के उत्पादन में रुकावट डालने के लिए पहले से कोई साजिश की गई हो इस बात की रेल मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) रेल मंत्रालय को मैसर्स सिमको से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि बरखास्त किए गए कुछ कामगारों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर गैर कानूनी गतिविधियों का सहारा लिया है।

(ग) श्रमिक मतभेद जैसी समस्याओं को हल करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है बहरहाल, ताला-बन्दी के दौरान, रेल मंत्रालय ने राजस्थान सरकार से अनुरोध किया था कि प्रबन्ध और श्रमिकों के मतभेद को दूर करने के लिए इस फार्म को आवश्यक सहायता दी जाये।

(घ) रेल मंत्रालय को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

अस्थाई कर्मचारी

5241. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में काम करने वाले अस्थाई कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनका विभाग-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उनके लिए कोई सेवा नियम बनाए गए हैं यदि हां, तो क्या उनको अपने-अपने विभागों में स्थायी बनाने के लिए कोई व्यवस्था है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

वात ज्वर के कारण बच्चों की मृत्यु

5242. श्री चित्त महाटा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में वात ज्वर के कारण शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की कितनी मौतें हुई ; और

(ख) वात-ज्वर के कारण बच्चों की मृत्यु रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए ;

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) वात-ज्वर के कारण होने वाली मौतें सूचित नहीं की जाती हैं और इस प्रकार प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) वात-ज्वर के उपचार की सुविधाएं देश के सभी सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध हैं । तथापि वात-ज्वर को रोकने तथा उसके इलाज की कोई राष्ट्रीय योजना नहीं है ।

भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा विदेशी यात्रियों को दिए गए उपहार

5243. श्री एन० ई० होरो : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1978 से 31 जनवरी, 1981 के दौरान भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने भारत में तथा विदेशों में विदेशी यात्रियों को उपहार में दी गई पुस्तकों तथा भारतीय कलात्मक वस्तुओं के नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक का मूल्य कितना-कितना था ;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनसे उक्त पुस्तकें तथा कलात्मक वस्तुएं खरीदी गई थीं ;

(ग) उन वस्तुओं संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनकी कीमत कितनी है जो नकद अदायगी करके खरीदी गई थी और उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उक्त खरीदों के लिए कोई टेंडर आमंत्रित किए गए थे ; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन फर्मों ने टेंडर नोटिस का उत्तर दिया था ?

विदेश मन्त्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) और (ख) 1 जुलाई 1978 से 31 जनवरी, 1981 की अवधि में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने विदेशी अतिथियों को अपने प्रकाशन ही भेंट किए थे। परिषद ने कलाकृति आदि भेंट नहीं की थी। लेकिन 1 जुलाई, 1978 से 31 दिसम्बर 1979 के बीच परिषद ने आमंत्रित विदेशी अतिथियों को सैन्ट्रल काटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम से खरीदकर 'सोवनियर' दिए थे।

(ग) जनवरी 1980 से, एकजानी-मानी स्थानीय फर्म से मानक स्मृति-चिह्न उधार खरीदकर विशिष्ट विदेशी अतिथियों को भेंट कर दिए जाते है। ये स्मृति-चिह्न उक्त फर्म से उसी दर पर खरीदे जाते हैं जिस पर वह इन चीजों को दूसरे मन्त्रालयों और सम्बद्ध संगठनों को सप्लाई करती है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [मन्त्रालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०-2222 81]।

(घ) चूंकि ये चीजें छोटी-छोटी हैं और इनकी जरूरत भी यदाकदा पड़ती है, इसलिए टेंडर मांगने की औपचारिकता नहीं बरती जाती।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटेन के सहयोग से ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का कार्यान्वयन

5244. **श्री अनादि चरण दास** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा के उन जिलों के गांवों की संख्या कितनी है जिनको ब्रिटेन के सहयोग से ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं के अन्तर्गत लिए जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : उड़ीसा में ग्राम स्वास्थ्य योजना का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसे ब्रिटिश सरकार के सहयोग से चलाया जाना है। वैसे, सरकार ने ब्रिटिश सरकार की सहायता से उड़ीसा के पांच जिलों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए एक योजना बनाई है। उड़ीसा सरकार ने जो परियोजना प्रस्ताव तैयार किया है उसके अनुसार इन जिलों के 23.663 गांवों को उसमें लिया जायेगा।

आर० के० पुरम, नई दिल्ली में पोलो क्लीनिक का खोला जाना

5245. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में आर० के० पुरम, मोती बाग और अन्य समीपवर्ती कालोनियों के पूरे क्षेत्र की आवश्यकताओं को केवल एक आयुर्वेदिक औषधालय और एक होम्योपैथिक औषधालय पूरी करता है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को असुविधाएं होती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक्स-रे, ई.सी.जी. आदि जैसी मूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए आर० के पुरम में कोई पौलिक्लीनिक नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार सेक्टर 1 से 4 ब्लाक, आर० के० पुरम, में इन औषधालयों और पौलीक्लीनिक का एक सेट कब तक खोलने का है और क्या सेन्टर 1 और 4 आर० के० पुरम, नई दिल्ली के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को एलोपेथिक औषधालय के आवास के लिए निर्मित की जाने वाली इमारत में इनके लिए व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) फिलहाल एक आयुर्वेदिक और एक होम्योपैथिक औषधालय पर्याप्त समझे गए हैं।

(ख) जी हां। तथापि ये सुविधायें नजदीक के सफदरजंग अस्पताल में उपलब्ध हैं।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

भतसा रेलवे स्टेशन

5246. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर प्रभाग में कानपुर और कासगंज के बीच एक भतसा नाम का रेलवे स्टेशन है जोकि तुर्क ललाई गांव पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आता है और भतसा गांव से तीन किलोमीटर दूर है और यदि हां, तो इस रेलवे स्टेशन का नाम भतसा रखने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या रेलवे स्टेशन के लिए भूमि भी गांव पंचायत ने दी है। गांव वालों की यह मांग है कि इस स्टेशन का नाम तुर्क ललाई रखा जाए ;

(ग) यदि हां, तो सरकार को इस स्टेशन का नाम तुर्क ललाई रखने में क्या आपत्ति है ; और

(घ) क्या सरकार इस स्टेशन का नाम भतसा से बदल कर तुर्क ललाई रखने पर विचार करेगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जत नगर मंडल में कानपुर-अनवरगंज-कासगंज खण्ड पर करीमगंज तथा समसावाद स्टेशनों के बीच स्थित भटासा हाल्ट स्टेशन 1-9-1970 को खोला गया था वर्तमान नीति के अनुसार, इस हाल्ट स्टेशन का नाम उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर रखा गया। किसी स्टेशन का नाम सम्बन्धित राज्य सरकार की सिफारिस पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार के विधिवत अनुमोदन से ही बदला जा सकता है। इससे पूर्व भटासा रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने का प्रस्ताव वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

गैर सरकारी क्षेत्र से खरीदे गये वैगन

5247. **श्री दया राम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र से 1978-79 से 1980-81 तक प्रत्येक वर्ष कितने वैगन खरीदे गए और है इनकी खरीद के लिए कितनी राशि दी गई है ;

(ख) वैगन बनाने वाले गैर सरकारी क्षेत्र के कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता क्या है और क्या वे निर्माण के मामले में रेलवे की मांग को पूरा कर रहे हैं ; और

(ग) वर्तमान और छठी योजना के अन्त तक आगामी वर्षों में इनकी आवश्यकता क्या है और यह मांग कहां से पूरी की जाएगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र में माल डिब्बा निर्माण इकाइयों की माल डिब्बों के निर्माण के लिए वार्षिक स्थापित क्षमता नीचे दी गयी है :—

फर्म का नाम	(चौपाहियों के हिसाब से) वार्षिक स्थापित क्षमता
मैसर्स सिमको, भरतपुर	2,000
मैसर्स एच० जी० आई०, नांगलोई	1,000
मैसर्स मांडर्न इंडस्ट्रीज, साहिबाबाद	2,000
मैसर्स टेक्समैको, कलकत्ता	3,600

1978-79 से 1980-81 (जनवरी, 81 तक) के दौरान उपरोक्त इकाइयों द्वारा जो माल डिब्बों की वास्तविक सप्लाई की गई तथा उनको क्रमिक वर्षों के दौरान (इस्पात की लागत सहित) जो भुगतान किया गया उसका विवरण नीचे दिया गया है :—

(चौपाहियों/करोड़ रुपयों में)

फर्म का नाम	1978-79 *		1979.80 *		1980-81 (जनवरी, 81 तक)	
	वर्ष के दौरान सप्लाई किए गए माल डिब्बे	किया गया भुगतान	वर्ष के दौरान सप्लाई किए गये माल डिब्बे	किया गया भुगतान	वर्ष के दौरान सप्लाई किए गये माल डिब्बे	किया गया भुगतान
मैसर्स सिमको, भरतपुर	2348	10.90	1795	10.77	690.5	4.45
मैसर्स एच० जी० आई०, नांगलोई	96	0.75	129	0.36	54.5	8.13
मैसर्स मांडर्न इंडस्ट्रीज,	657	3.00	588	4.27	677.5	2.98
मैसर्स टैक्समैको	1866	10.60	2777	15.17	3116	19.70

* यह वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान का द्योतक है और उस वर्ष सप्लाई किए गये माल डिब्बों की संख्या के तदनुरूप नहीं है।

(ग) छठी योजना (1980-81 से 1984-85) की अवधि के दौरान योजना आयोग ने चौपहिये, के हिसाब से 1,00,000 माल डिब्बों की खरीद की सहमति दे दी है। इन माल डिब्बों को देश में ही प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

रेलवे सुरक्षा बल की 8-सूत्री मांगें

5248. श्री दयाराम शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसोसिएशन ने अपनी 8-सूत्री मांगों के समर्थन में 26 नवम्बर, 1980 को संसद भवन के सामने एक प्रदर्शन करना था;

(ख) क्या उक्त प्रदर्शन को विफल करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल प्रशासन ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसोसिएसन के सदस्यों को छुट्टी तथा रेलवे पास न देने के आदेश जारी कर दिए थे ;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के निदेशों पर, आल इंडिया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को एक करार के अधीन उनकी 8-सूत्री मांगों पर 3 मास के भीतरी ही अन्तिम निर्णय करने का वायदा किया था ; और

(घ) क्या उक्त मांगों पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) ; (क) जी हां। लेकिन प्रस्तावित प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया था।

(ख) जी हां, यह देखने के लिए कि वर्दीवारी बल में और प्रशासनिक हित में भी कोई अप्रिय घटना न हो।

(ग) रेल सुरक्षा बल के जवानों के प्रतिनिधियों और रे० सु० ब० के महानिरीक्षक के बीच अनौपचारिक बातचीत के दौरान प्रतिनिधियों को सूचित किया गया था कि उनकी बकाया मांगों पर रेलवे बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है और बकाया मुद्दों के बारे में अगले दो से तीन महीने के भीतर अन्तिम निर्णय कर लिए जाने के प्रयास किए जाएंगें।

(घ) रेल सुरक्षा बल के जवानों की बकाया मांगों के बारे में वित्तीय तथा अन्य तंगियों को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष के आधार पर अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों के परामर्श से रेल मन्त्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

वैगनों का आवंटन

5249. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वैगनों के आबंटन में व्याप्त अनियमितताओं और कदाचार को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि माल डिब्बों का आवंटन पूर्णतया प्राथमिकता और पंजीकृत मांगों की क्रम संख्या के अनुसार किया जाये, सभी लदान स्थलों पर माल डिब्बा प्राथमिकता रजिस्टर रखा जाता है। भारतीय रेलों के सतर्कता, वाणिज्य और परिचालन विभागों द्वारा निवारक तथा अचानक की जाती है ताकि माल डिब्बों के आवंटन में कोई अनियमितता और कदाचार न होने पाये और विभिन्न स्थलों के रास्ते कोटों तथा लागू प्रतिबन्धों का उल्लंघन करते हुए लदान न किया जाये। जब कभी कदाचार और अनियमितता के मामले पकड़े जाते हैं तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। यदि नियमों और कार्यविधियों में कोई त्रुटि पायी जाती है, तो कदाचार के कारणों को दूर करने के लिए उनमें आशोधन कर दिया जाता है। जब कभी कदाचार और अनियमितताओं के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनकी कड़ी जांच-पड़ताल की जाती है और उन्हें दूर करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

माल डिब्बों के आवंटन में कदाचार और अनियमितताओं सहित भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं पर निगरानी रखने के उद्देश्य से विशेष अभियान भी चलाये जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक औषधियों के उत्पादन के मामलों में किस्म नियंत्रण

5250. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक औषधियों के उत्पादन के मामले में कोई किस्म नियंत्रण व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो किस तन्त्र द्वारा किस्म नियंत्रण लागू किया जाता है;

(ग) क्या के० स० स्वा० सेवा औषधालयों के उपयोग में लाई जाने वाली औषधियों और सम्पाकों (प्रिपेरेशन) की किस्म निर्धारित स्तर की है ; और

(घ) यदि हां, इन औषधियों और सम्पाकों (प्रिपेरेशन) की खरीद से पहले स्तर किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) आयुर्वेदिक चिकित्सा आयुर्वेदिक दवाओं की क्वालिटी का नियंत्रण उन्हें चख कर रंग और गूढ़ेपन के आधार पर करते हैं।

(ग) हां।

(घ) यह मानक उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित क्वालिटी नियन्त्रण के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैय्या करने के लिए कदम

5251. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या इन उपायों परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई सुधार हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें समुन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण औषधालयों, उप-केन्द्रों के जरिए तथा विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों और योजनाओं जैसे समयानुकूलन चिकित्सा शिक्षा योजना, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना, परम्परागत प्रसव करवाने वाली दाइयों की प्रशिक्षण योजना, जन स्वास्थ्य रक्षक योजना आदि के जरिए दी जाती हैं।

पहली अप्रैल, 1980 को देश में 5499 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे थे। छठी पंचवर्षीय योजना में 600 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार है।

पहली अप्रैल, 1980 को 340 समुन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे थे। छठी योजना के दौरान 174 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उन्नत करके 30-30 पलंगों वाले ग्रामीण अस्पताल बनाने का विचार है। इसी प्रकार 40,000 और उप-केन्द्रों को इस छठी योजना में खोलने की भी योजना है। ये उप-केन्द्र वर्तमान 49,323 उप-केन्द्रों के अतिरिक्त होंगे।

पहली मार्च, 1981 को 1,59,897 जन स्वास्थ्य रक्षक देश में काम कर रहे थे। छठी पंचवर्षीय योजना में 2.2 लाख जन स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षण देने का विचार है;

रेल गाड़ियों में डकैतियां

5252. **श्री राम अवध** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत एक वर्ष में रेलगाड़ियों में हुई डकैतियों की घटनाओं की संख्या कितनी है ; और

(ख) उनके परिणामस्वरूप जान व माल की कितनी हानि हुई है और तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1980 के दौरान भारतीय रेलों पर चलती गाड़ियों में लूटपाट। डकैतियों के 351 मामलों की रिपोर्ट की गयी।

(ख) इन मामलों में 15 यात्री मारे गये और इसमें 1,25,85,296 रुपए की यात्रियों की निजी सम्पत्ति को हानि होने की रिपोर्ट है।

मुगलसराय और विहिया के बीच भूमि का पट्टे पर दिया जाना

5253. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में मुगलसराय और बिहिया रेलवे स्टेशनों के बीच सरकारी भूमि को पट्टे पर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक स्थल पर भूमि का कितना क्षेत्र पट्टे पर दिया गया है ; और

(ग) पट्टाधारी किस आय वर्ग के हैं और उनमें से कितने पट्टाधारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय मुगलसराय और बिहिया स्टेशनों से है जो पूर्व रेलवे पर स्थित हैं। इन स्टेशनों पर कुछ भूमि लाइसेंस के आधार पर दी गई हैं।

(ख) मुगलसराय में 5.25 एकड़ भूमि के 19 प्लाट लाइसेंस के आधार पर दिये गये है। बिहिया में 5161 वर्ग गज, भूमि क्षेत्र के कुल 25 प्लाट लाइसेंस के आधार पर दिए गए हैं।

(ग) चूंकि "अधिक अन्न उपजाओ" कार्यक्रम के लिए लाइसेंस के आधार पर भूमि देने को छोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है इसलिए इस प्रकार की सूचना रेलवे द्वारा नहीं रखी जाती है।

जूनियर डाक्टरों की विचाराधीन मांगें

5254. श्री अमर राय प्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले एक वर्ष में स्वास्थ्य मन्त्रालय के विचाराधीन दिल्ली/नई दिल्ली के जूनियर डाक्टरों की मांगों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : दिल्ली के जूनियर डाक्टरों की फैडरेशन की मांगें, समझौते की शर्तें और/उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी०—2223/81] । फैडरेशन ने ये मांगें अपने 5 जून, 1980 के पत्र में की थीं।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का अप्रभावी होना

5255. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंध देश में खाद्य अपमिश्रण के खतरे को रोकने के लिए पूरी तरह से प्रभावी नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस में संशोधन करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्ध पर्याप्त हैं। इसलिए इस अधिनियम में संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे विभाग द्वारा ठेके पर नियुक्त किए गए श्रमिक

5256. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग द्वारा अभी भी ठेके पर श्रमिक नियुक्त किए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में ठेके पर नियुक्त किए गए श्रमिक की औसत संख्या क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार रेल विभाग में ठेका श्रमिक पद्धति समाप्त करने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों पर ऐसे कार्यों को जो बाहरों मास नहीं चलते और जिन पर पूर्णकालिक नियमित रेल कर्मचारियों को लगाना जरूरी नहीं होता, आमतौर से ठेकेदारों के मजदूरों के जरिये पूरा कराया जाता है और ये कार्य हैं—यानान्तराण स्थलों पर माल। पार्सलों की सम्हलाई, कोयले की सम्हलाई, राख गत की सफाई और भाप रेल इंजन शैडों में सिडर चूनना तथा बड़े पैमाने पर इन्जीनियरी निर्माण कार्य आदि।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

रेल कर्मचारियों को परेशान किया जाना

5257. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जनवरी, 1980 में "ब्लिट्ज" में छपे "रेलवे वेन्डेटा" शीर्षक से इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि रेलवे अधिकारी उन रेल कर्मचारियों को परेशान करते हैं, जो भ्रष्ट अधिकारियों का भण्डाफोड़ करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

विवरण

(ख) 1-5-1970 को श्री बी० एल० नरसिंहमन ने सहायक इन्जीनियर। वरोरा और मण्डल इन्जीनियर। नागपुर के विरुद्ध ठेकेदारों को गलत भुगतान का आरोप लगाते हुए एक शिकायत की थी। उसकी जांच करने से पता चला कि शिकायत झूठी थी। चूंकि इसमें राजपत्रित अधिकारी अन्तर्ग्रस्त थे, इसलिए वर्तमान परिपाटी के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श लिया गया और उन्होंने मामले को समाप्त करने और शिकायतकर्ता के विरुद्ध कड़े दण्ड की कार्यवाही आरम्भ करने की सलाह दी।

19-6-1971 को सम्बन्धित कर्मचारी को आरोप पत्र जारी किया गया था और उसके प्रतिवाद पर विचार करने के बाद, इस मामले की श्री राम टेक, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर द्वारा जांच की गयी थी, लेकिन अनुशासनिक प्राधिकारी ने निर्णय दिया कि कुछ पहलुओं की और अधिक तहकीकात आवश्यक है। इसी बीच, श्री राम टेक, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर स्थानान्तरित हो गए और अन्य अधिकारी श्री जे० आर० सावन्त से आगे जांच करने के लिए कहा गया था। अनुशासनिक प्राधिकारी ने विनिश्चय किया कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट अपूर्ण है और, चूंकि पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है, अतः अनुशासनिक प्राधिकारी ने स्वयं ही जांच का काम प्रारम्भ किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री नरसिंहमन, सहायक इन्जीनियर तथा मण्डल इन्जीनियर के विरुद्ध झूठी शिकायत करने का दोषी है। उन्होंने वेतन को 320 रुपये से घटाकर 250 रुपये करने का दण्ड दिया, जिसे अपील करने पर संशोधित करके एक वर्ष की अवधि के लिए बिना संचयी प्रभाव के 320 रुपये से 305 रुपये कर दिया गया। श्री नरसिंहमन ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया जिसमें गुण-दोष के आधार पर नहीं बल्कि प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताओं एवं तकनीकी खामियों के आधार पर वेतन की कटौती के आदेश को अन्तिम रूप से निरस्त घोषित कर दिया। प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए मामले में नये सिरे से कार्यवाही के लिए प्रशासन स्वतन्त्र था। चूंकि वित्तीय फालितार्थ अधिक नहीं था-केवल 383 रुपये की बात थी—इसलिए प्रशासन ने अपील दायर न करने का विनिश्चय किया और न्यायालय को इस राशि का पे आर्डर प्रस्तुत करते हुए कोर्ट की डिग्री का सम्मान किया।

जहां तक श्री नरसिंहमन के एक वर्ष की अवधि में 9 स्थानों पर स्थानान्तरण के आरोप का सम्बन्ध है, यह तथ्य पर आधारित नहीं है। जहां तक कि शिकायत करने के पूर्व भी 26 मार्च, 1970 को श्री नरसिंहमन को वरोरा से ग्वालियर स्थानान्तरित किया गया था लेकिन उन्होंने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और छुट्टी लेने के बाद 12 अगस्त 1970 को ग्वालियर में अपनी ड्यूटी सम्हाली थी। एक अनुभवी फील्ड पर्यवेक्षक होने के नाते और ग्वालियर में प्रमुख निर्माण-कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् 30-11-1970 को उन्हें महाद स्थानान्तरित कर दिया गया था क्योंकि उच्च प्राथमिकता के आधार पर कोंकण रेलवे का सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया था और उन्होंने वहां 17-1-1971 को ड्यूटी की रिपोर्ट की थी। उक्त सर्वेक्षण कार्य के पूरा हो जाने पर उन्हें पुणे स्थानान्तरित कर दिया जहां 17-1-1972 को उन्होंने ड्यूटी की रिपोर्ट की थी और अभी तक वहीं काम कर रहे हैं। इस प्रकार, यह कहना सही नहीं है कि एक वर्ष के

दौरान उन्हें 9 स्थानों पर स्थानान्तरित किया गया था और समाचार में जिन स्टेशनों का उल्लेख किया गया है वे सभी कोंकण रेलवे के भाग हैं, सर्वेक्षण कार्य के दौरान, जिनका दौरा समस्त सर्वेक्षण दल द्वारा किया गया था जिनमें एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर भी शामिल थे।

विद्युत चालित रेल इन्जनों का निर्माण

5258. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युतचालित रेल इन्जनों के निर्माण के लिए एक अन्य एकक की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) संभवत "पावर" रेल इन्जनों का आशय "बिजली" रेल इन्जनों से है। "बिजली रेल इन्जनों के लिए किसी नयी इकाई की स्थापना करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन ऐसे रेल इन्जनों के निर्माण के लिए क्षमता बढ़ाने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइन्सेज का प्राधिकरण

5259. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन केन्द्री मंत्री ने 5 मार्च, 1979 को लोक सभा में कहा था कि सरकार यूनिवर्सिटी कालेज आफ मैडिकल सान्ईसेज अधिग्रहीत कर लेगी ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि उसका अधिग्रहण अभी तक नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक अधिग्रहीत कर लिया जाएगा ; और

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत चिकित्सा छात्रों की मांगों का ब्यौरा क्या है ; और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उनकी मांगें कब तक पूरी कर दी जाएंगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) लोक सभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 5 मार्च, 1979 को दिए गए उत्तर में यह बताया गया था कि छात्रों के प्रतिनिधियों ने यह बात दोहराई है कि मंत्रालय द्वारा कालेज को शीघ्र अपने अधिकार में लेने के अलावा वे किसी अन्य बात से संतुष्ट नहीं हो सकते और यही प्रस्ताव था जिस पर सरकार कार्य कर रही थी। इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज के छात्र संघ के तारीख 3-4-79 के पत्र में दी गई मांगें और सरकार द्वारा तारीख 6-4-79 के पत्र संख्या ए० 12026/13/78-सी० एच० एस० 4/एम० ई० (यू० जी०) के अन्तर्गत मानी गई मांगें और मांगों की नवीनतम स्थिति का एक विवरण

संघ के तारीख 3-4-79 के पत्र में निहित मांगें	मांगों का सार जो सरकार द्वारा मंजूर किया गया	मांगों की नवीनतम स्थिति
1	2	3
संघ यह चाहता है कि आन्दोलन वापस लेने के लिए मंत्रालय को लिखित रूप में निम्न-लिखित वचन देने चाहिए ।		
1. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कालेज का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया है और इसके पश्चात कानूनी कार्यवाही की जाएगी। कालेज और सफदरगंज अस्पताल को एक ही अधिकारी के अधीन लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है	कृपया प्रश्न के भाग (क) का उत्तर देखें	इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने पर विचार किया जा रहा है ।
2. अप्रैल, 1979 के अन्त तक यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेस के छात्रों को धर्मशाला उपलब्ध करा दी जाएगी ।	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से यह पता लगाया गया है कि वे अधिक से अधिक 15 जून 1979 तक धर्मशाला का कब्जा दे देंगे ।	सात बैरकें जो कब्जे के लिए तैयार थी यूनिवर्सिटी कालेज आफ मैडिकल साइंसेस को होस्टल के रूप में इस्तेमाल करने के

1	2	3
	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करने के लिए कहा जाएगा।	लिए दे दी गई थी। चूंकि धर्मशाला छात्रों को होस्टल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तब तक दी जानी थी जब तक बैरकें कब्जे के लिए तैयार नहीं हो जातीं, और
3. बैरकों की मरम्मत की जाएगी और ये 1979 के अन्त तक चिकित्सा छात्रों को दे दी जायेंगी।	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया था कि जैसे ही ये बैरकें रक्षा मन्त्रालय द्वारा उनको दी जायें वे उन बैरकों की मरम्मत का कार्य तेजी से करें।	बैरकें यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइसेंस को पहले ही दे दी गई है, इसलिए यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइसेंस को धर्मशाला देने का अब प्रश्न नहीं उठता।
4. उपयुक्त घास लगाने के बाद जून, 1979 में छात्रों को खेल का मैदान उपलब्ध करा दिया जाएगा।	इस मामले में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ जोरदार ढंग से पैरवी की जा रही है और आशा है कि यह खेल का मैदान जून, 1979 के अन्त तक तैयार हो जाएगा।	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने दिसम्बर, 1980 में सूचित किया था कि खेल का मैदान बन कर तैयार हो गया है और इसे यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज के प्रिन्सीपिल द्वारा अपने अधिकार में लिया जा सकता है। इस मंत्रालय ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/उद्यान विभाग के निदेशक से यह अनुरोध किया है कि यह खेल का मैदान यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइसेंज को सौंप

1	2	3
		दिया जाए । यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज के प्रिन्सिपल को इस बारे में सूचित कर दिया गया है ।
5. पिछले वर्ष किए गए करार के अनुसार बाहर रोगी विभाग द्वितीय चरण का मई, 1980 तक निर्माण हो जाएगा ।		केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से यह सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज को सौंपने के लिए बाह्य रोगी विभाग चरण 2 ब्लाक बन कर कब तक तैयार हो जाएगा ।
6. किसी भी कीमत पर न तो अस्पताल के और न ही कालेज के शिक्षणकार्य में बाधा पड़े । भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों के अनुसार क्लिनिकी शिक्षण स्टाफ तत्काल उपलब्ध किया जाएगा ।	सरकार क्लिनिकी शिक्षण तथा संतोषप्रद शिक्षण व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और योग्यताप्राप्त स्टाफ उपलब्ध करने हेतु शीघ्र उपाय करेगी ।	यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज का नियंत्रण दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है । इस प्रकार यह ऐसा मामला है जो दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आता है ।
7. यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज के छात्रों को किसी भी तरह सताया नहीं जाएगा और मेडिकल की हड़ताल की पूरी अवधि को माफ कर दिया जाएगा तथा इन्टर्नों के वजीफों में कोई कटौती नहीं की जाएगी ।	सरकार छात्रों और इन्टर्नों को नहीं सताएगी । सरकार दिल्ली विश्वविद्यालय से अनुरोध करेगी कि यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज के छात्रों/इन्टर्नों को तंग न किया जाए ।	यह मामला पहले ही तय किया जा चुका है ।

गांधीधाम भुज लाइन का बदला जाना

5260. श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गांधीधाम से भुज तक की मीटरगैज लाइन को बड़ी लाइन में कब तक बदल दिया जाएगा ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : यह, गांधीधाम-भुज का बड़ी लाइन में बदलाव और गांदवी के रास्ते भुज से लखपत तक बड़ी लाइन के विस्तार का एक मिला जुला सर्वेक्षण कार्य जो प्रगति पर है अनुमोदन हो जाने तथा धन उपलब्ध होने पर इस परियोजना के पूर्ण होने में पांच वर्ष लगने की संभावना है।

111 डाउन/112 अप सवारी गाड़ी को उज्जैन तक चलाया जाना

5261. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे की उज्जैन-नागदा रेल लाइन पर प्रतिदिन कितनी सवारी और माल गाड़िया चलती है ;

(ख) क्या 111 डाउन/112 अप सवारी गाड़ी को उज्जैन तक बढ़ाए जाने के बारे में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए है ;

(ग) यदि हां, तो यह रेल सेवा रतलाम और उज्जैन के बीच कब तक उपलब्ध की जाएगी ;

(घ) क्या इस रेल सेवा को पहले कभी बढ़ाया गया था, यदि हाँ, तो अब ऐसा करने में क्या कठिनाई है ;

(ङ) क्या 15.00 बजे (उसी दिन) के पश्चात् नागदा से उज्जैन के लिए कोई सवारी गाड़ी की सेवा उपलब्ध है ; और

(च) यदि हां, तो उसका समय क्या है और यदि नहीं, तो इस प्रकार की सेवा उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उज्जैन-नागदा खंड पर प्रतिदिन 3 जोड़ी सवारी गाड़ीयां तथा औसतन 14.5 जोड़ी माल गाड़ियां चल रही हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) यद्यपि 29-3-80 से 31-3-80 तक और 8-4-80 [illegible] तक लगे सिन्हास्थ मेले के दौरान मेले की भारी भीड़ की निकासी के लिए 111/112 सवारी गाड़ियों को

उज्जैन तक/से चलाया गया था। लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों के कारण इनका चालन क्षेत्र नियमित रूप से बढ़ाना व्यावहारिक नहीं है।

(ङ) जी नहीं।

(च) अप्रर्याप्त लाइन क्षमता के कारण इस खंड पर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना सम्भव नहीं है।

इनघोटा और इचौली रेलवे स्टेशनों के बंद किए जाने की जांच

5262 श्री नामनाथ दुबे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के बांदा-भीमसेन सेक्शन में इनघोटा और इचौली रेलवे स्टेशनों के बंद किए जाने के बारे में कोई स्वतंत्र जांच करने का विचार है ; और

(ख) उक्त रेलवे स्टेशनों को वहां पर लगाए गए रेल कर्मचारियों को प्रयाप्त संरक्षण देते हुए, पुनः खोलने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) इच्छौली स्टेशन 8-2-1981 को बन्द कर दिया गया क्योंकि वहां एक घटना घटी जिसमें किसी ने वहां के गेट मैन से उसकी ऐनक और 15 रुपये छीन लिए थे। खाना पुलिस स्टेशन, जिला हमीरपुर में पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है। अब 9-3-81 से स्टेशन का सामान्य काम काज फिर से शुरू हो गया है। इंघोटा स्टेशन पर 5-3-81 की रात को भारतीय दंड सहिता 332/383 और 124 रेलवे अधिनियम एवं 25 शस्त्र अधिनियम के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था। कुछ कर्मचारियों पर हमला किया गया था। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफतार किया है जिस कर्मचारी को 10-3-81 को इस स्टेशन को खोलने के लिए भेजा गया था उसने हमले के भय से अपनी बिमारी की रिपोर्ट कर दी थी। बाद में 11-3-81 को दूसरा कर्मचारी तैनात किया गया और अब इस स्टेशन का सामान्य काम-काज फिर से चालू हो गया है।

रेलवे का सैनीटेशन कार्य

5263. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग में सैनिटेशन कार्य किसी एक विशेष विभाग द्वारा नहीं किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वहां उत्तरायित्व और कार्य-कुशलता का अभाव है ;

(ख) क्या सैनीटेशन कार्य दिल्ली में वाणिज्य विभाग द्वारा, कछारपाड़ा, लिलुआ, जमलपुर में यांत्रिकी विभाग द्वारा, पूर्वी रेलवे में कलकत्ता में इंजीनियरी विभाग द्वारा और आसनसोल,

हावड़ा, इलाहाबाद और कानपुर में रेलवे के चिकित्सा विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक सार्वजनिक स्वास्थ्य नियंत्रण विभाग स्थापित करने और इसे मंडलवार, मुख्य-इंजीनियर को सौंपने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, लेकिन इसकी वजय से जिम्मेवारी और कार्य कुशलता में कोई कमी नहीं आयी है।

(ख) जी हां, उन्हें विभिन्न विभागों द्वारा नियंत्रित किया जाता है —इलाहाबाद, दिल्ली और कानपुर स्टेशन पर सफाई व्यवस्था का नियंत्रण यातायात विभाग द्वारा कंचरापाड़ा, लिलुआ और जमालपुर के कारखानों में यांत्रिक विभाग द्वारा तथा कलकत्ता, आसनसोल और हावड़ा में चिकित्सा विभाग द्वारा किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

कटक और बरहामपुर के बीच सवारी गाड़ी चलाया जाना

5264. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1981-82 के दौरान देश में कुछ नई सवारी गाड़ियां चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का विचार उड़ीसा में कटक और बरहामपुर के बीच एक सवारी गाड़ी चलने का है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सवारी डिब्बों की कमी, मरम्मत एवं अनुरक्षण सुविधाओं की कमी और आवश्यक माल यातायात पर होने वाली सम्भावित प्रतिक्रिया को देखते हुए रेलवे ने फिलहाल अतिरिक्त सवारी गाड़िया न चलने का निश्चय किया है। फिर भी, बढ़े हुए यात्री यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए चालू यात्री गाड़ियों में संभावित सीमा तक अधिक डिब्बे जोड़ने और डीजलीकरण तथा बिजलीकरण, जैसे अल्पकालिक उपाय किए जा रहे है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए फिलहाल कटक और बहरामपुर के बीच कोई यात्री गाड़ी चलाने का प्रस्ताव नहीं है।

होनावर समिति की सिफारिशें

5265. **श्री बापू साहिब पारुलेकर** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौहवन उद्योग में वर्तमान संकट संबंधी ब्यौरे क्या है ;

(ख) क्या होनावर समिति, जिसका गठन नौहवन उद्योग में वर्तमान संकट के संदर्भ में भारतीय नौवहन की समस्याओं की जांच के लिए किया गया था, अपना प्रतिवेदन दे दिया है और यदि हां, तो उसमें क्या शिफारिशें दी गयी हैं ;

(ग) क्या समिति के निदेश पर राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड को किसी प्रकार का निर्देश दिए बिना अधिसूचित किए गए थे और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं और राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने 6 जुलाई, 1979 की बैठक में इस बारे में संकल्प पारित किया था और यदि हां, तो संकल्प का पाठ क्या है ; और

(घ) सरकार को उक्त संकल्प के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय नौवहन उद्योग पर सामान्यतः अन्तर्राष्ट्रीय नौहवन संकट का बुरा प्रभाव पड़ा था। परन्तु, नौहवन कम्पनियों की स्थिति अब करीब-करीब सुधरती हुई दिखाई दे रही है।

(ख) हनोवर समिति की रिपोर्ट पर, जिसमें कई सिफारिशें की गई हैं, सरकार विचार कर रही है।

(ग) समिति के विचारार्थ विषयों को अन्तिम रूप देने के लिए सरकार ने नेशनल शिपिंग बोर्ड से परामर्श नहीं किया क्योंकि इसकी जरूरत नहीं समझी गयी। नेशनल शिपिंग बोर्ड के संकल्प का पाठ नीचे दिया गया है :—

> "चूंकि उच्चस्तरीय समिति पहले ही बनाई जा चुकी है और इसके विचारार्थ विषय एकमात्र सलाहकार संस्था अर्थात् नेशनल शिपिंग बोर्ड को भेजे बिना ही अधिसूचित भी कर दिए गए थे, इसलिए इस स्तर पर गलती को सुधारने का एक ही तरीका होगा कि सरकार से अनुरोध किया जाए कि उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट जब प्राप्त हो जाए तो उसे बोर्ड को भेज दिया जाए ताकि वह रिपोर्ट का अध्ययन करके अपनी सुविचारित टिप्पणियां, सरकार को भेज सकें।"

(घ) चूंकि समिति की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है, इसलिए बोर्ड को रिपोर्ट की प्रति भेजना उचित नहीं समझा गया।

ग्रेड बढ़ाकर श्रेणी II राजपत्रित पद करना

5266. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेड बढ़ाने की सामान्य योजना के अन्तर्गत रेल बोर्ड में कर्मचारियों के लाभ के लिए 10— अराजपत्रित संवर्ग -वाध्य पदों का ग्रेड बढ़ाकर ग्रेड II राजपत्रित पद करने की स्वीकृत प्रदान की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे पांच पद उन कर्मचारियों को दिए गए हैं जो रेलवे बोर्ड में प्रतिनियुक्त पर है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ अराजपत्रित संवर्ग वाध्य पदों के ग्रेड बढ़ाने के दावों पर विचार किया गया था और इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सामान्य पदोन्नयन योजना के अन्तर्गत, रेलवे बोर्ड कार्यालय में ग्रुप 'सी' से ग्रुप 'बी' नियुक्ति पदोन्नयन के लिए 10 पद इस शर्त पर आवंटित किए गए हैं कि प्रस्तावित पदोन्नयन सचिवालय खास के पदों में न किया जाए । इनमें से, अब तक 5 संवर्ग वाह्य पदों का पदोन्नयन किया गया है, उनमें से 4 पदों पर क्षेत्रीय रेलों के कर्मचारी लगे हुए हैं जो रेलवे बोर्ड सचिवालय में प्रतिनियुक्त पर आए हैं और एक पद जो क्षेत्रीय (बाहरी) कार्य से संबंधित है, उस पर रेलवे बोर्ड सचिवालय के एक कर्मचारी को अस्थायी रूप से लगाया गया है ।

(ग) शेष किन चार पदों का ग्रेड बढ़ाया जाय इसका निश्चय करने के लिए 3 अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है, इस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित पद

5267. **श्री भीखाभई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय के विभिन्न विभागों में 'ख' 'ग' और 'घ' श्रेणी की विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को सामान्य उम्मीदवारों से भरा गया था ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978-1979 और 1980 के दौरान इस प्रकार के पदों का वर्गवार, विभागवार विवरण क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के हित में आरक्षित पदों के सामान्य पदों से विनिमय पर रोक लगाने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) चूंकि इस विषय पर वर्तमान सरकारी आदेशों के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितों की अच्छी तरह से रक्षा हो जाती है, इसलिए आरक्षित पदों और सामान्य पदों के उम्मीदवारों के परस्पर विनिमय पर रोक लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्टीमरों के ऊपरी डेकों पर जलपान गृह

5268. श्री गथूरअली खान :
श्री जगपाल सिंह :
श्री चन्द्रजीत यादव :
श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर डिवीजन में महिन्द्रघाट और पहलेजा घाट के बीच चलने वाले स्टीमरों के ऊपरी डेकों पर एक जलपान गृह चलाने का ठेका एक ठेकेदार को दिया गया है ;

(ख) क्या डिपार्टमैंडल स्टीमर फैरी केटरिंग वैंडिंग कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (रजिस्टर्ड) सोनपुर (सारन) ने भी जो लाभकर काम कर रही है इस बारे में एक आवेदन पत्र दिया था और यदि हां, तो क्या ठेका इसे दिया गया था और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या महिन्द्रघाट जलपान गृह के ठेकेदार की ओर लाखों रुपयों की राशि बकाया है और गबन के दोष सिद्ध मामले सरकार के विचाराधीन पड़े हैं ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे ठेकेदार को पुनः ठेका दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या उपर्युक्त ठेके के कारण सोनपुर केटरिंग को लाखों रुपयों की हानि होने की आशंका है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) पहलेजाघाट और महेंद्रघाट के बीच चलने वाले स्टीमरों के ऊपर वाले डेक में कोई कैफेटेरिया नहीं है तथापि स्टीमरों के ऊपर वाले डेक में विभागीय प्रबन्ध अन्तर्गत एक वैंडिंग यूनिट मौजूद है जो कि महेंद्रघाट के अल्पाहार कक्ष के वर्तमान ठेकेदार श्री सुरेन्द्र मिश्र के नाम से आवंटित की गयी है ताकि उनका अल्पाहार का ठेका अर्थ-क्षम रह सके । इस ठेके को दिए जाने के लिए न तो कोई आवेदन पत्र ही मांगे गए थे और न ही सहकारी समिति से कोई आवेदन प्राप्त हुआ है, अतः इस समिति के मामले की उपेक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) से (ङ) श्री सुरेन्द्र मिश्र के नाम में 3531 रुपए की बकाया राशि पड़ी हुई है । इस ठेकेदार के विरुद्ध गबन का कोई मामला विचाराधीन नहीं है । सोनपुर खानपान इकाई और स्टीमर में ऊपर वाले डेक की लाभ-हानि का लेखा अलग —2 रखा जाता है। 1979-80 के

दौरान इन दोनों यूनिटों ने लाभ दिखाया है। स्टीमर के ऊपर वाले डेक के वेंडरों ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है और अन्तरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। यह मामला इस समय न्यायाधीन है।

किसानों द्वारा रेलवे स्टालों का लूटा जाना

5269. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में किसान रैली में भाग लेने हेतु आये इन किसानों (कांग्रेस आई) ने कुल कितने रेलवे स्टालों को लूटा; और

(ख) उनसे क्षति की पूर्ति कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्यविभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक

(ख) चूंकि स्टाल लूटने वाले अपराधियों की पहचान नहीं की जा सकी, इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी। फिर भी, पुलिस इस मामले की छान बीन कर रही है।

हस्ताक्षरित सन्धियों की संख्या

5270. **श्री राम विलास पासवान** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देशवार कितनी संधियों और तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग करारों पर हस्ताक्षर किए गए ;

(ख) उनमें से कितनों को व्यवहारिक रूप दे दिया गया है (समझौता का ब्योरा)।

(ग) उनमें से कितनों पर केन्द्रीय मन्त्रालय के अधिकारियों के द्वारा दौरे लगाए जाने के अतिरिक्त और कोई कार्रवाई नहीं की गई ;

(घ) विभिन्न देशों के साथ किए गए समझौतों के केन्द्रीय मन्त्रालयवार ब्यौरे क्या हैं (समझौते/ संधि) ; और

(ङ) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जो समझौते/संधि के विपरीत पार्टी के नेता के ध्यान में लाये गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ङ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, मैंने किसान रैली पर लाठी प्रहार के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी ...(व्यवधान) आप ने आश्वासन दिया है ...।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड में शामिल न किया जाये। (व्यवधान)**।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर रहा हूं और आज मैं आप को बताऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कौन से तथ्य ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को बताऊंगा। आप मेरे पास आइए। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तथ्य प्राप्त हो गए हैं। आप आइएगा, मैं बता दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कई माननीय सदस्यों की ध्यान आकर्षण सूचनायें आप के पास हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया उन पर विचार कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पूरा विचार कर रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा। (व्यवधान)।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : आप की बातों से हमने समझा था कि ध्यान आकर्षण आज गृहीत किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप जो चाहें कह सकते हैं। (व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। अध्यक्ष के रूप में इस दल की रैली अथवा उस दल की रैली से मेरे लिए कोई अन्तर नहीं पड़ता है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। यह जो कुछ भी है, मुझे इसकी छानबीन करानी है। (व्यवधान)।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कभी भी कोई आश्वासन नहीं दिया है। मैंने कहा था कि मैं इस पर विचार करूंगा। मुझे अभी भी याद है, मैंने इसे अस्वीकृत नहीं किया है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं कुछ नहीं हो रहा है।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : महोदय, रैली आज है, और उनको पकड़ा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जाए। (व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे पूरी तरह से समझता हूं। जब तक मैं इसके तथ्यों का पता नहीं लगा लेता हूं तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री समर मुखर्जी : आज रैली है लाखों लोग आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : रैली के साथ आने दीजिए। मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान)।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय, इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : देखिए साहब, पिछली दफा इनकी तरफ से शिकायत आती थी अब आप कहते हैं। मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपको अलाऊ किया है, आप करेंगे; आपका पिटीशन भी आ रहा है। उसे मंजूर किया जायेगा। मैंने उसे स्वीकृति दे दी है।

श्री समर मुखर्जी : ऐसा क्यों, यह रैली···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आप रैली की बात कहते रहिए। (व्यवधान)।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं मंत्री महोदय से वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह बैठे हैं। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप रैली की बात कहते रहिए। आप का जो प्रोग्राम है वह मैंने एक्सेप्ट कर लिया है।

**पीठासीन अधिकारी की अनुमति से कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, मुगल लाइन लिमिटेड बम्बई की वर्ष 1979-80 की समीक्षा तथा प्रतिवेदन और गोदी कर्मकार (रोजगार विनियमन) के अंतर्गत अधिसूचना आदि

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : श्री वीरेन्द्र पाटिल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2195/81]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2196/81]

(3) गोदी कर्मकार (रोजगार विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8क के अंतर्गत बम्बई खाद्यान्न चढ़ाने-उतारने वाले कर्मकार (रोजगार विनियमन) संशोधन स्कीम 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 543 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 2197/81]

स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 19 के अन्तर्गत स्नातकोत्तर

आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 2198/81]

औषधि और प्रासाधन अधिनियम के अधीन अधिसूचना

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (5) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री (छटा संशोधन) नियम 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 दिसम्बर 1980 के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या सा० सां० नि० 682 (ङ) में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2199/81]

परादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बूटा सिंह): मैं महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत परादीप पत्तन न्यास के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2200/81]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अधीन अधिसूचना, सरकारी खाते से सोने की 1978 में की गई बिक्री तथा विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): श्री मगनभाई बारोट की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 189 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 23 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एच. डी. पी. ई. मोनोफिलामेन्ट धागे के निर्माण के दौरान निकलने वाले एच. डी. पी. ई. अपशिष्ट को उत्पाद शुल्क छूट देने के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 2201/81]

(2) सरकारी खाते के सोने की 1978 में की गई नीलामियों द्वारा बिक्री संबंधी प्रतिवेदन (श्री के. आर. पुरी प्रतिवेदन) की एक प्रति।

(3) [illegible] में उल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 2202/81]

राज्य सभा से संदेश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा द्वारा 17 मार्च, 1981 को पास किये गये और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजे गये विनियोग (रेल) विधेयक, 1981 को लौटाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सभा ने उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा द्वारा 17 मार्च, 1981 को पास किये गये और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजे गये विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक 1981 को लौटाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सभा ने उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा द्वारा 17 मार्च, 1981 को पास किये गये और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजे गये विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1981 को लौटाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सभा ने उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(चार) "राज्य सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा द्वारा 17 मार्च, 1981 को पास किये गये और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजे गये विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक 1981 को लौटाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सभा ने उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

लोक लेखा समिति

14 वां और 17 वां प्रतिवेदन

श्री अशोक गहलोत : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) डीजल हाईड्रालिक लोकोमोटिव्स से सम्बंधित 58वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 14 वां प्रतिवेदन ।

(2) ट्रेक फिटिंग्ज से संबंधित 74 वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 17 वां प्रतिवेदन ।

श्री मोती भाई आर चौधरी (मेहसाना) : अध्यक्ष महोदय, 377 के अन्तर्गत मेरा पॉइंट था ।

अध्यक्ष महोदय : 377 ऐसे थोड़े होता है । मेरी परमिशन से होता है । डाक्टर ने थोड़े बताया है जरूर इस तरह से करना है (इन्टरप्शंज) ...।

अध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ कहते हैं कार्यवाही वृतान्त में शामिल न किया जाये । (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : गैर जिम्मेदार ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो:

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : सुगन्धित सुपारी में जहर के प्रश्न पर मैंने नियम 115 के अन्तर्गत आपकी अनुमति मांगी है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने इसे भेजा है । हम उत्तर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं । (व्यवधान)* ।

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है । क्या आपने कभी नियमों की पुस्तक पढ़ी है ? (व्यवधान)* ।

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे । इस पर मैं विचार कर रहा हूं । आपने कभी रूल बुक को पढ़ा है ? मैं आप से सवाल पूछ रहा हूं । सवाल का जवाब दें । कभी रूल बुक पढ़ी है ? (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं पढ़ी है ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मेरा व्यवस्था का का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : किस रूल के तहत ।

श्री मनीराम बागड़ी : 376 के अन्तर्गत । और तो कोई रूल नहीं रह गया है । 376 के अन्दर और 376 ही बाहर । मैंने आपको विशेषाधिकार का नोटिस दिया था...।

अध्यक्ष महोदय : वह मैं देखूंगा ।

जब तक मैं देख न लूं, फैक्ट्स ले न लूं तब तक नहीं । आपका अधिकार है देना और मेरा अधिकार है देख करके परमिशन देना या न देना ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : यह मामला इतना सरल नहीं है । सदन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है ।

अध्यक्ष महोदय : फैक्ट्स लिए बगैर कैसे बात करूं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : फैक्ट्स लेने में कितनी देर लगती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : एक दिन में कोई तूफान नहीं आ जाएगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दूसरे सदन में क्या हुआ, वह सब अखबार में छप गया ।

अध्यक्ष महोदय : अखबारों में कहीं कुछ और कहीं कुछ आता ही रहता है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लोक सभा का हर एक मैम्बर एक क्लर्क के नीचे है ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कुछ नहीं हैं । (व्यवधान)* ।

अध्यक्ष महोदय : आपने रूल बुक को पढ़ा है, पढ़ा होता तो ऐसे नहीं करते । क्यों कर रहे है ? आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसा करना शोभा देता है ? आकर बात करलें, मुझे समझा दे । इस तरह से न करें ।

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री मनी राम बागड़ी : जब चर्चा आ गई है, सारी चीज अखबारों में आ गई तब या तो आप यह कहदें ... (व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ रिकार्ड पर नहीं जा रहा है ।

श्री मनीराम बागड़ी : आपने रूलिंग क्या दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : रूलिंग तब दूंगा जब फैक्ट्स आ जायेंगे । मामला मेरे विचाराधीन है मुझे फैक्ट्स इक्ट्ठे कर लेने दें, फिर मैं रूलिंग दूंगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जनसंख्या में वृद्धि

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) । मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री का ध्यान निम्नलिति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से इस बारे में वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं ।—

> " देश की जनसंख्या में चिन्ताजनक वृद्धि, जैसा कि 1981 की जनगणना के प्रारम्भिक प्रतिवेदनों के आंकड़ों से स्पष्ट है, सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली जनसंख्या नियंत्रण नीति"।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष जी, यह मामला ..... ।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी आप बैठ जाइये..... (व्यवधान) ।

आइये मेरी जगह बैठ जाइये तब पता लगे आपको ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : अध्यक्ष जी, आपने टी० वी० पर परसों जो प्रोग्राम दिया था उसकी इत्तला सभी सदस्यों को आप अगर दे देते और जो सदस्य इस कार्यक्रम में भाग लेते तो बहुत सारी बातें उनकी समझ में आ जातीं और फिर सदन में इतना झंझट नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : शुक्रिया । मैं कैसे इत्तिला करता । (व्यवधान)* ।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : बैठिये आप । कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाए । श्री एच. के. एल. भगत ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : भारत की जनगणना, 1981 "में दी गई कुल जनसंख्या के अन्तिम आंकड़ों से पता चलता है कि देश की जनसंख्या जो 1971 में 54.81 करोड़ थी, वह 1981 में बढ़कर 68.38 करोड़ हो गई है और इस प्रकार 1961.71 के दशक में वृद्धि दर 24.80 प्रतिशत थी जबकि 1971-81 के दशक में यह दर 24.75 प्रतिशत है । इसका विस्तृत विश्लेषण भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा किया जा रहा है । सरकार को पूरा ब्यौरा मिलते ही इस मामले की गहराई से जांच करके भावी नीति अपनाने का निर्णय लिया जायेगा ।

जैसा कि जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़ों से पता चलता है, जनसंख्या की बढ़ोतरी पर सदन की चिन्ता को सरकार खूब समझती है । सरकार ने जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम को बड़ी उच्च प्राथमिकता दी हुई है और यह कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के मुख्य उद्देश्यों में से है । पात्र दम्पत्तियों को समुचित प्रेरणा और शिक्षा देकर तथा उनके लिए पर्याप्त सेवाओं की व्यवस्था करके उनके रवैये में परिवर्तन लाकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जायेगा । ऐसा करने के लिए मां और बच्चे के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाने संबंधी कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जायेगा ।

श्री एच० के० एल० भगत : जनसंख्या नियंत्रण सम्बन्धी सरकार की नीति के बारे में अभी अभी उल्लेख करते हुए मन्त्री महोदय ने कुछ आश्वासन दिये हैं कि वह इस सम्बन्ध में बहुत उत्सक हैं । मेरा कहना है कि देश की सबसे एक गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में यह एक रटा-रटाया सा उत्तर है ।

मैं उनकी और सरकार की उस चिन्ता को समझता हूं कि कुछ वर्ष पहले परिवार नियोजन के लिए किए गए नसबन्धी कार्य को हमारे दल की तत्कालीन सरकार के विरुद्ध प्रचार प्रयोग में लाया गया था और क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीता है सरकार बड़ी सावधानी से इस दशा में आगे बढ़ रही है । परन्तु मेरा मन है कि उसका इतना डर कर कार्य करना देश हित में नहीं है ।

मैं समझता हूं कि हमारे सामने जो अस्थायी आंकड़े लाए गए थे चिन्ता बढ़ाने वाले है । जनसंख्या वृद्धि सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने भी 62.70 करोड़ का अनुमान दिया था । परन्तु यह 68-80 करोड तक पहुंच गया है । ये आंकड़े भी कच्चे हैं । काश्मीर और आसाम की जनसंख्या के आंकड़े अभी इसमें जोड़ने हैं । इसका अर्थ है यह इससे कहीं अधिक होगा और हमारी जन-संख्या में एक आस्ट्रेलिया जुड़ जाएगा । मेरे विचार से यह एक राष्ट्रीय समस्या है और जन-संख्या वृद्धि के कारण हमारे सभी विकास कार्य प्रभावहीन हो जाते हैं । इसलिए इस समस्या को

सरकार सभी राजनीतिक दावों और धार्मिक, सामजिक, सांस्कृतिक और स्वैच्छिक सेवाओं द्वारा गम्भीरता से लेना चाहिए। मैं अपने निम्न सुझाव के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय के विचार जानना चाहूंगा।

मैं अनुभव करता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण परिषद की स्थापना करे। यह सर्वोच्य महत्व की समस्या है। इसलिए इसमें सभी वर्ग के लोगों को सदस्य के रूप में रखा जाए। यह निःसन्देह एक शक्तिशाली निकाय होना चाहिए जिसकी बैठकें समय-समय पर की जा रही है प्रगतिका अनुमान लगाने के लिए की जाएं। इसकी स्थापना बिना विलम्ब किए की जाए। समय आ गया है जब हमें परिवार नियंत्रण या जनसंख्या नियंत्रण लागू करना होगा। किसी भी परिवार में तीन से अधिक बच्चे न हों तथा ऐसा कानून के द्वारा किया जाए। यदि आवश्यक हो तो ऐसा कानून बनाने के लिए जनमत संग्रह कराया जा सकता है। लोगों के सामने यह प्रश्न रखा जाय कि क्या कानून के द्वारा यह नियंत्रण लगाया जाए अथवा नहीं। उनके नियंत्रण के बाद ऐसा कानून बनाया जाए कि एक परिवार में तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता इसे तुरन्त किया जाना चाहिए। तब तक ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा। मैं जानता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार सम्भव कर रही है। परन्तु यह बहुत ही अपर्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्र पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अधिक जोर शहरी क्षेत्र की ओर है। सारा जोर नसबन्दी पर है अन्य तरीकों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। इन्हीं में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार को प्रोत्साहनों आदि के सम्बन्ध में एक निश्चित कार्यक्रय बनाना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्र में ठीक कार्य किया जाना चाहिए।

अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस चुनौती का सामना किस प्रकार करेगी। समूचे राष्ट्र की जनता को इस सम्बन्ध में विश्वास में लेना चाहिए। मैं समझता कि भारत की जनता परिवार नियंत्रण के पक्ष में ही अपना मत देगी। गरीब लोग भी इसके पक्ष में हैं। हो सकता है सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ भय हो। वह इस भय को दूर कर आवश्यक कदम उठाए जिससे हम आगे प्रगित कर सकें।

मेरे इन सुझावों के प्रति मन्त्री महोदय के क्या विचार हैं मैं यह जानना चाहूंगा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जयपुर) : माननीय सदस्य का सुझाव है कि तीन बच्चों की सीमा लगाई जाए। मन्त्री महोदय के उत्तर देने से पहले मैं उनसे (सदस्य) जानना चाहता हूं कि उनके अपने कितने बच्चे हैं। क्या उनके आठ बच्चे नहीं हैं। यदि ऐसा है तो यह कार्यक्रम कैसे सफल हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री भगत इसके लिए उत्तरदायी कैसे हो सकते हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : [illegible] तीन बच्चे हैं। पर ऐसा मेरे कारण नहीं है। इसका श्रेय मेरी पत्नी को है। वह शुरू से ही बड़ा जागरूक रही।

अध्यक्ष महोदय : आपने तो बढ़िया मानेन ज्ञान का पक्का कर लिया ? और सतीश जी, फैमिली प्लानिंग के विचार से पहले गलती कर बैठे होंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने तो इनके बारे में कहा है।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं उन सदस्य के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने संसद के माध्यम से सरकार और देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। और उन्हें इस समाचार पर विचार करने को प्रेरित किया"।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं अपने सुझावों पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। क्या आप उन पर विचार करेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं उस बात पर आ रहा हूं। माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई विभिन्न बातों का उत्तर देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर तथा असम की जनसंख्या को शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान आंकड़ों में उन्हें शामिल किया गया है। इसलिए लोगों के दिमाग में कोई शंका उत्पन्न न होने पाए कि जम्मू तथा कश्मीर और असम से इसमें कुछ और वृद्धि होगी। माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार का इस समस्या के प्रति 'अत्यधिक सतर्क रवया' है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की अपनी निजी राय है किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि हम इस समस्या से निपटने के लिए सतर्क हैं क्योंकि देश के हर परिवार, हर पति, पत्नी पर इसका असर पड़ता है। इस ओर इसलिए भी अधिक सतर्कता बरतनी है क्योंकि 1977-80 के दौरान सम्पूर्ण परिवार नियोजन कार्यक्रम को विकृत किया गया, लोगों के दिमाग में गलत धारणा पैदा की गई और उनमें दिमाग में सन्देह उत्पन्न किए गए और एक बहुत महत्वपूर्ण तथा लाभप्रद कार्यक्रम पर देश की जनता को सन्देह हो गया। इस देश की समूची प्रक्रिया को भारी नुकसान पहुंचाया गया है"।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जबरदस्ती करके।

श्री सतीश अग्रवाल : कौन जिम्मेदार है ?

श्री बी० शंकरानन्द : मुझे बहुत खेद है कि यह सब कुछ मिथ्या प्रचार के कारण हुआ और इसका कोई आधार नहीं है कि कुछ ज्यादतियां की गई थीं।

हमें सत्तारूढ़ हुए एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है और हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है जहां परिवार नियोजन [illegible] ज्यादती की गई हो। यह केवल एक मिथ्या प्रचार था जो इस महत्वपूर्ण तथा लाभप्रद कार्यक्रम के खिलाफ किया गया।

श्री एच० के० एल० भगत : तीन वर्ष में उन्हें केवल चन्द मामले मिल सके ।

श्री बी० शंकरानन्द : क्या मैं इन लोगों से जिन्होंने इस मिथ्या प्रचार के जरिए सत्ता को हथियाना चाहा, राष्ट्र को बचाने की अब अपील कर सकता हूं क्योंकि देश की जनसंख्या वृद्धि को रोकना केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है अपितु इस देश के प्रत्येक व्यक्ति और हर नागरिक की जिम्मेदारी है ।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : श्री वाजपेयी जी ने उसे कार्यरूप दे दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर सब उनके पीछे चलें, तो सारा काम ठीक हो जाएगा ।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं । मैं उनसे सहमत हूं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होना चाहिए, इसे दलगत, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण से पृथक रखा जाना चाहिए और इस देश के हर व्यक्ति को महसूस करना चाहिए कि यह सबसे बड़ा खतरा है जो इस देश का विकास सम्बन्धी समूची गतिविधियों पर काली छाया डाल रहा है । यदि अपनी आबादी इस तरह बढ़ती रही तो देश की सभी योजनाएं निष्फल हो जाएंगी । सरकार इन चीजों के प्रति जागरूक है और हम प्रयोजनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से सभी सम्भव कार्यवाही कर रहे हैं ... ।

श्री एच० के० एल० भगत : क्या आप मेरे सुझावों पर विचार करेंगे ? आप कहते हैं वे अच्छे सुझाव हैं, तो फिर क्या आप उन पर विचार करेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : यह केवल अभिप्रेरणा तथा स्वास्थ्य-शिक्षा के जरिए किया जा सकता है । यह केवल नसबन्दी के जरिए नहीं किया जा सकता । मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि... ।

डा० कर्ण सिंह (उधमपुर) : स्त्री साक्षरता ।

श्री बी० शंकरानन्द : स्त्री साक्षरता तथा इस हेतु साक्षरता का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यही बात हमने कही है । इसे स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए करना पड़ेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप केवल नसबन्दी कर रहे थे ।

श्री बी० शंकरानन्द : आप इस प्रचार के भागी मत बनिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दुर्भाग्यवश, मेरा दल उस समय आपका समर्थन कर रहा था। किन्तु इस मामले पर, जब हमने विरोध किया तो उन सभी रिपोर्टों का जो हमें मिल रहीं थी, खण्डन करते रहे ।

श्री बी० शंकरानन्द : क्योंकि वे झूठे थे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे झूठे नहीं थे·····।

श्री बी० शंकरानन्द : तब मुझे बताओ ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इस सदन में सिद्ध करने के लिए तैयार हूं कि जबरदस्ती की गई थी । इसकी पुष्टि की गई है ··· । (व्यवधान) ।

श्री एच० के० एल० भगत : श्री वाजपेयी द्वारा लगाये गए सभी आरोप गलत सिद्ध हुए थे । जब उनकी सरकार सत्तारुढ़ थी, उन्होंने उन्हें सिद्ध करने की कोशिश की किन्तु कर नहीं सके । ... (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम भविष्य के लिए योजना बनायें ।

श्री बी० शंकरानन्द : विधान सभाओं तथा संसद दोनों के चुनाव परिणामों ने मेरे मित्र के आरोप को गलत साबित कर दिया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप फिर वही ढंग अपनाते हैं । मैं चुनौती देता हूं ।

श्री बी. शंकरानन्द : इन चुनाव परिणामों से साबित हो गया है कि ये आरोप झूठे हैं··· (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए ।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने एक जन संख्या परिषद गठित करने का सुझाव दिया है जिसका अध्यक्ष, वह चाहते हैं प्रधान मंत्री हों । यह एक अच्छा सुझाव है । अलबत्ता इस जनसंख्या परिषद के बारे में जिसका सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, मैं कुछ नहीं कह सकता । किन्तु सुनिश्चित तथा सुनिर्धारित परिवार कल्याण कार्यक्रम जिसका केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों ही द्वारा अनुसरण किया जाता है ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में अग्रसर होना चाहिए और इस समय हम ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में केवल प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में सोच सकते हैं ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो जन संख्या के आंकड़े उपलब्ध [illegible] उससे निम्न स्थिति का पूरी तरह से पता लगता है । सन् 61-71 के बीच में जन संख्या की वृद्धि 24.80 प्रतिशत थी जो कि 71-81 के बीच में 24.75 प्रतिशत रही । इसका

मतलब यह है कि हमने 0.5 प्रतिशत की प्रगति की। यह प्रगति बहुत ही निराशाजनक है। अब मैं इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछना चाहता हूं।

पहला प्रश्न मेरा यह है कि हमारे क्षेत्र राजस्थान में, मैं पूरे भारत की स्थिति के बारे में नहीं जानता, लेकिन हमारे यहां महिला दूरवीन नसबन्दी बहुत ही सफल हुई है। इसके लिए महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आ रही हैं। उसके लिए वहां पर एक्सपर्ट्स तैयार नहीं हैं। गुजरात से हमें एक्सपर्ट मंगाने पड़ते हैं जो बहुत हाई फीस चार्ज करते हैं। तो क्या गवर्नमेंट ने और हैल्थ डिपार्टमेंट ने इस के परिणामों के बारे में पूरी तरह से जांच करली है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए क्या स्वास्थ्य विभाग सक्रिय कदम उठाने के लिए तैयार है ? क्या इस के एक्सपर्ट्स की जो ट्रेनिंग है उसका विस्तार करने के लिए वह तैयार है और इस कार्यक्रम को विशेष बल देने के लिए तैयार है ?

दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं-फेमिली प्लानिंग के अन्तर्गत जो मोटिवेशन का प्वाइंट आपने रखा है इंसेंटिव के रूप में-ग्रामीण क्षेत्रों के काश्तकारों को एलाटमेंट आफ लैंड में सुविधा देना, डिस्ट्रब्यूशन आफ लैंड के अन्दर इजी टर्म्स पर इंटरेस्ट देने की सुविधा देना, उनके लिए फ्री हाउस साइट्स की व्यवस्था करना, इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने के लिए क्या सरकार तैयार है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को निर्देश देने के लिए तैयार है ?

तीसरा प्रश्न है-इस कार्यक्रम का प्रचार जो आल इन्डिया रेडियो और दूर दर्शन के द्वारा होता है उसके अन्दर जो फिल्म डिवीजन की डाक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है और दूसरी जो सिनेमा की फिल्में दिखाई जाती है उनके हर एक के अंदर इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को अधिक से अधिक दिखाया जाय, इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने के लिए क्या सरकार तैयार है ? मैं नहीं मानता कि लेजिस्लेशन से यह काम होगा। हम प्रजातन्त्र के युग में रह रहे हैं और लेजिस्लेशन होगा तो वह भी एक फोर्स की चीज होगी, दूसरी पार्टियां इसका फायदा उठाएंगी, इसलिए अगर लेजिस्लेशन हो तो इसके लिए सभी पार्टियां तैयार हों, तभी जा कर यह लेजिस्लेशन बनाना चाहिए, अन्यथा हमें मोटिवेशन पर और समझाने पर ही जोर देना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि लोगों को अधिक से अधिक समझाने के लिए और उसके द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार तैयार है ? सभी भाषाओं में इसके ऊपर निःशुल्क साहित्य प्रकाशित करके उसका प्रचार किया जाय, उनकी सरल भाषा में इसका प्रकाशन किया जाय, और इस प्रकार से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाय, क्या इस सम्बन्ध में सरकार कदम उठाने का प्रयास करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कई सुझाव दिये हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : जी, हां, यह तो एक उत्साहवर्द्धक बात है कि राजस्थान में इस कार्यक्रम के लिए और महिलाएं आगे आ रही हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में अधिक प्रशिक्षित

कर्मचारियों को रखे जाने का सुझाव दिया है। मैं सभा को बता दूं कि राजस्थान में पहले ही दो दल कार्य कर हैं जिन्होंने इस परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रशिक्षण लपरास्कोपिक मशीनों के माध्यम से प्राप्त किया है। राजस्थान में भेजने के लिए एक तीसरे दल को प्रशिक्षित किया जा रहा है। राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। माननीय सदस्य द्वारा दिया गया यह सुझाव बहुत अच्छा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों तथा उनके महत्व को विभिन्न सिनेमाघरों में फिल्मों द्वारा दर्शाया जाए। सरकार इस बारे में फिल्मों, चाहे वे रूपक या वृत-चित्र हों, को माध्यम बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी। हम फिल्मों के माध्यम से इन कार्यक्रमों तथा इस स्कीम के महत्व को देश के लोगों को दर्शा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० पी० सिंह देव-अनुपस्थित। श्री राम सिंह यादव।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : मान्यवर, आज देश की आबादी 68,30,10,051 अनुमानित है और ऐसा अनुमान है कि यदि आबादी की यही विकास दर रही तो आगे आने वाले बीस वर्षों में इस देश की आबादी बढ़कर 95 करोड़ हो जाएगी। आप जानते ही हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आज भी आबादी का 55 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा के नीचे है। अभी जैसा मन्त्री जी ने बतलाया है कि आबादी की इस विकास गति को देखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना जो प्रस्तावित है उसमें जो भी लक्ष्य हैं, चाहे मेडिकल एड के बारे में, चाहे एजूकेशन के बारे में, चाहे दूसरी सामाजिक सुविधाओं के बारे में या रोजगार के बारे में वह पर्याप्त नहीं रहेंगे। आज यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्र के सामने हैं। अभी जैसा कि मंत्री जी ने कहा यह मुद्दा किसी पार्टी विशेष, धर्म या सम्प्रदाय नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के सामने है। इस देश के राजनीतिज्ञ, प्रशासक, सिविल सर्वेन्ट्स अथवा जो भी इस देश के नागरिक हैं उन सभी के सामने आज यह एक ज्वलन्त समस्या है। इसके निदान के लिए जब तक हम प्रभावशाली कदम नहीं उठायेंगे, कोई प्रभावी कानून नहीं बनायेंगे तब तक कोई विशेष असर नहीं होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के एक माननीय सदस्य जो कि एक पार्टी के बड़े नेता हैं, वाजपेयी जी, वे 1975 से 1977 के दौरान फेमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में जो कुछ हुआ उसकी भर्त्सना कर रहे थे लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी की परफार्मेन्स राजस्थान में 1977 में क्या रही जबकि पार्लियामेंट के चुनाव हो गए थे और असेम्बली चुनावों में आपकी सरकार को हार दिखाई दे रही थी ? आपकी पार्टी ने क्या प्रोपेगेण्डा किया था ? फरवरी मार्च के महीने में आपकी तरफ से यह प्रचार किया गया कि इन्दिरा गांधी की सरकार केन्द्र में कायम हो चुकी है इसलिए जबर्दस्ती नसबन्दी प्रोग्राम लागू करना चाहती है। जब राजनीतिक दल इस प्रकार का झूठा प्रचार करके जनता में भय पैदा करना चाहते हों वे अगर आज यहां पर कहें कि इसमें गलतियां हुईं तो वह गलत है। वास्तव में 1975 से 1977 के दौरान श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस राष्ट्रीय प्रोग्राम को लागू करने का जो बीड़ा उठाया था उसका गलत प्रचार करके उसका नाजायज फायदा उठाकर दो-ढ़ाई साल के

लिए ये लोग सरकार में आ गए थे उसी प्रकार से आज फिर देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आज जनता को गुमराह करने की कोई गुंजायश नहीं है। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

मैं अब माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि 1975-77 तक कितने आपरेशन हुए और 1977-80 तक जनता पार्टी की हुकूमत में कितने आपरेशन हुए ? उसमें डाउन-फाल होने का क्या कारण था ? इस बारे में अभी विरोधी दल के सदस्य अपनी दलील दे रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे वास्तव में ईमानदारी के साथ इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए तैयार हैं ? जैसा कि अभी श्री भगत जी ने कहा कि एक टेबल पर बैठकर, एक काउन्सिल बनाकर के, उसमें हम इस मुद्दे को आगे ले चलने के लिए विचार करें।

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने देखा है कि सेंसस रिपोर्ट के आधार पर सबसे बड़ा एलार्मिंग फैक्टर यह है कि हमारी जितनी आबादी बढ़ी है, उसमें ज्यादा संख्या गरीब लोगों की है। हमारे देश की पहले ही 60 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करती है ; क्या आपने कभी इस बात को गम्भीरता से सोचा है कि उन लोगों को रोजगार देने के लिए, उन लोगों को मैडिकल-एड देने के लिए, उन लोगों को शिक्षा देने के लिए, आप क्या करने जा रहे हैं ? हमारी बहुत सी मैट्रोपोलिटन सीटिज, जैसे कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली आदि, उनकी आबादी में बेहद वृद्धि हुई है। दिल्ली की आबादी पिछले दस साल के अन्दर 40 लाख से 62 लाख हो गई है। यदि विकास की दर इसी प्रकार रही तो ये शहर स्लम सीटीज हो जायेंगी, और आप कोई व्यवस्था नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में आपको इन बड़े शहरों के लिए पानी की व्यवस्था करनी होगी, मैडिकल फैसिलीटीज की व्यवस्था करनी होगी, एजुकेशन की व्यवस्था करनी होगी और इसके साथ साथ रोजगार के साधन मुहैया करने पड़ेंगे—क्या आपने कभी इस बात को गम्भीरता से सोचा है ? सेंसस रिपोर्ट आने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने आया है, बहुत बड़ा सवाल इस देश के सामने आया है और वह सवाल यह है कि जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है, खास तौर से जो अन-मैनिजेबल सिटीज हो चुकी हैं, उनको मैडिकल आदि की सुविधाएं और दूसरी सुविधाएं देने के बारे में यदि आप बताएं, तो मैं आपका अनुग्रहीत होऊंगा ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, आंकड़ों के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि 1971-81 के दौरान पहली बार इस देश की आबादी की विकास दर में बढ़ोतरी रुक गई है। यदि आप जनगणना के विभिन्न आंकड़ों को देखें, तो आपको पता चलेगा कि 1901 से 1911 तक तथा 1921 से लगातार 1971 तक इस देश की आबादी की विकास दर बढ़ती ही चली गई। 1971 में विकास दर 24.8 प्रतिशत थी और अब उसे न केवल बढ़ने ही नहीं दिया गया परन्तु उसमें 0.01 प्रतिशत कमी हुई है और अब वह 24.75 प्रतिशत है। इस बार इस दशक की प्रतिशत-वार विकास दर को बढ़ने नहीं दिया गया है। परन्तु चूंकि कुल मिलाकर जन्म-दर और मृत्यु-दर में भी कमी हुई है, इसलिए आबादी में वृद्धि हुई है। एक और उत्साहजनक बात यह है कि

महिलाओं की आबादी के मामले में जन्म दर में कोई कमी नहीं हुई है। पुरुषों और महिलाओं के बीच अनुपात में भी परिवर्तन हुआ है। पुरुषों की आबादी की तुलना में महिलाओं की आबादी कम है। यह भी एक उत्साहजनक बात है क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं। यह पहली बार हुआ है कि महिलाओं की संख्या कम नहीं हुई है (व्यवधान)। मैं आपको बता दूं कि जब से परिवार नियोजन कार्यक्रम आरम्भ हुआ है तब से 3.4 करोड़ लोगों का बन्ध्यकरण किया गया है और लगभग 86 लाख मामलों में लूप लगाये गये। इन में से 2.5 करोड़ लोगों का बन्ध्यकरण और 50 लाख से अधिक लूप 1971-81 दशक में लगाये गये। परिवार नियोजन के इन दो तरीकों की इतनी बड़ी लोक प्रियता के साथ-साथ गर्भनिरोध की परम्परागत विधियों को अपनाने वाले लोगों की संख्या, जो 1970-71 में 20 लाख से भी कम थी, अब लगभग 40 लाख तक पहुंच गई है।

इन उपायों के फलस्वरूप अनुमानत: लगभग 4.3 करोड़ महिलाओं को गर्भवती नहीं होने दिया गया। इन में से 3.7 करोड़ महिलाओं को तो 1971-81 दशक के दौरान ही गर्भवती नहीं होने दिया गया। यह सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे माननीय मित्र जानना चाहते हैं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन क्या हो रहा है।

इन प्रयत्नों से आबादी की विकास दर को कम कर दिया गया है अन्यथा आबादी कहीं अधिक बढ़ जाती। 3 करोड़ लोग और आ गए होते और 1981 में जनगणना के आधार पर विकास दर 24.8 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत होती।

जन्म दर, जो 1961-71 दशक (1965-66 में केन्द्रीभूत) में लगभग 42 थी, 1971-81 (1976-77 में केन्द्रीभूत) दशक में कम होकर लगभग 37 रह गई। जहां जन्म दर कम हो गयी है, वहां मृत्यु-दर भी 1961-71 दशक में 19 से कम होकर 1971-81 दशक के दौरान 15 हो गई है। मृत्यु-दर के कम होने से विकास दर बढ़ी है। परन्तु मृत्यु-दर में यह कमी भी बहुधा सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए किए गए उपायों के फलस्वरूप हुई है।

इस दशक ने आबादी की विकास दर के सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि पहली बार, जैसा कि मैंने बताया, 1921 से लेकर अब तक पिछले दशक में इसमें वृद्धि नहीं होने दी गयी। वास्तव में 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसमें कमी हुई है।

यह मानना पड़ेगा कि यदि 1971-76 के दौरान अच्छा कार्य न किया गया होता, तो 1981 में आबादी कहीं अधिक होती। दूसरा कारण यह है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं, मृत्यु-दर के कम होने से आयु के लम्बे होने की सम्भावना बढ़ी है और आबादी के शुद्ध विकास में वृद्धि हुई है। मातृ कल्याण और शिशु सम्बन्धी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी 1971-81 में सुधार हुआ है। जिसका माताओं और शिशुओं की मृत्यु-दर पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

श्री मनी राम बागड़ी : जब चर्चा आ गई है, सारी चीज अखबारों में आ गई तब या तो आप यह कहदें ... (व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ रिकार्ड पर नहीं जा रहा है ।

श्री मनीराम बागड़ी : आपने रूलिंग क्या दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : रूलिंग तब दूंगा जब फैक्ट्स आ जायेंगे । मामला मेरे विचाराधीन है मुझे फैक्ट्स इक्ट्ठे कर लेने दें, फिर मैं रूलिंग दूंगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जनसंख्या में वृद्धि

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्व दिल्ली) । मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री का ध्यान निम्नलिति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से इस बारे में वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं ।—

" देश की जनसंख्या में चिन्ताजनक वृद्धि, जैसा कि 1981 की जनगणना के प्रारम्भिक प्रतिवेदनों के आंकड़ों से स्पष्ट है, सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली जनसंख्या नियंत्रण नीति"।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष जी, यह मामला ..... ।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी आप बैठ जाइये..... (व्यवधान) ।

आइये मेरी जगह बैठ जाइये तब पता लगे आपको ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : अध्यक्ष जी, आपने टी० वी० पर परसों जो प्रोग्राम दिया था उसकी इत्तला सभी सदस्यों को आप अगर दे देते और जो सदस्य इस कार्यक्रम में भाग लेते तो बहुत सारी बातें उनकी समझ में आ जातीं और फिर सदन में इतना झंझट नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : शुक्रिया । मैं कैसे इत्तिला करता । (व्यवधान)* ।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : बैठिये आप। कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाए। श्री एच. के. एल. भगत।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : भारत की जनगणना, 1981 "में दी गई कुल जनसंख्या के अन्तिम आंकड़ों से पता चलता है कि देश की जनसंख्या जो 1971 में 54.81 करोड़ थी, वह 1981 में बढ़कर 68.38 करोड़ हो गई है और इस प्रकार 1961.71 के दशक में वृद्धि दर 24.80 प्रतिशत थी जबकि 1971-81 के दशक में यह दर 24.75 प्रतिशत है। इसका विस्तृत विश्लेषण भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा किया जा रहा है। सरकार को पूरा ब्यौरा मिलते ही इस मामले की गहराई से जांच करके भावी नीति अपनाने का निर्णय लिया जायेगा।

जैसा कि जनसंख्या के अनन्तिम आंकड़ों से पता चलता है, जनसंख्या की बढ़ोतरी पर सदन की चिन्ता को सरकार खूब समझती है। सरकार ने जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम को बड़ी उच्च प्राथमिकता दी हुई है और यह कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के मुख्य उद्देश्यों में से है। पात्र दम्पत्तियों को समुचित प्रेरणा और शिक्षा देकर तथा उनके लिए पर्याप्त सेवाओं की व्यवस्था करके उनके रवैये में परिवर्तन लाकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जायेगा। ऐसा करने के लिए मां और बच्चे के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाने संबंधी कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया जायेगा।

श्री एच० के० एल० भगत : जनसंख्या नियंत्रण सम्बन्धी सरकार की नीति के बारे में अभी अभी उल्लेख करते हुए मन्त्री महोदय ने कुछ आश्वासन दिये हैं कि वह इस सम्बन्ध में बहुत उत्सक हैं। मेरा कहना है कि देश की सबसे एक गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में यह एक रटा-रटाया सा उत्तर है।

मैं उनकी और सरकार की उस चिन्ता को समझता हूं कि कुछ वर्ष पहले परिवार नियोजन के लिए किए गए नसबन्धी कार्य को हमारे दल की तत्कालीन सरकार के विरुद्ध प्रचार प्रयोग में लाया गया था और क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीता है सरकार बड़ी सावधानी से इस दशा में आगे बढ़ रही है। परन्तु मेरा मन है कि उसका इतना डर कर कार्य करना देश हित में नहीं है।

मैं समझता हूं कि हमारे सामने जो अस्थायी आंकड़े लाए गए थे चिन्ता बढ़ाने वाले है। जनसंख्या वृद्धि सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने भी 62.70 करोड़ का अनुमान दिया था। परन्तु यह 68-80 करोड तक पहुंच गया है। ये आंकड़े भी कच्चे हैं। काश्मीर और आसाम की जनसंख्या के आंकड़े अभी इसमें जोड़ने हैं। इसका अर्थ है यह इससे कहीं अधिक होगा और हमारी जन-संख्या में एक आस्ट्रेलिया जुड़ जाएगा। मेरे विचार से यह एक राष्ट्रीय समस्या है और जन-संख्या वृद्धि के कारण हमारे सभी विकास कार्य प्रभावहीन हो जाते हैं। इसलिए इस समस्या को

सरकार सभी राजनीतिक दावों और धार्मिक, सामजिक, सांस्कृतिक और स्वैच्छिक सेवाओं द्वारा गम्भीरता से लेना चाहिए। मैं अपने निम्न सुझाव के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय के विचार जानना चाहूंगा।

मैं अनुभव करता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण परिषद की स्थापना करे। यह सर्वोच्च महत्व की समस्या है। इसलिए इसमें सभी वर्ग के लोगों को सदस्य के रूप में रखा जाए। यह निःसन्देह एक शक्तिशाली निकाय होना चाहिए जिसकी बैठकें समय-समय पर की जा रही है प्रगतिका अनुमान लगाने के लिए की जाएं। इसकी स्थापना बिना विलम्ब किए की जाए। समय आ गया है जब हमें परिवार नियंत्रण या जनसंख्या नियंत्रण लागू करना होगा। किसी भी परिवार में तीन से अधिक बच्चे न हों तथा ऐसा कानून के द्वारा किया जाए। यदि आवश्यक हो तो ऐसा कानून बनाने के लिए जनमत संग्रह कराया जा सकता है। लोगों के सामने यह प्रश्न रखा जाय कि क्या कानून के द्वारा यह नियंत्रण लगाया जाए अथवा नहीं। उनके नियंत्रण के बाद ऐसा कानून बनाया जाए कि एक परिवार में तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता इसे तुरन्त किया जाना चाहिए। तब तक ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा। मैं जानता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार सम्भव कर रही है। परन्तु यह बहुत ही अपर्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्र पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अधिक जोर शहरी क्षेत्र की ओर है। सारा जोर नसबन्दी पर है अन्य तरीकों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। इन्हीं में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार को प्रोत्साहनों आदि के सम्बन्ध में एक निश्चित कार्यक्रय बनाना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्र में ठीक कार्य किया जाना चाहिए।

अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस चुनौती का सामना किस प्रकार करेगी। समूचे राष्ट्र की जनता को इस सम्बन्ध में विश्वास में लेना चाहिए। मैं समझता कि भारत की जनता परिवार नियंत्रण के पक्ष में ही अपना मत देगी। गरीब लोग भी इसके पक्ष में हैं। हो सकता है सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ भय हो। वह इस भय को दूर कर आवश्यक कदम उठाए जिससे हम आगे प्रगित कर सकें।

मेरे इन सुझावों के प्रति मन्त्री महोदय के क्या विचार हैं मैं यह जानना चाहूंगा।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जयपुर) : माननीय सदस्य का सुझाव है कि तीन बच्चों की सीमा लगाई जाए। मन्त्री महोदय के उत्तर देने से पहले मैं उनसे (सदस्य) जानना चाहता हूं कि उनके अपने कितने बच्चे हैं। क्या उनके आठ बच्चे नहीं हैं। यदि ऐसा है तो यह कार्यक्रम कैसे सफल हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री भगत इसके लिए उत्तरदायी कैसे हो सकते हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : [illegible] तीन बच्चे हैं। पर ऐसा मेरे कारण नहीं है। इसका श्रेय मेरी पत्नी को है। वह शुरू से ही बड़ी जागरूक रही।

अध्यक्ष महोदय : आपने तो बढ़िया मानेन ज्ञान का पक्का कर लिया ? और सतीश जी, फैमिली प्लानिंग के विचार से पहले गलती कर बैठे होंगे।

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने तो इनके बारे में कहा है।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं उन सदस्य के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने संसद के माध्यम से सरकार और देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। और उन्हें इस समाचार पर विचार करने को प्रेरित किया ''।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं अपने सुझावों पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। क्या आप उन पर विचार करेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं उस बात पर आ रहा हूं। माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई विभिन्न बातों का उत्तर देने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि जम्मू और कश्मीर तथा असम की जनसंख्या को शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान आंकड़ों में उन्हें शामिल किया गया है। इसलिए लोगों के दिमाग में कोई शंका उत्पन्न न होने पाए कि जम्मू तथा कश्मीर और असम से इसमें कुछ और वृद्धि होगी। माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार का इस समस्या के प्रति 'अत्यधिक सतर्क रवया' है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य की अपनी निजी राय है किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि हम इस समस्या से निपटने के लिए सतर्क हैं क्योंकि देश के हर परिवार, हर पति, पत्नी पर इसका असर पड़ता है। इस ओर इसलिए भी अधिक सतर्कता बरतनी है क्योंकि 1977-80 के दौरान सम्पूर्ण परिवार नियोजन कार्यक्रम को विकृत किया गया, लोगों के दिमाग में गलत धारणा पैदा की गई और उनमें दिमाग में सन्देह उत्पन्न किए गए और एक बहुत महत्वपूर्ण तथा लाभप्रद कार्यक्रम पर देश की जनता को सन्देह हो गया। इस देश की समूची प्रक्रिया को भारी नुकसान पहुंचाया गया है''।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जबरदस्ती करके।

श्री सतीश अग्रवाल : कौन जिम्मेदार है ?

श्री बी० शंकरानन्द : मुझे बहुत खेद है कि यह सब कुछ मिथ्या प्रचार के कारण हुआ और इसका कोई आधार नहीं है कि कुछ ज्यादतियां की गई थीं।

हमें सत्तारूढ़ हुए एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है और हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है जहां परिवार नियोजन [illegible] ज्यादती की गई हो। यह केवल एक मिथ्या प्रचार था जो इस महत्वपूर्ण तथा लाभप्रद कार्यक्रम के खिलाफ किया गया।

श्री एच० के० एल० भगत : तीन वर्ष में उन्हें केवल चन्द मामले मिल सके ।

श्री बी० शंकरानन्द : क्या मैं इन लोगों से जिन्होंने इस मिथ्या प्रचार के जरिए सत्ता को हथियाना चाहा, राष्ट्र को बचाने की अब अपील कर सकता हूं क्योंकि देश की जनसंख्या वृद्धि को रोकना केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है अपितु इस देश के प्रत्येक व्यक्ति और हर नागरिक की जिम्मेदारी है ।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० वेंकटसुब्बया) : श्री वाजपेयी जी ने उसे कार्यरूप दे दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर सब उनके पीछे चलें, तो सारा काम ठीक हो जाएगा ।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं । मैं उनसे सहमत हूं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होना चाहिए, इसे दलगत, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण से पृथक रखा जाना चाहिए और इस देश के हर व्यक्ति को महसूस करना चाहिए कि यह सबसे बड़ा खतरा है जो इस देश का विकास सम्बन्धी समूची गतिविधियों पर काली छाया डाल रहा है । यदि अपनी आबादी इस तरह बढ़ती रही तो देश की सभी योजनाएं निष्फल हो जाएंगी । सरकार इन चीजों के प्रति जागरूक है और हम प्रयोजनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से सभी सम्भव कार्यवाही कर रहे हैं ... ।

श्री एच० के० एल० भगत : क्या आप मेरे सुझावों पर विचार करेंगे ? आप कहते हैं वे अच्छे सुझाव हैं, तो फिर क्या आप उन पर विचार करेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : यह केवल अभिप्रेरणा तथा स्वास्थ्य-शिक्षा के जरिए किया जा सकता है । यह केवल नसबन्दी के जरिए नहीं किया जा सकता । मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि... ।

डा० कर्ण सिंह (उधमपुर) : स्त्री साक्षरता ।

श्री बी० शंकरानन्द : स्त्री साक्षरता तथा इस हेतु साक्षरता का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यही बात हमने कही है । इसे स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए करना पड़ेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप केवल नसबन्दी कर रहे थे ।

श्री बी० शंकरानन्द : आप इस प्रचार के भागी मत बनिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दुर्भाग्यवश, मेरा दल उस समय आपका समर्थन कर रहा था । किन्तु इस मामले पर, जब हमने विरोध किया तो उन सभी रिपोर्टों का जो हमें मिल रहीं थी, खण्डन करते रहे ।

श्री बी० शंकरानन्द : क्योंकि वे झूठे थे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे झूठे नहीं थे·····।

श्री बी० शंकरानन्द : तब मुझे बताओ ।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : मैं इस सदन में सिद्ध करने के लिए तैयार हूं कि जबरदस्ती की गई थी । इसकी पुष्टि की गई है ··· । (व्यवधान) ।

श्री एच० के० एल० भगत : श्री वाजपेयी द्वारा लगाये गए सभी आरोप गलत सिद्ध हुए थे । जब उनकी सरकार सत्तारुढ़ थी, उन्होंने उन्हें सिद्ध करने की कोशिश की किन्तु कर नहीं सके । ... (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम भविष्य के लिए योजना बनायें ।

श्री बी० शंकरानन्द : विधान सभाओं तथा संसद दोनों के चुनाव परिणामों ने मेरे मित्र के आरोप को गलत साबित कर दिया है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप फिर वही ढंग अपनाते हैं । मैं चुनौती देता हूं ।

श्री बी. शंकरानन्द : इन चुनाव परिणामों से साबित हो गया है कि ये आरोप झूठे हैं··· (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए ।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने एक जन संख्या परिषद गठित करने का सुझाव दिया है जिसका अध्यक्ष, वह चाहते हैं प्रधान मंत्री हों । यह एक अच्छा सुझाव है । अलबत्ता इस जनसंख्या परिषद के बारे में जिसका सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है, मैं कुछ नहीं कह सकता । किन्तु सुनिश्चित तथा सुनिर्धारित परिवार कल्याण कार्यक्रम जिसका केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों ही द्वारा अनुसरण किया जाता है ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में अग्रसर होना चाहिए और इस समय हम ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में केवल प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में सोच सकते हैं ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो जन संख्या के आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे निम्न स्थिति का पूरी तरह से पता लगता है । सन् 61-71 के बीच में जन संख्या में वृद्धि 24.80 प्रतिशत थी जो कि 71-81 के बीच में 24.75 प्रतिशत रही । इसका

मतलब यह है कि हमने 0.5 प्रतिशत की प्रगति का। यह प्रगति बहुत ही निराशाजनक है। अब में इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछना चाहता हूं।

पहला प्रश्न मेरा यह है कि हमारे क्षेत्र राजस्थान में, मैं पूरे भारत की स्थिति के बारे में नही जानता, लेकिन हमारे यहां महिला दूरबीन नसबन्दी बहुत ही सफल हुई है। इसके लिए महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आ रही हैं। उसके लिए वहां पर एक्सपर्ट्स तैयार नहीं हैं। गुजरात से हमें एक्सपर्ट मंगाने पड़ते हैं जो बहुत हाई फीस चार्ज करते हैं। तो क्या गवर्नमेंट ने और हैल्थ डिपार्टमेंट ने इस के परिणामों के बारे में पूरी तरह से जांच करली है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए क्या स्वास्थ्य विभाग सक्रिय कदम उठाने के लिए तैयार है ? क्या इस के एक्सपर्ट्स की जो ट्रेनिंग है उसका विस्तार करने के लिए वह तैयार है और इस कार्यक्रम को विशेष बल देने के लिए तैयार है ?

दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं-फेमिली प्लानिंग के अन्तर्गत जो मोटिवेशन का प्वाइंट आपने रखा है इंसेंटिव के रूप में-ग्रामीण क्षेत्रों के काश्तकारों को एलाटमेंट आफ लैंड में सुविधा देना, डिस्ट्रब्यूशन आफ लैंड के अन्दर इजी टर्म्स पर इंटरेस्ट देने की सुविधा देना, उनके लिए फ्री हाउस साइट्स की व्यवस्था करना, इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने के लिए क्या सरकार तैयार है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को निर्देश देने के लिए तैयार है ?

तीसरा प्रश्न है-इस कार्यक्रम का प्रचार जो आल इन्डिया रेडियो और दूर दर्शन के द्वारा होता है उसके अन्दर जो फिल्म डिवीजन की डाक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाती है और दूसरी जो सिनेमा की फिल्में दिखाई जाती है उनके हर एक के अंदर इस परिवार नियोजन कायक्रम को अधिक से अधिक दिखाया जाय, इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने के लिए क्या सरकार तैयार है ? मैं नहीं मानता कि लेजिस्लेशन से यह काम होगा। हम प्रजातन्त्र के युग में रह रहे हैं और लेजिस्लेशन होगा तो वह भी एक फोर्स की चीज होगी, दूसरी पार्टियां इसका फायदा उठाएंगी, इसलिए अगर लेजिस्लेशन हो तो इसके लिए सभी पार्टियां तैयार हों, तभी जा कर यह लेजिस्लेशन बनाना चाहिए, अन्यथा हमें मोटिवेशन पर और समझाने पर ही जोर देना चाहिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि लोगों को अधिक से अधिक समझाने के लिए और उसके द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार तैयार है ? सभी भाषाओं में इसके ऊपर निःशुल्क साहित्य प्रकाशित करके उसका प्रचार किया जाय, उनकी सरल भाषा में इसका प्रकाशन किया जाय, और इस प्रकार से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाय, क्या इस सम्बन्ध में सरकार कदम उठाने का प्रयास करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कई सुझाव दिये हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : जी, हां, यह तो एक उत्साहवर्द्धक बात है कि राजस्थान में इस कार्यक्रम के लिए और महिलाएं आगे आ रही हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में अधिक प्रशिक्षित

कर्मचारियों को रखे जाने का सुझाव दिया है। मैं सभा को बता दूं कि राजस्थान में पहले ही दो दल कार्य कर हैं जिन्होंने इस परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रशिक्षण लपरास्कोपिक मशीनों के माध्यम से प्राप्त किया है। राजस्थान में भेजने के लिए एक तीसरे दल को प्रशिक्षित किया जा रहा है। राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। माननीय सदस्य द्वारा दिया गया यह सुझाव बहुत अच्छा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों तथा उनके महत्व को विभिन्न सिनेमाघरों में फिल्मों द्वारा दर्शाया जाए। सरकार इस बारे में फिल्मों, चाहे वे रूपक या वृत-चित्र हों, को माध्यम बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी। हम फिल्मों के माध्यम से इन कार्यक्रमों तथा इस स्कीम के महत्व को देश के लोगों को दर्शा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० पी० सिंह देव-अनुपस्थित। श्री राम सिंह यादव।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : मान्यवर, आज देश की आबादी 68,30,10,051 अनुमानित है और ऐसा अनुमान है कि यदि आबादी की यही विकास दर रही तो आगे आने वाले बीस वर्षों में इस देश की आबादी बढ़कर 95 करोड़ हो जाएगी। आप जानते ही हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आज भी आबादी का 55 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा के नीचे है। अभी जैसा मन्त्री जी ने बतलाया है कि आबादी की इस विकास गति को देखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना जो प्रस्तावित है उसमें जो भी लक्ष्य हैं, चाहे मेडिकल एड के बारे में, चाहे एजूकेशन के बारे में, चाहे दूसरी सामाजिक सुविधाओं के बारे में या रोजगार के बारे में वह पर्याप्त नहीं रहेंगे। आज यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्र के सामने है। अभी जैसा कि मंत्री जी ने कहा यह मुद्दा किसी पार्टी विशेष, धर्म या सम्प्रदाय नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के सामने है। इस देश के राजनीतिज्ञ, प्रशासक, सिविल सर्वेन्ट्स अथवा जो भी इस देश के नागरिक हैं उन सभी के सामने आज यह एक ज्वलन्त समस्या है। इसके निदान के लिए जब तक हम प्रभावशाली कदम नहीं उठायेंगे, कोई प्रभावी कानून नहीं बनायेंगे तब तक कोई विशेष असर नहीं होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के एक माननीय सदस्य जो कि एक पार्टी के बड़े नेता हैं, वाजपेयी जी, वे 1975 से 1977 के दौरान फेमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में जो कुछ हुआ उसकी भर्त्सना कर रहे थे लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी की परफार्मेन्स राजस्थान में 1977 में क्या रही जबकि पार्लियामेंट के चुनाव हो गए थे और असेम्बली चुनावों में आपकी सरकार को हार दिखाई दे रही थी ? आपकी पार्टी ने क्या प्रोपेगेण्डा किया था ? फरवरी मार्च के महीने में आपकी तरफ से यह प्रचार किया गया कि इन्दिरा गांधी की सरकार केन्द्र में कायम हो चुकी है इसलिए जबर्दस्ती नसबन्दी प्रोग्राम लागू करना चाहती है। जब राजनीतिक दल इस प्रकार का झूठा प्रचार करके जनता में भय पैदा करना चाहते हों वे अगर आज यहां पर कहें कि इसमें गलतियां हुईं तो वह गलत है। वास्तव में 1975 से 1977 के दौरान श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस राष्ट्रीय प्रोग्राम को लागू करने का जो बीड़ा उठाया था उसका गलत प्रचार करके उसका नाजायज फायदा उठाकर दो-ढ़ाई साल के

लिए ये लोग सरकार में आ गए थे उसी प्रकार से आज फिर देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आज जनता को गुमराह करने की कोई गुंजायश नहीं है। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

मैं अब माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि 1975-77 तक कितने आपरेशन हुए और 1977-80 तक जनता पार्टी की हुकूमत में कितने आपरेशन हुए ? उसमें डाउन-फाल होने का क्या कारण था ? इस बारे में अभी विरोधी दल के सदस्य अपनी दलील दे रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे वास्तव में ईमानदारी के साथ इस प्रोग्राम को तैयार करने के लिए तैयार हैं ? जैसा कि अभी श्री भगत जी ने कहा कि एक टेबल पर बैठकर, एक काउन्सिल बनाकर के, उसमें हम इस मुद्दे को आगे ले चलने के लिए विचार करें।

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने देखा है कि सेंसस रिपोर्ट के आधार पर सबसे बड़ा एलार्मिंग फैक्टर यह है कि हमारी जितनी आबादी बढ़ी है, उसमें ज्यादा संख्या गरीब लोगों की है। हमारे देश की पहले ही 60 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करती है ; क्या आपने कभी इस बात को गम्भीरता से सोचा है कि उन लोगों को रोजगार देने के लिए, उन लोगों को मैडिकल-एड देने के लिए, उन लोगों को शिक्षा देने के लिए, आप क्या करने जा रहे हैं ? हमारी बहुत सी मैट्रोपोलिटन सीटिज, जैसे कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली आदि, उनकी आबादी में बेहद वृद्धि हुई है। दिल्ली की आबादी पिछले दस साल के अन्दर 40 लाख से 62 लाख हो गई है। यदि विकास की दर इसी प्रकार रही तो ये शहर स्लम सीटीज हो जायेंगी, और आप कोई व्यवस्था नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में आपको इन बड़े शहरों के लिए पानी की व्यवस्था करनी होगी, मैडिकल फैसिलीटीज की व्यवस्था करनी होगी, एजुकेशन की व्यवस्था करनी होगी और इसके साथ साथ रोजगार के साधन मुहैया करने पड़ेंगे—क्या आपने कभी इस बात को गम्भीरता से सोचा है ? सेंसस रिपोर्ट आने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने आया है, बहुत बड़ा सवाल इस देश के सामने आया है और वह सवाल यह है कि जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है, खास तौर से जो अन-मैनिजेबल सिटीज हो चुकी हैं, उनको मैडिकल आदि की सुविधाएं और दूसरी सुविधाएं देने के बारे में यदि आप बताएं, तो मैं आपका अनुग्रहीत होऊंगा ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, आंकड़ों के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि 1971-81 के दौरान पहली बार इस देश की आबादी की विकास दर में बढ़ोतरी रुक गई है। यदि आप जनगणना के विभिन्न आंकड़ों को देखें, तो आपको पता चलेगा कि 1901 से 1911 तक तथा 1921 से लगातार 1971 तक इस देश की आबादी की विकास दर बढ़ती ही चली गई। 1971 में विकास दर 24.8 प्रतिशत थी और अब उसे न केवल बढ़ने ही नहीं दिया गया परन्तु उसमें 0.01 प्रतिशत कमी हुई है और अब वह 24.75 प्रतिशत है। इस बार इस दशक की प्रतिशत-वार विकास दर को बढ़ने नहीं दिया गया है। परन्तु चूंकि कुल मिलाकर जन्म-दर और मृत्यु-दर में भी कमी हुई है, इसलिए आबादी में वृद्धि हुई है। एक और उत्साहजनक बात यह है कि

महिलाओं की आबादी के मामले में जन्म दर में कोई कमी नहीं हुई है। पुरुषों और महिलाओं के बीच अनुपात में भी परिवर्तन हुआ है। पुरुषों की आबादी की तुलना में महिलाओं की आबादी कम है। यह भी एक उत्साहजनक बात है क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं। यह पहली बार हुआ है कि महिलाओं की संख्या कम नहीं हुई है (व्यवधान)। मैं आपको बता दूं कि जब से परिवार नियोजन कार्यक्रम आरम्भ हुआ है तब से 3.4 करोड़ लोगों का बन्ध्यकरण किया गया है और लगभग 86 लाख मामलों में लूप लगाये गये। इन में से 2.5 करोड़ लोगों का बन्ध्यकरण और 50 लाख से अधिक लूप 1971-81 दशक में लगाये गये। परिवार नियोजन के इन दो तरीकों की इतनी बड़ी लोक प्रियता के साथ-साथ गर्भनिरोध की परम्परागत विधियों को अपनाने वाले लोगों की संख्या, जो 1970-71 में 20 लाख से भी कम थी, अब लगभग 40 लाख तक पहुंच गई है।

इन उपायों के फलस्वरूप अनुमानतः लगभग 4 3 करोड़ महिलाओं को गर्भवती नहीं होने दिया गया। इन में से 3.7 करोड़ महिलाओं को तो 1971-81 दशक के दौरान ही गर्भवती नहीं होने दिया गया। यह सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे माननीय मित्र जानना चाहते हैं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन क्या हो रहा है।

इन प्रयत्नों से आबादी की विकास दर को कम कर दिया गया है अन्यथा आबादी कहीं अधिक बढ़ जाती। 3 करोड़ लोग और आ गए होते और 1981 में जनगणना के आधार पर विकास दर 24.8 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत होती।

जन्म दर, जो 1961-71 दशक (1965-66 में केन्द्री भूत) में लगभग 42 थी, 1971-81 (1976-77 में केन्द्री भूत) दशक में कम होकर लगभग 37 रह गई। जहां जन्म दर कम हो गयी है, वहां मृत्यु-दर भी 1961-71 दशक में 19 से कम होकर 1971-81 दशक के दौरान 15 हो गई है। मृत्यु-दर के कम होने से विकास दर बढ़ी है। परन्तु मृत्यु-दर में यह कमी भी बहुधा सरकार द्वारा लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए किए गए उपायों के फलस्वरूप हुई है।

इस दशक ने आबादी की विकास दर के सम्बन्ध में उल्लेखनीय बात यह है कि पहली बार, जैसा कि मैंने बताया, 1921 से लेकर अब तक पिछले दशक में इसमें वृद्धि नहीं होने दी गयी। वास्तव में 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 19 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसमें कमी हुई है।

यह मानना पड़ेगा कि यदि 1971-76 के दौरान अच्छा कार्य न किया गया होता, तो 1981 में आबादी कहीं अधिक होती। दूसरा कारण यह है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं, मृत्यु-दर के कम होने से आयु के लम्बे होने की सम्भावना बढ़ी है और आबादी के शुद्ध विकास में वृद्धि हुई है। मातृ कल्याण और शिशु सम्बन्धी स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी 1971-81 मे सुधार हुआ है। जिसका माताओं और शिशुओं की मृत्यु-दर पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

इन सब से यह निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम को और सुदृढ़ बनाना होगा और इसका विस्तार करना होगा। इसके लिए सभी वर्गों, चाहे वे किसी जाति, पन्थ, धर्म लिंग या राजनीतिक दल के हों, का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अतः मैं इस सभा के सभी वर्गों से अपील करता हूं कि वे इस कार्यक्रम में तेजी लायें, इसे राष्ट्रीय आन्दोलन समझें और देश को सहायता करें।

अन्त में, प्रतिपक्ष के मेरे एक माननीय सदस्य ने व्यक्तिगत रूप से मेरा हवाला दिया है, मैं सभा को बता दूं कि मेरा अन्तिम बच्चा 15 वर्ष का है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु आपके हैं कितने ?

श्री रामावतार शास्त्री : आपको अपने साथियों के बारे में भी जानकारी एकत्र करनी चाहिए।

कृषि उपज के लिए लाभप्रद मूल्य, कृषि अनुदानों के मूल्यों में कमी आदि के बारे में याचिका

श्री देवी लाल (सोनीपत) : कृषि उपज के लिए लाभप्रद मूल्यों, कृषि अनुदानों के मूल्यों में कमी, फसल और पशु बीमा योजना आरम्भ करने, न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण, कृषि श्रमिकों के लिए मकानों की व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, ग्रामीण रोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम को अनुभव के आधार पर बदलने और भूमि सुधारों के क्रियान्वयन के बारे में श्री रणजीत सिंह और अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय (आजमगढ़) : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमन् इस याचिका के समर्थन में 10 लाख से भी अधिक किसान देश के सभी भागों से आये हुये हैं। इसमें माननीय अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया था..... (व्यवधान)**।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका याचिका से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसे सभा की कार्यवाही में शामिल मत कीजिए। अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेते हैं।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केक-कोल का आवंटन रद्द किए जाने के कारण उद्योगों के बन्द होने का समाचार

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर (खण्डवा) : मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में बुरहानपुर एक ऐसा औद्योगिक केन्द्र है जिसमें 15000 पावरलूम, एक डाईनिंग (कंपोजिट) मिल 9 स्पिनिंग मिल 36 सायजिंग यूनिट, 4 केलेंडरिंग ट्वीचिंग डापिंग यूनिट है। इसके अतिरिक्त बुरहानपुर खण्डवा में अन्य कई बड़े उद्योग कार्यरत हैं। इन्हें संचालित करने के लिए केक कोल की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है।

कोल इन्डिया के माध्यम से राज्य शासन की रिकमंडेशन पर केक कोल उपरोक्त उद्योगों को सप्लाई किया जाता है।

कोल अलाटमेंट आफीसर नागपुर द्वारा खण्डवा जिले के बुरहानपुर एवं खण्डवा नगर के उद्योगों का जनवरी एवं फरवरी 1981 को अलाटमेंट कैंसल कर दिया गया है।

जिले में बिजली की भी सप्लाई में काफी कमी हो गई है। मजदूरों में बेकारी फैल रही है। उद्योग भी घाटा उठा रहे हैं। रासन शीघ्र जनवरी एवं फरवरी 81 का अलाटमेंट दे एवं आलटमेंट में वृद्धि किया जाना भी आवश्यक है एवं भविष्य में भी रेग्यूलर सप्लाई मिले यह मैं ऊजा मत्री से तथा केन्द्रीय शासन से प्रार्थना करता हूं।

(दो) राजधानी क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : विश्व के बड़े बड़े नगरों में उनके अपने आकर्षण के कारण बहुत लोग आकर बस रहे हैं। अनुमान है कि लगभग 75 हजार लोग प्रतिदिन गांवों से बड़े कस्बों और नगरों में चले जाते हैं।

दिल्ली जो देश की राजधानी है पर भी बम्बई और कलकत्ता की तरह तीव्र नगरीकरण का प्रभाव पड़ रहा है। इसकी जनसंख्या 1951 में 17 लाख 40 हजार से बढ़कर 1981 में 62 लाख हो गई है। दिल्ली में बहुत से लोग सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों, यातायात सेवाओं, थोक व्यापार और उपभोक्ता सेवाओं में रोजगार की तलाश में आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ ही वर्षों में दिल्ली की जनसंख्या 80 लाख से ऊपर हो जाएगी।

1961 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बनायी गई थी। इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली के आसपास का 30 हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। इस योजना का अनुमोदन 1973 में राज्यों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के एक बोर्ड द्वारा किया गया था। यह योजना दस वर्ष के लिए बनाई गई थी और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। इस योजना की लागत अनुमानत: 350 करोड़ रुपये होगी।

यह सब राष्ट्रीय नगरीकरण नीति का एक अंग है जिसका क्रियान्वयन बड़ी धीमी गति से चल रहा है। इस योजना का लक्ष्य बड़े बड़े नगरों में आने वाले लोगों को आसपास के गांवों में भेजने का है। इससे महानगरों पर जनसंख्या का दवाब कम हो जाएगा।

इस योजना में दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र, हरियाणा के रोहतक और सोनीपत जिले तथा पानीपत और रिवाड़ी तहसीलें और राजस्थान के अलवर जिले की पांच तहसीलें शामिल की गई थी। दिल्ली से लोगों को बाहर भेजने के लिए 18 क्षेत्रीय नगरों में औद्योगिक विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आवास और उपनगरीय रेलों का विकास और सड़क यातायात सेवाएं भी शामिल की गई हैं।

दुर्भाग्यवश इस योजना को अभी तक चालू नहीं किया जा सका है। बहुत से समीपवर्ती नगरों का विकास बड़े ऊलजलूल ढंग से हो रहा है और दिल्ली पर दबाव बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में इस योजना की धीमी प्रगति अपर्याप्त वित्तीय आवंटनों के कारण है।

अलवर और निकटवर्ती क्षेत्र का अपेक्षित विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अन्तर्गत अभी तक नहीं हुआ है। जल व्यवस्था, सफाई, स्कूल और डिस्पेंसरियां खोलना तथा यातायात सेवाओं जैसी सुविधाएं भी उस क्षेत्र में नहीं हैं।

सरकार को इस योजना के लिए पर्याप्त धन मुहैया करना चाहिए और इस योजना के अन्तर्गत कार्य में तेजी लाने के लिए उच्च स्तर पर एक कार्यान्वयन समिति बनानी चाहिए।

(तीन) दिल्ली के जूनियर डाक्टरों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में हुए समझौते को लागू न किए जाने के विरोध में विरोध सप्ताह

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : मैं सरकार का ध्यान रूल 377 के तहत दिल्ली के जूनियर डाक्टरों की तरफ से दिए गए उस नोटिस की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने 26 मार्च 1981 से प्रोटेस्ट हफ्ता मनाने के लिए दिया है। प्रोटेस्ट हफ्ता वे सरकार की तरफ से जो वादे उनसे किए गए थे, उनको पूरा न किए जाने की वजह से मना रहे हैं। जूनियर डाक्टरों ने सितम्बर 1980 में अपनी 52 दिन पुरानी हड़ताल सरकार से एक समझौते के तहत खत्म कर दी थी जिसमें सरकार ने डाक्टरों की मांगें मान कर पूरा करने की बात कही थी। डाक्टरों की हड़ताल से आम जनता को जबरदस्त परेशानी होती है।

मेरा सरकार से यह दरखास्त है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने के लिए जरूरी कदम उठाए और जूनियर डाक्टरों की मांगों को पूरा करे।

(चार) किसानों और कृषि मजदूरों द्वारा अपनी शिकायतों के दूर किए जाने के समर्थन में लाल किले से वोट क्लब तक निकाला गया व्यक्ति जलूस

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : श्रीमन्, नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हू ।

किसान समन्वय समिति के आह्वान पर आज दिल्ली में देश के विभिन्न भागों से कई लाख किसान और खेतिहार मजदूर आए हुए हैं और उनका जलूस लाल किले से चल कर वोट क्लब पर पहुंच गया है । वे संसद में अपना मांग-पत्र प्रस्तुत करने के लिए आये हैं । उनकी मांगें हैं : कृषि उपज के लिए लाभप्रद मूल्य निश्चित करना तथा देना, कृषि आदानों के मूल्यों पर नियंत्रण, छोटे और सीमान्त किसानों के लिए ऋण में राहत, खेतिहर मजदूरों के आवास के लिए भूमि तथा उनके लिए पर्याप्त न्यूनतम मजदूरी, तथा शहरों और गांवों के लोगों को सस्ते मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली ।

संसद भवन के बाहर आए हुए प्रदर्शनकारी अधिकांशत: बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के उन क्षेत्रों से आए हुए जहां इन मांगों को लेकर पिछले कुछ महीनों में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन हुए हैं और इन लोगों का काफी दमन किया गया है ।

आशा है कि सरकार हमारे मेहनतकश किसानों और खेतिहर मजदूरों की इन शिकायतों और जायज मांगों के समर्थन में हुए आज के प्रदर्शन पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी ।

दुःख की बात है कि जयपुर से आने वाले दो हजार आदिवासी किसानों को जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं रिवाड़ी स्टेशन पर रोक लिया गया है जहां उन्हें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा तंग किया गया है और गिरफ्तार किया गया है ।

(पांच) एनौर ताप बिजलीघर, मद्रास को कोयले की सप्लाई की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : श्रीमन्, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं ।

एनौर पनबिजली स्टेशन, मद्रास में कोयले का स्टाक केवल एक दिन और चलेगा । मद्रास के लिए 12 लाख टन कोयले की जरूरत है जबकि वहां केवल 8 लाख टन कोयला भेजा गया है और तूती कोरिन पनबिजली स्टेशन के लिये नौ लाख टन कोयले की जरूरत है जबकि वहां पर केवल 4 लाख टन कोयला भेजा गया है । बिजली में भी भारी कटौती की गई है और वहां बिजली की स्थिति बहुत गंभीर है । मद्रास नगर में भारी संकट है । परेलु उपयोग में आने वाली

बिजली में भी बहुत कमी की गई है। रेलवे अधिकारी कहते हैं कि उनके पास काफी वैगने हैं। परन्तु उनके पास ले जाने के लिए कोयला नहीं है। तमिलनाडु की राज्य सरकार इसके लिए केन्द्र को दोषी ठहराती है। इसलिए मैं सम्बन्धित मंत्रालय से इस मामले में हस्तक्षेप करने और मद्रास को अविलम्ब कोयले की अपेक्षित मात्रा भेजने के लिए कहूंगा ताकि तमिलनाडु में स्थिति सुधर सके।

(छः) पश्चिमी बंगाल में कृषि विज्ञान केन्द्र, काकद्वीप का निर्माण

श्री मुकुंद मंडल (मथुरापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं ;

मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कृषि अनुसंधान का विकास करने वाली योजना, जिसका अनुमोदन भारत सरकार तथा कृषि मन्त्रालय के बहुत पहले कर चुका है, अभी आरम्भ नहीं की गई है। परियोजना से मेरा तात्पर्य 'कृषि विज्ञान केन्द्र' से है। यह केन्द्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन एक कृषि अनुसंधान संस्थान है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रक्रिया को तीव्र करने की दृष्टि से यह केन्द सुन्दरबन क्षेत्र में, जो कि कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालन के लिए एक उपयुक्त क्षेत्र है, एक नये ढंग का होगा। यह संस्थान काकद्वीप, चौबीस परगना, पश्चिम बंगाल में स्थापित होना था। जहां तक मेरी जानकारी है केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना की मंजूरी दे दी थी तथा भवन के निर्माणार्थ आवश्यक धनराशि भी नियत कर दी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत समय पहले भवन के लिए भूमि भी नियत कर दी थी। अब जबकि सभी पूर्व शर्तें तथा औपचारिकतायें पूरी हो चुकी हैं तब परियोजना के अब तक आरम्भ न किए जाने के क्या कारण हैं ? यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। इससे पता चलता है कि नौकरशाही इस महत्वपूर्ण परियोजना के प्रति, जो कृषि अनुसंधान का विकास करने के लिए बनाई गई है, कितनी उदासीन है। मैं चाहता हूं कि 'कृषि विज्ञान केन्द्र', काकद्वीप, चौबीस परगना, पश्चिम बंगाल, के भवन-निर्माण का काम अविलम्ब प्रारम्भ और पूरा करने के लिए सरकार को ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। यदि पश्चिम बंगाल ने इस बारे में कोई कार्यवाही करनी है तो वह उसे करने में बहुत प्रसन्नता अनुभव करेगा। इस सम्बन्ध में मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने एक पत्र के माध्य से मुझे सूचित किया था कि वे भौतिक सुविधाओं का विकास करने के निरन्तर जोर दे रहे हैं तथा उन्होंने कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए एक 12 सदस्यीय स्थानिक प्रबन्ध समिति तीन वर्ष के लिए गठित कर ली है। परन्तु हैरानी की बात यह कि किसी को मालूम नहीं है कि इस समिति के सदस्य कौन कौन व्यक्ति हैं तथा वे कैसा दबाव डाल रहे हैं तथा किन पर। जहां तक कि पश्चिम बंगाल सरकार को भी इस बारे में अंधेरे में रखा गया है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, काकद्वीप का निर्माण कार्य अविलम्ब किया जाए तथा इस तथाकथित 12-सदस्यीय स्थानीय प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा की जाए।

(सात) देश के वैज्ञानिकों को यथासंभव अधिकतम सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : प्रत्येक देश अपने वैज्ञानिकों को यथासभव अधिक से अधिक सुविधायें देता है किन्तु हमारे देश में वैज्ञानों को अनेक प्रकार से अपमानित तथा हतोत्साहित किया जाता है। कभी पुलिस नौकरशाहों के कहने पर उनके घरों तथा कार्यालयों में छापे मारती हैं तथा कई बार उनके साथ पदोन्नति आदि के मामले में बे इन्साफ किया जाता है। ऐसी घटनायें भामा परमाणु अनुसंधान केन्द्र सहित देश के विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों में घट रही हैं। प्रशासन के इन अनुचित कार्यों के कारण वैज्ञानिकों द्वारा आत्महत्याएं आदि की जाती हैं तथा ऐसे ही गम्भीर परिणाम निकलते हैं हाल में भामा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के एक वैज्ञानिक ने आत्महत्या की है। सरकार को इस बात का पता लगाना चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण उसे आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ा। सरकार को "वैज्ञानिकों के लिए स्वतंत्रता और सम्मान का वातावरण पैदा करने" का प्रयत्न करना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि "हमारी वैज्ञानिक स्थापनाओं में काम करने वाले प्रशासनिक कार्यकर्ताओं ने धीरे-धीरे ये विशेषाधिकार समाप्त कर दिए हैं। यह नाशकारी प्रवृत्ति बदली जानी चाहिए।"

अनुदनों को मांगे 1981-82—जारी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान होगा। श्री वृद्धि चन्द्र जैन अपना भाषण शुरू कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप अपना भाषण दो या तीन मिनटों में समाप्त कर देंगे।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बया) : सदस्यों की एक लम्बी सूची है। यदि प्रत्येक सदस्य 10-12 मिनट लें तो सभी को मौका मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे दो मिनट में अपना भाषण समाप्त कर देंगे।

श्री पी. वेंकटसुब्बया : वह बहुत अच्छे सदस्य हैं, वह डेढ़ मिनट में भाषण समाप्त कर देंगे।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, पी०टी०आई० और यू.एन.आई. की जो एजेन्सीज हैं उनको विभाग की ओर से 70 लाख रु. प्रतिवर्ष की सहायता दी जाती है। परन्तु

उसके मुकाबले में हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती जो कि हिन्दी की एजेन्सीज हैं उनको प्रतिवर्ष 5, 5 लाख रु. के हिसाब से सहायता दी जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पी.टी आई. और यू.एन.आई. एजेन्सीज को आप सहायता दें इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो हिन्दी की समाचार एजेंन्सीज हैं, हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती, इनको भी पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए। अगर इनको पर्याप्त सहायता नहीं मिलती है तो हिन्दी के अखबारों का विकास नहीं हो सकता। और जो समाचार एजैन्सीज हैं अगर वे समाचार नहीं भेजती तो वे अखबार भी अच्छी तरह चल नहीं सकते। जब हमने यह मान लिया है कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है तो फिर उसको प्रोत्साहन क्यों नहीं देते ? इस बारे में सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

दूसरी बात यह है कि बाड़मेर जिले की, जिसके लिये मैंने पहले भी कहा है, घोर उपेक्षा की गई है। मैंने इस बारे में स्टार्ड, अनस्टार्ड सवाल और नियम 377 के अधीन भी सूचना दी थी और कहा था कि यह 76,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो हरियाणा से पौने दो गुना और केरल से दुगुना बड़ा है, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को रेडियो की आवाज नही पहुंचती। जयपुर की नहीं पहुंचती। जोधपुर, बीकानेर और दिल्ली की भी आवाज नहीं पहुचती। यह सीमावर्ती क्षेत्र है, इसकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। इसका प्रावधान छठी पंचवर्षीय योजना में नहीं किया गया है, इसका प्रावीजन करके 1981-82 में इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। क्षेत्रीय प्रचार युनिट्स जो सीमावर्ती क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके पास फंड बहुत कम है। उनके पास वाहन और जीपें जो हैं वह भी अच्छी स्थिति में काम नहीं कर रही हैं और वह इन्टीरियर में नहीं जा सकती हैं। बाड़मेर जैसे क्षेत्रों में प्रचार यूनिट्स के लिये अधिक फंडज् की व्यवस्था करनी चाहिए। परिवार नियोजन, जिसकी अभी यहां चर्चा बहुत हो रही थी और डाकुमैंटरी फिल्मस का प्रचार करने के लिए फंडज की बहुत कमी है, जिस कारण यह नहीं हो पा रहा है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अगर सफलीभूत करना है तो क्षेत्रीय प्रचार यूनिट्स को स्ट्रैन्थन करना चाहिये और इसके लिए फंडस की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

सूचना केन्द्रों की स्थापना के लिए बाडमेर, जैसलमेर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में सूचना केन्द्र स्थापित करने चाहिये जिससे उनको जानकारी हो कि पाकिस्तान में इस प्रकार की घटनायें घटित हो रही हैं। और किस प्रकार की घटनाएं दूसरे देशों में घटित हो रही हैं। इसके लिये सूचना केन्द्रों की आवश्यकता है। पुस्तकालय, वाचनालय, की स्थापना होनी चाहिए और माइक्रोवेज तथा रेडियो के द्वारा भी सूचना देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ में निवेदन करता हूं कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों की तरफ पूरी तरह ध्यान दें और इस क्षेत्र के विकास में सक्रिय सहयोग देने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब दो बजे म. प. तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

(लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.07 बजे पुनः समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : सभी विपक्षी स्थान खाली हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : समूचा विपक्ष यहां नहीं है परन्तु पांच पाण्डव विद्यमान हैं।

सामान्य बजट-अनुदानों की मांगे —जारी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय—जारी

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (माधोपुरा) मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सभी विपक्षी सदस्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रम से संतुष्ट हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : बिल्कुल नहीं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे) : पांच पांडव यहां उपस्थित हैं। (व्यवधान)।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं इस मंत्रालय को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटता हूं (1) रेडियो और दूरदर्शन (2) सिनेमा और (3) समाचार-पत्र और मेरा कहना है कि यह मंत्रालय सभी क्षेत्रों में असफल रहा है। सबसे पहले तो इस देश को रेडियो का प्रसारण क्षेत्र दूसरे देशों के शक्तिशाली ट्रांसमीटरों के कारण कम होता जा रहा है। उदाहरण के लिए सहरसा में जो कि मेरा जिला है हम पीकिंग रेडियो को बड़ी अच्छी तरह सुन सकते हैं परन्तु दिल्ली को नहीं। यह बहुत ही गम्भीर बात है और इस पर विचार किया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं पांचवी लोक सभा में जिला रेडियो स्टेशन की स्थापना करने का प्रस्ताव था। पता नही उसका क्या होगा।

एक माननीय सदस्य : यह असफलता नहीं है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : इस सम्बन्ध में मैं आपको बता दूं कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए पांचवीं लोक सभा में एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाए जाने का प्रस्ताव किया गया था। यह ट्रांसमीटर एक हजार किलोवाट क्षमता का था और इसे नागपुर में लगाए जाने का प्रस्ताव था। पता नहीं उसका क्या हुआ। रेडियो को वाणिज्य सेवा से दस करोड़ रुपये प्राप्त होते है तथा मूलतः इस रुपये को शार्ट वेव और कार्यक्रमों में सुधार पर व्यय करने की योजना थी। दुर्भाग्यवश इस दिशा में कुछ नहीं किया जा रहा है।

आज रेडियो और दूरदर्शन ने अपनी साख खो दी है। वे सरकार के प्रचार के साधन बन गये हैं। (व्यवधान) लोग उनके समाचारों पर अब विश्वास नहीं करते। उदाहरण के लिए यदि कोई रेल दुर्घटना होती है और रेडियो टेलिविजन कहते हैं कि दस व्यक्ति मरे तो लोगों में तुरन्त प्रतिक्रिया होती है कि यह तो सरकार का कहना है। कम से कम पचास व्यक्ति तो अवश्य मरे होंगे। (व्यवधान) इसकी तुलना में बी० बी० सी० की साख कहीं अधिक है और इसी कारण हमारे यहां बहुत से लोग बी० बी० सी० को सुनते हैं और तब वे किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। 1977 से पहले जब श्रीमती गांधी सत्ता में थी तो ए० आई० आर० को आल इंदिरा रेडियो कहा जाता था। जब जनता पार्टी सत्ता में आयी तो आकाशवाणी को अडवाणी वाणी कहा जाता था और अब यह 'साठे साउंड' है।

इस समय देश में प्रचार माध्यमों को सत्ताधारी दल के लाभ में उपयोग किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों का सरकार के अन्दर और सरकार के बाहर समर्थन किया जाता है। 16 फरवरी की किसान रैली इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। इन सब बातों की दृष्टि से क्या सरकार के लिए पिछली सरकार के सुझाव के अनुरूप रेडियो और दूरदर्शन के लिए एक निगम के गठन पर विचार करना क्या वांछनीय नहीं होगा? पता नहीं सरकार इस बात से क्यों हिचक रही, जबकि वह इस बात को भलीभांति जानती है कि वे हमेशा राज्य करने वाले नहीं है।

अब मैं सिनेमा पर आता हूं। आजकल छोटे निर्माता और निर्देशक अत्यधिक हानि उठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अक्सर सिनेमा देखते है ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : जी हां, विशेषकर इन लोगों के दिखाए जाने पर।

जीवन के अन्य क्षेत्रों के समान ही इस क्षेत्र में भी यद्यपि सरकार यह दावा करती है कि वह उनके हितों की रक्षा करती है मैं कतिपय कमियों का उल्लेख करता हूं।

(क) उत्तम फिल्में बनाने वाले छोटे निर्माताओं को आवश्यक वित्तीय सहायता ही नहीं प्राप्त होती।

(ख) यदि वे किसी प्रकार ऋण आदि लेकर फिल्म निर्माण करते हैं तो उन्हें अपनी फिल्मों को दिखाने के लिए हॉल नहीं मिलते क्योंकि बड़े फिल्म निर्माता पहले से ही पगड़ी के रूप में बड़ी बड़ी रकमें देकर हाल बुक करा लेते हैं और इस कारण छोटा निर्माता हानि उठाता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की असफलता के कारण नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का पूर्णतः ह्रास हो गया है। इस देश की नैतिकता सस्ते और अश्लील चलचित्रों के कारण गिर

गई है। बात करने का ढंग, नृत्य और संगीत सभी यौन प्रधान और हिंसा प्रधान सस्ती पश्चिमी सभ्यता की अन्धाधुन्ध नकल है। और अपने इस महान देश की संस्कृति को बनाए रखने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती जा रही है (व्यवधान) अतः इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता नैतिकता की है। इस सम्बन्ध में मैं डा० महावीर प्रसाद गुप्त, जो बुद्धिजीवी, सामाजिक विचारक और सुधारक हैं और जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, की 8 सूत्री योजना की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वे सूत्र हैं :

1. साम्प्रदायिकता की भयंकर बुराई को लोगों के मन से निकालने और राष्ट्र के चरित्र को उठाने के लिए सरकार उपलब्ध जन-प्रचार के माध्यमों के द्वारा लोगों को पवित्र धर्म ग्रन्थों के सही अर्थ बताकर" नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा (2) व्यवहारिक समाजवाद (3) केन्द्र में द्विभाषावाद (4) गहन सिंचाई (5) जनसंख्या नियंत्रण (6) बड़ी संख्या में आवास (7) प्रशासनिक न्याय और (8) भारत की रक्षा और सुरक्षा।

लोक सभा के विभिन्न दलों के अनेकों सदस्यों ने इस विषय पर औपचारिक रूप में प्रस्ताव की सूचना दी है। राज्य सभा में यह प्रस्ताव 9 फरवरी, 1981 की कार्य सूची के अनुसार स्वीकार कर लिया गया तथा पहले लोक सभा में भी 30 जून, 1979 की कार्य सूची के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और उस पर श्री साठे ने भी हस्ताक्षर किए थे। वर्तमान लोक सभा को भी इसे तुरन्त स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि यह हमारे देश के लिए बड़ा लाभकारी है।

अब मैं भारतीय भाषाओं की समाचार एजेन्सियों की समस्याओं पर आता हूं 'हिन्दुतान समाचार' की स्थापना 1949 में की गई थी और पिछले 24 वर्षों से वह एक सहकारी समिति के रूप में कार्य कर रही है। इसने विभिन्न भारतीय भाषाओं में समाचार देने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। 'समाचार' के विघटन के बाद 'हिन्दुस्तान समाचार' अंग्रेजी एजेंसियों की प्रतियोगिता में आई क्योंकि अब कतिपय भाषायी समाचार पत्र पूर्णतः इसकी सेवाओं पर अवलम्बित है। क्योंकि कोई भी समाचार एजेन्सी सरकार के नियोजित सहयोग के बिना सफलता से नहीं चल सकती, मेरे इस सम्बन्ध में निम्न लिखित सुझाव है।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया : श्रीमन, ये सभा के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। ये अपने नोट देख सकते है, उन्हें पूरी तरह पढ़े नहीं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं सभा के प्रक्रिया नियमों से परिचित हूं।

आकाशवाणी द्वारा अंशदान सम्बंधी सूत्र : आकाशवाणी को चारों समाचार अभिकरणों के समाचार प्राप्त होते है। उनको इन सेवाओं के लिए संदाय करने हेतु एक सूत्र बनाया गया था और सभी समाचार अभिकरणों को 1978 से संदाय किया जा रहा है, वह सूत्र अंग्रेजी भाषा वाले समाचार अभिकरणों के पक्ष में था जो कि इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजी वाले समाचार अभिकरणों को प्रतिवर्ष 70 लाख रुपये दिये जाते हैं जबकि देशी

भाषाओं वाले समाचार अभिकरण को प्रति वर्ष केवल 10 लाख रुपये ही दिये जाते हैं। यद्यपि सरकार ने सभा में इसे कभी नहीं माना है तथापि सरकार 1 अप्रैल, 1981 से रेडियो लाइसेंस नीति में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप इस सूत्र को पुनरीक्षित करने जा रही। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि 1978 से अन्शदान सूत्र के दोषपूर्ण होने के कारण देशी भाषाओं के समाचार अभिकरणों को हुई हानि के लिए उचित प्रतिकर दिया जाये।

देशी भाषाओं के अभिकरणों को विकास अनुदान 'समाचार' का विघटन करते समय सरकार ने चारों समाचार अभिकरणों को उनके पुनर्वास और विकास के लिए अनुदान दिया था। अंग्रेजी भाषा वाले अभिकरणों को इतनी कठिनाई नहीं हुई क्योंकि इनकी कार्य प्रणाली 'समाचार' बनने से पहले और उनके विघटन के पश्चात एक-सी थी। देशी भाषाओं वाले अभिकरणों को जहां पहले केवल 6 घंटे कार्य करना पड़ता था, वहां अब उन्हें 14 घंटे कार्य करना पड़ता है।

'दि हिन्दुस्तान समाचार' को सहकारी समिति के वे सभी विशेषाधिकार दिये जाने चाहिएं जो दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 43(3) में उल्लिखित हैं।

देशी भाषाओं वाले अभिकरण और डाक तथा तार विभाग किसी समाचार अभिकरण की सफलता में समाचार एकत्र करने की तरह समाचार प्रेषण का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है।

दुर्भाग्य से डाक तथा तार विभाग देशी भाषाओं वाले समाचार अभिकरणों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है। हिन्दी टेलीप्रिंटर बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। टेलीप्रिन्टर मशीनें कई कई दिन और कभी कभी कई कई सप्ताह बिगड़ी रहती हैं। अतः हिन्दी टेलीप्रिन्टर मशीनों का किराया आधा अर्थात प्रति मास 100 रुपये होना चाहिए।

विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में केन्द्रों का नियतन :- सरकार ने समाचार अभिकरणों को कुछ देशों में अपने अपने संवाददाता रखने के लिए कुछ वित्तीय सहायता दी है। यद्यपि यह सुविधा पी० टी० आई० को तीन देशों के लिए दी गई है तथापि अन्य अभिकरणों को यह सुविधा एक एक देश के लिए दी गई है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

पिछड़े क्षेत्रों को देशी भाषाओं में समाचार : सभी राज्यों में कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहां समाचार पत्र बहुत छोटे हैं और वित्तीय संसाधनों के सीमित होने के कारण वे समाचार अभिकरण सेवा नहीं चला सकते। अतः मेरा सुझाव है कि ऐसे क्षेत्रों में केन्द्र और राज्यों की सूचना स्थापन देशी भाषाओं वाले समाचार अभिकरण वाली सेवा स्वयं करें और उनका वितरण नाम-मात्र के संदाय पर स्थानीय समाचार पत्रों को करें। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा समाचार पत्रों को विज्ञापनों के लिए समाचार पत्रों पर कुछ शुल्क लगाया

जाना चाहिए और उससे होने वाली आय देशी भाषाओं वाले समाचार अभिकरणों को उपलब्ध की जानी चाहिए।

अन्त में, मैं अपने राज्य और निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कुछ बातों का उल्लेख करूंगा। पहली यह कि पांचवी लोक सभा के दौरान पटना में एक 100 कि० वाट का एक और ट्रांसमिटर लगाये जाने का प्रस्ताव था। मुझे नहीं पता कि उस प्रस्ताव की अब क्या स्थिति है।

दूसरी यह कि पटना में सुगम संगीत का विकास करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाये।

तीसरी यह कि आकाशवाणी से मैथिली भाषा में भी एक समाचार बुलिटिन प्रसारित होना चाहिए क्योंकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है जिसमें नेपाल के बहुत अधिक लोग बोलते हैं।

चौथी यह कि सहरसा में कोसी कमिशनरी के मुख्यालय में वहां के लोगों की सेवा करने के लिए एक रेडियो स्टेशन होना चाहिए।

अन्त में संगीत और रूपक मंडलियां देश के सभी महत्वपूर्ण मेलों में नैमित्तिक रूप से भेजी जानी चाहिए। इस संदर्भ में सिंगेश्वर, जहां बिहार का दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है और जो देश में हाथियों की सबसे बड़ी मन्डी है, को भी ध्यान में रखना चाहिए।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के लिए मांगों का समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम मैं प्रसारण सेवाओं के विषय पर बोलना चाहूंगा। मैं श्री यादव से सहमत नहीं हूं जब वे कहते हैं कि आकाशवाणी सत्तारूढ़ दल सम्बन्धी समाचारों को अधिक समय देती है। यह वास्तविक स्थिति नहीं है जैसाकि कल इस ओर के अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा और माननीय उप मन्त्री जी ने तथ्य और आंकड़ों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि आकाशवाणी पर प्रतिपक्ष को बहुत ही अधिक समय दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि अब इसे बन्द कर दिया जाना चाहिए क्योंकि आकाशवाणी पर प्रतिपक्ष को बहुत ही अधिक समय दिया जाता है।

मेरा सुझाव है कि समय दल की सदस्य संख्या के आधार पर दिया जाना चाहिए। मेरे सुझावों में से यह एक है।

दूसरे में कश्मीर-श्रीनगर और जम्मू रेडियो विशेषकर समाचार सेवा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। राज्य में यह नेशनल कांग्रेस दल का प्रवक्ता बन गया है और रेडियो पर तथ्यों को दबाया जाता है।

तथापि मैं भारत में प्रेस वालों का धन्यबादी हूं। प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के अधीन इसे पूर्ण स्वतंत्रता है प्रेस में वास्तव में पूरे तथ्य दिए जाते हैं। तथापि कश्मीर रेडियो कई बातों को दबा जाता है। जम्मू और कश्मीर में वास्तव में जो कुछ हो रहा है उसका कश्मीर रेडियो पर सही चित्र नहीं रखा जाता है।

परन्तु उस स्टेशन के बारे में कुछ अच्छी बातें भी हैं। लोग ऐसा कहते हैं। मैं कश्मीरी भाषा नहीं जानता हूं। कश्मीरी संगीत और रूपकों की बड़ी प्रशंसा की जाती है। मुझे बताया गया है यह तथाकथित आजाद कश्मीर में भी बहुत लोक प्रिय है। ऐसे कार्यक्रम तैयार करने वालों की प्रशंसा तो होनी चाहिए।

एक बात यह है कि हमें बताया गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में जो अधिकारी विशेषकर टी० वी० और आकाशवाणी के अधिकारी जाते है, उनसे अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसा व्यवहार किया जाता है। टी० वी० और आकाशवाणी के अधिकारियों को छोड़कर केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है यहां तक कि उनके साथ जो सामान्य रूप से व्यवहार होना चाहिए वह भी नहीं किया जाता है। टी० वी० और आकाशवाणी के अधिकारियों के साथ उनके द्वारा किए जाने वाले अच्छे व्यवहार पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, है परन्तु बात यह है कि अन्य अधिकारियों के साथ भी ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसा व्यवहार केवल टी० वी० और आकाशवाणी के ही अधिकारियों के साथ ही क्यों किया जाता है ? यह केवल इसलिए है क्योंकि वे उस राज्य में प्रतिपक्ष की आवाज को दबाना और अपनी आवाज को बुलन्द करना चाहते हैं। मैं यही महसूस करता हूं.....।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां के बारे में आप कहते हैं कि प्रतिपक्ष को अधिक समय दिया जाता है परन्तु आप वहां के बारे में कहते हैं.....।

श्री पी० नामग्याल : यहां के बारे में जो स्थिति है उसके सम्बन्ध में माननीय उप मन्त्री ने तथ्य और आंकड़े सभा में रखकर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। मैं उस रेडियो विशेष की बात कर रहा था। वहां की स्थिति बिल्कुल उल्ट है। वहां पर हम प्रतिपक्ष में हैं।

दूसरे, मै आकाशवाणी के लेह स्टेशन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। लद्दाख समूचे देश में एक बहुत ही अधिक संवेदनशील क्षेत्र है। आपने 1971 में लेह में आपातकाल के आधार पर दस किलोवाट ट्रांसमीटर वाला एक रेडियो स्टेशन स्थापित किया था। वह भी केवल चार घटे 45 मिनट के कार्यक्रम के लिये था। परन्तु अब वही स्टेशन प्रसारकक्ष, मशीनों, उपकरणों, परिवहन आदि की अतिरिक्त सुविधाओं के बिना नौ घंटे का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। मैं महसूस करता हूं कि उस स्टेशन को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये क्योंकि यदि आप ल्हासा रेडियो से होने वाले चीनी प्रचार या मजफ्फराबाद स्टेशन से प्रसारित किये जाने वाले तथाकथित आजाद कश्मीर रेडियो के कटु प्रचार का मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको इस स्टेशन विशेष को सुदृढ़ बनाना होगा। उन स्टेशनों से वे लोग बहुत प्रभावी और

बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और हमारा रेडियो स्टेशन उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। हमारे यहां केवल एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर है जिसकी अपनी सीमायें हैं। एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर से किसी दूरी विशेष तक ही प्रसारण किया जा सकता है। लेह स्टेशन से तो मुश्किल से लगभग 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रसारण किया जा सकता है। मेरा निर्वाचन-क्षेत्र 97,000 वर्ग कि०मी० है जो भारत में कई राज्यों से अधिक बड़ा है। मेरा सुझाव है कि वहां पर एक सशक्त शार्ट-वेव ट्रांसमीटर लगाया जाये। इसका केवल यही हल है। यह न केवल लेह के लिए ही अपितु, देश भर में अन्य स्टेशनों, विशेषकर पाकिस्तान, चीन और बांग्ला देश की सीमा पर स्थित स्टेशनों के लिए किया जाना चाहिए। इसे शार्ट वेव ट्रांसमीटर लगाकर ही सुदृढ़ बनाना होगा न कि मीडियम वेव ट्रांसमीटर से लगाकर यह ठीक है कि मीडियम वेव ट्रांसमीटर से रात के समय तो बड़े क्षेत्र में प्रसारण किया जा सकता है परन्तु दिन के समय ऐसा नहीं किया जा सकता है इसकी अपनी सीमा होती है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि वे आयोजन, प्राथमिकताओं और वित्त की उपलब्धता तथा सभी प्रकार की चीजों के अधीन रहते हुए लेह में 50 कि० वाट का एक शार्ट वेव ट्रांसमीटर लगा रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि इन सब चीजों को ताक में रखकर प्राथमिकता के आधार पर वहां पर स्टेशन स्थापित करना होगा।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान टी०वी० और रेडियो स्टेशनों की स्थापना के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में आपने बताया था कि 1980-85 की अवधि के लिये जम्मू और कश्मीर के लिए 44 लाख रुपये नियत किये गये हैं। मेरे विचार में तो यह विशेषकर जम्मू और कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं है जो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर स्थित है। इसके लिए आपको अधिक रकम नियत करनी होगी। टेलीविजन के लिए 2.55 लाख रुपए रखे गये हैं। यह उस राज्य के साथ अन्याय है। मेरी प्रार्थना है कि आपको उसे सुदृढ़ बनाना होगा.....।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय पूरा हो गया है।

श्री पी० नामग्याल : मैं पांच मिनट और लूंगा।

मेरी प्रार्थना है कि आपको इस पर तथा जम्मू और कश्मीर राज्य के टी० वी० स्टेशन और रेडियो स्टेशन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर विचार करना होगा।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह टी.वी. सेवा के बारे में है। मान्यवर, यदि आप कभी अमृतसर, जम्मू या हिमाचल प्रदेश के किसी भाग में जायें तो आप देखेंगे कि वहां के 90 प्रतिशत लोग आपके अमृतसर या श्रीनगर स्टेशन की बजाए लाहौर टी. वी. स्टेशन के कार्यक्रम देख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वे बहुत ही सुन्दर और बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। हमारे टेलिविजन सेवाओं की एक मात्र अच्छी बात यह है—यह मैं विशेष रूप से श्रीनगर और अमृतसर के स्टेशनों को ध्यान में रखकर कह रहा हूं—कि चित्रहार, संगीत और नृत्य तथा फीचर फिल्मों वाले कार्यक्रम सामान्यतः बच्चों में लोकप्रिय हैं। बच्चे केवल इन्हीं कार्यक्रमों को ही पसन्द करते

हैं। अतः आपको इसके लिए कुछ करना होगा। मेरा सुझाव है कि यदि आप कार्यक्रम तैयार करने से सम्बन्धित व्यक्तियों को अमृतसर भेजें तो वे लाहौर टी.वी. या रावलपिंडी टी.वी. के कार्यक्रम कम से कम एक सप्ताह देख सकेंगे और पता लगा सकेंगे कि वे कार्यक्रम कैसे तैयार और प्रस्तुत किये जाते हैं। मेरे विचार में इनमें कोई बुराई नहीं है। वे बहुत अच्छे कार्यक्रम तैयार करते हैं। इस ओर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरी इस बात का समर्थन करेगा। मेरे विचार में यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है।

टी.वी. के बारे में मेरी दूसरी बात यह है कि यदि आप पहाड़ी; दूरस्थ और जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ न्याय करना चाहते हैं, तो आपको टेलिविजन सेवायें उस प्रस्तावित उपग्रह के माध्यम से प्रसारित करनी होगी जिसे 1982 में किसी समय स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें अंडमान और निकोबार, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और ऐसे सभी दूरस्थ क्षेत्रों और सीमावर्ती जिलों में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मेरे विचार में, इस द्वारा आप बहुचर्चित राष्ट्रीय भावात्मक एकता ला सकेंगे। श्रीमन्, यह बहुत जरूरी है क्योंकि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने उन चीजों को कभी नहीं देखा है जो नगरों और कस्बों में दिखाई जाती है।

तीसरे, मैं क्षेत्र-प्रचार के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आपको क्षेत्र प्रचार निदेशालय को सुदृढ़ बनाना होगा। यह जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है। यद्यपि कुछ वृत-चित्र और फीचर फिल्में प्रादेशिक भाषाओं में हैं, तथापि उनकी संख्या अपर्याप्त है और वे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती हैं। मेरा सुझाव है कि इन वृत्त-चित्रों को जनजाति भाषाओं में तैयार किया जाय उनमें से कई भाषाएं मान्यता प्राप्त नहीं हैं।

श्रीमन्, दस, बारह वर्ष पहले वृत-चित्र लद्दाखी भाषा में भी हम देखा करते थे परन्तु अब उन्हें अविदित कारणों से बन्द कर दिया गया है। मेरी प्रार्थना है कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाये जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग लाभांवित हो सकें।

महोदय, रेडियो और टेलीविजन सेवाओं को सुधारने के लिए माननीय वसंत साठे द्वारा किये गये सराहनीय प्रयत्नों के बारे में यदि मैं कुछ नहीं कहूंगा तो यह न्यायसंगत नहीं होगा। प्रेषण और स्टूडियो सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। रेडियो और टेलीविजन सेवाओं के लिए यह बहुत ही आवश्यक है।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि आपको इन सेवाओं में लगे कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार करना होगा। जहां तक लद्दाख का सम्बन्ध है, आपके पास प्रतिभा तो हो, परन्तु आपको उसका उचित उपयोग करना होगा और वह तभी हो सकता है जब उन्हे वर्ष भर में पूरी दर पर प्रतिकर भत्ता जैसी पर्याप्त सुविधाएं प्राप्त होंगी जो अब आप नहीं दे रहे हैं। अब आपने उन्हें केवल

छह मास के लिए बढ़ी हुई दर से प्रतिकर भत्ता देने का निर्णय किया है। यह तो बड़ा अन्याय है। इसी प्रकार कलाकारों और कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते और आवास सम्बन्धी समस्यायें हैं। आपको इन लोगों की ओर पर्याप्त ध्यान देना होगा।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, जो सरकार का एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण अंग है, के कार्य पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। एक ऐसे देश में जहां 80 प्रतिशत लोग अनपढ़ हों, लोगों को संसूचित करने वाले सार्वजनिक माध्यम का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्रात्मक मूल्यों को अधिक महत्व प्रदान करने तथा लोगों में उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी मन्त्रालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने और सामाजिक परिवर्तन जो सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को तेजी और सुगमता से बदलने के लिए आवश्यक है, की विधि के बारे में सूझबूझ उत्पन्न करने के लिए सार्वजनिक माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

अत: यह आवश्यक है कि इन माध्यमों का उपयोग एक मुक्त वातावरण में उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया जाए। इसका उपयोग किसी के व्यक्तित्व को उभारने या सत्तारूढ़ दल का प्रचार करने जैसे संकीर्ण दलगत प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे दुरुपयोग को रोकने इस माध्यम को जनता सरकार द्वारा बनाए गए सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करने देने और सरकार का न्यूनतम योगदान सुनिश्चित करने के लिए उस सरकार ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए प्रसार भारती नामक स्वायत्तशासी बोर्डों का गठन करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया था। यह विधेयक प्रवर समिति के विचाधीन था। परन्तु सभा का विघटन हो जाने से यह विधेयक व्यपगत हो गया। मन्त्री जी, श्री साठे ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने जनता सरकार के पहले के निर्णय का निराकरण कर दिया है और इसकी बजाए इन माध्यमों को "क्रियात्मक स्वायत्तता" प्रदान करने का निर्णय किया गया है। क्रियात्मक स्वायत्तता की धारणा इतनी अधिक स्पष्ट नहीं है। मैं ऐसा कहती हूं क्योंकि स्वयं इस सभा में शिकायतें की गई हैं कि प्रतिपक्ष को समय और प्रचार के मामले में इतना अवसर नहीं मिल रहा है जितना उन्हें मिलना चाहिए। श्री साठे ने इस शिकायत विशेष के आधार को गलत सिद्ध करने के लिए आंकड़े दिए हैं। आकड़ों के होते हुए भी यह भावना बनी हुई है कि इस माध्यम के नित्य के कार्य के पीछे भी सरकार का अदृश्य हाथ रहता है प्रतिपक्ष को सामान्यत: वही सुनने को मिलता है जो उसके विरुद्ध कहा जाता है या जो महत्वहीन होता है। उप मन्त्री ने इस आरोप को गलत सिद्ध करने के लिए आंकड़े दिए हैं। मैं एक उदाहरण दूंगी। मुझे बताया गया है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक रैली को सम्बोधित किया, उनके भाषण के बारे में तो केवल एक आध ही वाक्य बोला गया जबकि शेष समय रैली की आलोचना करने पर लगा दिया गया।

यहां तक कि वे लोग भी जिनके लिए यह क्रियात्मक स्वायत्तता है, विरोध प्रकट कर रहे हैं। आकाशवाणी के संवाददाताओं की गोष्ठी में महानिदेशक श्री बरुआ को यह स्वीकार करना पड़ा कि इस तरह आंकड़ों का दिया जाना गलत था और समाचार बुलटिनों में सही समाचार शामिल किए जाने चाहिए और उनमें प्रतिपक्ष के समाचारों का भी सार होना चाहिए। उसी गोष्ठी में मन्त्री और उसके उप मन्त्री ने संवाददाताओं को स्मरण कराया कि यह एक सरकारी माध्यम है और सरकारी नेताओं के विचारों का प्रचार करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उप मन्त्री ने इसे स्वीकार किया है। ऐसा कहने का क्या अर्थ है ? संवाददाताओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

मेरे विचार में इस परामर्श का यह अर्थ है कि समाचार देते समय संवाददाताओं को सरकार की सम्भव प्रतिक्रिया को ध्यान में रखना होगा और किसी समाचार के महत्व के बारे में निर्णय करते समय उनकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी।

मन्त्री महोदय बार-बार प्रेस की स्वतंत्रता में विश्वास और उसे बनाए रखने के लिए चिन्ता व्यक्त करते रहे हैं। परन्तु जब पश्चिम बंगाल सरकार ने सेंसर लागू किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए राज्य संवैधानिक रूप से सक्षम है वे उनके संवैधानिक अधिकार में दखल कैसे दे सकते हैं ? पर ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब आधा दर्जन राज्य सेंसर लगाने के पक्ष में हों, तब भी वे हाथ ऊंचे करके यह घोषणा कर देंगे कि वह संविधानवादी होने के नाते राज्यों की स्वतंत्रता में दखल नहीं दे सकते हैं और नहीं देंगे। इस बीच वह संवैधानिक रूप से इस के लिए जिम्मेदार न होते हुए भी सेंसर लागू कर देंगे।

तथापि मन्त्री द्वारा की गई कुछ अच्छी बातों के लिए मैं उनकी सराहना करती हूं। उन्होंने विज्ञापन और दृष्य प्रचार की दरों के मामले में अंग्रेजी तथा अन्य भाषाई समाचार पत्रों के बीच भेदभाव को समाप्त कर दिया है। छोटे समाचारपत्रों की सहायता के लिए उन्होंने राज्य मुख्यालयों में रिमों में अखबारी कागज उपलब्ध करने का निर्णय किया है। तथापि मैं उनसे आग्रह करती हूं कि वह समाचारपत्रों में समाचारों और विज्ञापनों के बीच 60 : 40 का अनुपात लागू करें। इस समय ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं जिसके फलस्वरूप समाचारपत्र विज्ञापनों को अधिक जगह देते हैं और इसी से वित्त मन्त्री को आयातित अखबारी कागज पर प्रशुल्क लगाने की प्रेरणा मिली है। यह मामला प्रेस आयोग को निर्दिष्ट किया गया है। अपना मत व्यक्त करने में वे कितना समय लेंगे ?

समाचारों की अधिकता और विविधता के लिए लोगों की आकांक्षा उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। पढ़ने वालों की बढ़ती हुई संख्या की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक विविधता लाने के साथ-साथ समाचारपत्रों के पृष्ठों की संख्या भी बढानी होगी इस तरह से पत्रकारों के विशेषकर उन मुफस्सल संवाददाताओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जिन्हें आज नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि समाचारपत्र उनके बिना भी अपना काम चला

सकते हैं जब उनमें उनकी कहानियों के लिए जगह ही नहीं है। पृष्ठों के बढ़ जाने से वे ऐसा नहीं कर सकेंगे और इससे सीमाशुल्क लगाने का औचित्य भी समाप्त हो जाएगा।

अब मैं रंगीन टी० वी० के लिए श्री साठे के उत्साह के बारे में कहती हूं। आश्चर्य है कि इसका वार्षिक प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं है। राजनीतिक नेताओं के उपदेशों की बजाए दूरदर्शन विकास और सामाजिक परिवतन का संदेश शायद अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचा सकता है। प्रधान मन्त्री ने भी विद्यमान बिना रंग वाले टी० वी० का और अधिक उपयोग करने पर बल दिया है। शायद रंगीन टी० वी० का प्रस्ताव कहीं रुका पड़ा है। रंगीन टी० वी० का प्रचार इस आधार पर हो रहा था कि हम प्रौद्योगिकी में पीछे रह जायेंगे। हमारे अधिकांश पड़ोसियों के पास रंगीन टी० वी० हैं। हमारे पास देश में कोई 10 लाख टी० वी० सेट हैं और उनका लाभ केवल देश के 6 प्रतिशत क्षेत्र और 15 प्रतिशत आबादी को ही है। इसका एक कारण सामाजिक एवं आर्थिक ढांचा है। रंगीन टी० वी० प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास नहीं है। इसके अतिरिक्त जब तक ऐसे टी० वी० सेटों का जाल नहीं बिछाया जाएगा तब तक हम उनका लाभ नहीं उठा सकेंगे।

विशेषज्ञों का कहना है नवीनतम बात तो यह है कि टी० वी० को केबल टी० वी० में बदल दिया जाए जिससे अपनी पसन्द से विविध कार्यक्रम देखे जा सकें और जिसमें दो तरह से सम्पर्क स्थापित किया जा सके। इस तरह विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का भंडार कायम कर लिया जाता है और दर्शक कोई भी कार्यक्रम देख सकता है। इससे जीवन की रीतियों में क्रान्ति आ गई है।

केबल टी० वी० का विकास उन कई चीजों में से एक है जिन्होंने सूचना को संचार में बदल दिया है, लोगों को संचार के इस रूपक में भाग लेने के लिए अधिक सक्रिय बना दिया है और उन्हें अधिक जानकार और आलोचक बना दिया है जिससे वे व्यक्तियों और घटनाओं को अधिक अच्छी तरह से समझने लगे हैं। वास्तव में एक ऐसे संचार साधन की आवश्यकता है और मैं निवेदन करती हूं कि मंत्री महोदय ऐसी धारणा को स्वीकार करें। केवल टी० वी० वित्तीय परिव्यय के कारण शायद हम न बना सकें। तथापि अहमदाबाद में अन्तरिक्ष केन्द्र में ग्रामीण संचार और इस प्रयोजन के लिए यंत्र और उपकरणों का विकास करने की दिशा में अच्छा कार्य किया गया है। अन्तरिक्ष केन्द्र द्वारा विकसित उपग्रह और गतिशील केन्द्रों की मदद से हम देश भर में दूरदर्शन की व्यवस्था कर सकते हैं और प्रौढ़ शिक्षा अभियान को कारगर ढंग से चला सकते हैं। इस प्रकार टी० वी० सेटों का जाल बिछाकर हम विविध लोगों को एक जगह ला सकेंगे और इससे तेजी से राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में मदद मिलेगी।

क्या हम 40 करोड़ से भी अधिक अनपढ़ लोगों को अगले 10 वर्ष में भी संसूचित कर सकेंगे ? नहीं, हम यह तब तक नहीं कर सकते जब तक कि राष्ट्रीय स्तर पर टी० वी० का जाल नहीं बिछ जाता। अतः क्या लोगों और उनकी समस्याओं को समझाने के लिए टी० वी० को देश

भर में संचार माध्यम में बदलना आवश्यक नहीं है ? क्या हम ऐसे संचार माध्यम संवाददाता रखने जा रहे हैं जो सत्तारूढ़ राजनीतिज्ञों का प्रचार करने की बजाए समाज को खोज कर उसकी बुराइयों का भंडाफोड़ करें ? क्या हम टी० वी० का ऐसा जाल बिछाने जा रहे हैं जिससे नया टी० वी० सेट हर गरीब को मिल सके और भाषणों और रैलियों की तुलना में अधिक कारगर ढंग से लोगों में जागरूकता उत्पन्न की जा सके ? क्या हम इसके लिए तैयार हैं।

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि प्रोद्योगिकी में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए आयोजन किया जाये जिससे संचार माध्यम का राष्ट्रीय स्तर पर एक जाल बिछाया जा सके। यदि मंत्री जी ऐसा कर पायेंगे तो भारत के लोग उनके वास्तव में ही बड़े कृतज्ञ होंगे।

मैं माननीय मंत्री का ध्यान अपनी उस प्रार्थना की ओर दिलाना चाहूंगा जो मैं कई बार कर चुकी हू कि आकाशवाणी के दरभंगा स्टेशन से, यदि पटना से सम्भव नहीं है, 'बज्जिका' बोली में प्रसारण करने के लिए कुछ समय नियत किया जाये जिससे इस बोली को बोलने वाले 40 लाख लोग इससे लाभान्वित हो सकें।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान कर्मचारी-कलाकारों की सेवा-शर्तों की ओर दिलाना चाहता हूं। वे लम्बे समय से आन्दोलन कर रहे हैं कि उन्हें नियमित कर्मचारी समझा जाए जिससे उन्हें पेंशन का लाभ हो सके। मुझे आशा है कि सरकार इस पहलू के बारे में शीघ्र अनुकूल निर्णय ले लेगी।

अन्त में मैं यह निवेदन कर रही हूं कि केन्द्रीय सूचना सेवा के लोगों में काफी असंतोष व्याप्त है क्योंकि उच्चतम पद तदर्थ नियुक्तियां करके भरी गई हैं। इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

यही मैं कहना चाहती थी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद करती हूं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, श्री वसन्त साठे द्वारा इस सदन में प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांगों का मैं समर्थन करता हूं।

पिछले वर्ष के दौरान हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताया गया है। एक चीज जिसका मैं विशेषकर शुरू में ही उल्लेख करना चाहूंगा वह है यूनेस्को में अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था के विकास में माननीय मंत्री जी द्वारा निभायी गई सराहनीय भूमिका। यह एक ऐसी चीज थी जिसमें भारत ने प्रमुख भूमिका अदा की यद्यपि पश्चिम के कुछ देशों को यह बात अच्छी नहीं लगी किन्तु वह स्वाभाविक तथा प्रत्याशित थी। क्योंकि जब तीसरी दुनियां उन्नति करती है तो स्वाभाविक है कि विकासित देशों को उससे जलन हो। हमें हर तरह आशा है कि नई व्यवस्था कामयाब होगी और उससे विश्व के सभी भागों में फैले हुए लोगों की आवश्यकता पूरी

होगी और इस क्षेत्र में कतिपय पश्चिमी देशों का एकाधिकार समाप्त हो जायेगा और इससे चाहे वे रुष्ट हों अथवा नहीं, इसकी हमें परवा नहीं।

मुंह से बोले गए शब्द का अपना एक अलग आकर्षण है और इसलिए रेडियो लोगों की विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां समाचार पत्र नहीं पहुंचते, लोकप्रिय प्रत्याशा है। लोग समाचार बुलेटिन सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। टेलीविजन वार्ता का विषय है। 85 रेडियो स्टेशन हैं और मुझे खुशी है, जैसा बताया गया है, कि घंटों की संख्या 6 लाख कुछ से बढ़ाकर 7,24,851 कर दी गई है और छठी पंचवर्षीय योजना में टेलीविजन के विस्तार के लिए व्यवस्था भी है। किन्तु आंकड़े यह बताते हैं कि टेलीविजन का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में काफी अधिक हुआ है, देश की 15.2% आबादी तथा कुल 6.1% क्षेत्र में टेलीविजन प्रसारण होता है जब शेष 85% जनसंख्या और 94% क्षेत्र केवल रेडियो पर ही निर्भर करता है। इसलिए, विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों में, रेडियो, क्षेत्र (फील्ड) प्रचार तथा अन्य जन माध्यमों की ओर काफी अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे देश की जनता यह महसूस करे कि यह सरकार तथा यह मंत्रालय उनकी ओर मुख्य रूप से ध्यान देता है।

हाल में हमने भगतसिंह की 50वीं शहीद जयन्ती मनायी और रिपोर्ट से यह मालूम होने पर मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने इस सदन को बताया है कि स्वतंत्रता सेनानियों की उपयुक्त जीवनियां प्रकाशन विभाग द्वारा लिखी गई हैं और प्रकाशित की गई हैं। यदि मैं गलत नहीं हूं तो ऐसी जीवनियों की संख्या 51 है। मैं यह बताना चाहूंगा कि मेरे एक तारांकित प्रश्न जिस पर सदन में विचार-विमर्श नहीं हो सका, कि क्या डा० ताराचन्द द्वारा लिखी पुस्तक 'दि हिस्टरी आफ फ्रीडम मूवमेंट' का अनुवाद सभी भारतीय भाषाओं में किया जायेगा, के उत्तर में मंत्री जी ने बताया कि इसका अनुवाद हिन्दी में किया गया है और अन्य भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस देश के समूचा स्वतंत्रता आन्दोलन की एक समेकित तस्वीर जो राष्ट्र को उसके भूतकाल से आबद्ध करती है और जो आने वाले दिनों में प्रेरणा के एक स्रोत के रूप में कार्य करे, सभी मुख्य प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह मंत्रालय के रवैये पर पुनः विचार करें और भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के कम से कम एक बुनियादी दस्तावेज के चरणबद्ध कार्यक्रम में सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में कम से कम छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रकाशन की व्यवस्था करें। मैं मन्त्री जी को यह सुझाव भी दूंगा कि वह उन क्षेत्रों के बारे में विचार करें जिन्हें स्वतन्त्रता सेनानियों के जीवनी-सम्बन्धी संक्षिप्त वृत्तान्तों के चयन में शामिल नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश उनमें से एक क्षेत्र है जहां से प्रकाशन विभाग द्वारा किसी भी स्वतन्त्रता सेनानी का चयन नहीं किया गया है। अगले साल हम विख्यात स्वतन्त्रता सेनानी काशीराम की, जिन्हें पण्डित जी पहाड़ी गांधी कहते थे जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और हमने भारत सरकार से उनके सम्मान में एक टिकट विमोचन करने का अनुरोध किया है। मैं सुझाव दूंगा कि अगले वर्ष उनके जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर सरकार को उनकी जीवनी के प्रकाशन

को व्यवस्था करनी चाहिए जैसा डाक व तार विभाग स्मारक टिकट के विमोचन के लिए व्यवस्था करता है ।

इसी प्रकार, दो या तीन दिन पूर्व जब स्वतन्त्रता सेनानियों के किसी समारोह में मन्त्री जी भाषण दे रहे थे तो उसे सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि स्वतन्त्रता सेनानियों की पीढ़ी समाप्त हो रही है और उनके साथ जो इन्टरव्यू किए जाते हैं उन्हें रिकार्ड किया जाना चाहिए ताकि भूतकाल की जीती-जागती यादगारें भविष्य के लिए सुरक्षित रखी जा सकें । मैं यह सुझाव भी दूंगा कि एक उपयुक्त कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें प्रत्येक राज्य से लगभग बारह स्वतन्त्रता सेनानी शामिल किए जायें और उसमें उनके जीवनी सम्बन्धी संक्षिप्त वृत्तांतों, उनके इन्टरव्यू और उनके जीते-जागते अनुभवों का संकलन किया जाए ताकि अंग्रेजों के खिलाफ हमारी लड़ाई की उत्कृष्ट धरोहर भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे ।

मैं मन्त्री महोदय को हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर में क्षेत्र (फील्ड) प्रचार की एक और शाखा (यूनिट) खोलने के लिए धन्यवाद देता हूं किन्तु मेरा सुझाव है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जो देश में फील्ड पब्लिसिटी नेटवर्क के 21 क्षेत्रों में से एक है, को दो शाखाओं में विभाजित किया जाना चाहिए और हिमाचल प्रदेश जो सीमा राज्य है और पंजाब अथवा हरियाणा की अपेक्षा क्षेत्रफल में बड़ा है, को इन राज्यों के साथ सम्भावित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसकी अपनी विशेष समस्याएं हैं और उसके लिए इस वर्ष के भीतर एक विशेष क्षेत्र नियमित किया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में सौंग एन्ड ड्रामा डिवीजन नेटवर्क और क्षेत्रीय भाषाओं के विकास की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जबकि लिखित भाषा का अपना अलग आकर्षण होता है, किन्तु बोलचाल की भाषाओं तथा विकासोन्मुख भाषाओं को इस मन्त्रालय के संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, समाचारपत्रों के लिए उन भाषाओं में प्रकाशित होना संभव नहीं है जो केवल कुछ ही लाख लोगों द्वारा बोली जाती हैं । इसलिए रेडियो के माध्यम से उनका विकास किया जाना चाहिए । भारत की विशाल लोक सम्पत्ति (हेरिटेज) समाप्त हो रही है क्योंकि समाचारपत्र और पत्र-पत्रिकाएं इन भाषाओं में प्रकाशित नहीं होती हैं और भविष्य में इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों का होना मुश्किल है और हमारी राष्ट्रभाषा तथा अन्य भाषाओं की अग्रतर प्रगति एक माने में सम्पन्न सांस्कृतिक सम्पत्ति (हेरिटेज) को समाप्त कर रही है क्योंकि अधिकांश जनजातीय तथा गैर-मान्यताप्राप्त भाषाएं उसका शिकार हो रही हैं । इसलिए ऐसी भाषाओं के, जो मान्यताप्राप्त नहीं हैं किन्तु लोगों द्वारा बोली जाती हैं, और हर दस वर्ष जनगणना में रिकार्ड की जाती हैं, संवर्धन के लिए, लोक संगीत के परिरक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए ताकि इस सम्पन्न सांस्कृतिक सम्पत्ति को किसी तरह बचाया जाये । मैं माननीय मन्त्री जी से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि वह पहाड़ी को, जिसे इस जनगणना में अपनी मातृभाषा के रूप में हिमाचल के 70 प्रतिशत से अधिक लोगों द्वारा रिकार्ड किया गया गया है, समुचित महत्व दें । माननीय मुख्य मन्त्री और राज्य अकादमी भी इस प्रयोजन के लिए कार्य कर रहे हैं ।

मुझे यह कहने में खुशी नहीं है कि शिमला रेडियो स्टेशन वह कार्य नहीं कर रहा है जो उसे हमारे राज्य की प्रादेशिक भाषा तथा उसकी विभिन्न उपभाषाओं के संवर्धन के लिए करना चाहिए। इन कार्यक्रमों का और अधिक प्रसारण होना चाहिए और समाचार बुलेटिन इस भाषा में एक संयुक्त शैली में प्रसारित किए जाने चाहिए।

शिमला की एक दूसरी समस्या है। वहां एक मानिटरिंग यूनिट था, और उसे अन्यत्र ले जाये जाने के आदेश किये गये हैं। उस आदेश में, प्रजातंत्र के इस युग में, एक बड़ा दिलचस्प वाक्य था कि "इसे रुकवाने के लिए किसी व्यक्ति से कोई अनुरोध नहीं किया जाना चाहिए।" यह जातन्त्र का जमाना है और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय मार्शलला के अधीन नहीं है और अभी तक सेना के अधीन काम नहीं कर रहा है जिससे उसे रुकवाने अथवा रद्द करवाने के अनुरोध को एक बहुत भारी जुर्म के रूप में माना जाये। मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह प्रभावित लोगों की वास्तविक तथा न्यायसंगत मांगों पर विचार करें और राज्य तथा इन लोगों के हित में निर्णय लें ताकि ये लोग परेशान न हों।

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए।]

इसी प्रकार शिमला रेडियो स्टेशन ने अब अपना आकर्षण खो दिया है। हिमाचल के कुछ लोगों ने हमसे शिकायत की कि वे इन समाचार बुलेटिनों को दिल्ली या अन्य शहरों में नहीं सुन पाते जबकि अन्य मुल्कों के पावरफुल ट्रांसमीटरों वाले स्टेशन सुनाई देते हैं। इसलिए, जैसा श्री नामग्याल ने कहा चूंकि लासा और चीन के शक्तिशाली ट्रांसमीटर अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं, इसलिए, हमारे पास शिमला में एक बहुत शक्तिशाली ट्रांसमीटर होना चाहिए ताकि सारे देश में कार्यक्रम सुनाई दे सकें। अतः मैं माननीय मंत्री जी से इस पहलू की ओर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा।

इसी प्रकार अनियत कलाकारों के बारे में समस्या है। मैं नहीं जानता कि इन अनियत कलाकारों के भाग्य में क्या बदा होता है। वर्षों तक वे कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। वे इससे बंधे होते हैं; किन्तु जब सेवा की शर्तों का प्रश्न आता है तो मन्त्रालय का हमेशा एक ही जवाब होता है कि वे अनियत कलाकार हैं। मेरा विश्वास है कि उनका भाग्य अनियत नहीं है। उनके भाग्य की देख-रेख इस मंत्रालय द्वारा की जाती है। बुढ़ापे में, उन्हें निहायत अवसर या चयन के अनियत हाथ का शिकार होकर मरने नहीं देना चाहिए।

इसी प्रकार, मैं आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस समय एशियाई कार्यक्रमों के लिए हमारे पास केवल चार एकक हैं अर्थात् थाई, श्रीलंका बर्मा तथा तिब्बत एकक। भारत जैसे देश में जो गुट निरपेक्ष विश्व का शक्तिशाली नेता के रूप में उभर रहा है हाल में हमारे देश में 93 गुट निरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन हुआ था ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिसमें सभी महत्वपूर्ण एशियाई देशों के लिए एकक होने चाहिए। विशेषतः मैं इन्डोनेशिया का उल्लेख करूंगा। इन्डोनेशिया में किसी अन्य एशियाई मुल्क की अपेक्षा

मुस्लिम आबादी अधिक है। हमारे बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं और हिजरी युग के आरम्भ होने के सम्बन्ध में हमारे कार्यक्रम को बहुत पसन्द किया गया था। किन्तु मलेशिया के लिए अथवा इन्डोनेशिया के लिए अथवा इन्डोनेशिया के लिए समुचित एकक न होने के कारण इसे वहां प्रसारित नहीं किया जा सका। ये सेवाएं वहां हैं। इन महत्वपूर्ण देशों के लिए वहां पूर्ण विकसित एकक होने चाहिए। इसी प्रकार कम्पूचिया, वियतनाम, लाओस तथा अन्य देशों के लिए जो हमारे निकट तथा दूर स्थित हैं एककों की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि यदि लोग भारत की ओर दिलचस्पी लें तो वहां भारत से प्रसारण की व्यवस्था अवश्यक होनी चाहिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख देश में जो कुछ होता है उससे उन्हें अवगत रखा जाना चाहिए।

इसलिये मैं यह अपील करूंगा कि सभी रिक्त पद, जो खाली हैं भरे जाने चाहिये और जिन-जिन एशियाई देशों के लिये एकक नहीं हैं उनके लिये एककों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसे क्रियान्वित करने के लिये तुरन्त पग उठाये जाने चाहिए।

विदेशों में हमारे देश के बारे में जो धारणा है उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। इस बात को कहने में मुझे दुख होता है कि जब हम संयुक्त राष्ट्र के शिष्टमंडल के सदस्यों के रूप में अन्य मुल्कों में गये तो हमने देखा कि भारत की काफी उपेक्षा की जाती है। यहां तक कि यहां का प्रमुख, महत्वपूर्ण घटनाओं तक का केवल मात्र हवाला दिया जाता है। इस संदर्भ में मैं विशेषकर एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा : यहां मन्त्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसका न्यूयार्क में मुश्किल से कहीं उल्लेख था ; और केवल एक केबिनट मन्त्री का नाम दिया गया था अन्य मंत्रियों के नहीं। समाचारपत्रों ने उसकी उपेक्षा की। रेडियो समाचारों में उसकी उपेक्षा की गई। मेरा सुझाव है कि इस बारे में कुछ किया जाना चाहिये जिससे भारत की तस्वीर (इमेज) विदेशों में उभरे और उसे महत्व तथा सम्मान मिले। जब हम गुट निरपेक्ष विश्व के लिए एक नया स्कूल निर्माण करने की बात करते हैं और जब हम गुट निरपेक्ष विश्व तथा तीसरी दुनियां की आशाओं तथा आकांक्षाओं को प्रक्षेपित करने के लिये एक नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिये कि इसमें भारत ने सराहनीय भूमिका निभाई है। इस सन्दर्भ में, मैं इसके लिये मन्त्री जी की प्रशंसा करूंगा। विगत वर्षों में, हमारे ही देश में यहां के कार्यक्रमों में हमारे क्षेत्रीय 'समाचार सम्बन्धी'—कार्यक्रमों में ऐसे और अधिक समाचार सम्मिलित करने के लिये उनका पुनरानुकूलन किया गया था जिनमें राष्ट्रीय एकता, सामाजिक बुराइयां करने, विकास सम्बन्धी कार्य और हमारी समपन्न सांस्कृतिक सम्पत्ति पर अधिक बल दिया जाता था। सउदी अरब में भारतीय यात्रियों के लाभ के लिये 5 मिनट का रोजाना एक हज बुलेटिन सितम्बर, 1980 से नवम्बर, 1980 तक प्रसारित किया गया। यह एक बहुत अच्छी बात है। अल्पसंख्यकों की हमारे रेडियो स्टेशन तथा जन संचार के अन्य माध्यमों पर उनकी आवाज है और उनकी आशाएं हैं। मुझे आशा है कि बौद्ध धर्म जैनधर्म तथा अन्य धर्मों से उत्पन्न अन्य महत्वपूर्ण धर्मग्रन्थों की बातों को भी कार्यक्रमों में उचित रूप से स्थान दिया जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय द्वारा किये गये कार्य की सराहना करता हूं और अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं जिन्हें उन्होंने सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है। मुझे यह भी आशा है कि नया वर्ष जो अप्रैल से आरम्भ होता है। नया वित्तीय वर्ष अगले वर्ष की रिपोर्ट में नई विशिष्टताएं लायेगा। धन्यवाद।

श्री अशफाक हुसैन (महराजगंज) : चैयरमैन साहब, अभी बहुत से लोगों ने इन्फर्मेशन और ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री की डिमाण्ड्स पर बोलते हुए—किसी ने रेडियो से, किसी ने टी. वी. से शुरुआत की, लेकिन मैं डी. ए. वी. पी. से शुरुआत करना चाहता हूं और इसलिए भी शुरू करना चाहता हूं कि मैं आप को बतलाना चाहता हुं कि किस तरह से दूसरी जुबानों के साथ नाइन्साफी और हकतलफी की जा रही है, जो बातें शुरू में अंग्रेजों के वक्त से चली आ रही थीं, वे अभी भी वहां पर कायम हैं। मिसाल के तौर पर मैं यह बतलाना चाहूंगा कि अंग्रेजी का सर्कुलेशन 90 लाख 30 हजार आप के ही रिकार्ड में बतलाया गया है. जिसको 23.89 परसेन्ट स्पेस के एडवर्टिजमेन्टस दिए जाते हैं और रुपये का अनुपात 35.56 परसेन्ट है। इसके मुकाबले हिन्दी का सर्कुलेशन 97 लाख 6 हजार है जिसका स्पेस 28.16 परसेन्ट है और रुपये के अनुपात में 25.50 परसेन्ट है। इसी तरह से दूसरी जुबानों, उर्दू, बंगला, तमिल वगैरह का भी दिया गया है। मैं जिस बात को खास तौर से आप के सामने रखना चाहता हूं —वह यह है कि उर्दू जबान का सर्कुलेशन 16 लाख 96 हजार है, स्पेस 12 परसेन्ट है और रुपये के हिसाब से 5 78 परसेन्ट के एडवर्टिजमेन्ट दिये जाते हैं। मेरी सबसे पहली मांग यह है कि आज उर्दू, हिन्दी और दूसरी जबानों के साथ जो डिस्क्रीमिनेशन हो रहा है उस को खत्म करें।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एडवर्टिजमेन्ट एक ऐसा जरिया, ऐसा अंकुश बन गया है अखबारों के लिए, जो अखबारों से अपनी बात कहलवा लेते हैं। हिन्दुस्तान में एक ऐसा रिवाज बन गया है कि ज्यादातर अखबार बड़े घरानों के कब्जे में हैं। वे अपना एडवर्टिजमेन्ट तो अपने अखबार को देते ही हैं, लेकिन जो सरकारी एडवर्टिजमेन्ट हैं वे भी उनको बहुत ज्यादा तादाद में मिलते हैं। इसके मुकाबले जो अपोजीशन के अखबार हैं या ऐसे अखबार हैं जो मुल्क के, कौम के हालात को बदलने के लिए अपना नजरिया रखते हैं उन को एडवर्टिजमेन्टस नहीं दिए जाते हैं। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि एडवर्टिजमेन्ट का डी० ए० वी० पी० के जरिए दिए जाने का पूरा तरीका ही बदला जाए। मैं चाहता हूं कि जो भी एडवर्टिजमेन्टस सरकार की तरफ से दिए जाते हैं उनको एक कमीशन को सुपुर्द कर दिया जाए जो सभी अखबारों को, चाहे वह किसी भी नजरिए का अखबार हो, उसके सर्कुलेशन के हिसाब से दे। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी बात करें जिससे अखबारों की आजादी कायम रह सके और 'जिससे किसी की हकतलफी न हो, चाहे उसका नजरिया कोई भी हो। चाहे वह छोटे अखबार हों या बड़े अखबार हों।

इसी तरह से न्यूज एजेन्सीज का हाल है जो कि लैंगुएजेज की हैं। ए० आई० आर० से जो न्यूज एजन्सीज को कोटा दिया है वह 70 लाख रुपये अंग्रेजी की न्यूज एजेन्सीज का है और 10 लाख रु० हिन्दी की न्यूज एजेन्सीज का है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए।

रेडियो से पार्लियामेंट की समीक्षा आती हैं इसके लिए मेरा कहना है कि हर जबान में उसको प्रसारित होना चाहिए। अभी तो केवल हिन्दी और अंग्रेजी में ही प्रसारित होती है, लेकिन और दूसरी रीजनल जबानों में जैसे उर्दू और बंगला आदि में भी प्रसारित होनी च हिए, जो कि अभी नहीं होती है, मुल्क के लोग पार्लियामेंट की बातों को जानने के लिए इच्छुक रहते हैं, लेकिन सिर्फ हिन्दी और अंग्रेजी में ही नहीं सुनना चाहते बल्कि अपनी रीजनल जबानों में भी सुनना चाहते हैं। तो पहली तो मांग यह है कि रोज पार्लियामेंट की समीक्षा हर जबान में सुनायी जाए, और रोज अगर न मुमकिन हो तो कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर की जाए और उसको ज्यादा समय दें ताकि सब की बातें बतायी जा सकें।

रेडियो का यह हाल है कि इमरजेंसी की गाइडलाइन्स शायद अभी भी चल रही हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं मिसाल देता हूं, कि मैं खासतौर से गोरखपुर रेडियो स्टेशन पर टाक्स के लिए बुलाया जाता था। लेकिन 1980 के बाद से बुलाया जाना बन्द हो गया। पता नहीं क्या वजह है। 1974 से बुलाया जाता था लेकिन 1980 के बाद से बन्द हो गया। इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो गोरखपुर रेडियो स्टेशन है उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि वह भोजपुरी इलाके में है इसलिए उस जबान को खास प्रोत्साहन देने की जरूरत है। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि भोजपुरी कल्चर को बढ़ावा देने में रेडियो का जो रोल है उसको अदा करना चाहिए। और इस काम में गोरखपुर और बनारस रेडियो स्टेशन्स को खास भूमिका अदा करनी है। मैं कहना चाहता हूं कि भोजपुरी का एक न्यूज बुलेटिन गोरखपुर से जारी करने की आम व्यवस्था करें।

इसी तरह से गोरखपुर में एक टी. वी. रीले सैन्टर भी होना चाहिए। पी. एंड टी. विभाग के जरिए जहां इस प्रकार का साधन मुहैया है वहां से रीले करने की बात आप करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि गोरखपुर में एक टी. वी. रीले सेन्टर बनायें क्योंकि वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और इससे तमाम पिछड़े हुए पूर्वी इलाके और नेपाल को आप कवर कर सकते हैं। इस बात का आप खास ध्यान रखें।

टाइम्स आफ इंडिया अखबार के जो कर्मचारी हैं उनके प्रतिशत के बारे में इतना ही कहूंगा कि पहले 1967 में उनको कुल औसत आय का 31 परसेंट मजदूरों और कर्मचारियों को दिया जाता था जो अब घट कर के 1980 में 16 परसेंट हो गया है। तो अखबारी घरानों पर भी कुछ अंकुश लगाने की जरूरत है। यह देखना चाहिए कि अखबार के जो कर्मचारी हैं वह अच्छी तरह से अपनी गुजर बसर कर सकें, उनको अच्छी तनख्वाह मिले।

एक बात और है, इस महकमे का नाम इन्फोर्मेशन और ब्रोडकास्टिंग शायद बहुत दिनों से चला आ रहा है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि यह महकमा इन्फोर्मेशन और ब्रोडकास्टिंग से ज्यादा बढ़ कर है, ज्यादा अहम है। वास्तव में इस महकमे का नाम जन-संपर्क विभाग या पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए। कल्चर को भी इस महकमे के साथ जोड़ना चाहिए, तभी इसकी उन्नति होगी।

अन्त में एक बात और अर्ज करना चाहता हूं यह बहुत महत्वपूर्ण महकमा है, इसलिए इसको जो रकम दी गई है, उसे और अधिक बढ़ाया जाए और यह विभाग केवल शासन की आवाज बन कर न रह जाए, बल्कि कौम और हिन्दुस्तान की आवाज बनकर रहे। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग की ओर से जो डिमांड्स इंट्रड्यूज की गई हैं, उनका मैं समर्थन करती हूं। इन्फर्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग डिपार्टमेंट को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला रेडियो और टी. वी. दूसरा सिनेमा और तीसरा न्यूज पेपर्स। रेडियो, टी. वी. और सिनेमा, ये चीजें ऐसी हैं, जिनसे आम जनता बिना एजूकेशन के भी लाभ उठा सकती है। आम जनता इन्हें देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकती है। आज हिन्दुस्तान में रेडियो काफी पापुलर हो गया है, इसकी कीमत भी कम है इसलिए आम आदमी इसका उपयोग कर सकता है। आज 150 रुपए में रेडियो मिल जाता है। आज हर घर में रेडियो है। इसको सुनकर बिना पढ़े-लिखे लोग भी लाभ उठा सकते है। इसी प्रकार टी. वी. के बारे में भी हमें उन्नति करनी चाहिए। इसको भी बिना एजूकेशन के लोग देखकर लाभ उठा सकते हैं। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है इसको ज्यादा इन्ट्रड्यूज किया जाए। इसे देखकर बिना एजूकेशन के भी लोग समझ सकते हैं, अपना जीवन सुधार सकते हैं।

दूसरी बात मुझे कहनी है कि बहुत से माननीय सदस्य रंगीन टी. वी. का विरोध करते हैं। इससे हमें एग्रीकल्चर में काफी सहायता मिल सकती है। हमारा अनपढ़ किसान इसे देखकर काफी कुछ समझ सकता है। फसलों पर लगी बीमारियों को रंगों द्वारा देखकर पहचान सकते है, इसलिए रंगीन टी. वी. का विरोध उचित प्रतीत नहीं होता। जहां तक इसकी कीमत का सवाल है, उत्पादन बढ़ाकर इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र इस योजना को कार्यान्वित किया जाए, जिसे आम जनता को लाभ मिल सके।

मै यह भी कहना चाहती हूं कि रेडियो और टी. वी. लग्जरी की वस्तु नहीं हैं ये मास मीडिया हैं। सिनेमा भी है। मास मीडिया के जरिए आम जनता तक पहुंचा जा सकता हैं। इस वास्ते में कुछ सजैशंज आपको देना चाहती हूं।

रेडियो और टी. वी. को कुछ एजुकेटिव होना चाहिए, आम जनता को एजुकेट करने के लिए इन से कार्यक्रम प्रसारित किए जाने चाहिएं।

सोशल एटीच्यूड में चेंज लाने में भी इनको सहायक होना चाहिए। आज देखने में आ रहा है कि कास्ट सिस्टम जैसी बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। क्यों इतना रिजर्वेशन दे रखा है इसके बारे में भी लोगों को जानकारी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसका प्रचार करने की आवश्यकता भी निर्विवाद है। रेडियो और टी. वी. प्रचार और प्रसार के साधन हैं।

हमारे देश में वैलफेयर एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है उन सब का प्रचार करना भी बहुत जरूरी है। हर एक आदमी को यह मालूम हो जाना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है और उसका उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। ज्यादा प्रचार इसका करके लोगों को इनके प्रति जागरूक बनाया जा सकता है।

सोशल चेंज की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको इंट्रोड्यूज करने की आवश्यकता है। मानव को मानव की दृष्टि से देखा जाए, इसके प्रोग्राम भी बनाए जाने चाहिएं और दिखाए और सुनाए जाने चाहियें।

फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम पहले बहुत कम बनाया जाता है और दिखाया और सुनाया जाता है। देश की आबादी तो बढ़ती जा रही है। इस वास्ते फैमिली प्लानिंग का प्रचार भी रेडियो और टी. वी. से ज्यादा होना चाहिए।

बच्चों के जो प्रोग्राम हैं वे बहुत कम होते हैं। उनको और ज्यादा एजुकेट करने के लिए और ज्यादा प्रोग्राम उनके लिए जाने चाहिए। उनके दैनिक जीवन में हम को चेज लाना है। बच्चों को एजुकेट करने के लिए हमको ज्यादा इन्टरेस्ट लेना चाहिये। नौजवानों के कौन से तरीके हैं, उनको आप देख ही रहे है। इन तरीकों को बदलने का प्रयत्न होना चाहिये।

रेडियो स्टेशंज के ट्रांसमिटर्ज और भी ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिये, और भी ज्यादा पावरफुल होने चाहिये। आज कल कई ट्रांसमिटर ऐसे हैं जिन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को पचास किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर सुना नहीं जा सकता है। इस वास्ते इनको और ज्यादा पावरफुल बनाने की जरूरत है।

वैल्फेयर एक्टिविटीज को आजकल देखा जाता है कि कम ब्राडकास्ट किया जाता है, इनको कम समय दिया जाता है। गवर्नमेंट के जरिए या दूसरी सोशल आर्गेनाइजेशन के जरिये बहुत सी वेल्फेयर एक्टिविटीज समाज में होती हैं। उनको सुनाना और उनको दिखाना भी आवश्यक है। उनके जरिए हम लोगों के मन को बदल सकते हैं। ऐसे प्रोग्राम सुनाए और दिखाए जाने चाहिए जिन से लोगों के जीवन में सुधार आ सके।

मैं दोनों मंत्रियों को धन्यवाद देती हूं कि आन्ध्र में विजयवाड़ा के लिए टी. वी. रिले स्टेशन की उन्होंने घोषणा की है। इसके लिए उनकी मैं आभारी हूं। आंध्र में आपको मालूम होना चाहिये कि बहुत से कलाकार हैं। कुची पुड़ी नृत्य जो आप देखते है वह आंध्र का ही है। मैं प्रार्थना करती हूं कि टी.वी. रिले स्टेशन ही नहीं बल्कि स्टूडियो भी वह हमको देने की कृपा करें। यह मेरी उनसे विशेष प्रार्थना है।

आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। साथ ही कलर टी.वी. इन्ट्रोड्यूस करने के लिए मैं एक बार फिर आप से आग्रह करती हूं।

श्री मधूसूदन वैराले (अकोला): सदन के समक्ष जिन मांगों पर बहस हो रही है उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मंत्रियों का अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से नियोजन की कोशिश की है और उनके विभाग की जो 1980-81 की रिपोर्ट पब्लिश हुई है उस को देखने के बाद पता चलता है कि बहुत सारे अंगों को स्पर्श करने का उस में प्रयत्न किया गया है। सूचना, प्रसारण द्वारा इस देश में एक नया वातावरण तैयार करने आदि के जो प्रयत्न हो रहे हैं और जो नई योजना चल रही है, वे सब प्रयत्न अभिनन्दनीय है, ऐसा मैं मानता हूं।

चूंकि समय का अभाव है इस वास्ते बहुत सी बातों का उल्लेख न कर दो तीन बातें ही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

मंत्रालय की रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि खासकर पिछले कुछ वर्षों से अखबारों की एक नई बाढ़ सी आ गई है। एक पत्रकार होने के नाते मुझे इसमें इन्ट्रेस्ट है। रिपोर्ट के पेज 62 पर बताया गया है कि 1980 में 15,075 रेफरेंसिज आए थे, जिनमें से 8 442 क्लीयर हुए। इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में एक साल में आठ हजार नये अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ है। यह एक स्वागत की बात हो सकती है, लेकिन मैं यह भी जानना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में समाचारपत्रों की जो बाढ़ आई है, उसकी वजह क्या है। क्या इसकी वजह यह है कि हमारे देश में शिक्षा ज्यादा बढ़ रही है, क्या लोग ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या क्या अखबार व्यापारिक माध्यम बनते जा रहे हैं ? इस बारे में कुछ छानबीन और खोज की जानी चाहिए।

खास तौर से पिछले तीन चार वर्षों में ग्लासी मैगाजिन्ज की भी बाढ़ सी आ गई है। इसका कुछ एनेलेसिस होना चाहिए कि क्या यह हैल्दी जर्नलिज्म की डेवेलपमेंट है या किन्हीं सामाजिक बीमारियों की वजह से होने वाली स्वेलिंग, सूजन, है।

जहां तक फिल्म्ज का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय एकता को कायम करने में उनकी बड़ी महत्वपूण भूमिका है। यदि काश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक राष्ट्रभाषा हिन्दी का सबसे ज्यादा प्रचार किसी ने किया है, तो फिल्मों ने किया है। इसलिए उनका संरक्षण करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ फिगर्ज को देख कर इस विषय में तहकीकात करने की जरूरत महसूस होती है। रिपोर्ट के पेज 41 पर कहा गया है :—

> "देश में व्यसकों के लिए ही उपयुक्त चलचित्रों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है।"

यह जो डेवेलपमेंट है, यह तरक्की या प्रगति की निशानी है या अधोगति की निशानी है, इसका विश्लेषण होना आवश्यक है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1976 में कुल प्रमाणित 507 फीचर फिल्म्ज में से सिर्फ 27 फिल्मों को "ए" सर्टिफिकेट दिया गया, जो प्रतिशत 5'3 था। इसके

विपरीत 1980 में कुल प्रमाणित 742 फीचर फिल्म्ज में से 168 फिल्मों को "ए" सर्टिफिकेट दिया गया, जिनका प्रतिशत 22·6 था। एडल्ट सर्टिफिकेट वाली फिल्पों के बढ़ने की वजह क्या है? इस बात का एनेलेसिस करना आवश्यक है कि इसका हेतु बाक्स आफिस से ज्यादा पैसा पैदा करना हैं या लोकरंजन और लोक-शिक्षा का क्या नया सेन्सर बोर्ड अभी तक बना है या नहीं? शायद वह बनने की प्रक्रिया में होगा। इस देश की सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों और कला क्षेत्र के जो जाने-माने लोग हैं, उनका उसमें होना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे रही है।

यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार हमारे यहां थियेटरों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उप मन्त्री ने जो नोट सर्कुलेट किया है, उससे पता चलता है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में कर्जा देने की योजना लागू की है। मैं इस योजना के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सरकार की योजना कम से कम एक लाख रुपये और ज्यादा से ज्यादा सात लाख रुपये का कर्जा देने की है। तीन लाख से पांच लाख की आबादी वाले शहरों में 14 लाख रुपये से भी एक अच्छा थियेटर खड़ा हो सकता है, मैं यह नहीं मानता हूं। इसकी वजह यह है कि वहां पर थियेटर के लिए जिस जमीन की आवश्यकता है, उसके दाम 15, 20, 25 रुपये प्रति-स्क्वेयर फुट बढ़ गये हैं। इसलिए लोन की सीमा को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

एक और भी सूचना मैं मंत्री जी को करना चाहूंगा। फिल्मों के बारे में उस इन्डस्ट्री की कई प्राबलम्स हैं जिनका जिक्र मैं यहां नहीं करूंगा, वह प्राबलम्स आपके पास अलग से आई हैं, उनका एक अन्तिम रूप से निर्णय होना आवश्यक है। उसकी प्रक्रिया में आप का विभाग लगा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

जहां तक टी० वी० के माध्यम का सवाल है मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि टी० वी० को मैं सिर्फ कुछ लोगों के मनोरंजन का साधन नहीं मानता, मैं इसको आधुनिकता का एक प्रतीक मानता हूं। दुनिया में जो नयी टैक्नोलाजी विकसित हुई है उस टैक्नोलाजी का वह एक प्रतीक है और हम इस होड़ में दुनिया से पीछे नहीं रहना चाहते। शायद हो सकता है कुछ माननीय सदस्य मुझसे इसमें सहमत न हों लेकिन मैं स्वयं कलर टी० वी० के बहुत पक्ष में हूं। हम इस होड़ में दुनिया से पीछे नहीं रह सकते।

इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यदि फिल्मों के क्षेत्र में तुलना की जाय तो उसमें पिछले पन्द्रह सालों में क्या हुआ है? वहां जो हुआ है वह यदि टी० वी० के क्षेत्र में प्रतिबिम्बित नहीं हो तो मैं समझता हूं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ इंसाफ नहीं कर सकेंगे। 1980 में जो कलर फिल्म बनी उसका परसेंटेज 85.5 है। मतलब सिर्फ बची हुई पन्द्रह बीस परसेन्ट फिल्में ही ब्लैक एण्ड व्हाइट में बनी, बाकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री आज कलर हो गई है, ऐसा मानें तो इस से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी हालत में यह आग्रह और वह भी जनता के नाम पर, वह भी गरीबी के नाम पर यह आग्रह कि हमारा मुल्क इस विज्ञान के युग में कलर टी० वी० के क्षेत्र में पीछे रहे, इस बात का मैं समर्थन नहीं कर सकता।

कल हमारे मित्र शास्त्री जी ने एक बात यहां उपस्थित की। उस बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी हमारे यहां एशियन गैम्स हो रहे हैं, एशियन गैम्स का अगर हम रंगीन प्रसारण सारी दुनिया को दे सके तो जहां तक मेरी मालूमात है मैं समझता हूं कि टी० वी० को कलर करने के लिए जितना खर्च आएगा वह एक या दो प्रसारण से ही आप पूरा कर सकेंगे, ऐसा इस क्षेत्र के जानकार लोग बता सकते हैं। इसलिए हम दुनिया से पीछे रहेंगे, इस हठ को, इस आउट आफ डेट विचार को हम साथ में रखेंगे ऐसा मैं नहीं मानता हूं। जिन लोगों के लिए टी० वी० या सिनेमा मनोरंजन के साधन नहीं हैं, सिर्फ राजनीति और आन्दोलन, यही जिनके मनोरंजन के साधन हैं उनकी राय अलग हो सकती है, उन से मैं सहमत नहीं हो सकता। इस मुल्क में दुर्भाग्य की बात यह है कि मनोरंजन का या बेकार वक्त जाया करने का सबसे बढ़िया साधन आज राजनीति और आन्दोलन होता जा रहा है और इस बात को रोकने का काम आपका विभाग ज्यादा प्रभावी ढंग से कर सकता है, यह मैं मानता हूं और इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

लेकिन यह अच्छी बात कहने के साथ मेरी शिकायत है और वह कोई मामूली शिकायत नहीं, बड़ी शिकायत है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। हम आने वाली पांच साला योजना में टी०वी० के मामले में इस मुल्क में जो खर्च हो रहा है उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अभी परसों माननीय मन्त्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में यहां सभा पटल पर कुछ कागजात रखे हैं। अभी वेस्ट बंगाल के कुछ भाई कलर टी० वी० के बड़े खिलाफ हैं, लेकिर मैं मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहूंगा कि आने वाले पांच साल में सबसे ज्यादा रकम वेस्ट बंगाल पर टी० वी० के एक्सपेंशन के लिए उन्होंने रखी है। वह है 1071.71 लाख, यह वेस्ट बंगाल को दिया है। मेरी शिकायत नहीं है। जहां भी तरक्की हो सकती है होनी चाहिए। दूसरा यू०पी० को 974.40 लाख दिया है। मेरी शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा है। मेरी शिकायत सिर्फ मेरे लिए है कि इस सारी होड़ में महाराष्ट्र को 18 लाख पचास हजार ही मिले हैं। अब यह मेरी समझ में नहीं आता···व्यवधान)·· हां, यह भी हो सकता है कि शायद इस विभाग के अधिकारियों ने सोचा हो कि इस प्रान्त को तो मंत्री दे दिया है, अब पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, यह बात अलग हो सकती है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पूना या बम्बई में टी०वी० स्टेशन खुल गया तो उसका मतलब यह नहीं है कि जहां दूसरे राज्यों के सैकड़ों हजार रुपये दिए जाएं वहां महाराष्ट्र को केवल 18 लाख रुपए ही दिए जायें। यह मेरी शिकायत है जिस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और महाराष्ट्र के विदर्भ विभाग में टी० वी० पहुंचना चाहिए।

एक आखिरी प्वाइन्ट और कहकर मैं समाप्त करूंगा। आपको पता है कि आल इंडिया रेडियो के बारे में कुछ दिन पहले यह विचारधारा थी कि हम बड़े पावरफुल स्टेशन्स नहीं बना सकते हैं इसलिए मिनी ए. आई. आर. के कन्सेप्ट को लेकर जगह जगह पर छोटे-छोटे रेडियो स्टेशन खोले जायें।

टी० वी० के बारे में मैं एक बात कहना भूल गया हूं। सदन में माननीय मन्त्री जी ने इसके लिए टोटल रकम (लाख रुपयों में) 7886.92 बताई है जबकि रिपोर्ट में यह रकम 86.95 करोड़ बताई गई है—तो यह फर्क कैसे है यह मैं जानना चाहूंगा।

मिनी ए. आई. आर. कन्सेप्ट की बात जो मैं कह रहा था वह बात शायद अलग रह गई है। मैं मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि योजना आयोग को इस विभाग की तरफ से पहले जो योजनायें भेजी गई थीं उसमें अकोला, जहां से मैं आता हूं वहां शायद एक रेडियो स्टेशन देने की बात चल रही थी। राजस्थान में भी एक दो जगह पर रेडियो स्टेशन देने की बात चल रही थी लेकिन योजना आयोग ने जो बचत करने की बात सोची उसमें शायद इन्हीं स्टेशन्स को काट दिया गया। मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि अकोला और कुछ दूसरे स्टेशन्स को खोलने के लिए योजना आयोग से पुनर्विचार करने के लिए कहा जाए। आपने सभापति महोदय, जो थोड़ा सा ज्यादा समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : सभापति महोदय, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा दूसरे मन्त्रालयों में एक बुनियादी फर्क है। अन्य मन्त्रालय तो अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं किन्तु प्रसारण मन्त्रालय को अपनी असफलताओं को प्रसारित करना होता है।

मेरे पास रेडियो नहीं है तथा मैं टेलीविजन भी दूर से देखता हूं। इसलिए मैं उन सब कष्टों से दूर हूं जो मेरे अन्य सहयोगियों को उठाने पड़ते हैं।

बात केवल यहीं समाप्त नहीं हो जाती हैं। जिस कारण मुझे आज वाद विवाद करना पड रहा है वह यह कि देश में यह धारणा है कि जब से नये मन्त्री ने सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का कार्यभार सम्भाल है तब से सांस्कृतिक प्रदषण की बाढ़ आ गई है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्री जानबूझ कर या बे अंजाने में वास्तव में या अवास्तव में, यह मैं नहीं कह सकता। हमारे सांस्कृतिक जीवन में सभी प्रकार की अनुज्ञा का प्रतीक है। प्रश्न यह नहीं है कि प्रतिपक्ष के सदस्यों को कितना समय मिलना चाहिए अथवा सत्तारूढ़ दल को कितना समय मिलना चाहिए। प्रश्न यह भी नहीं है कि क्या सरकार प्रभुत्ववादी होनी चाहिए या तथाकथित लोकतांत्रिक। बहरहाल हमने गुलामी के दिन भी देखे हैं और अस्वाविक स्वातंत्रता के दिन भी। अतः इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है।

किन्तु इस सरकार को भ्रष्ट, असभ्य तथा अश्लील बातों तथा घटिया किस्म के गीतों आदि को अपनाने का कोई अधिकार नहीं है। अब ऐसा हो रहा है। बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है।

इस सभा का बहुमूल्य समय इस बात पर चर्चा करने पर नष्ट हो जाता है कि चलचित्रों में चुम्बन की अनुमति होनी चाहिए या नहीं। अतः यह स्थान भी प्रदूषित हो गया है। अब प्रश्न यह

है कि भारत जैसे अल्पविकसित निर्धन देश में सूचना और प्रसारण का क्या कर्त्तव्य होना चाहिए। लोगों के भग्य को कैसे बनाया जाए। यदि कुछ लोगों को यह राय हो कि आकाशवाणी को बी० बी० सी० के तरीके से चलाया जाए तो मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं। बी० बी० सी० का क्या मतलब है ? इस का मतलब है पूर्व स्थिति। वह ऐसा राष्ट्र है जिसने प्रौद्योगिकी क्रान्ति के बाद, 300 वर्षों के बाद भी साम्राज्यवाद अपनाया हुआ है केवल ऐसा राष्ट्र ही बी० बी० सी० को रख सकता है। हम बी० बी० सी के तरीके पर आकाशवाणी को नहीं चला सकते। वहां लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी— दो अलग-अलग नाम की पार्टियां है— यद्यपि वे एक ही श्रेणी का प्रतिनिधित्व करती हैं। वहां द्वि-दलीप प्रणाली है। किन्तु हम भारत में द्वि-दलीय प्रणाली पसन्द नहीं करते। हम चाहते हैं कि आकाशवाणी तथा टेलीविजन द्वारा इस देश को एक निश्चित दिशा तथा एक निश्चित संवेग दिया जाए। हमारे देश में निदेशक तत्वों का अभिरक्षक कौन है ? मैं यह दृष्टापूर्वक महसूस करता हूं कि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय इनका सबसे बड़ा अभिरक्षक है उसे संविधान के निदेशक तत्वों में दिए गए निदेशों के अनुसार प्रेरणा लाने के लिए अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। मेरा इससे तात्पर्य राष्ट्रीय एकता से है। हम देख रहे हैं कि देश में आये दिन मनोवैज्ञानिक अधःपतन हो रहा है जो कि एक प्रकार का विभाजन है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। यह काम सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का है। मैं एक साधरण सा तरीका बताता हूं। हम भारतीय समूचे विश्व के महान कवियों नाटककारों और उपन्यास-कारों को तो जानते हैं किन्तु हमें पड़ोसी राज्यों की जानकारी नहीं है। बंगालियों को पता नहीं होता कि तमिलनाडु के बड़े-बड़े नाटककार कौन है, मलयालम के महान कवि कौन हैं तथा ज्ञानापीठ पुरस्कार के विजेपता कौन हैं। बहुत से माननीय सदस्यों को भी मालूम नहीं है। उन्हें उनके साहित्य की बिल्कुल जानकारी नहीं है। हो सकता है जो वह भाषा बोलते हैं उन्हें जान-कारी हो। सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को यह काम स्वयं करना चाहिए। उन्हें टैगोर की कविताओं का तमिल, मलयालम आदि में अनुवाद कराना चाहिए, वे अखिलन की रचनाओं को बंगाली में प्रकाशित करवा सकते है। इसी प्रकार उमा शंकर जोशी के साहित्य का भी अनुवाद कराया जा सकता है जिससे पंजाब के लोग उसे पढ़ सकें। इस प्रकार के अनुवाद एवं प्रसारणों से हमें राष्ट्रीय एकता बढ़ा सकते हैं।

एक बार टैगोर के स्मृति समारोह में, जहां देश के भिन्न भिन्न राज्यों से लोग आये हुए थे तथा जिसमें मैं भी शरीक था, मुझे टैगोर के संगीत को तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, हिन्दी में सुनने का मौका मिला वहां मैंने महसूस किया कि देश की एकता का विकास हो रहा है। यदि हम सदस्यों से पूछा जाए कि गुजराती की दस बड़ी पुस्तकों या रचनाओं का नाम लो तो मैं नहीं ले सकता। इसी प्रकार यदि किसी अन्य सहाब से पूछा जाए कि वह मराठी की दस कविताओं के नाम बताए तो वह नहीं बता सकेंगे। हमें रूस के तथा अंग्रेजी साहित्य के बड़े-बड़े उपन्यासकारों के तथा फ्रेंच साहित्य के बड़े नाटककारों के नाम तो मालूम होंगे किन्तु हमें अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में कुछ मालूम नही है। सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को यहां अपना कर्तव्य निभाना है किन्तु वे नहीं निभा रहे हैं। वे केवल फिल्मी संगीत ही सुनवाते हैं। बम्बई के अभिनेताओं ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली है।

एक माननीय सदस्य : आप अभिनेता (होरो) कह रहे हैं या जीरो

श्री ए० के० राय : (होरो)

सभापति महोदय : आप एक दम हीरो से जीरो पर पहुंच गये तब क्या हुआ।

एक माननीय सदस्य : कुछ नहीं।

श्री ए० के० राय : मैं एक बात और कहना चाहूंगा। यह मेरा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय पर आरोप है, इसलिए नहीं इसने हमें रेडियो और दूर दर्शन पर कम समय दिया है, मेरे पास दोनों ही नहीं है और मैं नहीं जानता कि वहां क्या होता है। परन्तु मेरा आरोप है कि उसने देश की संस्कृति को प्रदूशित किया है। ग्रन्थालय तक में आप पत्रिकाए नहीं पढ़ सकते। सभी प्रकार की बेकार की पुस्तकें हमारे ग्रन्थालय में भरती जा रही हैं। पहले तो मै यह मांग करता हूं कि बाहर ही नहीं वरन कम से कम हमारे ग्रन्थालय में सेंसर अवश्य किया जाए। अब कोई भी ऐसी विश्वसनीय पत्रिका नहीं है जिसे हम अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पढ़ सकें।

सभापति महोदय : पर क्या सभी सदस्य आपके सुझाव से सहमत होंगे ?

श्री ए० के० राय : मैं नहीं जानता। उन्हें सहमत होना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। आपको वह पुरानी कहावत याद होगी। यदि धन नष्ट हो जाता है, तो कुछ नष्ट नहीं है, यदि स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, तो कुछ नष्ट हुआ है और यदि चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। आज राजनीति में चरित्र नष्ट हो गया है और सूचना और प्रसारण मन्त्रालय इसमें हमारी मदद कर रहा है। यह मेरा आरोप है ···।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री ए० के० राय : मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। समाचार एजेंन्सियों का क्या हो रहा है ? आपको पता है हमारे यहां चार समाचार एजेन्सियां हैं। पी. टी. आई, यू. एन. आई. **समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार**। इनमें से पी० टी० आई० और यू० एन० आई. पर बड़े समाचार पत्र ग्रहों का अधिकार है। **हिन्दुस्तान समाचार** एक कर्मचारी सहकारी संस्था है। तथा **समाचार भारती** को विभिन्न राज्य सरकारें चन्दा देती हैं। कल मेरे मित्र श्री मनीराम बागड़ी ने यह बात कही थी और मैं इस पर जोर देना चाहता हूं। यू० एन० आई० और पी० टी० आई० को 70 लाख रुपए देने और **समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार** को कुल 10 लाख रुपए देने का कारण अथवा औचित्य नहीं है। मेरा सुझाव है कि कोई आधार होना चाहिए और आपको धन कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में देना चाहिए। उदाहरण के लिए पी० टी० आई० में 1100 कर्मचारी हैं और यू० एन० आई० में 1800, समाचार भारती में 275 तथा

हिन्दुस्तान समाचार में 3501 इसका अर्थ हुआ कि इन अन्य दो समाचार एजेन्सियों को पी० टी० आई० और यू० एन० आई० को जो रुपया दिया जाता है उसका कम से कम 30 या 40 प्रतिशत तक धन दिया जाना चाहिए । परन्तु उन्हें उतना नहीं दिया जा रहा है । यह भी देश में किए जा रहे प्रयत्नों में रुकावट डालना है

यह अन्तिम महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहता हूं । कुछ राज्य सरकारें समाचारपत्रों को अपने हाथ में ले रही है । बंगाल में राज्य सरकार ने बसुमती को अपने अधिकार में ले लिया है । महाराष्ट्र में भी राज्य सरकार एक पत्र चलाना चाहती है । मैं नहीं समझता इसमें कोई आपत्ति जनक बात है । जब लोग उन्हें सत्ता में लाए हैं तो उन्हें अपना समाचारपत्र रखने का पूरा अधिकार है । अपको एकाधिकार को समाप्त कर बड़े समाचार पत्रों पर से एकाधिकार के प्रभुत्व से मुक्त करना चाहिए । यह बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं आपको जवाहरलाल नेहरू के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण कथन का उद्धरण देता हूं ।

> "समाचारपत्रों की स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार द्वारा हस्तक्षेप न करना । परन्तु निजी हितों द्वारा भी हस्तक्षेप किया जाता है । मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि एक छोटा सा गुट समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर कैसे नियंत्रण रखता है ।"

अतः मेरा कहना हैं कि सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने के बजाय मन्त्री महोदय, समाचारपत्रों के स्वामित्व का विस्तार करने के लिए कोई ठोस फार्मूला पेस करें ।

अन्तिम बात परन्तु जो कम महत्वपूर्ण नहीं है, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम दूरदर्शन नहीं चाहते । परन्तु कम से कम एक रेडियो स्टेशन तो होना ही चाहिए । धनवाद इतना बुरा स्थान नहीं है । यह देश का औद्योगिक क्षेत्र हैं । वहां कोयला, खान आदि कई उद्योग हैं । उद्योगों में कैसे काम चल रहा है, कर्मचारियों की जीवन दशा क्या है इस सब का प्रचार होना चाहिए । आदिवासियों हरिजनों और जनजातियों के बारे में रेडियो पर बताया जाए । इन खानों में क्या होता है इसके बारे में किसान और भद्रलोग कुछ नहीं जानते हैं । उन्हें केवल भिलाई और बोकारो जैसे साफ और सुन्दर इस्पात नगरों के बारे में पता है । उन्हें नहीं पता कि कोयला नगर भी है क्योंकि वह काला होता है और इससे सफेद पोस लोगों के कपड़े खराब होते है । इस कोयला क्षेत्र में लोगों की कठिनाइयों और भावनाओं के प्रसारण के लिए मन्त्री महोदय का एक रेडियो स्टेशन की स्थापना करनी चाहिए । धन्यवाद ।

श्री एन० गोजागिन (बाह्य मणिपुर) : मैं सूचना और प्रसारण मन्त्रालय भागों का समर्थन करता हूं··· ।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में बोलें । अन्य सदस्यों को भी समय देना है ।

श्री एन० गाजागिन : मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने विपक्ष के सदस्यों को अधिकतम अवसर प्रदान किया है । इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए । परन्तु मैं उन्हें सावधान

करता हूं कि यदि वे विपक्ष को बहुत अधिक अवसर देंगे वे कभी भी संतुष्ट होने वाले नहीं है। वे तो उन्हें इस स्थान से हटा कर स्वयं इस स्थान पर बैठ कर संतुष्ट होंगे।

कुछ माननीय सदस्य : यह सही है।

सभापति महोदय : श्री गोजामिन, कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री एन० गोजामिन : आकाशवाणी के कार्यक्रमों में छोटे से राज्य मणिपुर में, भाषायी अल्प संख्यकों की उपेक्षा की जाती है और उन्हें उचित स्थान नहीं दिया जाता। इम्फाल में जिस दिन से रेडियो केन्द्र की स्थापना हुई है एक विशेष समुदाय को संगीत कार्यक्रम के लिए 15 मिनट दिए गए हैं और वही आज तक चल रहा है जबकि दूसरे कम संख्या वाले समुदाय को चर्चा और संगीत दोनों के लिए समय दिया गया है। बाद में अन्य वर्गों को और कार्यक्रम और कलाकार दिए गए। पाइटे और हमारे जनजातियों की उपेक्षा की गई है। उन्हें चर्चा और संगीत कार्यक्रम के साथ-साथ और कलाकार भी दिए जाने चाहिए थे। उन्हें 30 मिनट का समय दिया जाना चाहिए। इससे हम लोगों को राष्ट्र के समाचारों और विचारों में भागीदार बनाया जा सकेगा जो राष्ट्रीय एकता के लिए पहली आवश्यकता है।

रेडियो और दूरदर्शन राष्ट्रीय एकता में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यह प्रचार और विज्ञापन एक महत्वपूर्ण साधन है। समूचे उत्तर-पूर्व क्षेत्र के एक भी शक्ति शाली ट्रांसमीटर केन्द्र नहीं है। जब भी हम रेडियो खोलते है पीकिंग या मनीला रेडियो द्वारा उसमें व्यवधान पैदा होता है क्योंकि उनके ट्रान्समीटर शक्तिशाली है ; इसलिए हमें अपने कार्यक्रम साफ सुनाई नहीं पड़ते। मंत्री महोदय सम्भवत: इस तथ्य से अवगत न हो कि इस संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्नि कस्बों और जिला मुख्यालयों में टेलीविजन सेट काफी लोकप्रिय है और सम्पन्नता का प्रतीक माने जाते हैं। पर यदि मंत्रालय उत्तर-पूर्व क्षेत्र में शीघ्र ही एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना नहीं करती तो मुझे डर है कि गैर मित्र पड़ोसी राज्य इस स्थिति का नियोजित ढंग से लाभ उठाएंगे। इससे दूरी बढ़ेगी और सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में रोष पैदा होगा। इसलिए इस पर विचार कर कार्य करने का अवसर आ गया है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्रों के लिए एक उप-महानिदेशक की नियुक्ति किए जाने के लिए मैं मंत्रालय की प्रशंसा करता हूं परन्तु मात्र नियुक्ति से काम नहीं चलेगा। कार्यक्रमों और उसके प्रसारण क्षेत्र में सुधार किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय से ये मेरी हार्दिक अपील है।

जहां तक सेवाओं का प्रश्न है सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत अपर्याप्त है। यह केवल 3 प्रतिशत है जबकि आरक्षण की संख्या कहीं अधिक है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि पदोन्नतियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण सूची के अनुसार की जाए, इससे कर्मचारियों में कुशलता आएगी और उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। मैं इस

मंत्रालय की गतिविधियों, जो विदेश प्रसारण सेवा का कार्य भी कर रही है, के लिए मैं मंत्रालय की प्रशंसा करता हूं, मुझे पता चला है कि कुछ भाषाओं के लिए ठेके पर लगाए गए स्टाफ आर्टिस्ट को समान वेतन नहीं दिया जाता। मैं नहीं जानता कि यह सही है या गलत। यदि यह सही है तो इस अन्याय को समाप्त किया जाए। सभी को समान वेतन और भत्ता दिया जाए। उपदान आदि के सम्बन्ध में भी उनके साथ समानता और उदारता बरती जाए।

अन्तिम बात, परन्तु वह कम महत्व की नहीं, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि मणिपुर और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लोगों को आकाश वाणी के कार्यक्रमों में उचित स्थान दिया जाए। इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश जारी किए जाएं। यह अत्यावश्यक है क्योंकि तब ही वे अपने को राष्ट्र का एक अभिन्न अंग मानेंगे और राष्ट्रीय धारा में अपना पूरा योगदान दे पाएंगे। धन्यवाद।

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया) : मंत्री महोदय को उत्तर देने 5.00 बजे बुलाया जाए।

सभापति महोदय : मंत्री मोदय को 5.00 बजे बुलाया जाए श्रीमती कृष्णा साही।

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सूचना तथा प्रसारण विभाग का अनुदान सदन में उपस्थापित किया है, उसका मैं समर्थन करती हूं।

सभापति महोदय, विपक्ष की ओर से कल से सुनने को मिल रहा है कि सूचना तथा प्रसारण विभाग ने क्या-क्या गलत काम किए है और इन्हें क्या क्या करना चाहिए था। उनकी तरफ से इस प्रकार के बहुत उपदेश सुनने को मिल रहे हैं। ऊंची आवाज में आज भी कई बार इस तरह की बातें की गई कि हमारी पार्टी सिर्फ अपने ही प्रचार-प्रसार में लगी हुई है। मैं कहती हूं कि भले ही वे ऊंची आवाजों में कहें लेकिन कन्वींसिंग वे में तो कहें। ऐसा उन्होंने नहीं किया। मैंने आशा की थी कि जिस प्रकार हमारी सरकार की आलोचना की गई है, उसी प्रकार अपने तीन वर्ष के शासन काल के बारे में भी, अपनी उपलब्धियों के बारे में भी कुछ बातें कही जाएंगी। अगर हमारी तारीफ नहीं कर सकते, हमारी तारीफ नागवार गुजरती है तो कम से कम अपनी उपलब्धियों की चर्चा तो करते। जब तक उनका शासन रहा, स्वायत्तता की बात की जाती रही और स्वतन्त्र निगम बनाने की बात की गई, लेकिन सब्ज-बाग दिखाना और बात है और कुछ कर के दिखाना और बात है, दोनों में बहुत अन्तर है। मैं अपने मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने फंक्सनल अटानामी की बात कही है;

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। 1978 में जनता पार्टी और लोकदल की सरकारों के समय पब्लिक मीटिंग्स में, वक्तव्यों में इस तरह की बातें कही गई। मुझे याद है 15 फरवरी को महाराष्ट्र में एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अभी तक आल इंडिया रेडियो, आल इंदिरा रेडियो बना रहा, लेकिन अब जो सरकार बनी है, उसमें अब ए. आई. आर. सही भूमिका निभा रहा है।

यह कहा गया था कि सभ दलों को अपनी अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों की समान रूप से व्याख्या करने का अवसर दिया जाएगा। लेकिन हम क्या सारी दुनिया जानती है कि हमारी पार्टी को एब्यूज करने के सिवा इनका कोई दूसरा कार्यक्रम ही नहीं था, प्रोग्राम ही नहीं था। 1979 में इनकी सरकार थी। तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री ने एक करोड़ साठ लाख रुपये से बनाई गई डाकुमेंटरी फिल्में और न्यूज रील्ज को विदड्रा कर लिया। उनमें ऐसी बातें थीं जो जनता के लाभ के लिए थीं जो जन मानस को प्रभावित कर सकती, थीं, जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या छवि थी, कौन कौन से कार्यक्रम थे उनको सामने ला सकती थीं, उनको इन्होने विदड्रा कर लिया। 1978 और 1979 में बनी ये फिल्में जो सामाजिक परिवर्तनों को उचित दिशा दे सकती थीं उनको इन्होंने विदड्रा कर लिया। हमारा घाटा होता उससे तब तो बात ठीक थी। लेकिन जो जनहित में काम हो रहा था, जन मानस के अन्धकार को, अज्ञानता को उजाले के रास्ते पर ले जाने की बात थी, उसको भी इन्होंने रोक दिया और एक करोड़ साठ लाख की इन फिल्मों को जो इन्होने विदड्रा किया इससे किस का घाटा हुआ ? किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि देश का घाटा हुआ। एक और फिल्म फ्री फ्राम फीयर बनाई गई थी इससे भी विदड्रा कर लिया गया और इस पर पचास हजार रुपया खर्च हुआ था। यह जनता का पैसा था जो इस पर भी खर्च हुआ था। अब क्या सच है और क्या झूठ यह आपके सामने है।

हमारे देश में घोर गरीबी है। शिक्षा का प्रचार और प्रसार बहुत कम है। शिक्षितों का प्रतिशत भी बहुत कम है। इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहिए। देहातों में दूरदर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। आकाशवाणी छोटी छोटी मोबाइल गाड़ियों में अपने कार्यक्रमों को ले जा कर वहां लोगों को शिक्षित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। देहातों की जनता आजकल बहुत जागरूक है। उसकी बड़ी उत्कंठा रहती है, वह बहुत जानना चाहते है कि संसद मे क्या होता है। सरकार के कार्यक्रम क्या हैं, उनकी जानकारी वह लेना चाहती है। जब मैं देहातों में जाती थी तो लोग मुझसे पूछते थे उस समय कि प्रिवी पर्स को कैसे हटाया गया। हम जानें या न जाने वे जानते थे और बताया कि किस तरह से हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, दहेज प्रथा का उन्मूलन करने के लिए क्या काम हो रहा है। गांधी जी जब भी कुछ खास काम करते थे, भूख हड़ताल पर चले जाते थे तो वहां जनता की बड़ी उत्कंठा रहती थी उनके बारे में जानते की, उनके हाल के बारे में जानकारी लेते थे। अब तो बहुत विकास हो गया है। तभी लोग वहां जानना चाहते थे कि गांधी जी ने अपना

अंशन तोड़ा या नहीं, कुछ खाया या नहीं। वाईब्रेंटिग लाइव डेमोक्रासी की जो सिम्बल है देहात की जनता उसकी उपेक्षा आपको नही करनी चाहिए। सामाजिक जो हमारी बुराइयां हैं, दहेज को लेकर जो समस्यायें हमारे सामने उठ खड़ी हुई हैं, बाल विवाह, सति प्रथा की जो बुराईयां हैं, इन सब के देहात की जनता को अवगत कराया जाना चाहिए और इसके सम्बन्ध में प्रचारर प्रसार किया जाना चाहिये।

अर्बन मिडल क्लास की जो ट्राइब है उनके लिए ही खाली टी. वी. नहीं रहना चाहिए बल्कि देहातों में भी इसको ले जाया जाना चाहिये। बिहार बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त है। वहां शिक्षा का प्रसार उतना नहीं है। पिछली बार जब ये बिहार गए थे तो इन्होंने लोगों को आश्वासन दिया था कि पटना में दूर दर्शन का केन्द्र शीघ्र स्थापित किया जाएगा। यह जो इन्होंने लोगों को आशा बंधाई थी, ऐसा न हो कि यह निराशा में परिवर्तित हो जाए। एक माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में यहां यह कहा गया था कि छठी योजना में इसकी आशा बहुत क्षीण है। मैं इनकी कठिनाइयों को जानती हूं, आर्थिक कठिनाइयों से अवगत हूं। आजकल साइन्स और टैक्नौलोजी का जमाना है। इस जमाने में इस विभाग को और भी अधिक राशि आवंटित होनी चाहिये थी लेकिन हो नहीं सकी है। इस सम्बन्ध में उनके सामने कठिनाई है, लेकिन फिर भी उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि पटना बिहार की राजधानी है और उसकी एक विशिष्ट संस्कृति है, उसका पुराना इतिहास है, इसलिए वहां पर दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना होनी चाहिए।

मुजफ्फरपुर दूरदर्शन केन्द्र में एक्विपमेंट आदि साधनों की बहुत कमी है। इसलिए बिहार के दूरवर्ती गावों में उसकी सेवायें उपलब्ध नहीं होती है और उन्हें उसका कोई लाभ नहीं होता है। दूरदर्शन शिक्षा और प्रचार का एक सशक्त माध्यम हैं और आकाशवाणी संप्रेषण का एक सबल साधन है। लोक मानस को प्रभावित करने में उनकी बड़ी महत्व-पूर्ण भूमिका है इसलिए हमारे क्षेत्र के पिछड़ेपन को दृष्टि में रखते हुए इन माध्यमों के विकास की ओर ध्यान देना आवश्यक है मंत्री महोदय ने पटना में कहा था कि पटना आकाशवाणी को सौ सौ किलोवाट के दो केन्द्र दिये जायेंगे। मैं इस ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस बात की ओर भी ध्यान दें कि वहां पर फील्ड पब्लिसिटी का जो विभाग है, वह देहात में जाकर सोशल वर्कर्ज से सम्पर्क स्थापित करे और लोगों को सरकार के भावी कार्यक्रमों तथा नीतियों, परिवार नियोजन जैसी सभी महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराये। इस समय महिलाओं और लोगों को इस बारे में नहीं बताया जाता है।

महिलायें हमारी संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक हैं। वे लज्जा की प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि फिल्मों में जो विज्ञापन होते हैं, उनकी एक सीमा होनी चाहिए। हर बात में पश्चिम की नकल करना हमें शोभा नहीं देता है। पूर्व पूर्व ही रहेगा और पश्चिम

पश्चिम ही रहेगा । इसलिए महिलाओं के लिए जो विज्ञापन दिए जाते है, उनके सम्बन्ध में एक सीमा होनी चाहिए, वह हमारी भारतीय संस्कृति का तकाजा है ।

जहां तक अखबारों का संबंध है, अखबार एक ऐसा माध्यम हैं, जो लोगों के सामने वस्तु-स्थिति को उजागर करते हैं । मै आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जो हमारी समस्याओं और सोशल रेसपांसिबिलिटीज हैं, अखबार वालों को उनके बारे में सिर्फ सरकार को एडवाइस, सलाह, देने के बजाये पब्लिक को सुझाव देना चाहिए कि क्या करना चाहिए । हमारी आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं के बारे में कान्ट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन उनका कोई समाधान और विकल्प तो बताना चाहिए । उन्हें केवल आलोचना के लिए आलोचना करने का दृष्टिकोण न अपना कर कुछ कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक, दृष्टिकोण रखना चाहिए और ऐसे सुझाव देने चाहिए, जिनसे जन-मानस पर कुछ अच्छा प्रभाव पड़े ।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय मन्त्री, जो सौभाग्य से उपस्थित हैं, का ध्यान केवल इस बात की, ओर आकर्षित करना चाहता हूं । 19,8 की गणना के अनुसार भारत में 15814 समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं, जिनमें से 3087 अंग्रेजी में और शेष 12,000 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में । मैं मन्त्री महोदय से समाचार एजेन्सिसों के मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूं । रेडियो पर स्थानीय समाचार और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों की जानकारी अधिकतर इन णेत्रीय समाचार एजेन्सियों द्वारा दी जाती है । परन्तु पता नहीं इन एजेन्सियों और केवल अंग्रेजी में समाचार देने वाली एजेन्सियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में अंकों की असमानता क्यों है ।

मुझे बताया गया है कि टेलीप्रिन्टर के कारण भी कुछ कठिनाई है । समाचार एजेंसियों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में टेलीप्रिन्टर द्वारा समाचार देवनागरी में भेजे जाते हैं । कठिनाई केवल वहां पैदा होती है जहां देवनागरी लिपि का उपयोग नहीं हो सकता । उदाहरणत: तमिल, तेलुगु, मलयालम अथवा असमिया के लिए ये टेलीप्रिन्टर कोई मदद नहीं करते । इन समाचारों का उद्देश्य को समाप्त हो जाता है यदि उन्हें सम्बन्धित लिपि न भेजा जाये और फिर अनुवाद में भी समय लगता है । अत: इन भाषाओं में टेलीप्रिन्टर लगाने की आवश्यकता है । मुझे बताया गया है कि ये टेलीप्रिन्टर बनाने का प्रस्ताव था परन्तु वित्तीय हानि से इस पुस्तक को उचित नहीं पाया गया । क्या मन्त्री इस पहलू पर विचार करेंगे कि भले ही उन्हें किसी प्रकार राजसहायता देनी पड़े वे हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर से देवनागरी लिपि के अतिरिक्त विभिन्न लिपिकों में टेलीप्रिंटर बनाने को कहें । इससे भाषायी समाचार एजेन्सियों को कार्य करने में सहायता मिलेगी । इन क्षेत्रों के रेडियो केन्द्र भी तुरन्त और अद्यतन समाचार दे सकेंगे । अब अंग्रेजी समाचर एजेन्सियां समाचार भेजती हैं और तब उसका अनुवाद किया जाता है । इसमें समय लगता है । विभिन्न भाषाओं के टेलीप्रिन्टर होने पर हम इस समय को बचा सकेंगे ।

अन्तिम बात यह है कि समाचार एजेंसियों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। इसके कारण आप अधिक अच्छी प्रकार जानते हैं। मैं आपसे इस मामले पर विचार करने का आग्रह करता हूं और जो सुविधायें और रियायतें उन्हें दी जा रही हैं उन्हें कुछ समय और जारी रखा जाए जिससे वे स्वावलम्बी बन सकें।

कुछ बातें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था। सूची में पहले से नाम न होने पर भी समय दिये जाने के लिए मैं अध्यक्षपीठ का अभारी हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें ये प्रसारण के जितने माध्यम हैं वे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जो बात आप कहते हैं बड़े अनुशासन और नैतिकता की छाप जनता पर छोड़ने की, उसका तो आप खुद ही मूल्यांकन कर लेंगे, मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि समय की कमी है। आपने बड़े बड़े आदर्श वाक्य लिखे हैं अपनी किताब में, वह बड़े अच्छे वाक्य हैं, उनको तस्वीर में लगाना चाहिये कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदर्श वाक्य हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अखबार अगर लोकतंत्र जिन्दा रहे तो लोकतन्त्र जिन्दा रह सकता है क्योंकि वह हमारी आंख और कान हैं। कल उप मंत्री जी ने बड़ी जोरदार भाषा में भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि छोटे अखबार, मझले अखबार और जो भाषायी अखबार हैं उनको हम बढ़ावा देंगे। अगर आपने उनको बढ़ावा दे दिया तो लोकतंत्र खड़ा रहेगा नहीं तो लोकतंत्र कुछ आपके अंग्रेजी अखबारों से जिन पर बड़े बड़े लोगों की मोनोपली है उनके बल पर खड़ा नहीं रह सकता। मैं सुनता आया हूं, इन अखबारों को कौन पढ़ता है— कुछ ब्यूरोक्रेट, कुछ अंग्रेजी में बोलने वाले, अंग्रेजी के थोड़े से जानकार, कुछ थोड़े से इधर उधर के लोग उनको पढ़ते हैं लेकिन गांवों के जो करोड़ों लोग हैं जो अपनी कमाई से अखबार खरीदकर पढ़ने वाले हैं वे डिस्ट्रिक्ट लेविल के अखबार पढ़ते हैं इन डिस्ट्रिक्ट लेविल के अखबारों की हालत आज क्या है ? समाचार-पत्र लोकतन्त्र को जिन्दा रखने वाले खम्भों में खम्भा माने जाते हैं जुडीशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बाद प्रेस का नम्बर ही आता है। जहां न पहुंचे पुलिस वहां पहुंचे अखबार—ऐसा माना जाता है। अखबार वाले गांव गांव की खबर लेते हैं कि कहां पर किस थानेदार ने कुकर्म किये और कहां पर किसको राजनीतिक संरक्षण मिला। इन समाचार-पत्रों के पत्रकारों के साथ जो जुल्म की घटनायें होती हैं उनको रोकने के लिये अलग से कानून बनाया जाना चाहिये। लोकतन्त्र को कायम रखने वाले ये जो अखबार वाले हैं उनके लिये आपने क्या किया है ? उनके लिए न कोई आनरेरियम है और न बोनस है। पालेकर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसने उनका पता ही काट दिया है। ऐसी हालत में गांवों में जाने वाले जो छोटे छोटे पत्रकार हैं उनकी क्या हालत होगी—यह आप सोच सकते हैं। हिन्दुस्तान गांवों में ही बसता है। यह दिल्ली हिन्दुस्तान नहीं है। हिन्दुस्तान छोटे-छोटे गांवों में, पहाड़ों में और जंगलों में बसता है। वहां पर जो पत्रकार जाकर अपनी जिन्दगी देते हैं उनकी हिफाजत के लिए आपने क्या किया है ? अगर आप उनको संरक्षण प्रदान करते हैं तो फिर कहा जा सकता है कि आपने अखबार वालों के लिए कुछ किया है। अच्छी सरकार वही मानी जाती है जोकि अपनी बुराई जानने की इच्छुक रहती है।

सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि वह अपनी बुराई को जाने लेकिन उस तरफ अभी हमारा ध्यान नहीं गया है। कुछ मिनिस्टर्स तो ऐसे होते हैं जो इस चक्कर में रहते हैं कि "टाइम्स आफ इंडिया" और "हिन्दुस्तान टाइम्स" में उनका नाम आया या नहीं आया। लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि यह वही अखबार हैं जिन्होंने शाह कमीशन के लिए अपने पेजेज, पेज के पेज, लगा दिये थे। आज विरोधी दल वाले कहते हैं कि आज हमारा रेडियो नहीं रहा, लेकिन वह शाह कमीशन क्या था ? (व्यवधान)। आज सभी अपना नाम अखबार में देखना चाहते हैं लेकिन जो अखबार वाले लोगों की जिन्दगी में स्वाभिमान पैदा करना चाहते हैं उनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं है। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि कोआपरेटिव बेसिस पर अखबार निकाले जाने चाहिए, ये मोनोपाली अखबार नहीं होने चाहिए।

आपने एक नयी बात और कर दी। आपने अखबारी कागज पर 15 परसेन्ट आयात शुल्क बढ़ा दिया है।

इस तरह से आप देख सकते हैं कि छोटे अखबारों की क्या हालत होगी। सरकार के पास दो साधन है उनको सहायता देने के लिए, एक विज्ञापन और दूसरा कागज का कोटा—इस ओर भी आप देखिये कि किस आधार पर आप देते हैं। आपका एक स्लेब सिस्टम होना चाहिए—जिनकी आमदनी ज्यादा है, जिनके कई अखबार निकलते हैं, उनमें तो आपकी बात आ जाती है, लेकिन दूसरे पेपर का लेखक हमारी बुराई करता है और बड़े जोर-शोर से करता है।

मैं एक बात नहीं समझ पाया कि आपकी जो सहकारी समितियां बनी हुई हैं, उन समितियों का जो तरीका है, उनसे आपको कितना फायदा होता है—इस पर भी आप विचार कीजिये। इस समय सबसे ज्यादा कमी हमारे देश में सिनेमाघरों की है। गांवों में सिनेमाघरों की कमी है। मैं अभी एक आंकड़ा दे रहा था—यू० एस० एस० आर० के अन्दर जहां केवल 27 करोड़ की पापुलेशन है, वहां 1 लाख 57 हजार सिनेमाघर हैं, जबकि हिन्दुस्तान की आबादी 68 करोड़ है, केवल 10 हजार सिनेमाघर ही हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वहां कोई जाता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : यह सही है कि वहां कोई जाता नहीं है। इसमें आगे बताया गया है—फ्रांस में सीट्स पर-हण्ड्रेड 4.2 परसेन्ट, यू० एस० ए० में 4 9 परसेन्ट, यू० के० में 2.6 परसेन्ट, जापान में 1.4 परसेन्ट और भारत में 0.8 परसेन्ट—क्यों ? क्योंकि हमारे यहां मनोरंजनकर 60 परसेन्ट से 120 परसेन्ट है। कभी आपने इस पर विचार किया है। यह एन्टर-टेनमेंट टैक्स क्यों लिया जाता है, जबकि कुछ गरीब लोग शिक्षा लेने के लिये, जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं, वे सिनेमा देखने जाते हैं। यदि आप सामाजिक बुराइयों को हटाना चाहते हैं तो 20 परसेन्ट से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिये, लेकिन लिया जाता है 60 परसेन्ट से 120 परसेन्ट। सरकार इस 38 करोड़ की आमदनी अवश्य कर लें, लेकिन जो समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, जनता को एजूकेट करना चाहते हैं, वह नहीं हो सकेगा।

गांवों में छोटे-छोटे सिनेमाघरों की जरूरत है, लेकिन जिस प्रकार से बनते हैं—उसको भगवान ही जानता है। कितने दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, किन-किन मंत्रियों के द्वारों को देखना पड़ता है, कितने बडे-बड़े अधिकारियों की बातें सहनी पड़ती हैं, कितनों को डालियां भेंट करनी पड़ती हैं तब जाकर सिनेमाघर खुलता है। सिनेमाघर खुलने के बाद भी कितने ही पुलिस अधिकारियों को खुश करना पड़ता है, तब जाकर गांव में बेचारा सिनेमाघर चल पाता है।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा सभा के समक्ष प्रस्तुत अनुदानों की मांगों के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं उन बातों के लिए अपने आपको तैयार करने की कोशिश कर रहा था जिन पर मुझे बोलना चाहिये किन्तु इस मंत्रालय से सम्बन्धित इस बहस में दोनों पक्षों के मेरे बहुत से मित्रों ने भाग लिया है और अन्तिम बात जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि यह बहुत से सदस्यों के ध्यान में नहीं आयेगी, वह भी श्री डागा के भाषण में आ गई है। यहां बैठे हुये मैं सोच रहा था कि ऐसी कौन सी बात है जो सदस्यों के भाषण में नहीं आयी है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एकदम नई बात कहनी होगी जो अभी तक सभा में नहीं कही गई है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (दक्षिण) : आप पश्चिम बंगाल के बारे में बोलिये। वह आपकी सरकार है।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : मैं अन्त में उसका भी जिक्र करूंगा। मेरे मित्रों ने इस विभाग की गतिविधियों का उल्लेख बड़े बढ़िया ढंग से किया है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं सोच रहा था कि इस रिपोर्ट में इस बात की व्यवस्था नहीं की गई है। इस विभाग का मूल उद्देश्य क्या है ? मेरे विचार में इस विभाग का मूल उद्देश्य इस देश के लोगों को ही नहीं बल्कि अन्य देशों के लोगों को भी यह बताना है कि आज भारत क्या चाहता है और इसकी समस्याएं क्या है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं इसका आर्थिक विकास, बढ़ता हुआ उत्पादन और उत्पादिता देश में सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना। जनसंख्या की समस्या के बारे में सही ढंग से योजना बनाना और इन बातों को बड़े ध्यानपूर्वक स्पष्ट किया जाना चाहिये। आर्थिक विकास और उत्पादन तथा उत्पादिता बढ़ाने की पहली समस्या को बड़े कारगर ढंग से प्रस्तुत करते समय यह विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ? क्योंकि मेरे मित्रों के अनुसार यह सरकार की वाणी है। इसकी वाणी सुदूर गांवों में पहुंचनी चाहिये जहां लोग खुशी और लघु तथा कुटीर उद्योगों में लगे हुये हैं, उन कर्मकारों तक पहुंचनी चाहिये जो गहरी खानों में काम कर रहे हैं तथा इस्पात भट्टियों में बड़ी भयावह स्थितियों में काम कर रहे है और जो मिलों तथा फैक्टरियों में काम रहे हैं। क्या यह आवाज उन तक वास्तव में पहुंचती है ? यह जन माध्यम क्या कह रहा है। यह सुनने के लिये क्या उनके पास समय है ? क्या उनमें से सभी समाचारपत्र पढ़ सकते हैं ? यह आवाज उन तक नहीं पहुंचती

है। इसके लिये हमें कारगर प्रयास करने चाहियें। तब क्या यह आवाज उन तक पहुंचेगी ? हमारी जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोगों को रेडियो सुनने और टेलीविजन देखने का अवसर मिलता है और क्या वह समाचारपत्र पढ़ते हैं। मेरा सुझाव है कि यदि इस दशक की चुनौतियों का मुकाबला करने पर विशेष बल देना है तो इस विभाग को अपने कार्यक्रमों में परिवर्तन करना चाहिये और उन चार बातों पर जिनका मैंने सुझाव दिया है कार्यक्रम बनाने चाहिए। सुदूर गांवों में मनोरंजन का साधन क्या है ? वहां पर लोग किसी त्यौहार के अवसर पर भी थोड़ा संगीत सुन सकते हैं और नृत्य देख सकते हैं अन्यथा उनके लिए मनोरंजन का क्या साधन है ? इस विभाग को उन तक पहुंचना चाहिये। पंचवर्षीय योजना के पहले चरण में ही उन्हें यह अनिश्चित करना चाहिए कि दस हजार की आबादी के लिये कम से कम एक सामुदायिक केन्द्र की व्यवस्था की जाये। इस विभाग को बड़े बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि सुदूर गांवों में, औद्योगिक और खान क्षेत्रों में जहां लोग अपने फालतू समय में रेडियो सुन सकते हैं वहां रेडियो की व्यवस्था करनी चाहिए। इस माध्यम के जरिये उन्हें जागरूक बनाना चाहिये।

टेलीविजन एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि यह हमारे देश की संस्कृति के विपरीत है। उन्होंने ऐसा रेडियो के लिए भी कहा था। यदि वह ऐसा महसूस करते हैं तो मैं कहूंगा कि उनकी इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए और विभाग को हमारे देश की परिस्थितियों के अनुरूप अपने कार्यक्रमों में परिवर्तन करना चाहिए। हमारा प्राचीन इतिहास, परम्परा, संस्कृति आदि इसके माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसी प्रकार हम अपने ग्रामीण लोगों और परम्पराओं में विश्वास पैदा कर सकते हैं। इससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा और हम इस दशक की चुनौती का मुकाबला कर सकेंगे। समाचार पत्र एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके लिए इस विभाग में एक वर्ष में क्या किया है। क्या मेरे मित्र इस सम्बन्ध में कुछ बोले हैं। छोटे समाचार पत्र जिला नगरों, सब-डिवीजन के नगरों, ताल्लुकों और अन्य क्षेत्रों में पहुंच गये हैं। मैं नई दिल्ली में भी सब-डिवीजनों, जिलों और अन्य क्षेत्रों के विशेषरूप से मेरे राज्य के 38 स्थानीय समाचार पत्रों को दिल्ली से प्रकाशित करवा रहा हूं। पत्रकारों की एक नई पीढ़ी उभर कर सामने आ रही है। उनकी लेखन कला और तथ्यों को प्रस्तुत करने की शैली बड़ी संतोषजनक है। इस विभाग ने उन्हें अपनी प्रचार सामग्री वितरित करने का अवसर दिया है और उन्हें विज्ञापन देकर काफी प्रोत्साहन दिया है। किन्तु उनके पास अखबारी कागज की कमी है। वे इसे काले बाजार से खरीदते हैं। उन्हें एक साल का कोटा एक समय में नहीं दिया जाता। क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार अखबारी कागज किस एजेंसी से खरीदें। उनके पास सारे साल के लिए स्टाक नहीं होता। वे तो एक प्रकाशन के लिए एक सप्ताह के लिए ही अपनी आवश्यकता के अनुसार अखबारी कागज खरीद सकते है। अधिक से अधिक वे एक महीने के लिए खरीद सकते हैं। अतः उन्हें एक महीने में चार कोटे दिए जाने चाहिएं। यदि आप उन्हें एक महीने का कोटा देंगे तो वे खरीद सकेंगे। परन्तु यदि आप एक साल को कोटा देंगे तो वे नहीं खरीद सकेंगे। यदि माननीय मंत्री इस प्रकार चलेंगे तो मैं उनका बहुत आभारी हूंगा।

मैं अपने मित्रों को बताना चाहता हूं कि भारत एक ऐसा भाग्यशाली देश है जहां पर सभी प्रकार के तकनीकी लोग और वैज्ञानिक हैं। हम रंगीन टेलीविजन के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक विलासता की सामग्री होगी। परन्तु ऐसी बात नहीं है। हम अपने देश में तकनीकी विकास के कारण ही विश्व में टिक रहे हैं। यदि हम ऐसा करें तो हमारे देश में रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। हम इन अवसरों को शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करा सकते हैं। इस प्रकार यह एक वरदान होगा। इससे ऐसी संस्कृति को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए जो हमारे विपरीत है। मैं मंत्रालय से पुनः अनुरोध करूंगा कि उसे अपनी शक्ति को इन चार बातों की ओर लगाना चाहिए जिनका मैंने अभी जिक्र किया है।

हमें अपने उन वीरों को उचित सम्मान देना चाहिए जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े और जिन्होंने देश को उचित दिशा दी। हमारे ग्रामीण लोगों को दृश्य-श्रव्य प्रचार द्वारा सहायता दी जानी चाहिए। हमारे सामने एक और महान अवसर आ रहा है। जुलाई, 1981 को भारत के एक महान सपूत डा० विधान चन्द्र राय का जन्म दिन और पुण्य तिथि है। वे हमारे देश के विकास के चिन्ह थे।

विपक्ष के मेरे मित्र कह रहे थे कि मैं अपने भाषण के अन्त में उनकी आलोचना अवश्य करूंगा। मेरे मित्र नहीं जानते कि डा० बी० सी० राय जब राज्य के पहले मुख्य मंत्री बने तो उनके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए एक महीने का वेतन भी नहीं था। मुख्य मंत्री पद पर वे 14 वर्ष तक रहे। आज जो आप पश्चिम बंगाल में देखते हैं वह सब उन्हीं ने बनाया है। उन्होंने जो स्वप्न देखा था वह पहले मेरे मित्रों ने पिछले 17 वर्षों में समाप्त कर दिया। उनके द्वारा चलाये गए कार्यक्रमों को पूरा करने के बजाय इन लोगों ने यह कहा कि उन्हें केन्द्र से और अधिक अधिकार मिलने चाहिए। डा० बी० सी० राय के पास बहुत से विशेष अधिकार थे। क्या यह सत्य नहीं है कि यह अधिकार उनके नेता श्री ज्योति बसु के पास हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि श्री बसु डा० राय के मुकाबले में एक बहुत तुच्छ व्यक्ति हैं परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि विकास कार्यक्रमों में उन्होंने बहुत कम रुचि दिखाई है। उनका 100वां जन्म दिन मनाते समय हमें अपने देशवासियों को यह बताना चाहिये कि विकास क्या होता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर समुचित ढंग से विचार करें ताकि हम अपने देश की छवि सही ढंग से प्रस्तुत कर सकें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक या दो सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव है कि मीडिया का मिस यूज बन्द किया जाए। मीडिया का बहुत भयंकर मिस यूज आज हो रहा है, इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं।

मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं जब नागरिक पूर्ति मन्त्री श्री वी० सी० शुक्ला को त्याग पत्र देने के लिए कहा गया तो उस समय इस माध्यम ने एक समाचार दिया था जोकि

सरकारी जानकारी पर आधारित था। जानकारी यह थी कि श्री वी० सी० शुक्ला ने त्याग पत्र दे दिया है और उनका त्याग पत्र राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और कृषि मन्त्री श्री राव वीरेन्द्र सिंह को उस मंत्रालय को देखने के लिए कह दिया गया है। रेडियो पर यह भी कहा गया कि चीनी के मामले में कुछ गड़बड़ हुई है। श्री शुक्ला मध्य प्रदेश की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे और इसलिए उनसे त्यागपत्र देने के लिए कहा गया था। इस प्रकार की घोषणा की गई थी जोकि सरकारी घोषणा में नहीं थी।

जो रिलीज था उसमें यह बात नहीं कही गई थी कि उन्होंने कोई चीनी का घोटाला किया है या मध्यप्रदेश की राजनीति में नाम ले रहे हैं, फिर भी मीडिया ने यह कहा। हमें मिडिया के लोगों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सरकार की तरफ से यह कहने के लिए कहा गया था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है, अगर ऐसा नहीं है तो आप चैक करवा लीजिए कि उस दिन क्या ब्राडकास्ट किया गया था। प्रेस में तो यह भी कहा गया कि वे अयोग्य हैं, जबकि अयोग्य तो वे हो नहीं सकते, क्योंकि 12 साल तक मिनिस्ट्री में रहे, इमरजेंसी में भी वे इन्फर्मेशन मिनिस्टर रहे, उस समय तो वे सबसे काबिल आदमी थे अब अयोग्य हो गए ? लेकिन मीडिया ने यह बात कोड की, कहां से की, कैसे की, यह आप वेरीफाई करवा लीजिए। चीनी से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। नागरिक पूर्ति मन्त्रालय का चीनी से कोई सम्बन्ध नहीं है। चीनी पर नियंत्रण कृषि मन्त्रालय करता है। यदि चीनी में कोई गड़बड़ थी तो उसका नागरिक पूर्ति मन्त्री से कोई सम्बन्ध नहीं था। परन्तु सरकारी माध्यम ने इस प्रकार की घोषणा की थी। जोकि नहीं होनी चाहिए थी। परन्तु इसका कुछ कारण था समाचार पत्रों के लोगों ने बताया कि प्रधान मन्त्री के सचिवालय में एक महत्वपूर्ण अधिकारी है जिसने यह सब बातें कही थीं परन्तु उसने यह भी कहा कि उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। इसीलिए उसका नाम नहीं लिया गया। इस प्रकार की बातें होती हैं। रेडियो का अपने दल के लोगों को ही बदनाम करने के लिए उपयोग किया जाता है। मैं इसका बड़ा विरोध करता हूं। और कहता हूं कि इस माध्यम का सरकार द्वारा दुरुपयोग हो रहा है। माननीय मन्त्री को इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। यदि मन्त्री महोदय ऐसा नहीं कर सकते तो उन्हें अपने मन्त्रालय का नाम बदलकर प्रचार मन्त्रालय रख देना चाहिए। ... (व्यवधान)।

दूसरी बात यह है कि रेडियो और टेलिविजन में कार्यक्रम अधिकारी हैं। उनकी पदोन्नति का समय आ गया है। इस सम्बन्ध में सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने भी सिफारिश की है कि उनकी पदोन्नति होनी चाहिए परन्तु यह नहीं हो रही है। इसे माननीय मन्त्री अथवा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के द्वारा रोक दिया गया है। इसके क्या कारण हैं ? उनमें 30 या 40 हरिजन उम्मीदवार भी हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि उन्हें यथाशीघ्र पदोन्नति दी जानी चाहिए। मेरे यही दो सुझाव हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जमीलुररहमान। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दलों ने अधिक समय दे दिया है । मन्त्री महोदय को अब पांच बजे उत्तर देना होगा । (व्यवधान) उनके पास समय है। सत्तारूढ़ दल के पास 2 घण्टे है इसलिए आपके लिए समय कहां है मुझे सभी दलों के साथ न्याय करना होगा । और यदि मैं आपको और समय देता हूं तो यह पक्षपात होगा क्योंकि मैं स्वयं विपक्ष से सम्बन्धित हूं ।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्र गुजार हूं कि मुझे आपने बोलने के लिए कुछ मिनट का समय दिया है । इसके पहले कि मैं अपनी बात पर आऊं मैं मिनिस्टर साहब की खिदमत में एक शेर अर्ज करना चाहता हूं :

उनके देखे से जो आजाती है मुंह पर
वे समझते है कि बीमार की हालत अच्छी है ।

मेरे कहने का मकसद यह है कि सभी साथियों को यह जानकारी हो चुकी है और अखबारों में भी यह चीज आ चुकी है कि 1977 से लेकर 1980 तक जब तक की हमारी पार्टी सरकार में नहीं थी, एक पर्टिकुलर और खास किस्म के गंदे ख्यालात और जहन वाले लोगों की लातादाद भरती ए आई आर में हुई थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरफ आपका (वजीर) ध्यान आज तक गया है और अगर गया है तो ऐसे लोगों के बारे में आप ने क्या किया है—(इंटरप्शंज) जी हां मैं आर.एस.एस. की ही बात कर रहा हूं। उनके जहन को बदलने की क्या तरकीब आपने निकाली है और इरेग्युलर तरीके से जो उनकी भरती हुई है, उसके बारे में आपने क्या सोचा है या किया है ।

अब मैं प्रेस की बात करता हूं । प्रेस वालों का तो बहुत बुरा हाल है । जो बड़े अखबार वाले हैं उनको एडवर्टिजमैंट्स का फायदा, कागज का फायदा, न्यूज का फायदा, सब फायदे वे उठाते है लेकिन उनका जो रोल है वह निहायत खराब है । मैं एक मिसाल देना चाहता हूं । मुरादाबाद रायट्स के वक्त एक बड़े अखबार वाले ने निकाला कि बी.एस एफ. के एक नौजवान को फला मुहल्ले से गुजरते समय गोली मार दी गई । यह चिन्ता की बात थी । फ्रंट पेज पर यह खबर छापी गई थी । मैंने जब बी एस एफ के दफ्तर में फोन किया और पूछा कि क्या ऐसा कोई नौजवान मारा गया है और यह बहुत गलत बात है तो अगले दिन अखबार में देखने को मिला कि इसका कंट्रेडिक्शन आ गया है और लिख दिया गया था कि कोई जवान नहीं मारा गया । ऐसे अखबार जो बेलगाम हैं, मौनोपोलिस्ट अखबार बेलगाम हैं, जो झूठी खबरें छापते हैं और झूठ पर उनकी जिन्दगी चलती है, जो छोटे और मध्यम दर्जे के गरीब अखबार वालों के खून के रस से पनप रहे हैं, उनको नियंत्रित कानून के अधीन रखने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं ? (व्यवधान) श्री स्वामी, मैं चाहता हूं कि राष्ट्र विरोधी ढंग से काम करने वाले पत्रों को बन्द कर दिया जाना चाहिए । उन्हें छोटे और मध्यम समाचार-पत्रों को नुकसान पहुंचाकर नहीं बने रहने देना चाहिए ये छोटे समाचार-पत्र गांवों के लाखों लोग पढ़ते हैं और इनकी रक्षा के लिए हम वचनबद्ध है । सी. पी. एम. के मेम्बर की तरफ इशारा करते हुए आपके मुल्क में एक ही अखबार निकलता है । यह तो इस मुल्क की डेमोक्रेसी की देन है कि आप जिन्दा है । प्रोफेसर,

आपके मुल्क में एक ही अखबार निकलता है। स्वामी साहब जहां बार बार तशरीफ ले जाया करते हैं, यानी चीन वहां एक ही अखबार निकलता है, दूसरा अखबार नहीं निकलता है। यह इस मुल्क की ओर कांग्रेस की देन है कि ···।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ति : मैं बहुत कम हिन्दी जानता हूं। हमारा मुल्क तो यह है। आपका मुल्क कहां है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अनुवाद मिल जाएगा।

श्री जमीलुर्रहमान : आप समझे नहीं है। आप जिस मुल्क में हैं, यह उस मुल्क की देन है कि हम सब लोग यहां बैठे है। उस मुल्क में एक ही अखबार है, एक ही पार्टी है। हमारे मुल्क में गांधी जी, पंडित नेहरू और श्रीमति इंदिरा गांधी की देन है कि हम और आप एक जगह बैठे है। (व्यवधान)।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : राजीव गांधी की भी देन है।

श्री जमीलुर्रहमान : हां, राजीव गांधी की भी देन है कि आप यहां बैठे है। (व्यवधान) मेरी अपनी जोती राय है कि सरकार बड़े अखबारों के लिए स्पेशल कानून बनाए। मैं एक और मिसाल देना चाहता हूं। गिरिलाल जैन का एक अखबार में मजबून निकला था जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। उनका मकसद है आपस में लड़ाना, तनाव पैदा करना समाज में एक टेन्शन पैदा करना।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप प्रेस की सेंसरशिप की वकालत नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री जमीलुर्रहमान : वह तो डिफरेंशिएट करना चाहिए। (व्यवधान) बड़े अखबारों पर 15 परसेंट तथा 50 परसेंट लेवी लगाइये, लेकिन मीडियम या छोटे समाचार-पत्रों को मुक्त कीजिए।

श्री के० एन० राजन (त्रिचूर) : आप जो चाहते हैं स्पष्ट कहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे समाचार-पत्रों को मत पढ़िए। ऐसे समाचार-पत्र मत खरीदिये।

श्री जमीलुर्रहमान : जहां तक एडवरटाइजमेंट का सवाल है, रिपोर्ट में बताया गया है कि बड़े अखबारों को 53 65 परसेंट एडवरटाइजमेंट दिये जाते हैं, जबकि उनकी तादाद सिर्फ 153 है। इसके मुकाबले में 1882 छोटे और मझोले अखबारों को 46 परसेंट एडवरटाइजमेंट दिये जाते है। यह नाइन्साफी है। छोटे और मझोले अखबार गांवों में पहुंचते हैं। मैं श्री डागा की इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर इस मुल्क में डेमोक्रेसी को जिन्दा रखना है, तो छोटे और मझोले अखबारों को बढ़ावा दिया जाए, उनको एडवरटाइजमेंट दिए जाएं, पेपर का कोटा

दिया जाए। जो पालेकर एवार्ड बना है, उन गरीबों को तो उससे मुक्त किया जाए, जिनका सर्कुलेशन 1500, 1800 या दो, तीन, चार हजार तक है। (व्यवधान)।

पिछली मर्तबा कहा गया था कि स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर्ज फिनांस कोर्पोरेशन बनेगी। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब रेप्लाई देते हुए बतायेंगे कि उसका क्या हुआ।

आखीरी बात यह कहनी है कि टी. वी. रंगीन बने या सादा बने, चाहे माननीय मंत्री जी की आंखों को सूट करे चाहे ब्यूरोक्रेट्स की आंखों को सूट करे, मैं उसमें जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इसमें इन्टरेस्टेड हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से इसका लिंक होना चाहिए। बिहार को आपने क्यों इग्नोर किया है ? पूना, बम्बई वगैहर को दे दिया है, बिहार को क्यों इग्नोर कर रखा है ? यह डिस्क्रिमिनेशन गलत है। मेरी गुजारिश यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर को आप टी. वी. से लिंक कीजिए, गांवों के लोग उसको देखेंगे और उससे फायदा उठायेंगे।

ड्रामा डिवीजन और सांग डिवीजन जो आपका है उसे आपने सीमित कर रखा है, यह आप की रिपोर्ट बताती है। क्यों नहीं आप आज नेपाल का एरिया है, आसाम का एरिया है, पूर्निया का हिस्सा है, वैस्ट बंगाल का उत्तरी हिस्सा है, वहाँ क्यों नहीं उसको भेजते हैं ? क्यों नहीं अपने प्रोग्राम को वहां प्रोजेक्ट करते हैं जो लोगों तक पहुंचे।

पटना रेडियो स्टेशन को मजबूत कीजिए और एक बात और आखिर में जरूर कहूंगा-करस्यांग रेडियो स्टेशन की बात मैं कह रहा हूं। पिछली मर्तबा भी यह बात आई थी, मन्त्री महोदय को मालूम हो तो बिलकुल साफ दिली से और साफ कोई से उनको जवाब देना चाहिए। करस्यांग रेडियो स्टेशन पर एक पर्टीकुलर पार्टी का किस तरह दंगा और फसाद हुआ है, उसकी रिपोर्ट आपके मन्त्रालय के पास है, आप ने उस पर क्या उचित कार्यवाही की है जिससे फिर ऐसी हरकत करस्यांग रेडियो स्टेशन पर नहीं हो और रेडियो हमारा फ्री है उसको आजादी के साथ प्रसारण करने का मौका मिले, उसका स्टाफ सुरक्षित हो और वह अमन-अमान की जिन्दगी गुजारे। उस हर नाजायज तरीके से सी. पी. एल. का दबाव डालना यह कानूनन गलत है।

स्टाफ आर्टिस्ट्स को आप रेगुलराइज कीजिए और उनकी जिन्दगी को सुधारिए। आपका बहुत शुक्रिया।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : मैं दो मिनट में ही खत्म करूंगा। साठे साहब हमारा जवाब दे दें या जवाब नहीं आश्वासन दे दें तो मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मेरी एक ही मांग है। जब हमारे प्रधान मन्त्री महोदय पटना गए थे तो शायद वह यह समझते हैं कि उनकी बात उस हाल तक ही सीमित रही जहां कि उन्होंने अपने विचार रखे थे और पटना के लोगों को आश्वासन दिया था। लेकिन एक तो यों ही उनकी आवाज काफी बुलन्द है, दूसरे वह ऐसे मन्त्रालय के मन्त्री बने हैं कि जिसकी वजह से उनकी आवाज़ और भी बुलन्द हो गई है। वह कम आवाज में भी बोलेंगे तो भी उसका प्रचार और प्रसार इतना ज्यादा होता है

कि सारे बिहार के एक एक आदमी तक आवाज पहुंची और उस आश्वासन पर लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया। परन्तु मैं अभी अपने क्षेत्र में और पटना गया था तो वहां लोगों ने कहा कि अभी एक प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने जो जिक्र किया है कि कहां कहां दूरदर्शन केन्द्र खोला जाएगा; उसमें पटना का नाम नहीं है। मैं आग्रह करूंगा, अगर आपने आश्वासन दिया है तो उसे पूरा करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस को पूरा करेंगे और जवाब देते समय इसके बारे में बताएंगे।

इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी जिनके गांव में जा कर सुब्रह्मण्यम स्वामी ने बहुत चर्चा की थी कि उनका नाम कालपात्र की खोदाई होने पर उसमें नहीं निकला, लेकिन जब माडवाणी जी मन्त्री थे उस समय भी यह मांग की गई थी कि उनके गांव जीरादेई में एक आकाशवाणी का केन्द्र खोला जाय, परन्तु उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मैं आग्रह करूंगा कि आज हमारी सरकार है, हमारे मन्त्री हैं, वह इस बात पर ध्यान दें कि इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू के गांव में एक आकाशवाणी केन्द्र खोला जाय। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इन दोनों प्रस्तावों को मन्त्री महोदय मंजूर करेंगे।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दी में बोलूंगा क्यों कि बागड़ी जी का आग्रह है। मैं देश भर में अब दौरा करता हूं तो लोगों की तरफ से एक ही कम्प्लेंट है कि आज जो सिनेमा दिखाये जा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा चरित्रहीन और अनैतिक प्रचार हो रहा है। तो इसको कम करने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि साठे साहब किसके मन्त्री हैं, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता और कितने दिन रहेंगे उसके बारे में भी चर्चा हो चुकी है, कहते हैं कि जो मंत्री ऐसे हैं जिनके नाम 'स' से हैं वह रहने वाले नहीं हैं···(व्यवधान)···। मैं मंत्री नहीं हूं इसलिए बच गया हूं।

मैं मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि फिल्म फेस्टिवल बन्द कर दीजिए, देश के लिए उनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सिनेमा में जो चरित्रहीनता का प्रचार हो रहा है, जो अनैतिकता का प्रचार हो रहा है उसको बन्द करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। अभी लोग कहते हैं कि साठे साहब खुद इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। आप बुरा न मानिए, मैं यह कह रहा हूं कि लोग क्या विश्वास करते हैं (व्यवधान) मैं इतना ही कह रहा हूं कि साठे जी को इस बात में व्यक्तिगत रुचि लेनी चाहिए और कोई न कोई ठोस कदम उठाने चाहिए।

श्री बनवारी लाल बेरवा (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने सबके बाद मुझे समय दिया है। मेरे बाद मंत्री जी को बोलना है लिहाजा समय में कटौती का मामला मेरे सामने नहीं आयेगा।

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से उनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आया है, उन्होंने इसको बहुत अच्छे ढंग से चलाने की कोशिश की है। कुछ और

कहने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे विरोध पक्ष के साथी प्राय: यह आक्षेप और आरोप लगाते रहे हैं कि रेडियो, जोकि प्रचार और प्रसार का एक माध्यम है, उसके द्वारा विरोध पक्ष के साथ न्याय नहीं हो रहा है। लेकिन सही बात तो यह है कि साठे साहब विपक्ष में बैठे हुए लोगों का ज्यादा पक्ष ले रहे हैं और हम कांग्रेस के लोग यह महसूस करते हैं कि कांग्रेस दल के पक्ष की जो सही बातें हैं वह कम कही जाती हैं जबकि विपक्षी दल की बातें विशेष रूप से कही जाती हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत और महत्वपूर्ण है। देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इस विभाग के द्वारा हो सकता है, हो रहा है और होना चाहिए। मैं यहां पर किसी बात को न दोहराते हुए, विशेष दो तीन प्वाइन्ट्स ही हैं जिनको यहां पर रखना चाहता हूं।

हमारे राजस्थान में आल इन्डिया रेडियो के जितने भी स्टेशन्स है जिनमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर प्रमुख हैं उन सभी में मीडियम वेव की सर्विसेज चल रही हैं। हम चाहते है वहां पर शार्ट वेव सर्विसेज चलाई जायें चूंकि हमारे बराबर पाकिस्तान का बार्डर लगा हुआ है और उधर के जो ट्रांसमीटर्स हैं वह बहुत शक्तिशाली है जिनके कारण हमारे यहां के जो कार्यक्रम हैं वे दब जाते हैं और प्राय: लोग उधर के प्रोग्राम सुनना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारे यहां शार्ट वेव के पावरफुल ट्रांसमीटर्स की स्थापना की जाए।

मैं मन्त्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि सूरतगढ़ में एक रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई है लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि कोटा डिवीजन में इसका बहुत भारी अभाव है। वहां पर रेडियो स्टेशन की स्थापना करने की बात पर विचार किया जाना चाहिए और सहानुभूतिपूर्वक विचार करके रेडियो स्टेशन की स्थापना की जानी चाहिए।

हमारे यहां जयपुर में टेलीविजन का एक उप-केन्द्र खोला गया है उसके तमाम प्रोग्राम दिल्ली के होते हैं। वहां के कलाकार भी यहां आते हैं और यहीं पर उनके प्रोग्राम भरे जाते हैं। इससे हमारे राजस्थान का पूरा नकशा सामने नहीं आता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप जो प्रोग्राम जयपुर में तैयार किये जा सकते हैं उनकी कमी यहां के प्रोग्राम में खटकती है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जयपुर के अन्दर परमानेंट टेलीविजन सेंटर कायम किया जाए। एक बात मैं यह भी विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में खासतौर से जयपुर के आसपास माइनोरिटीज के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम जयपुर रेडियो स्टेशन पर उर्दू सर्विस को चलाने की ओर ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा सा ध्यान माननीय मंत्री जी का मैं फिल्म जगत की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। चूंकि फिल्म एक ऐसी चीज है, जिसको देखकर अनपढ़

आदमी भी लाभ उठाते हैं। इस समय देश के अन्दर कुछ इस प्रकार की फिल्में बनाई जाती हैं, कुछ फिल्मों को छोड़ दीजिए, चाहे फिल्म निर्माताओं की यह मंशा नहीं होती हो कि वे चोरी, डकैती, तस्करी आदि की फिल्में बनायें, लेकिन इन सबसे समाज के लोगों पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कुछ इस तरह की फिल्मों को निर्माण किया जाना चाहिए, जिस में हमारे राष्ट्र के महान नेताओं का चरित्र हमारे सामने आए। हमारे देश के अन्दर जो मनीसि और विद्वान लोगों ने काम किया है, उनका चरित्र हमारे देश की जनता के सामने आए। आप जानते हैं कि हमारा देश इस वक्त विभिन्न प्रकार की समस्याओं से झूझ रहा है, उन तमाम समस्याओं को फिल्म के माध्यम से सामने लाया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे साम्प्रदायिकता है, जातिभेद है, प्रान्त भेद है, इस प्रकार की चीजें है, जिनको फिल्मों के माध्यम से लाया जा सकता है। कुछ ऐसी पिक्चरें भी तैयार की जानी चाहिए जिसमें हमारे देश का इतिहास, हमारी परम्परायें, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को दर्शाया गया है। आज कल जो पिक्चरें बनाई जाती हैं, उनमें ज्यादा जोर सैक्स पर दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर भी ध्यान दें कि इसको किस प्रकार हटाया जा सकता है। इसके स्थान पर वे ऐतिहासिक जियोग्राफिकल साइंस और मानव की अन्य कोमल भावनाओं पर आधारित पिक्चर बनाने पर जोर दें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी जो बातें मैंने कही हैं, उन पर ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शांताराम पोटदुखे। क्योंकि माननीय सदस्य का नाम शान्ताराम है इसलिए मैं उन्हें उनके नाम से पुकारना चाहता हूं। कृपया तीन मिनट से अधिक समय न लीजिए।

श्री शांताराम पोटदुखे (चन्द्रपुर) : मैं केवल दो मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शान्ताराम पोटदुखे के भाषण के बाद माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि आप माननीय मंत्री को 5.00 बजे बुलायेंगे। अब 5 बज गये हैं। आपने मुझे तो अनुमति नहीं दी थी किन्तु दूसरों को आप दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सत्तारूढ़ दल को अधिक समय दिया गया है। अतः आप शान्ताराम जी को बोलने दीजिए।

श्री शांताराम पोटदुखे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और इस के साथ ही साथ मैं कुछ मांगों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान भी दिलाना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं

कि महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में एक टेलीविजन स्टेशन के खोले जाने की बहुत मांग है। हमारी प्रिय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा है कि नागपुर तो देश की जान है तथा यह क्षेत्र राष्ट्रीय आन्दोलन में अग्रणीय रहा है।

मैं माननीय मंत्री को उनके विभाग ने जो अखबारी कागज की नीति बनाई है उसके लिए बधाई देता हूं। मेरा निवेदन यह है कि समाचारपत्र सूचना और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। समाचारपत्रों के पाठक समाचारपत्रों से फायदा उठाते हैं। मैं माननीय मंत्री का ध्यान महाराष्ट्र के एक परीक्षण की ओर दिलाना चाहता हूं जहां सरकार एक समाचारपत्र आरम्भ करने जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने विधान सभा में इस आशय की घोषणा भी कर दी है। यदि इस घोषणा को सच्ची भावना से लिया जाए तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार भी यह परीक्षण शुरू कर सकती है तथा यदि यह सफल रहता है तो अपना समाचारपत्र चालू कर सकती है।

मैं माननीय मंत्री को विज्ञापन नीति के लिए भी बधाई देता हूं क्योंकि इससे 1000 प्रतियों के परिचालन वाले जिला मुख्यालयों से निकालने वाले समाचारपत्रों को सहायता मिली है। इन समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन मिल रहे हैं तथा पूर्व अपेक्षित छह मास की अवधि को कम करके अब तीन मास कर दिया गया है। अतः मैं मन्त्रालय को बधाई देता हूं।

मैं एक दो शब्द फिल्मों के बारे में भी कहना चाहूंगा। कुमुदबेन जोशी ने एक पत्र परिचालित किया है जो प्रदर्शनी गृहों की अधिक संख्या के बारे में है। मैं माननीय मंत्री को इस के बारे में यह बताना चाहता हूं कि सिनेमागृहों के लिए लाइसेंस देने हेतु एक युक्तियुक्त नीति अपनायी जानी चाहिये क्योंकि लाइसेंस देने की शर्तें इतनी बढ़ी हैं जिनके कारण प्रदर्शनी गृह हमारी अपेक्षाओं और मानकों के अनुरूप नहीं आ रहे हैं। इसके लिए माननीय मंत्री को अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिये, जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने भी मांग की है, तथा मंत्रालय को अधिक सिनेमाघरों का निर्माण करने के लिए एक युक्तियुक्त नीति अपनानी चाहिए। मंत्रालय को प्रदर्शनगृहों की स्थापना के लिए विभिन्न शिक्षा संस्थाओं तथा न्यायों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि वे कलात्मक तथा बच्चों की फिल्में प्रदर्शित कर सकें।

आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : मैं आरम्भ में वादविवाद में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं...।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उनका भी जिन्होंने भाग नहीं लिया।

श्री वसंत साठे : जी हां, उनका भी, जिन्होंने भाग तो नहीं लिया परन्तु मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कृपा की।

पहले कि मैं मंत्रालय के अधीन विभिन्न प्रसारण माध्यमों के कार्यक्रमों और परियोजनाओं के बारे में कुछ कहूं, मैं इस सभा में और देश के अन्य भागों में बार बार की जाने वाली आलोचना के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। घोषणाओं की बजाए तथ्यों पर अधिक निर्भर किया जा सकता है। यद्यपि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री ने कल कुछ तथ्य सभा के समक्ष रखे थे, मैं आज कुछ और तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं क्योंकि जब से हमने सत्ता सम्भाली है तभी से हम चिंतित रहे हैं कि सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाए। हमें अपने व्यवहार से ही आंका जा सकता है। मैं तथ्य आपके समक्ष रखता हूं और आप, महोदय, अपना निणय दीजिए। कुछ दोष हो सकते हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं इससे भी अधिक गलतियां हो सकती हैं मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं। परन्तु कम से कम हमारी सद्भावना के बारे में शंका तो नहीं की जानी चाहिए। इसलिए तथ्य और आंकड़े रखकर अपनी दलील पेश करने का प्रयत्न कर रहा हूं।

मान्यवर, सत्ता संभालने के पश्चात् हमारे दल के नेता ने अपनी प्रथम घोषणा में यह स्पष्ट कर दिया था कि हम प्रतिशोधात्मक रवैया नहीं अपनाना चाहते हैं। कुछ कटू अनुभव भी रहे हैं। सभी जानते हैं, जब जनता सरकार सत्तारूढ़ हुई, तब वे उन्नीस मास निरन्तर यही राग अलापते रहे। इन तीस महीनों के बारे में राग अलापना हमारे लिए उचित नहीं होगा। इस नेता को बहुत ही अधिक उत्पीड़न हुआ है। यह सभी जानते हैं। कुछ तथ्यों के आधार पर, जो मैं बाद में पेश करूंगा, यह कहा जा सकता है कि इन माध्यमों का कितना समय आयोगों पर और उनकी रिपोर्टें प्रस्तुत करने पर नष्ट किया गया। तथापि यह उनकी उदारता है जब उन्होंने कहा, ऐसा भी समय होना चाहिए जब हमें अपने देश का विकास करने के लिए अधिक ठोस काम करना होता है और इसलिए 'मविदविषवाये' की भावना से उन्होंने कहा : हमें यह सब भुला देना चाहिये। हम प्रतिशोधक नहीं बनेंगे। इसी भावना से हमने अपना काम आरम्भ किया, तथापि हमारी निरन्तर आलोचना हो रही है। यहां तक कि मेरे विद्वान पूर्व मंत्री, श्री एल० के० आडवाणी का एक प्रतिष्ठित साप्ताहिक 'दि इल्लस्ट्रेटिड वीकली आफ इण्डिया' में लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि हम इस माध्यम का दुरुपयोग कर रहे हैं और कि उसने तो ऐसे खुले पक्षपात के बारे में सोचा भी नहीं था। उसने नमूना अध्ययन किया है। महोदय, मैं भी उसी अवधि को लेता हूं अर्थात इस वर्ष और उससे पूर्व के वर्ष की उसी अवधि को लेता हूं।

महोदय, तथ्य ये हैं कि 1978-1979 के पूरे वित्तीय वर्ष में प्रतिपक्ष के केवल चार संसद सदस्यों को चार बार बोलने का अवसर दिया गया। 1980-1981 में प्रतिपक्ष के 16 सदस्यों ने भाग लिया। इनमें सभी प्रमुख सदस्य थे, हालांकि इस समय मान्यताप्राप्त प्रतिपक्ष नहीं है और उनमें से तीन ने दो बार भाग लिया। उनके नाम हैं—श्री यशवंतराव चव्हाण, श्री इन्द्रजीत यादव और श्री जे० पी० माथुर। उस समय जो चार सदस्य थे, वे थे, श्री मोहम्मद शफी कुरेशी, श्री भोला पासवान शास्त्री, श्री योगेन्द्र शर्मा और प्रणब मुखर्जी। ये थे चार। इस बार वे है, प्रो० मधु दण्डवते, श्री एम० पी० मलिक, श्री लाडली मोहन निगम, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री ज्योतिमय बसु, श्री भूपेश गुप्त, श्रीमती मार्गरेट आल्वा, श्री हरिकिशन सिंह सुरजीत और उनके

नाम नहीं बता रहा हूं जिन्होंने बजट-पूर्व विचार-विमर्श और बजट के पश्चात् इस पर टिप्पणियों में भाग लिया। सूची में प्रतिपक्ष के 30 सदस्यों के नाम हैं। श्रीमन्, हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि उन्होंने जो भी कहा उसमें से एक शब्द भी नहीं निकाला गया।

मान्यवर, श्री अडवाणी जी यह कहते रहे हैं और दूसरे भी यह कहते रहे हैं कि अन्य किसी व्यक्ति की तुलना में मेरा अधिक बार हवाला दिया गया। मुझे यह बात भी स्पष्ट कर लेने दीजिये। अब मैं इस मंत्रालय में आया तब मैंने फरवरी मास में एक परिपत्र भेजा था जिसमें माध्यमों के प्रमुखों को कहा गया था कि मैं कई उत्सवों पर जाऊंगा और यह रेडियो या दूरदर्शन के लिए उचित नहीं होगा कि वे मेरे साथ रहें। क्योंकि मैं किसी उत्सव में जाता हूं इसलिए इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके बारे में प्रसारण किया जाए। अतः मैंने उन्हें कहा कि जब तक कोई उत्सव अन्यथा महत्वपूर्ण न हो तब तक इसके बारे में कोई प्रसारण न किया जाए और करना भी पड़े तो मुझे उसमें इतना अधिक महत्व न दिया जाए। यह मैंने उन्हें एक लिखित परिपत्र भेजा था। यह फरवरी में जारी किया गया था।

परन्तु महोदय, अब आप तुलनात्मक आंकड़े देखिये। जनवरी, 1979 को लीजिये। उन्होंने समाचार बुलेटिन के संदर्भ में 2100 के आंकड़े का उल्लेख किया। अब अधिक महत्वपूर्ण अवधि जो होती है वह सामान्यतः बजट की अवधि होती है अर्थात् जनवरी, 1979, फरवरी, 1979 और मार्च, 1979। आप 24 मार्च तक की अवधि को लीजिए। कृपया इन सभी 83 दिनों की अवधि को लीजिए। इस अवधि में अडवाणी जी का 26 बार उल्लेख किया गया जबकि जनवरी, 1981, फरवरी, 1981 और मार्च, 1981 की अवधि में मेरा उल्लेख केवल 20 बार ही किया गया। अब आप एक और रोचक बात को लीजिये। फरवरी, 1979, मार्च, 1979 और अप्रैल, 1979 में जनता पार्टी के सदस्यों का हवाला 215 बार दिया गया जबकि प्रतिपक्ष के संसद सदस्यों का हवाला केवल 184 बार दिया गया।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभा में उनका नम्बर कितना था ?

श्री वसत साठे : नम्बर की बात करेंगे तो आज हमारे ज्यादा हैं। जितनी संख्या आपकी उस समय थी, उससे ज्यादा संख्या आज हमारी है, उन देशों में हमारे नम्बर ज्यादा हैं। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें सुनिये।

श्री वसंत साठे : कृपया दिसम्बर, 1980, जनवरी, 1981, फरवरी, 1981 और मार्च, 1981 को लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : तब आप उस दल में नहीं थे, श्री हरिकेश बहादुर।

श्री वसत साठे : सत्तारूढ़ दल कांग्रेस (इ) का 144 बार उल्लेख किया गया। प्रतिपक्ष का 359 बार उल्लेख किया गया (व्यवधान)। समाचार बुलेटिन में, जैसा कि मैं कह रहा था,

दिसम्बर, 1980, जनवरी, 1981 और फरवरी, 1981 में मेरा उल्लेख 19 बार किया गया। दिसम्बर, 1978, जनवरी, 1979 और फरवरी, 1979 में श्री अडवाणी का उल्लेख केवल 54 बार ही किया गया—कितना अन्याय है ?

श्रीमन्, दूरदर्शन पर गत दिसम्बर से दिसम्बर, 1979 तक उस समय सत्तारूढ़ दल··· (व्यवधान)।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : क्या माननीय मंत्री कृपया यह बताएंगे कि कितनी बार ये उल्लेख "भी भागा" वर्ग के अतर्गत थे ? (व्यवधान)।

श्री वसंत साठे : मैं इन चीजों के पीछे भागता नहीं हूं। (व्यवधान)। उस समय प्रतिपक्ष में केवल दस सदस्य थे—कांग्रेस (अ)-3, सी० पी० एम० 1, निर्दलीय-2 और कांग्रेस (इ)- 6 केवल दस सदस्य थे। उसी अवधि अर्थात् 1 जनवरी से 28 फरवरी, 1980 में सत्तारूढ़ दल के 27 सदस्यों ने और प्रतिपक्ष के 25 सदस्यों ने भाग लिया। फिर भी शिकायत है कि हमने प्रतिपक्ष के साथ अनुचित व्यवहार किया ?

श्री हरिकेश बहादुर : परन्तु अनुभव यह रहा है कि ये आंकड़े गलत हैं। (व्यवधान)।

श्री वसंत साठे : फिर उस लेख में आरम्भ में यह कहा गया है :—

"दूसरों के प्रति उसके आरोप और उनके नामों का भी उल्लेख नहीं किया जाता है। यदि किसी का नाम आ भी जाता है तो वह संदर्भ को ध्यान में रखे बिना दे दिया जाता है। इन दिनों में प्रतिपक्ष के बारे में जो प्रसारण होता है उसके बारे में महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आकाशवाणी द्वारा उनसे सम्बधित समाचारों को कैसे चुना जाता है।"

ये उद्धरणों के कुछ नमूने हैं :—

"11 जनवरी को श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जयपुर में आसाम के लिये एक सात सूत्री फार्मूले की घोषणा की। इस समाचार को देश में प्रत्येक समाचारपत्र ने प्रमुख रूप से प्रकाशित किया। परन्तु आकाशवाणी ने इस पर कोई प्रकाश न डाला, श्रोताओं को उस प्रस्ताव का तो पता चल गया परन्तु उनको अभी तक यह नहीं मालूम हुआ कि वे प्रस्ताव किए थे। उनको इनके बारे में तभी पता चला जब इस पर श्री जैल सिंह, श्री वेंकटसुब्बया, श्री मकवाना तथा सी० पी० एम० के मंत्रियों ने अलोचना की।" (व्यवधान)।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : आर्टिकल से बाहर निकल कर बात करें।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो केवल उन्हें उत्तर ही दे रहे हैं। (व्यवधान)।

श्री मनी राम बागड़ी : क्यों आप इस अखबार को इतनी पब्लिसिटी देना चाहते हैं या सिर्फ अडवाणी साहब को पब्लिसिटी देना चाहते हैं ? यह सवाल सदन का है, सदन के माननीय सदस्यों का है । उनकी बात करो । यहां जो बहस हुई है उसका जवाब आपको देना है । टाइम्स आफ इंडिया या इलस्ट्रेटिड वीकली में क्या निकला है उसको आप छोड़ें । यहां पर जो माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया है उसका जवाब आप दें ।

श्री बसंत साठे : वाजपेयी जी बैठे हैं ।

श्री मनी राम बागड़ी : मैं मानता हूं कि यह उनका अधिकार है । लेकिन मेरी प्रार्थना है कि इस सदन में जो कुछ कहा गया है उसका जवाब दें । उन बाहर वालों को इतनी इम्पार्टेंस न दें ।

श्री बसंत साठे : श्री बागड़ी सदन में पूरा समय नहीं थे । बहुत से सदस्यों ने इसका हवाला देते हुए यह कहा है कि उनके प्रति अन्याय होता है । मैं उसका जवाब दे रहा हूं । यह अखबार का जवाब नहीं है, जवाब उस आरोप का है, जो यहां भी दोहराया गया । (व्यवधान) । मैं सदन के सदस्यों की बात का जवाब दे रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य : इनको तकलीफ क्यों होती है ?

श्री मनी राम बागड़ी : मैं सदन का मालिक हूं, इसलिए तकलीफ होती है । (व्यवधान) ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : अगर यह सदन के मालिक हैं, तो ये बाकी क्या हैं ? (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप जानते हैं कि श्री बागड़ी बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं ? यह इसलिए क्योंकि वह मेरी सीट पर बैठे हुए हैं । (व्यवधान) ।

श्री बसन्त साठे : महोदय, यह तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि विश्वसनीयता के सम्पूर्ण प्रश्न को चुनौती दी जा रही है और उस पर आपत्ति उठाई जा रही है । इसीलिए मैं इतना समय ले रहा हूं । अन्यथा मैं सीधे ही सूचना और प्रसारण माध्यमों को ही ले लेता ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : केरल के मुख्य मंत्री, श्री नायनार को आकाशवाणी के त्रिवेन्द्रम केन्द्र से क्यों प्रसारण नहीं करने दिया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए । वे इन सब बातों का उत्तर देंगे ।

श्री बसन्त साठे : श्री वाजपेयी ने 11 जनवरी, 1981 को जयपुर में एक प्रेस सम्मेलन को सम्बोधित किया । समाचारपत्र तो इस समाचार को केवल अगले दिन ही प्रकाशित करेंगे । रेडियो को तो यह समाचार देश को पहले ही प्रसारित कर देना चाहिए । जैसा कि सभी जानते हैं प्रथम

समाचार बुलेटिन सांय 6 बजे होता है। कृपया आप देखिए कि यह समाचार 6 बजे के बुलिटिन में था। उन्होंने दोपहर को प्रेस कांफरेंस की और फौरन शाम को पहले ही न्यूज बुलेटिन में, 6 बजे के यह समाचार दिया गया एन्ड आई क्वोट :—

"भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने असम में विदेशियों के प्रश्न को हल करने के लिए एक सात सूत्री फार्मूले का सुझाव दिया है। इसके अन्तर्गत नागरिकों के 1951 के रजिस्टर का उपयोग करते हुए संविधान के संगत उपबन्धों के आधार पर राज्य में विदेशियों का पता लगाना है। वह आज जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। श्री वाजपेयी ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है जिसे अविलम्ब हल कर दिया जाना चाहिए।"

क्या श्री वाजपेयी जी स्वयं कह सकते हैं कि यह अनुचित है या उनकी बात पूरी तरह नहीं कही गई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : 9 बजे क्या कहा ?

श्री बसन्त साठे : यह तो बहुत ही अनुचित बात है। अब आप कह रहे हैं कि आकाशवाणी ने प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : चुनिन्दा तौर पर।

श्री बसन्त साठे : क्या यह चुनिन्दा तौर पर है ?

आप कैसे कहते हैं कि आपका हवाला संदर्भ के बाहर दिया गया या ठीक तरह नहीं दिया गया ? बाहर और यहां भाषणों में इसी धारणा की चालक है। यहां एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमने श्री बाजपेयी के बारे में बिल्कुल कोई समाचार ही नहीं दिया है और रेडियो पर केवल उनकी आलोचना ही दी गई। तथ्यों को देखते हुए यह सही नहीं है। यही मैं कहने का प्रयत्न कर रहा हूं।

मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। जहां प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा की गई कटू आलोचना को भी प्रसारित किया गया है। उदाहरणार्थ, 6 दिसम्बर के 'वीक इन पार्लियामेंट' कार्यक्रम में सरकार द्वारा असन्तोषजनक उत्तर दिये जाने की बात को लेकर प्रतिपक्ष के सदस्यों के सभा से उठकर बाहर चले जाने को उजागर किया गया। इस पुनरीक्षण में राष्ट्रीय रक्षा विधेयक के पुरःस्थापना पर प्रतिपक्ष का हवाला इस प्रकार दिया गया :—

"लोक सभा में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने विधेयक के पुरःस्थापन का जोरदार विरोध किया। इस भयानक विधेयक को वापस लेने से सरकार के इन्कार का विरोध करने के लिए डी० एम० के० को छोड़कर समूचा प्रतिपक्ष सभा से उठकर बाहर चला गया।

आलोचकों ने प्रायः इस विधेयक को क्रूर, घिनावना, अलोकतंत्रात्मक बताया और कहा कि चोर दरवाजे से आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम लाया जा रहा है।"

महोदय, मैं आप से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के उद्धरण को सुनकर कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि प्रसारण अनुचित और चुनिन्दा था ? और अधिक आता है···।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकता दक्षिण) : एक उदाहरण से क्या होता है ?

श्री वसन्त साठे : मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं बशर्ते कि वह सुनने के लिए तैयार हों।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका बचाव करता हूं। किसी भी राजनीतिज्ञ के पास रेडियो सुनने के लिए समय ही नहीं है। यह भी आपको मानना पड़ेगा।

श्री वसन्त साठे : फिर उन्होंने कहा कि 6 बजे का बुलिटिन संगत नहीं है। ठीक है। यह उद्धरण तो 28-12-1980 का रात 9 बजे का है। आप देखिये यदि यह भी आप के अनुसार चुनिन्दा हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार 'वीक इन पार्लियामेंट' के लिए प्रमुख स्तम्भ लेखकों द्वारा लिखे गये लेखों का श्रेय नहीं ले सकती।

श्री वसन्त साठे : मेरे प्रिय मित्र यह भी नहीं समझा पाये हैं कि जो कुछ भी वह लिखता है उसे प्रसारित कर दिया जाता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह इस बात का श्रेय लेना चाहते हैं कि जो भी प्रमुख स्तम्भ लेखक लिखते हैं उसका आकाशवाणी सेंसर नही कर रहा है।

श्री वसन्त साठे : ठीक हैं, आप इस बात को मान गये हैं कि यहां पर किसी प्रकार का कोई सेंसर व्यवस्था नहीं है। अब आप कम से कम इतना श्रेय तो हमें देते हैं।

मान्यवर, मैं एक रिपोर्ट से उद्धरण दे रहा हूं और वह किसी प्रसारण के माध्यम वाले ने नहीं लिखी है। 2?-12-1980 के रात 9 बजे के बुलेटिन में कहा गया :—

"भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि यदि देश में लोकतन्त्रात्मक मूल्यों को खतरा पैदा हुआ तो उनका दल संघर्ष की राजनीति से पीछे नहीं हटेगा। बम्बई में दल के राष्ट्रीय सम्मेलन में अध्यक्ष पद से सम्बोधित करते हुए श्री वाजपेयी ने कहा कि देश को फिर एक बार अधिकारवाद और अव्यवस्था का खतरा है। उन्होंने कहा कि उनका दल वास्तविक धर्मनिरपेक्षवाद और गांधी जी के समाजवाद

के प्रति वचनबद्ध हैं। श्री वाजपेयी ने निर्वाचन सम्बन्धी सुधारों के लिए कई सुझाव दिये जिन से विधान मण्डल में लोगों की भावना उचित रूप से प्रतिबिम्बित हो सके। देश की विदेश-नीति की आलचोना करते हुए श्री वाजपेयी ने कहा कि सरकार को पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए पहल करनी चाहिए।"

बता दीजिए, यदि आपका कहीं गलत हवाला दिया गया हो? वाजपेयी जी, आप ध्यान से सुनिये।

"दल के प्रतिनिधियों की बैठक को सम्बोधित करते हुए, श्री वाजपेयी ने आरोप लगाया कि दल की बैठक के बारे में गत रात आकाशवाणी के बुलेटिन में कोई समाचार नहीं था। तथापि आकाशवाणी के विशेष संवाददाता का कहना है कि बैठक का आर्थिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य गत रात के इस बुलेटिन में प्रसारित किया गया था।"

क्योंकि आपने पहले आर्थिक मामलों पर अपने विचार व्यक्त किए थे।

अब मैं जानना चाहूंगा कि क्या श्री वाजपेयी या उनका दल अब भी यह कह सकता है कि उनके बारे में कम समय दिया गया था? फिर, 13-1-1981 को।

"लेखाबाह्य धन को आकर्षित करने के लिए विशेष बंधपत्र जारी करने के लिए सरकार के निर्णय की अनेक प्रतिपक्षी नेताओं द्वारा आलोचना की गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु, लोक दल के महा सचिव श्री मधुलिमए थे, सी. पी. आई. के सचिव श्री एन० कृष्णन और भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा है कि यह योजाना देश में केवल काले धन को बढ़ाने में मदद देगी।"

27.1.81 जनता पार्टी के अध्यक्ष, श्री चन्द्रशेखर ने कहा है कि नीति सम्बन्धी मामलों में लोगों को साथ लेने के बजाय श्रीमती गांधी उन्हें दूर हटा रही है।"

30.1.81. सूचना और प्रसारण मन्त्री को दिए गए एक ज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली शाखा ने रेडियो और टेलीविजन पर प्रतिपक्षियों की टिप्पणियों और गतिविधियों को संदर्भ से बाहर रखने और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है।

इसका तब हमने प्रसारण किया।

24.2 81. श्री जी० सी०भट्टाचार्य निर्दलीय, ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रतिपक्षी दृष्टिकोणों का महत्व कम करके उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं।

1.3.81. भारतीय साम्यवादी दल के (मार्क्सिस्ट) महा सचिव श्री ई. एम. एस. नम्बूदीपाद महसूस करते हैं कि मध्यम वर्ग के लोगों का जिन्होंने बजट में उन्हें दी गई रियायतों पर राहत की सांस ली है, भ्रम दूर हो जाएगा, लोक दल के नेता श्री जार्ज फर्नान्डीस ने बजट की यह कह कर आलोचना की है कि यह इकट्टा सौदा है जो अर्थव्यवस्था को चन्द लोगों के हाथ में दे देगा।"

3.3.81. लोक दल नेता श्री चरणसिंह ने कहा है कि भिन्न-भिन्न कांग्रेस सरकारों की आर्थिक नीतियों ने केवल पूंजीपतियों की मदद की है और ग्रामीण जनता की उपेक्षा की है। उड़ीसा में संभलपुर के निकट किसानों की एक सभा में भाषण करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी गलत नीतियों के कारण गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है।"

5.3.81. आर्थिक प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति के बारे में सरकारी संकल्प की एक प्रति आज सभापटल पर रखी गई है। श्री भूपेश गुप्त, सी. पी. आई. ने इस आयोग की नियुक्ति को एकाधिकारियों और बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों के पक्ष में आर्थिक नीतियों को बेचना बताया है।

22 12 80. को रात 9 बजे राज्य सभा में विचार-विमर्श के दौरान सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने विधेयक का जोरदार समर्थन किया जबकि डी. एम. के. को छोड़कर विरोधी दल के सदस्यों ने इसे प्रजातंत्र विरोधी तथा अनावश्यक बताया। वाद-विवाद में भाग लेते हुए श्री हरकिशन सिंह सुरजीत ने इस विधेयक को ड्रेकोनियन बताया जिसका उद्देश्य विमति पर प्रतिबन्ध लगाना है जबकि श्री भूपेश गुप्त ने कहा कि यह मनमानी शक्तियों को ग्रहण करने के लिए धोखाधड़ी को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है।

16.12.80. को फिर रात नौ बजे का बुलेटिन लोक सभा में राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक पर तीसरे वाचन के दौरान लोक दल के श्री चरण सिंह ने अपनी आशंका व्यक्त की कि इस कानून का दुरुपयोग किए जाने की संभावना है और प्रतिपक्ष को विगत अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार के आश्वास में विश्वास नहीं है। श्री ज्योतिमय ने इस विधेयक को प्रजातंत्र की मखौल बताया है श्री रामजेठमलानी (भारतीय जनता पार्टी) ने कहा कि सरकार इस विधेयक के उपबन्धों के जरिए अपनी गलतियों पर पर्दा डालना चाहती है। श्री इन्द्रजीत गुप्त (सी. पी. आई.) ने आरोप लगाया कि सरकार सत्तारूढ़ होने के बाद एक वर्ष पूरा होने से पहले निवारक नजरबन्दी कानून अपने हाथ में ले रही है। श्री ए. के. राय (निर्दलीय) ने कहा कि इस कानून का राजनैतिक प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग किया जाएगा।

कल श्री रशीद मसूद ने कहा कि वह हाल में एक विशेष उल्लेख के बारे में जो बोले थे, उसे उद्धृत नहीं किया गया। उसकी पड़ताल करने की कोशिश की और यह पाया गया कि 23.12 80. को नियम 377 के अन्तर्गत वह जो कुछ बोले उस सम्बन्ध में उनके नाम का केवल उल्लेख ही नहीं किया गया अपितु उनके पूरे बयान का हवाला दिया गया।

इसके पश्चात् श्री राम विलास पासवान के बारे में। श्री राम विलास पासवान वहां नहीं थे, किन्तु उन्होंने कहा कि उनके साथी श्री राम विलास पासवान को उद्धृत नहीं किया गया। बात यह है कि 24.3-81. को नियम 377 के अधीन यमुना के पानी के बहाव को घटाने के लिए एक नया नाला बनाने के प्रस्ताव पर दिल्ली के आस-पास के किसानों की शिकायतों के

बारे में श्री राम विलास पासवान का विशेष उल्लेख का "ट्र डे इन पार्लियामेंट" में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों लिपियों में हवाला दिया गया था। ···(व्यवधान)।

आप मेरी बात सुन लीजिए···।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैंने भी आप से कहा था उन्होंने भी कहा है कि 377 की न्यूज का जो आप बुलेटिन करवाते हैं, परसों की न्यूज को देखिए, उसमें सिर्फ तीन मैम्बर्स के नाम दिए गए हैं, उनके अलावा किसी का नहीं दिया गया है।

श्री वसन्त साठे : मैंने जो किया है वह यह है। मैंने देखा कि नौ बजे के समाचार बुलेटिन में या प्रमुख समाचार बुलेटिनों में केवल राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय ही नहीं अपितु सभी समाचार देने पड़ते हैं। सभी सदस्यों के जिन्होंने किसी दिन लोक सभा की अथवा राज्य सभा की कार्यवाहियों में भाग लिया है नाम तथा उन बातों का विवरण देना जो उन्होंने कहीं हैं अथवा उठाई हैं, मनुष्य के बश की बात नहीं है। केवल इस पर ही दस-बीस मिनट लग जायेंगे। इसलिए मैंने एक तरीका निकाला है 'ट्र डे इन पार्लियामेंट' जिसे संसद समीक्षा कहा जाता है, समय बढ़ा दिया है। मैंने उनसे कह दिया है कि उन सभी व्यक्तियों के नाम जिन्होंने सभा की कार्यवाही में लिया हो, चाहे वह नियम 377 के अधीन हो अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या सामान्य रूप से उसमें भाग लिया हो, कम से कम संसद समीक्षा में आने चाहिए, किन्तु फिर भी कोई नाम रह सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। आखिर, समय को ध्यान में रखना होता है।

पिछली बार मैंने बताया था कि श्री पासवान उन सदस्यों में से एक हैं जिसका नाम सबसे अधिक बार आया है।

श्री राम विलास पासवान : बोलेंगे हम, तो नाम किसका आयेगा ?

श्री वसन्त साठे : दिक्कत क्या है ···(व्यवधान)···।

श्री राम विलास पासवान : बोलेंगे हम, नाम किसका आयेगा ?

श्री वसन्त साठे : मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई मेहरावानी हो रही है।

श्री राम विलास पासवान : आप एक पालसी बनाइये कि मैम्बर आफ पार्लियामेंट का नाम दिया जाएगा, तो सबका दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो भाग लेने वाले किसी का नहीं दिया जाएगा चाहे 377 हो या डिबेट हो। मुंह देखकर किसी का नाम दिया जाए और किसी का न दिया जाये यह ठीक नही है।

श्री वसन्त साठे : यथा सम्भव अधिक से अधिक सदस्यों के प्रति न्याय बरतने के लिए मैंने यह नीति निर्धारित करने की कोशिश की है। यह हो सकता है कि नाम कभी रह जाए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आपके

साथी कहते हैं कि आपके नाम का उल्लेख नहीं किया गया आपके नाम का केवल उल्लेख ही नहीं किया गया बल्कि जिस विषय पर आप बोले उसे भी उद्धृत किया गया। उनकी शिकायत है संसद समीक्षा में क्यों ? नौ बजे के समाचार में भी क्यों नहीं ? सबसे कम कहना वाकई यह बचपना है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। (व्यवधान)।

श्रीमती गीता मुखर्जी कल कह रही थी कि उनके मोर्चे का उल्लेख नहीं किया गया। रोजाना शाम साढ़े सात बजे के प्रादेशिक समाचार— क्योंकि जहां आपने मोर्चा लिया है वहां की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। साढ़े नौ और 11 बजे के समाचारों में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में हुई रैली के सम्बन्ध में 6 पंक्तियां थी··· (व्यवधान)।

श्रीमति गीता मुखर्जी : मुझे प्रादेशिक समाचारों का पता नहीं। मेरा मतलब आकाशवाणी से प्रसारित समाचारों से है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके बोलने में आपको बाधा नहीं डालनी चाहिए। अन्यथा वह जवाब कैसे दे सकेंगे ?

श्री वसन्त साठे : उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा कीजिए। मैं इस विषय जिस पर मुझे बोलना नहीं चाहिए था विस्तार से बोल चुका हूं। (व्यवधान)।

कम से कम अब इन रिपोर्टों को जो विरोधी दलों द्वारा किए गए सर्वाधिक कटु प्रहार भी थे, सुनने के बाद, मैं यह कह सकता हू कि सदस्यों द्वारा सभा की कार्यवाही में जो भाग लिया गया उसका पूरी तरह तथा निष्पक्षता पूर्वक उल्लेख किया गया, और उसको उल्लेख करने में किसी प्रकार की कोई दोष वृत्ति नहीं अपनायी गई।

श्री हरिकेश बहादुर : हमारी पार्टी का सम्मेलन बम्बई में हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। जो आप कर रहे हैं वह सही प्रक्रिया नहीं है, वह जवाब दे रहे हैं। आप धैर्य क्यों नहीं रख सकते ? आप बैठ जाइए।

श्री हरिकेश बहादुर : यह एक बड़ा सम्मेलन था जिसमें बहुत से प्रतिनिधियों ने भाग लिया था किन्तु आकाशवाणी ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया, मन्त्री जी गलत जवाब दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : भावात्मक दृष्टिकोण मत अपनाइए।

श्री वसन्त साठे : पिछली सत्ता के दौरान यह नीति आरम्भ की गई कि वर्ष के या अवधि के अन्त में प्रधान मन्त्री के साथ मान्यताप्राप्त प्रतिपक्ष के नेता को भी आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर आमंत्रित किया जाएगा। हमने तय किया है कि इस नीति को कायम रखा जाएगा।

इसी प्रकार—हाल में चुनाव नहीं है किन्तु यह नीति निर्धारित की गई थी कि चुनाव के समय विभिन्न दलों के नेताओं को अवसर दिया जाएगा। यह नीति भी कायम रहेगी, केरल के मुख्य मन्त्री के मामले में, थोड़ी गलती हो गई जिसके लिए यहां के अधिकारी दोषी हैं गलती यह थी कि गलतफहमी हो गई, केरल सरकार के प्रतिनिधी ने हमें बताया कि केवल मुख्य को ही नहीं बल्कि उस अवधि के दौरान उनके मन्त्रिपरिषद के अन्य छः मन्त्रियों को भी आकाशवाणी से बोलने दिया जाये। निर्धारित नीति के अन्तर्गत (क) मुख्य मन्त्री और (ख) मान्यता प्राप्त प्रतिपक्ष के नेता को प्रसारण करने दिया जा सकता है। इसलिए वहां का स्टेशन डाइरेक्टर दुविधा में पड़ गया। उसने इस मामले को निर्णय के लिए यहां भेज दिया। यहां, दुर्भाग्यवश उस समय महा निदेशक दिल्ली से बाहर गए हुए थे, कुछ कठिनाई हुई : क्या किया जाए क्या न किया जाए वाली बात हो गई। ठीक समय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया—निर्णय तो लिया गया किन्तु उसे 24 तारीख तक बता दिया जाना चाहिए था किन्तु मुख्य मन्त्री को 25 तारीख बताया गया। उस समय तक अवसर निकल चुका था, इसलिए, यह चूक हो गई। मैंने इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री को लिखा था। नीति के अनुसार वर्ष के अन्त में मुख्य मन्त्री को आकाशवाणी से भाषण प्रसारित करने से वंचित करने का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए, इस सम्बन्ध में मुझे यह बात स्पष्ट करनी जरूरी थी।

इसके पश्चात् अब मैं माध्यमों (मीडिया) के सवाल पर आता हूं। इन माध्यमों का कार्य कैसा है यह बात देखकर उनकी जांच की जानी चाहिए। केवल उनके कार्य को देखकर ही उनके बारे में अच्छा या बुरा जैसा है, कहा जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं अधिकारियों तथा कर्मचारियों को, जो इनमें काम करते हैं दिल से बधाई दूंगा कि उन्होने उनके कार्य में सुधार करने के लिए आवश्यक प्रयास किए हैं जो सराहनीय हैं। यही अर्थ है कार्य स्वायतता का। इन विभागों के अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक में मैंने कहा कि हमारे लिए एक टीम (दल) तथा एक परिवार के रूप में काम करना जरूरी है। यदि कोई शिकायत हो तो हमें अपने आप भीतर ही उसका हल ढूंढना चाहिए और उस पर विचार-विमर्श तथा वार्ता करनी चाहिए। ऐसा मेरा प्रयास रहा है और हम एक टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं यद्यपि इस विभाग में 23 से अधिक अनुभाग तथा विभाग और निगम हैं जो सारे देश में और बाहर तक फैले हैं। इनके लिए संसाधनों की क्या व्यवस्था है ? इस वर्ष जो अनुदानों की मांगे मैंने प्रस्तुत की हैं शायद वे पिछली अनुदानों की अपेक्षा सबसे अधिक हैं। हमें पूरे मन्त्रालय के लिए 32.39 करोड़ रुपये मिल रहे हैं, आकाशवाणी के लिए 13.60 करोड़ रुपये दूरदर्शन के लिए 12 करोड़ रुपये और समूचे प्रचार साधनों के लिए 6.79 करोड़ रुपये। स्थिति पहले भी इससे काफी अधिक निराशाजनक रही है क्योंकि यदि आप पांचवी पंच वर्षीय योजना के आँकड़े देखें तो आप को आश्चर्य होगा कि पिछले वर्ष जो राशि दी गई वह और भी कम थी। वह 18 करोड़ रुपये थी। हर एक आदमी कहता है कि टी. वी. प्रसारण उसके जिले में भी हो अथवा उसे और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। यह सब किया जा सकता है। किन्तु हमारे पास संसाधनों की कमी है। इन संसाधनों के भीतर ही हमने यथासम्भव बढ़िया काम करना है। हमारा कार्य कैसा रहा, इस पर

एक नजर डालने पर 1979-80 में वह सबसे कम रहा। जबकि 1978-79 में वह 62.15 प्रतिशत था। 1979-80 में 46 प्रतिशत आकाशवाणी 40 प्रतिशत, टी. वी. 58 प्रतिशत अन्य माध्यम 42.5 प्रतिशत। इसे वर्ष आधार मानकर 1980-81 में उसका कार्य देखिए। आकाशवाणी का कार्य बढ़कर 92.3 प्रतिशत हो गया। किसी स्तर से हर एक यही कहेगा कि यह बहुत बड़ा कार्य है। इसका श्रेय, अलबत्ता उन लोगों को जाता है जो इस क्षेत्र में हैं जो इन माध्यमों में कार्य कर रहे हैं। समितियों के बाद समितियां टेलिविजन केन्द्रों और आकाशवाणी केन्द्रों में गई हैं और उन्होंने कहा है कि यह ताज्जुब की बात है कि लोग इस मशीनरी से काम कर सकते हैं। उनमें से कुछ जंग लगी हुई है। फिर भी यह चमत्कार ही जैसा है कि हमारे इंजीनियर्स, तकनीसियन, हमारे विशेषज्ञ उनका सदुपयोग कर रहे हैं और उनसे उतना काम लेने की कोशिश कर रहे हैं जितना सम्भव हो सकता है।

टेलीविजन में इस वर्ष कार्य 87.3 प्रतिशत रहा है, अन्य माध्यमों में उसकी प्रतिशतता 74.7 है। किन्तु कुछ उपकरणों की सप्लाई में यदि विलम्ब न होता और लम्बी हड़ताल न होती तो कार्य इससे भी बेहतर होता, किन्तु हम अपने प्रयासों में किसी तरह की ढील नहीं होने देते हैं, मैं महसूस करता हूं कि इस वर्ष में काफी कुछ किया जा सकता है, हमारा मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तथा जन जातीय क्षेत्रों में लोगों के पास पहुचना है। 85 आकाशवाणी स्टेशनों के जरिए हम देश के 90 प्रतिशत से अधिक भाग में प्रसारण करते हैं। किन्तु फिर भी जनजाति क्षेत्रों, सीमा क्षेत्रों पूर्वोत्तर भाग में क्षेत्र छूटे हुए है, इस वर्ष हमारा ध्यान इन्ही क्षेत्रों की ओर केन्द्रित है। दूसरी बात, अन्य देशों की तुलना में हमारे ट्रान्समीटर कम शक्तिशाली हैं। श्री वाजपेयी मेरी इस बात पर सहमत होंगे और उसका समर्थन करेंगे। जबकि आप हमारे देश के भीतर बाहर के किसी मुल्क का रेडियो सुन सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : ढाका का रेडियो कलकत्ता से अच्छा सुनाई देता है। इस पर विचार किया जाना चाहिए और कलकत्ता केन्द्र की ट्रान्समीशन शक्ति ढाका के तुल्य की जानी चाहिए।

श्री वसन्त साठे : इसलिए हमने अपने आकाशवाणी केन्द्रों की शक्ति को बढ़ाने का व्यापक कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय लिया है। हम चार उच्च शक्ति प्राप्त ट्रांसमीटर अलीगढ़ में और दो बगलौर में स्थापित करना चाहते हैं ताकि हम दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप और अपने यहां उत्तर में भी प्रसारण कर सकें। (व्यवधान) यदि मुझे कल या 7 बजे तक बोलने की अनुमति दें तो मैं हर बात पर विचार व्यक्त करूंगा। किन्तु मैं तो सभा जो चाहेगी वह कर सकता हूं।

मेरा मूल दृष्टिकोण यह है कि हमें बनारस जैसे सांस्कृतिक मूल्यों वाले ऐतिहासिक स्थानों में और अधिक सुविधायें प्रदान करनी चाहिए। इसी प्रकार मैं चाहता हूं कि पटना में भी टेलीविजन होना चाहिए। परन्तु मैं क्या कर सकता हूं ? हम टेलिविजन या तो गोहाटी में

लगा सकते हैं या पटना में योजना आयोग ने यह कह कर मुझे दुविधा में डाल दिया है कि आप इन दोनों स्थानों में से किसी एक स्थान पर टेलिविजन लगा सकते हैं। साधन सीमित हैं। मैं क्या कर सकता हूं ?

मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं तो यदि सभा राजी हो तो विविध भारती और टेलिविजन जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहता हूं। हमारे पास एक ऐसी निधि है जो व्यपगत नहीं होती मेरा विचार है कि हमें अपने व्यापारिक कार्यक्रमों द्वारा जो औद्योगिक संस्थाओं से अधिक धन कमाना चाहिए और उस धन को विस्तार के काम में तथा रेडियो और टेलिविजन को गांवों तक पहुंचाने के काम में इस्तेमाल करना चाहिए। आपको इसमें क्या आपत्ति है ? (व्यवधान) मैं जानता हूं कि साम्यवादी -मार्क्सवादी दल इसके लिए राजी नहीं होगा। मैं किसी ऐसी विचारधारा अथवा दर्शन की बात नहीं कर रहा कि देश में पूंजीवाद है और इसलिए हमें पूंजीपतियों से ही धन कमाना चाहिए। परन्तु हमें इस प्रणाली का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए और इन जनसाधनों को गांवों तक पहुंचाना चाहिये। अन्यथा उन लोगों को भारी अभाव का सामना करना पड़ेगा क्योंकि हमें योजना आयोग से धन नहीं मिलेगा। आप मुझे इस तरीके से धन एकत्र करने की इजाजत नहीं देंगे और फिर भी आप मुझ से चाहते हैं कि इन जनसाधनों को आदिवासी क्षेत्रों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाया जाये। मैं यह करिश्मा कैसे कर सकता हूं। इसलिए आपको मेरी नीतियों का समर्थन करना होगा। मैंने इसके बारे में अपने अधिकारियों से चर्चा की है। हमारा यह कार्यक्रम है। हमारे गीत और नाटय प्रभाग के लगभग दो हजार लोगों को देश भर में प्रचार के लिए भेजने और गांवों में कभी कभी फिल्में दिखाने के बजाय हम प्रत्येक राज्य में से एक निश्चित क्षेत्र में ध्यान केन्द्रित करना चाहते है तथा अपने अधिकारियों को किसी केन्द्रीय स्थान पर रखना चाहते हैं ? और वहां उन अधिकारियों के लिये अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान करना चाहते हैं। हमने इसके लिए पांच करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय किया है। सुदूर क्षेत्रों में हमारे अधिकारियों के लिए मकान बनाने के वास्ते इतनी बड़ी रकम पहली बार आवंटित की गई है। यह उनकी समस्या थी ? जिसकी ओर सदस्यों ने भी ध्यान दिलाया है। हम इस धन को लद्दाख लेह और अन्य क्षेत्रों में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम उन क्षेत्रों में अधिक ध्यान देना चाहते हैं ताकि हमारे प्रचार माध्यम छोटे से छोटे आदमी तक पहुंच सकें। यह एक दृष्टिकोण है।

जहां तक टेलिविजन में सुधार करने का सम्बन्ध है, इसके लिए दो संभावनायें हैं। एक तो इनसट है जो 1982 तक तैयार हो जाएगा और दूसरी माइक्रोवेव प्रणाली है जो हमारे डाक-तार विभाग के पास है। टेलिविजन के विस्तार के लिए माइक्रोवेव प्रणाली सबसे अधिक उपयोगी है। इनसट भी है, परन्तु दुर्भाग्यवश इसमें प्रति ट्रांसमीशन लागत बहुत अधिक होगी। हम एक शुरूआत करने जा रहे हैं ताकि हम सुदूर क्षेत्रों में पहुंच सकें। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने के लिए माइक्रोवेव प्रणाली का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमें रिले स्टेशन बनाने होंगे। इन्हें माइक्रोवेव से

जोड़ना होगा। मुझे यह काम अपने डाक-तार विभाग के सहयोग से करना होगा। परन्तु जैसा मैंने कहा, यह संसाधनों का प्रश्न है। यदि मैं साधनों को जुटा पाया तो मैं और अच्छा काम करके दिखा सकता हूं। हमारे पास जो संसाधन हैं उन्हें देखते हुए हम अपने सर्वोत्तम प्रयत्न करेंगे ताकि हमारे टेलिविजन के कार्यक्रमों में सुधार लाया जा सके।

हम कार्यकारी स्वायत्तता की बात करते हैं तो इससे हमारा अभिप्राय क्या होता है ? कार्यकरण को सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हमें उन लोगों से काम करवाना चाहिए जो काम को जानते हैं। इसलिए हमने अपने प्रत्येक जनसाधन के लिए ऐसे व्यवसायिक लोगों को लगाने का फैसला किया है जो अपने काम को जानते हैं। आप देखेंगे कि इसके परिणाम बेहतर होंगे। हमें अपने जनसाधनों को परिणाम-प्रधान बनाना चाहिए। कार्यकारी शब्द का यही अर्थ है और हमें इसके लिए अपने कार्यक्रमों और नीतियों पर अमल करने के लिए अधिकारियों को पूरी छूट देनी चाहिए। (व्यवधान) कृपया बीच में मत बोलिए। (व्यवधान) यदि आप चाहते हैं कि मैं अपना भाषण यहीं समाप्त कर दूं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। आप क्या चाहते हैं ?

एक माननीय सदस्य : आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री वसंत साठे : मैं अपने भाषण को 10-15 मिनट में समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वे अपने भाषण को जारी रखेंगे और समाप्त करेंगे।

श्री वसंत साठे : यदि सभा चाहती है तो मैं यहीं समाप्त कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने भाषण को पूरा कर सकते हैं। (व्यवधान)।

श्री वसंत साठे : क्या आप मुझे 10-15 मिनट और बोलने देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : हां हां (व्यवधान)।

श्री वसंत साठे : श्रीमन् हमें अपने सबसे कमजोर व्यक्ति को ध्यान में रखकर शुरूआत करनी चाहिए। इस जनसाधन के माध्यम से बेहतर कार्यक्रम वही होगा जो उन लोगों को मनोरंजन करेगा जिनके पास मनोरंजन के अन्य साधन नहीं है। परन्तु मनोरंजन के साथ-साथ हमें ऐसे कार्यक्रम रखने चाहिए जिनमें दहेज जैसे विषयों पर शिक्षा दी जा सके। मैं इस समय आपको पूरा ब्यौरा नहीं बता सकता परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने दहेज और परिवार कल्याण पर टेलिविजन और रेडियो के बीस से अधिक कार्यक्रम तैयार किये हैं। इस समय प्रश्न यह है कि यह जनसाधन क्या कर सकते हैं ? यह जनसाधन भोजन नहीं दे सकते, उद्योग नहीं दे सकते तथा लोगों को सीधे समान नहीं दे सकते परन्तु लोगों को अपने में अधिक विश्वास रखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यदि हम और कुछ नहीं कर सकते तो हम बिना कोई गलतफहमी पैदा किये यह कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि यह जनसाधन साम्प्रदायिक सद्भाव फैलायें। इसलिए

इन जनसाधनों का उद्देश्य बातों को उछालना नहीं है। इसका उद्देश्य तो बाबासाहेब आमटे जैसे राष्ट्र निर्माताओं और कर्मकारों का उदाहरण देकर लोगों को यह बताना है कि श्रमिकों के सहयोग से उन लोगों ने कृषि और उद्योग की एक नयी कालोनी बना ली है। प्रत्येक राज्य में दूसरे लोग भी हैं। हम उनके उदाहरण लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। मैं श्री राय से पूर्णत: सहमत हूं कि देश में भावनात्मक एकता के लिए हमें हमारे देश की विभिन्न भाषाओं के कवियों, लेखकों और विचारकों की कृतियों का अनुवाद कराना चाहिए। वास्तव में हमने यह फैसला कर लिया है कि अपने प्रकाशन विभाग से हम तसवीरों वाली ऐसी पुस्तकें प्रकाशित करना चाहते हैं जो हमारे वृद्धजनों को भी अच्छी लगेंगी। यह पुस्तकें हमारे महान पुरुषों, वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनियों पर होंगी। हम इन पुस्तकों को सभी भाषाओं में छापना चाहते हैं ताकि हमारी नयी पीढ़ी उन महान पुरुषों के उदाहरणों से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेन्डर) : आप इसे अभी भी समुचित ढंग से नहीं कर रहे हैं।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : हमें श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी से बचाइये। उनका कार्यक्रम सप्ताह में तीन बार होता है। (व्यवधान)।

श्री हरिकेश बहादुर : इस जनसाधन का क्या उपयोग है ?

श्री वसंत साठे : मुझे आपको बताने में बहुत समय लग गया। एक-दो भूल कभी-कभी हो सकती है परन्तु मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि इन प्रसारणों के सम्बन्ध में न तो मैंने और न ही उप मन्त्री ने या किसी अन्य उच्चाधिकारी ने कोई अनुदेश दिए हैं। इसके बारे में मैं आपको आश्वासन कर सकता हूं। यह उस मामले के बारे में है जो आपने उठाया है।

छोटे और मध्यम समाचारपत्रों के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। मैंने अखबारी कागज नीति और विज्ञापन नीति सभा पटल पर रख दी है। मैं सभा को बता सकता हूं कि यह अपने परिणाम दिखा रही है। पहली बात तो यह है कि हमने अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों की विज्ञापन दरों को अंग्रेजी समाचार पत्रों के बराबर कर दिया है ताकि भविष्य में उनके बीच कोई भेदभाव न हो और अन्य भाषाओं के समाचार पत्र, छोटे और मध्यम समाचार पत्र इसका लाभ उठा सकें।

श्री जमीलुर्रहमान : राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है।

श्री वसंत साठे : नहीं, यह बात वहां बिल्कुल नहीं कही गई है। आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण को नहीं पढ़ा है।

जहां तक अखबारी कागज की सप्लाई का सम्बन्ध है, यह एक दुर्लभ वस्तु है। हमें अखबारी कागज का आयात करना पड़ता है क्योंकि हमने उसका अपने देश में पर्याप्त मात्रा में

उत्पादन नहीं किया है । हम इस वर्ष 150 करोड़ रुपये के अखबारी कागज का आयात करेंगे हम चाहते हैं कि इसे समान रूप से वितरित किया जाये और छोटे और मध्यम समाचारपत्र इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें । इसके लिए हमने हाई सीज बिक्री और बफर स्टाक बिक्री के बीच अन्तर को कम कर दिया है । यह अब केवल 50 रुपये है । इस प्रकार छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को राहत मिली है ।

छोटे और माध्यम समाचार-पत्रों के बारे में हमने एक बात और की है कि पहले अखबारी कागज दो हजार तक की ग्राहक संख्या वाले समाचार-पत्रों को दिया जाता था । हमने अब इस ग्राहक संख्या को एक हजार कर दिया है और सीमावर्ती क्षेत्रों में तो यह और भी कम है । इस प्रकार कम ग्राहक संख्या वाले छोटे समाचार-पत्र ही अखबारी कागज के हकदार होंगे ।

अखबारी कागज मांगने वाले लोग बड़े बड़े शहरों में नहीं जा सकते । उन्हें इसके लिए कलकत्ता, बम्बई अथवा दिल्ली जाना पड़ता है । हमने अखबारी कागज सलाहकार समिति के परामर्श से यह निर्णय लिया है कि हम विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में डिपु खोलेंगे और ताकि अखबारी कागज मांगने वाला व्यक्ति नजदीक के डिपु में जा कर सीधे अखबारी कागज खरीद सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : अखबारी कागज का एक रजिस्ट्रार रखने के बजाय आप राज्य स्तर पर भी एक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकते हैं ताकि छोटे समाचार-पत्रों के लोगों को अखबारी कागज के लिए परमिट लेने के लिए दिल्ली न आना पड़े ।

श्री वसंत साठे : दिल्ली किस लिये आते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : परमिट के लिए ।

श्री वसंत साठे : जांच पड़ताल के लिए विभिन्न राज्यों में हमारी शाखाएं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोटे के लिए भी । मद्रास से भी वे तमिलनाडु के लिए मांगते हैं ।

श्री वसंत साठे : यही मैं कह रहा हूं । इसीलिए हम क्षेत्रीय डिपु खोल रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें दिल्ली से परमिट लेना होता है ।

श्री वसंत साठे : कोई जरूरी नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि छोटे समाचार पत्र बड़े पैमाने पर अखबारी कागज नहीं ले सकते । अखबारी कागज बड़े रोल में मिलता है । हमने यह फैसला किया है कि हम इन केन्द्रों और डिपुओं में उन्हें काटेंगे और छोटे समाचार पत्रों को उनकी जरूरत के अनुसार अखबारी कागज का कोटा देंगे । हम यही कार्यवाही कर रहे हैं ।

अब मैं अंतिम बात पर आता हूं। मैंने बहुत सी बातें नहीं कही हैं। ये चार समाचार एजेंसियां हैं। एक समाचार बनाया गया था फिर इसका विभाजन किया गया और चार एजेंसियां बनाई गई। आपने ठीक कहा कि यदि हम चन्दा दें तो ये समाचार एजेंसियों की संख्या नहीं बढ़ेंगी और सरकार को सहायता अवश्य देनी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि इन समाचार एजेंसियों के रखरखाव के लिए सरकार जिम्मेदार होगी जोकि हमारे सीमित साधनों को देखते हुए सम्भव नहीं है।

पहले ग्राहक संख्या के आधार पर एक फार्मूला बनाया गया था और यह रेडियो पर ही लागू किया गया था। इसके अनुसार बहुत से रेडियो सेट के लिए लाइसेंस दिए गये। अब क्योंकि न हमने एक बेंड और दो बेंड वाले रेडियो पर से लाइसेंस हटा दिया है इसलिए यह फार्मूला बेकार हो गया है। अब हम इस फार्मूले पर पुनः विचार करेंगे और सभी के साथ न्याय करने की कोशिश करेंगे।

मैं अन्त में यह फिर कहना चाहता हूं कि हम समाचार पत्रों पर अथवा देश में किसी पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगायेंगे और न ही इसकी आशंका है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : पालेकर पंचाट के बारे में क्या स्थिति है आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

श्री बसंत साठे : इसके संबंध में श्रम मंत्रालय कार्यवाही करेगा। कुछ समाचार पत्रों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मैं आशा करता हूं कि पालेकर पंचाट पर अमल किया जायेगा। परन्तु यह इस समय श्रम मंत्रालय के पास है।

किसी भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के लिए समाचार पत्रों की स्वतन्त्रा बहुत महत्वपूर्ण है। हमने यह बात राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी कही है और मैंने यह बात बार-बार कही है कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रा को व्यक्ति की स्वतन्त्रा, राष्ट्र की सुरक्षा और अखण्डता तथा साम्प्रदायिक सद्भाव से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। इन मामलों में सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हम सभी को जनता और देश के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। नागरिक का भी कोई अधिकार है। आप समाचारपत्र में किसी भी बात को छापने का अधिकार मांगते हैं क्योंकि आपके नियंत्रण में समाचार पत्र है। सरकार अपना ध्यान स्वयं रख सकती है। सरकार की चिन्ता मत कीजिए। सरकार राज्यों में और अन्यत्र भी अपनी देखभाल करने के लिए काफी सक्षम है। वे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ऐसा कर सकते हैं। परन्तु तथ्यों की जांच पड़ताल किये बिना समाचार पत्रों में जो भी निन्दनीय बात छाप दी जाती है उससे जनसाधारण की रक्षा किस प्रकार की जाएगी ? आप कह सकते हैं कि आप अदालत में मान हानि का दावा कर सकते हैं परन्तु अदालत में जाकर आम आदमी अपने लिए और अधिक मुसीबतें मोल ले लेता है तो फिर क्या वह मान हानि का दावा कर सकता है ? इसलिए लोकतन्त्र में नागरिक के

अधिकार को मान्यता दी गई है और नागरिक का अधिकार भी समाचार पत्रों की स्वतन्त्रा के बराबर ही महत्वपूर्ण है।

मैं आशा करता हूं कि समाचार पत्र भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। हम सबको मिलकर काम करना चहिए। कुछ गलतियां हो सकती हैं। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि हम बिल्कुल पूर्ण है। हम सब इन्सान हैं। आलोचना से अपने आप में सुधार लाने में सहायता मिलनी चाहिए। परन्तु यदि यह आलोचना पक्षपात पूर्ण है और आप जानते हैं कि यह गलत है तो इससे सुधार होने की बजाय नुकसान होगा। इसलिए मैं इस सभा के सदस्यों द्वारा ही नहीं बल्कि समाचार पत्रों और बाहर के लोगों द्वारा भी आलोचना का स्वागत करूंगा। हमारा दर्शन है कि हम अच्छे विचार चाहते हैं, अच्छी जानकारी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास जानकारी इस पृथ्वी से ही नहीं आनी चाहिए बल्कि हमारे पूर्वजों ने कहा है आनो भद्राः कृत्वो यन्तु विश्वतः

हमारे शास्त्रों में यही दर्शन वर्णित है और हम उन शास्त्रों को मानते हैं। हम आलोचना का स्वागत करते हैं। हम ज्ञान का स्वागत करते हैं। हम पूरे विश्व से जानकारी लेना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया इन अनुदानों की मांगों को स्वीकार करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वाद विवाद में माननीय मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बात छोड़ दी है। कहा गया था कि अभी हाल में हमारे चलचित्रों में अश्लीलता दिखाई जा रही है जिससे हमारे नौजवानों के चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यह अश्लीलता फिल्म सेंसर बोर्ड के ध्यान से किस प्रकार बच जाती है ? यह बात समझ में नहीं आती। हमारे अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को नग्नावस्था में दिखाया जाता है। जिससे नवयुवकों की यौन भावनाएं भड़कती हैं। मानव शरीर का व्यापारिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यह हमारी संस्कृति के प्रतिकूल है।

श्री वसंत साठे : मैंने आपको बताया कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर समाज को स्वयं विचार करना चाहिये। इसे कोई कानून ठीक नहीं कर सकता (व्यवधान)। हमारे यहां सेंसर बोर्ड है और हमने मार्गदर्शी सिद्धांत भी निर्धारित कर रखे हैं। दुर्भाग्यवश कभी कभी इनका दुरुपयोग भी होता है। परन्तु जैसा मैंने कहा हमें जनसाधनों के लिए उन लोगों को लगाना चाहिए जो जानकार हों। हमने ऋषिकेश मुखर्जी जैसे व्यक्ति को सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनाया है और फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में श्री सोम बैनेगल हैं मुझे आशा है कि सेंसर बोर्ड...(व्यवधान)। कलाकारों और अन्य लोगों से इस पर विचार करना चाहिये : इन पर न तो हमारा और न ही स्थानीय अधिकारियों का कोई नियंत्रण है। कोई कानूनी प्रतिबंध लगाने के बजाय लोगों को स्वयं इन चीजों पर नियंत्रण रखना चाहिए।

श्री मनी राम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरा सवाल था, वह रह गया। साठे साहब, आपने भाषण में कहा था कि कोई एक फहरिस्त आपने बनाई है कुछ लोगों की जो कि ब्लैक लिस्टेड हैं, उनको आप नहीं दे रहे हैं, इसके बारे में भी आप कुछ कहेंगे।

श्री वसन्त साठे : मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे आने के पहले बनाई गई थी, लेकिन हमारे आने के बाद, मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इस तरह की कोई भी लिस्ट—ब्लैक लिस्ट, व्हाइट लिस्ट या और कोई भी लिस्ट—हमारे पास नहीं है और हम ऐसी कोई लिस्ट बनायेंगे नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा राजी हो तो मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर पेश किये गये सभी कटौती प्रस्तावों को इकट्ठा सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई सूचना और प्रसारण मंत्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 61 से 63 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई रखाव लेखा और पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की स्वीकृति के लिए पेश किये जाने वाले लेखानुदान में मांग की रकम :

मांग संख्या	मांग का नाम	मांग की रकम	
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
61.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	16,87,000	
62.	सूचना और प्रचार	4,26,29,000	24,70,000
63.	प्रसारण	14,47,07,000	5,69,75,000

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया): श्री सवाई सिंह सिसोदिया की ओर से, मैं सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 70/81-सीमाशुल्क से 72/81-सीमाशुल्क [सं०सा०नि० 208 (ङ)] से 210(ङ)](हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 26 मार्च, 1981 के भारत केराजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों को, जब उनका आयात अनुसंधान संस्थाओं को सप्लाई हेतु कंप्यूटर सिस्टम के विनिर्माण के लिए अनुसंधान तथा परिमीय साधन के प्रयोजनार्थ किया जाएगा, उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त तथा उपसंगी सीमाशुल्क से छूट देने सम्बन्धी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए एल० टी० संख्या 2237/81]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

6.21 म.प. तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 27 मार्च, 1981/6 चैत्र, 1903 (शक) के मध्यान्ह पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।